खण्ड-365, अंक-10
बुधवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1906
(21 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1—5
प्रश्नोत्तर ..	7—50
गोपनीयता का सहारा लेकर प्रश्नों के उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .	50—51
शारदा सहायक विकास परियोजना की भूमि संरक्षण इकाई मोहन लाल गंज में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	51
देवरिया के पत्रकार श्री रमा शंकर गुप्त द्वारा आमरण अनशन किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	51—52
भिलोना, जिला इटावा में पड़ी डकैती एवं हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
श्री बच्चाराम वर्मा (वकील) के साथ किए गए पुलिस दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहराइच के वकीलों द्वारा अदालतों के बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे गन्ना उत्पादकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53
जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के सामूहिक धरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53
श्री देव नरायन वर्मा, फार्म अरीक्षक, उमरहर, फैजाबाद द्वारा अपने अधिकारी से पीड़ित होकर आत्महत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53—54
वाराणसी जनपद में पड़े सूखे तथा कृषकों से करों की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	54
14 मार्च, 1984 को प्रख्यापित इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 8 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	54—55
संविधान की शपथ लिए बिना श्री मुहम्मद आजम खां के सदन में बैठने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	56—60
दिनांक 9 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	61—62
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	62—68

विषय	पृष्ठ संख्या
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 37-प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान सख्या 57-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 58-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	.. 68-98
अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग....(जारी)	.. 98-113
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं....	.. 113-114
गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा पांच अन्य निकायों के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूचना	.. 114
अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग (स्वीकृत)	.. 114-123
कानपुर महानगर कांग्रेस (ज) के अध्यक्ष श्री आर० एस० राजौरिया तथा वार्ड अध्यक्ष श्री जलालुद्दीन अन्सारी के ऊपर प्राणघातक हमला किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	.. 123-125
थाना बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) की पुलिस द्वारा सोराज नामक हरिजन को जिन्दा जला दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	.. 125-145
तारिखयां ..	.. 147-156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--354

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बिजनौर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेई, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, अमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० फ्राइस, श्री (नाम निर्देशित) आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशी नाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गैंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)

गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर मैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री, (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झब्बड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादुन)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)

बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री खुर्जावाला (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेन्य, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूंधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री उर्फ शबरोज, (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एट)
मन बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद शफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल श्री, (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन सिंह, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)

राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) (इलाहाबाद)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)

विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
बृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्री कृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती कानपुर)

सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)

हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रशाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री श्री, राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 21 मार्च, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रबी फसलों में गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि किये जाने की मांग

*1—श्री जय दीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंग कि प्रदेश के किसानों को वर्ष 1983-84 की रबी फसलों के उत्पादन लागत मूल्यों से कुछ अधिक मूल्य, जो लाभकारी मूल्य हों, दिलाने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को (वसूली मूल्यों की) संस्तुति करने के अतिरिक्त कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)--

रबी फसलों में गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर की जाती है । प्रदेशीय सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए अन्य कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, म आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पाद चीजों की क्या लागत आती है और माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को क्या सिफारिश की है कि इतना मूल्य किसानों को दिया जाय ।

श्रीमती बेनी बाई--

मान्यवर, जो भारत सरकार का घोषित मूल्य है उसको यहां बताना सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह भी कोई जनहित की बात है ?

श्री जय दीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि कृषि विश्व-विद्यालयों के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार प्रति क्विंटल क्या लागत कृषि उत्पाद की चीजों की आती है जिसके आधार पर कि केन्द्रीय सरकार को संस्तुति की जाती है । वे आंकड़े ऐसे नहीं है जिनको गोपनीय समझा जाय । इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय सरकार में विचार-विमर्श होता है । मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें ।

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार को कृषकों के हित में राज्य सरकार संस्तुति करती है । ऐक्चुअल कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आता है, हम क्या-क्या उसमें ध्यान रखते हैं, वह सब चीजें गोपनीय होती हैं । उनको जनहित में कहना सम्भव नहीं है । परन्तु एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगा कि हम कीमतें दो प्रकार से लगाते हैं । मैं ब्रेक-अप तो नहीं बता सकूंगा लेकिन एक प्रकार से जो हम संस्तुति करते हैं उसमें जो चीजें सम्मिलित करते हैं उसमें 116 रुपये कास्ट आती है और दूसरे ढंग से जो लगाते हैं उसमें 152 रुपये आती है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह देखते हुए कि पिछले वर्ष 1982-83 के मुकाबले में 1983-84 में मजदूरी की लागत बढ़ी, बीज की कीमतों की लागत बढ़ी और सिंचाई आदि के लिये बिजली की दरें बढ़ी । हर चीज की उत्पादन लागत बढ़ी । तो क्या 1982-83 में जो सिफारिश केन्द्रीय सरकार को या प्राइस कमीशन को की गई है उसमें उस अनुपात से पिछले साल के मुकाबले में इस साल उसकी लागत में बढ़ोतरी हुई है ? क्या उसी अनुपात से आपने सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या सिफारिश की है ?

श्री यशपाल सिंह--

श्रीमन्, सिफारिश तो बहुत सी चीजों को दृष्टिगत रखकर की गयी है और यह भी सरकार ने ध्यान में रखा है कि किसानों को उसका लाभप्रद मूल्य मिले। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि कास्ट आफ प्रोडक्शन सीड के रेट बढ़ने से, सिंचाई की दरें बढ़ने से तथा दूसरी चीजों के दाम बढ़ने से बढ़ जाता है और कहा कि क्या उसको दृष्टिगत रखा जाता है। तो निश्चित रूप से वह सब चीजों को ध्यान में रखा गया है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, पहली बार माननीय मन्त्री जी ने इस गोपनीयता के आकार और उसके रूप को इतना बढ़ा दिया है कि विश्वविद्यालयों ने क्या सिफारिश की वह भी गोपनीय, राज्य सरकार ने क्या सिफारिश की वह भी गोपनीय। इससे पहले आप को याद होगा जब बलराम सिंह जी कृषि मन्त्री थे, ने खुद सूचित किया था कि क्या सिफारिश की है और कितनी लागत आती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि कृषि विश्व-विद्यालयों ने जो सिफारिश की है चाहे वह फैजाबाद का हो, चाहे कानपुर का हो या पंतनगर का हो, उन्होंने जो सिफारिश की है उसके ऊपर क्या गोपनीय शब्द लिखा हुआ है नहीं तो उसका क्या आधार है। यह क्यों नहीं बताया जाता है कि कितनी लागत मूल्य आता है और विश्वविद्यालय ने क्या सिफारिश की है?

श्री यशपाल सिंह--

गोपनीयता का आधार सरकार का विवेक है, गोपनीयता का आधार यूनि-वर्सिटी की सिफारिश नहीं या कोई और बातें नहीं हैं।

श्री जयदेव सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गोपनीयता को आधार लेकर सभी मूल्यों को बताने से इनकार कर दिया जिसके आधार पर अनाज के मूल्य संस्तुत किये गये। मैं यह मानता हूं कि यह विषय केन्द्र सरकार का है और मूल्य वह निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त मंत्री जी ने प्रदेश के सीमित साधनों का भी उल्लेख किया। तो क्या यह देखते हुए कि पिछले साल के मुकाबले मूल्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्या किसानों को ट्रांस्पोर्ट सबसिडी या दूसरी चीजें जैसे सीमेंट है, कपड़ा है उनको सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे जिससे उनकी कुछ हद तक क्षति-पूर्ति हो सके?

श्री यशपाल सिंह--

पहली बात तो यह कि जो सरकार ने संस्तुति की उसके लिए मैंने नहीं कहा वह गोपनीय है। सरकार किस आधार पर रिकमेंड करती है वह मैंने बताया कि गोपनीय है। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कहा कि 10 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है तो हमारे हिसाब से जो रेट सिंचाई के बढ़े इसके अलावा जो मजदूरी में बढ़े उसमें विशेष वृद्धि नहीं है कुछ फर्क है तो जो भी चीजें बढ़ी हैं उसमें 8 आना क्विंटल केवल लागत मूल्य में वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 151 था उसे केन्द्र सरकार ने इस वर्ष 152 किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आप कृपया संरक्षण दें। माननीय मंत्री जी ने पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य बताना उचित नहीं है। तो शब्द पर ध्यान दें। जब केन्द्र सरकार ने मूल्य घोषित कर दिये तो उसे आदरणीय सदन में बताना क्यों उचित नहीं है। दूसरा मंत्री जी ने पुनः अनुपूरक में यह कहा कि मूल्य की सिफारिश जो प्रदेश सरकार ने की है यह गोपनीय नहीं है लेकिन किस आधार पर की यह गोपनीय है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से तथ्य हैं जो गोपनीय हैं, जो चीज अधिकारियों

की फाइलों में पड़ी हैं उसे इस आदरणीय सदन में घोषित करने में क्या गोपनीयता है ? मैं संरक्षण चाहता हूं गोपनीयता और जनहित की परिभाषा पुनः डिफाइन कीजिये नहीं तो सारे मामलों में जो हम पूछना चाहते हैं, जो हमारी प्रक्रिया नियमावली में स्पष्ट निर्देशित है जो भी हम शासन से जानकारी चाहते हैं उसमें हर एक में यह जनहित में नहीं है, कह कर टाल देंगे ..

श्री अध्यक्ष —

आप पूछ क्या रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से आधार हैं जिस पर केन्द्र सरकार को सिफारिश किया और क्या सिफारिश किया है ? यह गोपनीय नहीं है, इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, आधार के बारे में मैंने कहा कि वह गोपनीय रहते हैं । केवल गेहूं के भाव ही गोपनीय नहीं रहते हैं । संभवतः माननीय सदस्य जानते होंगे कि केन्द्र सरकार जब शुगर की प्राइज घोषित करती है, किस आधार पर करती है, उसका आधार सदैव गोपनीय रहते हैं । जो घोषित मूल्य है उसके गोपनीय का प्रश्न नहीं है । हमने जो मूल्य संस्तुत किया था वह 156 रुपये था ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मंत्री जी ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया क्योंकि यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका आधार गोपनीय हो । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया एक प्रक्रिया से रुपये 116 मूल्य आता है और दूसरी प्रक्रिया से मूल्य रुपये 152 आता है, यह उत्तर में बताया गया है, तो, वह अतिरिक्त बिन्दु कौन हैं जिससे रुपये 116 में और रुपये 152 में फर्क आ जाता है ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, वही तो कहा था कि जनहित में बताना संभव नहीं है ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, पिछले वर्ष 151 रुपये गेहूं के दाम निर्धारित हुए थे तो सरकार को शिकायत थी कि सरकारी भंडारों में गल्ला कम आया और इस साल रु0 152 कर दिया, तो क्या आशंका नहीं है कि रुपये 152 में किसान गल्ला सरकार को न बेचकर बढ़ी हुई कीमतों पर व्यापारियों को किसान गल्ला बेचेगा और व्यापारी अपने भंडारों में गेहूं भर लेगा जिससे कुछ दिनों बाद गेहूं भी गोपनीय हो जाये ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गेहूं को गोपनीय नहीं होने दिया जायेगा और कोई आशंका इस बात की नहीं है कि 152 रुपये के रेट पर सरकार को गेहूं न उपलब्ध हो ।

मादक वस्तुओं की तस्करी को रोकथाम हेतु नये सेक्टरों का सृजन एवं अधिकारियों की नियुक्ति

**2--श्री मोहन सिंह तथा राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में शासन ने कुछ बड़े नगरों में मादक वस्तुओं की तस्करी रोकने तथा प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से एक-एक नये सेक्टर सृजित कर उन पर अधिकारियों की तैनातो के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों का क्रियान्वयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्या नीलामी से पूर्व यह तैनातियां हो जायेंगी ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

जी नहीं । नव-सृजित सेक्टरों में तैनातियां वार्षिक नीलाम के बाद की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जहरीली शराब पीकर दर्जनों लोग मर रहे हैं और मंत्री जी का विभाग मदमस्त सो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए जो अतिरिक्त पद सृजित किये गये वह किन-किन नगरों के लिए और कितने पद और कब सृजित किये गये ।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय, माननीय सदस्य ने विरोधाभासी प्रश्न किया है । मूल प्रश्न में जो इन्होंने पूछा है कि "हाल ही में" तो हाल का मतलब है, जनवरी, तो 22-8-83 और 23-8-83 को आबकारी मंत्री को एक प्रत्यावेदन मिला था जिसको ध्यान में रखते हुए 23-8-83 को यह सेक्टर कई शहरों में कायम किये गये और कुल मिलाकर 8 हैं, जिसमें 5 स्वीकार हुए और 3 को शासन ने स्वीकार नहीं किया, तो 5 में तैनातियां होनी थीं । माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं-कहीं आबकारी निरीक्षक को हटाकर दूसरी जगह कर दें और नये पद के सृजन करने की प्रतीक्षा न करें, तो जो कहा है उसकी आशंका बढ़ती जाएगी, इसलिए नीलामी के बाद पुनर्गठन हमको करना पड़ता है । पद के सृजन में कुछ कठिनाई होती है, वित्त विभाग में जाता है, वह कैबिनेट में जाता है और सबके ऊपर कैबिनेट का यह निर्देश है कि नये पद न सृजित किये जायं मितव्ययिता की दृष्टि से । इसलिए माननीय सदस्य की जो इच्छा थी, मैं नीलामी के बाद ऐसा पुनर्गठन करूंगा जो माननीय सदस्य चाहते हैं और शासन की इच्छा है, जिससे दोनों का सामंजस्य हो सके ।

श्री मोहन सिंह—

मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में विरोधाभास उत्पन्न कर दिया, इस तरह से कि 23-8-83 को नये सेक्टर सृजित हो गये और 23-8-83 को नये पद भी सृजित हो गये । पर आज हम सन् 1984 में आ गये, मार्च भी बीतने जा रहा है, तो इतने लम्बे दौर तक नियुक्तियां न करने का कारण क्या है ? और इनके विभाग ने कहां-कहां मादक वस्तुओं की तस्करी के बारे में छानबीन की जिससे आवश्यकता हुई कि नये सेक्टर और नये पद सृजित किये जायं ?

श्री वासुदेव सिंह—

आवश्यकता से मैं सहमत हूं और आवश्यकता महसूस कर के ही यह निर्णय लिया गया कि नये सेक्टर बना दिये जायं, ताकि प्रभावी ढंग से उस पर हम नियन्त्रण रख सकें, लेकिन कठिनाई यह है कि नये पद-सृजन और सेक्टर निर्माण को लोग एक समझते हैं । परन्तु इसमें दोनों में फर्क है । पद सृजित नहीं हुए हैं, सेक्टर अवश्य बढ़ा दिये गये हैं । 8 सेक्टर बनाने की संस्तुति हुई, जिसमें से तीन को बाद में शासन ने स्वीकार नहीं किया, 5 का अनुमोदन किया और वहां पर नियुक्तियां नहीं हो पायी थीं । वह इसलिए रोक दिया गया कि चूंकि शासन की दृष्टि में नीलामी का जो काम चल रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह पूरा हो जाए तब नियुक्तियां पुनर्गठन के आधार पर की जायं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा शासन को भी जानकारी में है कि मादक वस्तुओं की तस्करी पूरे प्रदेश में हो रही है, और आगरा उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो अपने 8 सेक्टरों की स्थापना का जो प्रस्ताव किया है, उसमें से क्या आगरा में भी मादक

वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए एक सेक्टर की स्थापना की जाएगी, ताकि दिल्ली और राजस्थान से वहां पर इनकी जो भारी तस्करी होती है और उत्तर प्रदेश से वहां की जाती है, उसकी रोकथाम की जा सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य ने आगरा के बारे में आशंका व्यक्त की, तो आगरा तो कई बातों में आगे है...

श्री अध्यक्ष--

होली के मौके पर आप ठर्रे की एक-एक बोतल माननीय सदस्यों के घर पर पहुंचा दें ।

(हंसी)

श्री वासुदेव सिंह--

होली बीत गई, लेकिन उसका नशा अब भी बाकी है ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इनके विभाग ने कितने केसेज शराब के और अन्य मादक वस्तुओं के पकड़े और पुलिस ने कितने-कितने पकड़े ? क्योंकि इनका विभाग केवल तस्करों से रुपया लेता है और उनको बढ़ावा देता है और चरस और हीरोइन को पकड़ने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करता है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठें ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों की नियुक्ति क्या आबकारी विभाग में से ही की जायेगी या पी० सी० एस० आदि से की जायेगी ? दूसरी बात यह कि बाराबंकी जनपद से भी काफी तस्करी होती है । तो इसको देखते हुए क्या वहां पर भी इस प्रकार के केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

इसके लिये एक कमेटी नियुक्त हुई है । उस कमेटी के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है (व्यवधान) अब जहां-जहां जरूरत होगी वहां-वहां इसकी व्यवस्था की जायेगी ।

(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बाराबंकी, शारदा सहायक नहर शाखा दरियाबाद द्वारा जल भराव के विरुद्ध कृषकों का प्रदर्शन एवं मांग

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6 फरवरी, 1984 को जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक समानान्तर शाखा, दरियाबाद के सीपेज और सीपेज ड्रेनों से उत्पन्न जलभराव से तबाह, तहसील रामसनेहीघाट व तहसील फतेहपुर के हजारों किसानों ने जिला अधिकारी, बाराबंकी के सम्मुख प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मांगें क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

मुख्य मांगें निम्न हैं :--

1--सीपेज (जलभराव) की समस्या को स्थायी रूप से हल किया जाय ।

2--सीपेज से प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित ड्रेनों की सफाई, खुदाई ग्राम सभाओं की देख-रेख में की जाय ।

3--तहसील रामसनेहीघाट, फतेहपुर को झोलों, तालाबों का निरीक्षण कराया जाय और जलभराव समाप्त किया जाय ।

4--सीपेज से प्रभावित खेतों की लगान, सिंचाई, माफ किया जाय तथा वसूली रोकी जाय ।

5--सीपेज के प्रभावित क्षेत्रों में जो लगान वसूल हुआ है, वह वापस किया जाय और जिन मकानों को नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति की जाय ।

6--सीपेज जलभराव क्षेत्रों को बाढ़ पीड़ित को सुविधा दी जाय ।

उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :--

सीपेज एवं जलभराव की समस्या के निराकरण के लिये एक प्रोजेक्ट "हरियाबाद शाखा प्रणाली ड्रेनेज का सुधार" नाम से 643.50 लाख रुपये की लागत से बनाया गया है । धन की उपलब्धता के अनुसार ड्रेनों की खुदाई व सफाई का कार्य प्रगति पर है ।

सीपेज के कारण जो खेत नहीं बोये जाते उन पर सिंचाई कर नहीं लगाया जाता है । जो भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है, उस पर रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 156 के अन्तर्गत छूट प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा उ0 प्र0 राजस्व परिषद् को प्रस्ताव भेजा गया है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद बाराबंकी में सीपेज की समस्या कब से आरम्भ हुई तथा कितनी भूमि इसके कारण हर साल प्रभावित होती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सीपेज की समस्या तो जब से यह शारदा सहायक नहर बनी है तब से सामने आयी है, लेकिन जल भराव की समस्या आदि काल से चली आ रही है । समस्या सीपेज की अलग है और जल भराव की अलग है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर और रामसनेही घाट सीपेज और जल भराव की समस्या से प्रभावित हैं । जल भराव बरसात के पानी से और खास तौर से नहर के पानी की वजह से है । इसका परिणाम यह है कि किसानों के घरों में एक दाना फसल का नहीं जाता है जिसके कारण उन किसानों में भुखमरी की स्थिति फैली हुई है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को जीवन निर्वाह भत्ता देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सीपेज के सम्बन्ध में माननीय सदस्य चाहते हैं कि क्या सुविधा दी जाय और जैसा आपने कहा है कि लगान और सिंचाई न वसूल की जाय तो सिंचाई लेने का कोई सवाल ही नहीं है और साथ ही साथ जो लगान लिया जाता है उस सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग को लिख दिया गया है कि उनसे लगान न लिया जाय । वहां सीपेज से बचाया जाय इसके लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत तहसील राम सनेहीघाट, फतेहपुर और हैदरगढ़ में जल भराव और सीपेज की समस्या

आज भयावह स्थिति धारण कर चुकी है। क्या माननीय मंत्री जी विधान सभा में घोषणा करेंगे, कोई अधिकारी तत्काल इन तहसीलों में भेजकर स्थिति की जानकारी करके तत्काल कोई राहत दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, केवल अधिकारी भेजने से काम नहीं होता है बल्कि इसको दूर करने के लिए हमने सर्वे करा लिया ह और एस्टीमेट बनवा लिया है। इसके लिए 6 करोड़ 43 लाख 50 हजार रुपये की योजना बनाई गई है। कुछ काम कर दिया गया है और कुछ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने टास्क फोर्स नियुक्त किया है कि कहां-कहां यह प्राब्लम है, कितना धन चाहिए और कैसे दूर करेंगे, तो मान्यवर, यह कार्यवाही कर रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए कार्य कर रहे हैं ?

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए दूरगामी योजना बना रहे हैं और इस पर कार्य किया जा रहा है लेकिन जो प्रभावित कृषक हैं, जिनके पास दो-चार बीघे जमीन है जिसमें फसल नहीं हो रही है तो उनको तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कोई योजना इनके पास है जिसको कार्यान्वित कर रहे हैं। जिनके खेतों में पानी भर जाता है उनके लिए तत्काल राहत देने के लिए, पैसा या गल्ला उनको दिया जाय, क्या कोई ऐसी योजना कार्यान्वित कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो यह सीपेज और जल भराव की बात कही गई है तो सीपेज इतना ज्यादा नहीं है जितना कि जल भराव है। तो इस समस्या के निदान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसमें 805 कि0 मी0 ड्रेन बनाई गई है। 168 पक्के कार्य कर दिए गए हैं। मान्यवर, 1640 कि0 मी0 ड्रेन बनाना है और 580 पक्के कार्य करने हैं। अभी तक जो कार्य किए गए हैं उनसे 36500 हेक्टेयर क्षेत्र को फायदा हुआ है। यहां पर जल भराव बहुत दिनों से चला आ रहा है। यहां बहुत सी झीलें हैं जिनके कारण जल भराव बहुत समय से चला आ रहा है। इसी समस्या के निदान की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां से नहर गई हैं वहां पर सीपेज और जल भराव की समस्या है। लेकिन जहां पर नहर जा रही है, इलाहाबाद में, वहां पर यह समस्या होने का डर पैदा हो गया है तो इसके लिए कोई प्रिकाशन शासन अभी से ले रहा है या कोई नीति निर्धारित कर रहा है कि आगे वहां स्थिति भयावह न हो। इलाहाबाद की तहसील हंडिया तथा फूलपुर में सीपेज की स्थिति आ गई है उसके लिए पहले से कोई प्रिकाशन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष —

इससे यह नहीं उठता है। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी सीपेज से प्रभावित या जल भराव से प्रभावित, जिसको कि दूर करने का आप प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कुछ समय भी लगेगा, जब तक आप वह समस्या दूर न कर दें, उस समय तक क्या माननीय मंत्री जी इस चीज पर विचार करेंगे कि उन प्रभावित किसानों के ऊपर जो सरकारी देय हैं, जो बैंकों के देय हैं, चाहे वह लगान हो या अन्य देय हों, उनकी अदायगी इरीगेशन विभाग करे और जिनके घर गिर गए या जो उनकी फसल बरबाद हो जाती है, माननीय मंत्री जी उसको कम्पनसेट करने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

यह जो योजना बनी है, उसमें यह किया गया है कि उनसे लगान न लिया जाय, उनसे किसी प्रकार का कर न लिया जाय, जहां पर फसल नहीं हुई है। लेकिन जहां तक कम्पेन्सेशन देने की बात है, इस पर कभी विचार नहीं किया गया है। लेकिन कम्पेन्सेशन देने से उनका सारा काम हल नहीं हो जाता है। यह देखा जा रहा है कि इस समस्या का हल जल्द से जल्द कैसे हो।

इटावा जिले के बुनकरों की सहकारी समितिया एवं बुनकर संघर्ष समिति का आन्दोलन

*2-श्री ऊदल, श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद में बुनकरों की 400 समितियां बनाई गई हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है ? क्या यह सत्य है कि इन समितियां में बुनकरों मे से कोई भी सभापति नहीं बना है और 40 परिवार के लोग फर्जी सभापति का फार्म भर कर कर्जा व अनुदान तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में इटावा में बुनकरों का कोई आन्दोलन इस समय चल रहा है जिसमें 600 लोग जेल गए हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सरकार कराएगी ?

उद्योग राज्य मंत्री (मोहम्मद अमीन)--

1--इटावा जनपद में 226 सहकारी समितियां निबन्धक, (वस्त्रीय) सहकारी समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं।

2--ऐसी कोई जानकारी शासन को नहीं है।

3--इटावा में बुनकरों का एक आन्दोलन माह नवम्बर, 1983 में चला था जिसमें अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 400 से कुछ अधिक व्यक्तियों में गिरफ्तारियां दी थीं।

4--"जी हां, मौके पर सहकारी समितियों की जांच, हेतु उप निबंधक (हथकरघा) तथा वित्तीय परामर्श दाता की एक संयुक्त समिति के द्वारा जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।"

श्री ऊदल--

यह जो उत्तर का बिन्दु 2 है कि ऐसी कोई जानकारी शासन को नहीं है, तो क्या मेरी जानकारी को सत्य मानकर सरकार इसकी जांच पुनः कराएगी या किसी बड़े अधिकारी की नियुक्ति इसकी जांच के लिए करेगी कि जो सचमुच में बुनकर हैं, जिनके नाम से सहकारी समितियां बनाई गई हैं, उनमें से कोई सभापति नहीं है और सभापति बाहरी लोग बन गये हैं, वही ऋण और अनुदान ले लेते हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

माननीय, यह बात सही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बुनकर नहीं है और बुनकर का काम नहीं करता है और सभापति बन गया है और वह पर काम कर रहा है, तो इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं कि इसको सर्वे करके देखा जाय, और कोई समापति बनकर ऐसा काम कर रहा है, तो उनको हटाया जाय, ऐसे लोग जो अनुदान ले लेते हैं, जो मदद के पात्र नहीं हैं।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 226 सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं। बुनकर संघर्ष समिति ने जो आन्दोलन कराया था, इसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, इसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। इस आन्दोलन की मुख्य मांग थी कि जो समिति की सदस्यता सूची है, वह प्रकाशित कर दी जाय। क्या माननीय मंत्री जी 226 सहकारी समितियों के सदस्यों की सूची प्रकाशित कर देंगे, जिससे यह राज व

जायगा कि कौन बुनकर है या कौन बुनकर नहीं है । मेरी निजी जानकारी है कि इटावा जनपद में जिन लोगों के यहां सैकड़ों वर्ष से यह धंधा नहीं हुआ है और उन्होंने लाखों रुपये का घोटाला इन अधिकारियों से मिल कर किया है । दूसरा प्रश्न यह है कि जो अधिकारी इस लाखों रुपये के घोटाले में शामिल हैं, वही अधिकारी जांच कर रहा है । क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश देंगे कि इसकी जांच हथकरघा का डिप्टी डायरेक्टर न करे, जिलाधिकारी या आयुक्त इसकी जांच करें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य ने कहा कि 400 समितियां हैं । 400 नहीं 226 हैं । इनमें से 118 प्रकाशन के लिए जिलाधिकारी के पास भेज दिया गया है । कितना मेम्बरशिप है कितना पैसा लिया गया पूरा बनाकर जिलाधिकारी इटावा के पास भेज दिया गया । उन्होंने सम्बन्धित लोगों को दे दिया है । बाकी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

पहले भी यह प्रश्न सदन में उठ चुका है । यह सूची जिलाधिकारी को दे दी, यह बात पहले बताई गई थी । फिर से आज कई दिन हो गए । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस दिन से आज तक यह सूची आपके विभाग ने जिलाधिकारी को दे दिया, तो उस सूची को प्रकाशित करने में क्या मुसीबत हो रही है, कौन सा कारण है, जिसके कारण प्रकाशित नहीं कर रहे हैं । बुनकरों को दिया जाने वाला लाखों रुपया दूसरे लोग खा रहे हैं । सैकड़ों लोग जेल गए और जेल से लौटने के बाद जो फैसला हुआ उसमें उनकी मुख्य मांग थी कि सूची को प्रकाशित कराया जाय । यह सूची क्यों नहीं प्रकाशित की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

134 समितियों के बारे में जिलाधिकारी को दे दी गई हैं जिलाधिकारी ने जिन्होंने संघर्ष किया, जिनकी मांग थी कि सूची प्रकाशित की जाय, उनको दे दी है आप देख लें ।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा सवाल में है और उम्मर में मंत्री जी ने कहा है । कुछ लोग फर्जी बने हैं । क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो फर्जी सभापति बने हुए हैं, उनके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर यह देखा जाएगा, अगर अनियमितता हुई है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पिछड़ा वर्ग, हरिजन एवं अल्पसंख्यक छात्र, लखनऊ के छात्रवृत्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी पत्र

*1—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछड़ा वर्ग हरिजन एवं अल्प संख्यक युवा छात्र मोर्चा, उ0 प्र0 के अध्यक्ष श्री राम लाल पटेल का दिनांक 1-7-83 का पत्र हरिजन कल्याण विभाग, लखनऊ में छात्रवृत्ति आदि में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)—

इस पत्र को हरिजन समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन मंत्री (श्री गुलाब

सेहरा जी) के कार्यालय से दिनांक 15-7-83 को जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय को मूलरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु डाक द्वारा भेजा गया था, परन्तु उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह 6-12-83 को सरकार को भेजा गया। 7-3-84 को अन्तरिम उत्तर आया सूचना एकत्रित की जा रही है, उस सूचना के बाद आ गया कि पत्र गायब हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं, जो संरक्षण दे रहे ह इस भ्रष्टाचार का, पत्र गायब कर दिया और डाक से भेज दिया। क्या सरकार के लखनऊ में जो आफिस है, उसकी डाक, डाक द्वारा जाती है या मैसेंजर द्वारा जाती है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

भ्रष्टाचार मिटाने में हमारी सरकार श्री श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प है।

अब एक पत्र भेजा वह डाक से पहुंचा जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब दे रही हूं, डाक द्वारा भेजा गया और वह उपलब्ध नहीं हुआ तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आपने प्रश्न पूछा कि सूचना एकत्र की जा रही है जब सूचना एकत्र की जा रही थी तो पता लगा वह पत्र उपलब्ध नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं कि वह उस पत्र की एक प्रतिलिपि मेरे पास भिजवा दें और मैं आश्वासन देती हूं कि उसमें जो भी आपको शिकायत होगी उसमें उचित माध्यम की जांच करायी जायेगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको उचित सजा दी जाएगी।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीया मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई हैं पांच साल से कुमारी खान मौजूद हैं उनको नहीं हटाया जा रहा है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय, यह आज का जो प्रश्न है उसके सम्बन्ध में यह नहीं है यह अलग प्रश्न है। जब किसी अधिकारी के सम्बन्ध में आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए तो शिकायत भेजिए उसकी जांच करायी जाएगी। छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आज मैंने फिर से आदेश दिए हैं कि छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोई भी गड़बड़ी न हो। उसमें हमने फिर से जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

मेरी बात सुन लीजिए भाई लोग महिलाओं को बोलने ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

धन्यवाद, माननीय, जितनी भी छात्रवृत्ति हैं वह छात्रों के एकाउन्ट बैंक में खोले जायेंगे उसमें जमा की जायेगी। जो बैंक इसमें कार्य नहीं कर रहे हैं उसमें फिर से आदेश दिये गये हैं कि छात्रों के एकाउन्ट्स छात्रवृत्ति हेतु खोले जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, जो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं इसमें पहले मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय, यह देखा जा रहा है कि जो पत्र शासन को भेजे जाते हैं उसमें शासन की ओर से उत्तर मिलता है कि पत्र खो गये हैं। इसमें मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब प्रश्न विभाग में आया था इस बात की विभाग को आश्वस्ती हो गई कि हमारे पास पत्र नहीं है तो बाद में विभाग ने प्रश्नकर्ता से प्रश्न की प्रतिलिपि प्राप्त करने की कोशिश की या नहीं। जब मंत्री जी के पास यह उत्तर आया कि हमारे विभाग ने कर्तव्य परायणता का परिचय नहीं दिया है पत्र प्राप्त करने

की चेष्टा नहीं की तो मंत्री जी ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, वह पत्र डाक द्वारा भेजा गया था, चपरासी द्वारा नहीं भेजा गया था। वह वहां पर उपलब्ध नहीं है और मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप उसकी प्रतिलिपि भिजवा दें मैं उस पर कार्यवाही करूंगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुलाब सेहरा के यहां से पत्र आया यहां वह मंत्री थे । उनके यहां से चढ़ कर आया होगा । उस पत्र को देखकर जांच करा लें और उसके बाद निर्णय दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसी आपकी आज्ञा ।

[दिनांक 21 मार्च, 1984 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चमोली जिले में सिंचाई के साधन

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कृषि भूमि की सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है ? क्या यह सही है कि वहां पर अपार जलराशि उपलब्ध है ? यदि हां, तो सरकार अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास करने जा रही है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जनपद चमोली में मन्दाकिनी, धौली-गंगा, पिण्डर एवं रामगंगा आदि बड़ी नदियां बहती हैं, परन्तु उनके जल स्तर वहां पर उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र से नीचे हैं । अतः नदियों में अपार जल-राशि होने के बावजूद भी उससे सीमित सिंचाई ही होती है ।

वर्ष 1982-83 के अन्त तक 257.55 कि0 मी0 नहरों का निर्माण कराकर 3,005.72 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ । वर्ष 1983-84 में 38 कि0 मी0 नहरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 400 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा । वर्ष 1984-85 में 43 कि0 मी0 नहरों का निर्माण कराकर 430 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित किए जाने का प्रस्ताव है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर नदियों का जल स्तर ऊंचा है वहां उस क्षेत्र वाले स्थान से नहरें निकलवाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि सिंचाई हो सके । दूसरी बात यह है कि चमोली में जो सर्वेक्षण डिवीजन था, वहीं सिंचाई का काम कर रहा है । उस डिवीजन में स्टाफ कम है, जिसकी वजह से, वहां चमोली में जो सिंचाई खंड का सर्वेक्षण डिवीजन था, वही सर्वेक्षण डिवीजन अब नहर बनाने का काम कर रहा है । वहां स्टाफ कम है, जिसकी वजह से यह डिवीजन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां अलग से सिंचाई खंड बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि जहां पर जल स्तर ऊंचा है और सिंचाई हो सकती है, तो सरकार यही चाहती है कि जहां पर जल स्तर ऊंचा है और सिंचाई हो सकती है, वहां यह कोशिश की जाय । लेकिन जहां तक आपका कहना है कि डिवीजन कम है या स्टाफ कम है, तो मैं देखूंगा और यदि स्टाफ कम है, तो और दिया जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं

कि जबसे माननीय मंत्री जी के पास सिंचाई विभाग गया है, तबसे इन्होंने कितनी बार पर्वतीय अंचल का भ्रमण किया है और वहां उन्होंने क्या-क्या निरीक्षण किया । दूसरी बात...

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि एक समय यह था कि विज्ञान आगे नहीं बढ़ा था । अब वैज्ञानिक युग है, यानी 5-6 हजार फीट ऊंचे पानी फेंका जाता है । पर्वतीय अंचल का तमाम पानी नीचे आ रहा है तो क्या कारण है कि वहां पर पानी का इतना भंडार है और पानी मैदान में आ रहा है, तो वहां पर सिंचाई योजना बनाकर क्यों नहीं लिफ्ट सिंचाई योजना बना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि अब बड़े-बड़े डैम बनाने की योजना भारत सरकार की भी नहीं है और विदेशी क्षेत्रों में भी यह अनुमान लगाया गया है कि छोटे-छोटे डैम बन कर छोटे स्तर पर चेक डैम बनाकर बिजली सस्ते दाम पर देने की योजना बनायी जा रही है । तो पर्वतीय अंचल में इस प्रकार की समस्या का हल निकालने के लिये जिससे कि बिजली सस्ती मिल सके और साथ ही सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने के लिये चेक डैम बनवा दिये जांय, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि पहाड़ों पर आप जानते हैं कि कहीं-कहीं इतनी ज्यादा ऊंचाई होती है कि पानी लिफ्ट करने में बिजली बहुत खर्च होती है और फायदे से कई गुना ज्यादा खर्च होता है और कास्ट बेनीफिट मुश्किल होता है । यह सही है कि पहाड़ों पर जहां कृषि हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी जवाब दिया, जहां तक सम्भव हो सकता है, वहां पर छोटी लिफ्ट बनाकर सिंचाई की जायगी, लेकिन जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि छोटे हाइडिल प्रोजेक्ट बनाकर बिजली और सिंचाई की सुविधा या पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध की जाय, पहाड़ों पर यह समस्या है और सरकार उस पर विचार कर रही है कि क्या किया जाय ।

आगरा जिले के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का कथित अधिक भुगतान

*2—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मार्च, 1981 में आगरा जिले की एक संस्था को 107 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु 61,000 रुपये का भुगतान किया गया तथा उसी संस्था को उसी महीने में उन्हीं 107 में से 45 विद्यार्थियों के नाम पर 24,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तर-दायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपालराम दास—

जी नहीं । यह त्रुटि मार्च, 1981 में नहीं वरन् मार्च, 1979 में घटित हुई थी जो कि तुरन्त उसी दिन 24,000 रु0 धनराशि के चेक का भुगतान रोक कर सुधार ली गई थी और पुष्टि सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं बैंक से कर ली गयी ।

किसी अन्य कार्यवाही का औचित्य नहीं समझा गया ।

श्री पंचानन राय--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से पहले तो प्रश्न के उत्तर की तरफ आपका और माननीय मंत्री जी का भी दोनों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। एक विद्यालय में 107 लड़कों के लिए छात्रवृत्ति हेतु 61,000 रु0 का भुगतान कर दिया गया, किन्तु इसी संस्था को, इसी महीने में, इन्हीं 107 में से 45 विद्यार्थियों के लिए 24,000 रुपये का भुगतान किया गया। इसकी पुष्टि भी उस प्रधानाचार्य से करवाई, जो स्वयं फर्जी 24,000 रुपए निकाल रहा था। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 61,000 रुपए और 24,000 रुपए का भुगतान किस तरह से किया गया, अगर चेक से किया गया है तो दोनों भुगतानों के चेक नम्बर क्या हैं, उनकी तारीखें क्या हैं और यदि बिल से भुगतान किया गया है तो कौन सी तारीख में किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, यह दिनांक 31-3-1979 की घटना है। आपने जो प्रश्न पूछा है कि 45 विद्यार्थियों को 24,000 रुपए का भुगतान कैसे किया गया था ? यह चेक द्वारा किया गया था। इसका नम्बर (चेक का) 146493, दिनांक 31-3-1979 है। यह बात सही है कि 107 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु 61,000 रुपए पहले ही दिये जा चुके थे, किन्तु भूलवश 45 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु 24,000 रुपये का चेक काट दिया गया, जो प्रिंसिपल द्वारा उसी दिन ट्रेस-आउट कर लिया गया था, फलस्वरूप चेक वापस ले लिया गया और इससे पैसा निकाला नहीं गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को "प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति" में जांच हेतु भेज रहा हूं।

अधीक्षण अभियन्ता, गंडक सिंचाई विभाग की माप पुस्तिका 287 का आडिट

*3--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि माप पुस्तिका 287, एल0 में 12 लाख रुपये के सरकारी धनराशि का घपला होने के कारण माह फरवरी, 1982 में आडिट पार्टी के समक्ष उक्त माप पुस्तिका 287 एल0 की लिखित मांग करने पर भी अधीक्षण अभियन्ता, गंडक ने उसे प्रस्तुत नहीं किया ? यदि हां, तो कारण क्या है और क्या उसकी जांच करायी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या माप-पुस्तिका 287-एल आडिट-पार्टी के समक्ष रखी गयी थी और उसमें क्या-क्या अंकित था और कितनी-कितनी धनराशि का किन-किन कार्यों के लिए इस माप-पुस्तिका द्वारा भुगतान किया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, यह जो सूचना प्राप्त हुई है, जहां कहीं भी आडिट होना होता है, आडिट-पार्टी वहां जाती है। माप-पुस्तिका खण्ड और उपखंड में उपलब्ध होती है। जब कभी भी उनको इसकी आवश्यकता होती है, तो वह उन्हें वहां से प्राप्त हो जाती है। इस माप-पुस्तिका 287-एल का समय-समय पर निरीक्षण किया गया, किन्तु कोई भी धांधली नहीं पाई गई। जहां तक समय का प्रश्न है कि माह फरवरी, 1982 में इस माप-पुस्तिका 287-एल का निरीक्षण किया ? इसका

उस समय कोई निरीक्षण नहीं किया गया । इससे पहले यह कहा गया है कि, इससे पूर्व समय-समय पर इस माप-पुस्तिका को जांच आडिट-पार्टी द्वारा की जाती रही है ।

श्री गौरी देवी--

माननीय, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त माप-पुस्तिका में उल्लिखित कार्यों की जांच कराने के आदेश करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें अगर माननीय सदस्या कोई बात कहती हैं, शिकायत करती हैं, तो उसको हम दिखवा लेंगे कि क्या कमी है ।

प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को बिजली की आपूर्ति

*4--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो उद्योग 1982-83 तथा 1983-84 में अब तक लगाये हैं क्या उन सभी को बिजली प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रदेश के समस्त पंजीकृत व अपंजीकृत उद्योगों के विषय में यह सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय व धन के अपव्यय की सम्भावना है । अतएव यह सूचना देना सम्भव नहीं, है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आपने बिजली की बात कही कि प्रदेश के समस्त पंजीकृत व अपंजीकृत उद्योगों को बिजली प्राप्त हो गयी है इसकी बाबत सूचना एकत्र करने में काफी धन और समय के अपव्यय की संभावना है और यह सूचना देना संम्भव नहीं है और दूसरी आप प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि उद्योगों के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है, तो इसमें क्या सही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, यह बात सही है जो यह बताया गया है । पूरे प्रदेश में कितने उद्योग हैं, कितने बड़े उद्योग हैं कितने छोटे उद्योग हैं सबके विद्युत स्थिति को बाबत जानकारी की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसमें तो 1982-83 और 1983-84 की बात कही गयी है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

तो उसमें 1982-83 में कितने उद्योग लगे उनको बिजली मिली की नहीं । इसी तरह 1983-84, तो माननीय, इसकी सूचना एकत्र करने के लिये बिजली विभाग से बात करनी पड़ेगी, निजी क्षेत्र में कितने उद्योग लगे होंगे, उनसे अलग से बात करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें दिक्कत है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय, आप स्वयं देखें 2 जवाब माननीय मंत्री जी के आये हैं । माननीय, यह प्रदेश से बाहर जब जाते हैं, तो कहते हैं और इस हाउस में भी कई बार कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लोग लगायेंगे तो उनको बिजली एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जायेगी । माननीय, इसके अतिरिक्त उद्योग बन्धु भी इन्होंने खोल रखा है । माननीय, मैं यह कहना चाहूंगा कि लखनऊ में ही आपका शक्ति भवन मुख्यालय है, आप वहां से सूचना एकत्र नहीं कर पाये, तो क्या यह बता देंगे कि कितने बड़े उद्योगों को जो बड़े उद्योग लगे हैं प्रदेश में, वह कितने लगे हैं और कितनों को आपने बिजली दे दी और यह भी आप बता दें कि कितने दिन में आप बिजली दे देते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें जो आपने सवाल पूछा था कि कितने उद्योग छोटे-बड़े सभी लगाये ह और सभी के बाबत बिजली की स्थिति की बाबत पूछा था। मान्यवर, बहुत सी रिपोर्ट जिले में होती है, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् के दफ्तर में होती है, कुछ स्थानीय होती हैं। तो, सारे प्रदेश की सूचना एकत्र करने में इतने कम समय में इतनी जल्दी इसकी रिपोर्ट देना संभव नहीं है।

श्री रेवती रमण सिंह--

कितने दिन, कितनी अवधि के अंदर, जब कोई प्रार्थना-पत्र देता है उद्योगपति, तो कितनी अवधि के अंदर आप उसको बिजली उपलब्ध करा देते हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि अभी तक जो हमने अपने नियम बनाये, उसकी बाबत यह है कि जल्दी से जल्दी, जब वह अपना उद्योग लगा दें, तो उसे समय के अंदर बिजली दे दी जाय। लेकिन, मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे ओबरा में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो जब कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो जो कोई बात करते हैं, उसे कर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि यथासंभव तीन महीने के अंदर, जब वह अपना उद्योग लगा दे, बिजली का कनेक्शन कर दिया जाय, ताकि उसको कठिनाई न हो।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जितने अति लघु, लघु और मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, उन सब का पंजीकरण उद्योग विभाग से होता है। कितने उद्योग स्थापित हुए, पूरे प्रदेश की सूचना उद्योग विभाग के पास रहती है और जब से आपने जिला उद्योग केन्द्र कायम किये हैं, तब से उसके पास सभी बातों की जानकारी रहती है और उन इकाइयों को कच्चा माल, उनका व्यापार, उनके विपणन की स्थिति तथा उनके उर्जीकरण के बारे में क्या गतिविधि है, क्या प्रगति है, इसके सभी आंकड़े आपके जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण करने के बाद, सीधे ही एकत्रित किये जाते हैं, जिससे कि उनको आवश्यक और वांछित सहायता आपका विभाग करता है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस समय मन्त्री जी लाचारी के साथ कह रहे हैं कि इसका उत्तर संभव नहीं है मान्यवर, जो सरकार लोगों को उद्योगों की स्थापना हेतु सारी सुविधाओं को देने का आकर्षण पैदा करती है अपने भाषण में, उस सरकार का मन्त्री जब इस तरह का वक्तव्य सदन में देगा, तो क्या कहा जाये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ओबरा में आग लगने के बाद विद्युत आपूर्ति बंद हुई, यह बात सही है लेकिन प्रश्न केवल यह था कि कितनी इकाइयों की, जो उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत हैं, उनमें से ऐसी कितनी शिकायतें आयी हैं कि जिनको समय के अंदर विद्युत् विभाग ऊर्जा की सुविधा नहीं प्रदान कर सका?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, कभी कोई उत्तर देना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें समय का सवाल है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उद्योग लगाने का हमारा उद्देश्य है कि छोटे बड़े उद्योग लगाये जायें। जहां बिजली पहुंच गई है वहां हम चाहते हैं कि बिजली द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग लगाये जायें, जहां अभी बिजली नहीं है वहां के लिए मजबूरी है, तो वहां पर बिना बिजली वाले उद्योग लगाये जा सकते हैं। माननीय सदस्य जो उत्तर चाहते हैं तो उसे देने में कठिनाई है, उसमें समय लगेगा।

श्री मोहन सिंह--

तो मान्यवर, ये समय मांग रहे परन्तु उन्होंने तो कह दिया कि इसमें

पैसे का व्यय निश्चित है इसलिए इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है। मान्यवर, यह 1-12-83 का यह प्रश्न है, सरकार इसम सूचना एकत्रित कर सकती थी लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर मूल रूप में दिया है उसमें कह दिया है कि इसमें अधिक समय और धन के व्यय होने की सम्भावना है, अतएव सूचना देना सम्भव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि अब किसी भी औद्योगिक इकाई को बिजली मिलने में बाधा यह है कि उसको अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना पड़ता है। इसलिए हर आंकड़े आपके जिला उद्योग केन्द्र में होने चाहिए, यदि वह व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है तो। क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ऐसी कौन सी बाधा है जिसके कारण इसका उत्तर नहीं मिल सकता है। जबकि व्यवस्था यह है कि उद्योग लगाने के तीन महीने के बाद बिजली मिलती है। स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण मिल रहा है परन्तु उस उद्योग को जब तक बिजली नहीं मिलेगी तो उसे प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा और जब तक प्रमाण-पत्र नहीं देगा तब तक उसके ऋण की स्वीकृति नहीं होती है। दूसरी ओर यह निर्देश कर दिये गए हैं कि किसी नये कनेक्शन को बिजली न दी जाय। जब लोग औद्योगिक इकाई लगाने के लिये ऋण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ऋण निर्गत करना असम्भव हो गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, कई उद्योग ऐसे हैं जहां बिजली की जरूरत नहीं है। जहां तक बिजली की बात है, जब उद्योग लगता है तो पहले गारन्टी दे देते हैं बैंक में, ऐसी बात नहीं है। जो पैसा जमा करेगा, उसे बिजली मिलेगी।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या 5।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अभी इसका उत्तर नहीं आया है, इसको आप स्थगित कर दें। मान्यवर, आप स्वयं उत्तर का अवलोकन करें उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है, आप इसे स्थगित कर दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

कोशी निर्माण खंड, रामनगर, नैनीताल में कोशी बैराज-भवानीगंज मार्ग का निर्माण

*5--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कोशी निर्माण खंड रामनगर, नैनीताल में वर्ष 1982-83 में कुछ धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में कोशी बैराज से भवानीगंज तक रोड को पक्का कराने के नाम पर भुगतान दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्य की जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कोशी निर्माण खंड-2 रामनगर के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में कोशी बैराज से भवानीगंज तक नहर की कच्ची सर्विस रोड को पक्का करने में 66,888·00 रु0 का कार्य वास्तविक रूप में कराया गया है। किसी जांच अथवा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कितनी लम्बी है। दूसरे इसकी जांच किससे कराई गई ? तीसरी बात कि क्या इसकी भी जांच करायेंगे कि यह सड़क पहले की बनी हुई है और इसे 1982-83 में फर्जी दिखाकर मस्टर रोल वगैरह बना दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह कहते हैं जांच कराने के लिए, एक किलोमीटर से ज्यादा की सड़क है और इस पर 66 हजार रुपया खर्च आया है, दूसरी बात यह कि अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता दोनों ने जाकर इसको देखा और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। एक डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता और दूसरे डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता ने इसकी जांच की और इन लोगों ने कहा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि एक किलोमीटर से ज्यादा लम्बी सड़क है और उस पर खड़ंजा लगाया जाता तो एक लाख से ज्यादा रुपया लगता। चूंकि 66 हजार रुपया खर्च हुआ दिखलाया गया है, इसलिए क्या पुनः किसी दूसरी एजेन्सी से जांच करायेंगे। 66 हजार का खर्च फर्जी तौर पर दिखा दिया गया है। इतना खर्च उस पुरानी सड़क के अगेन्स्ट दिखलाकर सहायक अभियन्ता ने सारा कोरम पूरा कर दिया। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यहां पर जो किया गया है वह बहु बोल्डर सेलिया गया है, ईंटा नहीं लगाया गया है और उस पर बसें चलती हैं, हैवी गाड़ियां चलती है। जिस सड़क पर हैवी गाड़ियां चलती हों तो वह खराब होती। जांच करने के उपरान्त जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें कहा गया है कि सड़क अच्छी है और कोई गड़बड़ी नहीं है। अब अगर कोई बात माननीय सदस्य कहते हैं तो उस पर जांच करा ली जायेगी।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

यह सही नहीं है, इसकी जांच की जानी चाहिए। यह झूठ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष —

आप लिखकर दे दीजिए। वह देख लेंगे। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। वह उसकी जांच करा लेंगे।

पलस डोर फैक्टरी, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल की स्थापना एवं पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों की नियुक्ति

*6—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित पलस डोर फैक्टरी, कोटद्वार, जिला पौड़ी-गढ़वाल कब स्थापित की गई ? उसने 30 नवम्बर, 1983 तक कितना उत्पादन किया ? क्या श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता, कोटद्वार ने कोई उन्हें इस आशय का पत्र दिया है कि मुख्य मंत्री की घोषित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को इस फैक्टरी में नौकरी में वरीयता नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

प्रश्नगत फैक्टरी की स्थापना 14 जून, 1983 को हुई। दिनांक 14 जून, 1983 से 30 सितम्बर, 1983 तक फैक्ट्री ने परीक्षण उत्पादन के अन्तर्गत कार्य किया। वाणिज्यिक उत्पादन

1 अक्तूबर, 1983 से प्रारम्भ हुआ और नवम्बर, 1983 तक कुल उत्पादन 5·79 लाख रुपयों का हुआ ।

श्री जगमोहन मारद्वाज का कथित आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है अभी तक फैक्टरी में सृजित पदों के विपरीत केवल 25 पदों पर नियुक्तियां की गयीं हैं, जिनमें से 15 पद प्राविधिक तथा 10 पद गैर-प्राविधिक हैं । प्राविधिक 15 पदों में से 7 पद गढ़वाल मन्डल के अभ्यर्थियों में से भरे गये तथा गैर-प्राविधिक 10 पदों में से 8 पद गढ़वाल मन्डल के अभ्यर्थियों में से भरे गए । इसके अतिरिक्त दैनिक पारिश्रमिक पर कुल 140 श्रमिक कार्ययोजित हैं, जिनमें से 122 व्यक्ति गढ़वाल मन्डल के निवासी हैं । अतः यह कहना कि फैक्टरी में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को वरीयता नहीं दी जा रही है, सही नहीं है ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, जैसा माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उनके पास पत्र भी मिला और उन्हें जानकारी भी है कि कोटद्वार में बड़ा भारी संघर्ष हुआ था और वह अब भी चल रहा है । तो क्या वे बतायेंगे कि 140 दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें कोटद्वार के कुल कितने हैं, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, कोटद्वार के स्वयं के कितने हैं इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि वहां पर फैक्टरी को व्यवस्थित और सुचारुरूप से चलाने के लिए प्रबन्धक उद्योग विकास जो देहरादून में बैठते थे, जिन्होंने यह फैक्टरी लगाई, उनको बिठाया गया है ताकि वह फैक्टरी ठीक से चले और उसका प्रबन्ध ठीक तरह से हो सके ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह फैक्टरी बना रहे हैं और उसमें उन्होंने बताया कि 5 लाख 79 हजार का काम शुरू भी हो गया है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है । बाहर से माल मंग कर कार्य किया जा रहा है । क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर सचमुच में कार्य हो भी रहा है या नहीं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि काम शुरू कब से हुआ और प्रोडक्शन कब से आरम्भ होगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस इकाई को वन विभाग से पेड़ अलॉटिस होने थे जो अभी नहीं हो पाये हैं । फैक्टरी अभी आक्शन रेट पर वन निगम या दूसरे तरीके से खरीद करके उत्पादन कार्य चला रही है । उसके लिए प्रयास जारी है । श्रीमन्, वन निगम से जो हमें एलाटमेंट हुआ उसके अनुसार जो उत्पादन हुआ उसकी स्थिति इस प्रकार है कि अक्तूबर, 1983 में 1 लाख 38 हजार और जो परीक्षण हुआ वह 4 लाख 86 हजार का हुआ । दिसम्बर, 1983 तक 7 लाख 52 हजार का उत्पादन हुआ । यह सही है कि जितनी क्षमता से उत्पादन होना चाहिए था वह नहीं हो पाया और उसका मूल कारण यह है कि हमें कच्चा माल जो एलाटमेंट से मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पाया ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुये क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर अभी एक साल हुआ इस फैक्टरी को खुले हुए और कर्मचारियों को निकाला जा रहा है । मेरी यह भी जानकारी है कि बाहर से पलस डोर मंगाया जा रहा है ? क्या यह सही है ? यदि नहीं, तो क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, इसके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया इस फैक्टरी को सुव्यवस्थित करने के लिये जो सिर्फ मैंटिनेन्स मैनेजर पद के व्यक्ति थे उनके बजाय जिस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी थी और इस फैक्टरी को लांच किया था जो प्रबन्धक उद्योग विकास देहरादून में बठते थे श्री नौटियाल, उनको निर्देशित कर दिया है कि वे कोटद्वार में ही बैठेंगे ताकि यह फैक्टरी सुचारु-रूप से चल सके और जब फैक्टरी सुचारु-रूप से चलने लगेगी तो जाहिर है कि इसमें काम करने वाले लोग हैं वे ठीक से काम कर सकेंगे और आगे भी कुछ लोगों को नियुक्ति देने के रास्ते खुल जायेंगे ।

अल्मोड़ा जिले के ग्राम खंतोली में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की मांग

*7—श्री राधे श्याम पटेल—

(अनुपस्थित)

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम व पोस्ट खंतोली, जिला अल्मोड़ा जिसकी आबादी लगभग 8 हजार है, के आस पास 7 कि0 मी0 की दूरी पर कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या वहां पर अगले शिक्षा सत्र से एक जूनियर हाई स्कूल खोलने के आदेश मंत्री जी प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

शासन को प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम व पोस्ट खंतोली जिला अल्मोड़ा की आबादी केवल 495 है तथा इस स्थान से 4 से 7 कि0 मी0 की दूरी पर 5 विद्यालय हैं जहां पर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है ।

जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना जनपदीय योजना के अन्तर्गत है । जनपद के लिए जूनियर हाई स्कूलों का चयन निर्धारित मानकों के अंतर्गत जिला समिति द्वारा किया जाता है । अतः खेतोली में जूनियर हाई स्कूल खोलने के संबंध में निर्णय जिला समिति द्वारा ही लिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित बसें

*8—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम में 14-12-1983 को कितनी निजी बसें अनुबंधित की गई हैं ? क्या अनुबंधित बसों का पेमेन्ट नियमानुसार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों .

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे यह सूचना भी एकत्रित कर लेंगे कि जो पेमेन्ट हो रहा है, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 में जो निजी लोग हैं, उनका पेमेंट पैसा लेकर किया जा रहा है । उनसे घूस ली जा रही है । जो लोग यह घूस नहीं दे रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है और उनके पेमेंट में देर भी की जाती है उनका रूट भी कम किया जा रहा है । जो लोग पैसा देते हैं उनका किलोमीटर का रूट भी बढ़ा देते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इन सभी चीजों की सूचना एकत्र कर कर जवाब देने की कृपा करेंगे .

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, अभी मैं जब सदन में आ रहा था तो मुझे इस प्रश्न से सम्बन्धित कुछ सूचना मिली । यदि आप आज्ञा दें तो मैं बता दूं ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। उन्होंने और जो सूचना एकत्र करने के लिये कहा है, उसे भी देख लें। वह बाद में आ जायेगी।

बबेराला इन्टर कालेज, रानीखेत जिला अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण की मांग

*9—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बबेरायां इन्टर कालेज, सल्ट विकास क्षेत्र, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण किये जाने बाबत सन् 1975 से लगातार सन् 1978 तक प्रस्ताव प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया है? यदि हां, तो क्या प्रान्तीयकरण किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न को देखने का कष्ट करें 17-11-1983 को मैंने यह प्रश्न दिया था और आज 93 दिन हो गये और इसकी सूचना वह एकत्र नहीं कर सके हैं। केवल एक ही स्कूल का यह मामला है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रदेश सरकार ऐसे कैसे चलेगा कि जो 93 दिन में एक सूचना एकत्र ही कर सकी। जो तमाम दुर्घटनायें हो रही हैं उसमें इस तरीके से ही क्या व्यवस्था होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि कितने दिनों में मुझे सूचना देने का कष्ट करेंगे?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि अगर आप आज्ञा दें तो यह प्रश्न माननीय जसवंत सिंह जी ने बबेरायां के बारे में किया था लेकिन इस नाम का स्कूल होने की सूचना कहीं से प्राप्त नहीं हो सका। आज ही मेरे पास एक रेडियोग्राम प्राप्त हुआ है वह अंग्रेजी में है उसे माननीय सदस्य को मालूम हो जायेगा वह अंग्रेजी में है अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ देना चाहता हूं—

रेफ योर रेडियोग्राम रिगार्डिंग स्टार्ड क्वेश्चन नं0 7 आफ श्री जसवन्त सिंह बिष्ट एम0 एल0 ए0। देयर इज नो स्कूल एट बबेरिया इन दी डिस्ट्रिक्ट। दि करैक्ट नेम आफ स्कूल इन क्वंराला तो माय्यवर, वह जराला में स्कूल है इसलिए इसमें विलम्ब हुआ है वर्ना शासन से चुस्ती का काम कर रहा है चूंकि माननीय सदस्य जसवंत सिंह जी का प्रश्न था इसलिए विशेष ध्यान देना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी एक बात पूछना चाहता हूं जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो क्या जबाब भी उत्तर में आते हैं. यह जो सूचना दी है यह उत्तर से संबंधित है, उसमें आना चाहिए था।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, यह उत्तर भेजने के बाद आज सुबह प्राप्त हुआ इसकी वजह से नहीं दिया जा सका और आपके आदेश से मैं दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, यह कैंराला है।

भिक्षुक गृह, फैजाबाद के भिक्षुकों की दवा व इलाज के अभाव में मृत्यु

*10—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण भिक्षुक गृह फैजाबाद के 10 भिक्षुक इस सर्दी में मर गये? यदि हां, तो क्या भिक्षुओं की बीमारी, मौत दवा व इलाज के सम्बन्ध में भिक्षुक गृह के अधीक्षक ने जिला अधिकारी, फैजाबाद

वे अपने विभाग के उप निदेशक को समय-समय पर सूचना देते रहे ? यदि हां, तो अधीक्षक की सूचना अलग-अलग दोनों अधिकारियों को कब-कब मिली व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपाल राम दास--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, आज देखने से ऐसा लगता है कि सरकार को सूचना एकत्रित करने की बीमारी लग गयी है, इस बीमारी को मान्यवर, दूर करवा दीजिये । साथ ही साथ इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरा प्रश्न 16-1-84 का है और दो महीने बीत गये हैं फैजाबाद जो यहां से 130 कि0 मी0 दूर है वहां से जवाब नहीं आ रहा है तो इससे साफ जाहिर कि इनका हरिजन समाज कल्याण विभाग हरिजनों के प्रति कितना उदासीन है और कितनी इसकी कार्यकुशलता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सूचना मंगाई जा रही है किस अधिकारी द्वारा मंगायी जा रही है और कब इसके आदेश जारी किये गये और अब इसको एकत्रित करने में कितने दिन लग जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि समाज कल्याण विभाग सोया हो । जैसे ही शिकायत आई इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की गयी और सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित किया गया । पूरी सूचना मंगा रहे हैं । जिलाधिकारी से कहा है कि वह देखें कि कब सूचना मिली, किसने दी किस समय सूचना मिली इन भिक्षुओं के सम्बन्ध में । शीघ्र ही माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगी ।

*11--श्री सरदार सिंह--

[दिनांक 9-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 7वा र। उत्तरित ।]

*12- श्री परमाई लाल--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

प्रदेश में कक्षा 9 के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की करेंगे कि कक्षा 9 में पढ़ने वाले समस्त अनुसूचित वर्गीय छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी, ऐसा निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 82-83 में लिये जाने के बाद भी सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की सीमा के कारण सभी छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर देने में घबड़ा रहीं थी जिसको आपने देखा । मान्यवर, सरकार की ओर से रोज यह घोषणा की जाती है कि हरिजनों के लिये कुछ किया जा रहा है । 1982-83 में सरकार ने राजाज्ञा जारी कर दिया और घोषणा कर दिया कि कक्षा 9 में पढ़ने वाले समस्त अनुसूचित वर्गीय के छात्रों को 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जायेगी लेकिन वित्तीय कारणों से नहीं दे पा रहे हैं । मान्यवर, मैं सीतापुर जनपद का आंकड़ा देते हुए जानना चाहता हूं कि सीतापुर की वर्तमान स्थिति है कि कक्षा 9 में जो यहां से अनुदान गया है वह मात्र 1250 छात्रों को मिलेगा जबकि 3897 छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेंगे और घोषणा किया है कि सभी को देंगे, तो ऐसी तत्काल व्यवस्था न करने का क्या कारण है जिससे सरकार घोषित नीति के अनुसार सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रही है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया और हमारी भावना मंगलमय है कि समस्त हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिले लेकिन वित्तीय संसाधनों के कारण शतप्रतिशत छात्रों को हम अनुदान नहीं दे पा लेकिन प्रयास किया जा रहा है और वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर अवश्य आपकी भावनाओं का आदर किया जायेगा ।

(व्यवधान)

जे0 बी0 इण्डस्ट्री, दर्शननगर, फैजाबाद को बन्दी

*14--श्री मित्रसेन--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 बी0 इन्डस्ट्री स्थित दर्शननगर फैजाबाद को मालिक ने बिना सरकार की अनुमति के बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे अधिग्रहण कर कार्यरत मजदूरों के भविष्य को सुनिश्चित कर स्वयं चलाने पर विचार करेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्नगत इकाई को अधिग्रहण करने के मामले में सम्यक् रूप से विचार करके ही निर्णय किया जायेगा ।

हरिपुरा जलाशय, नैनीताल से पानी निकासी से हुई क्षति

*15--श्री बलबीर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गूलरघोन हरिपुरा जलाशय, जो कि जिला नैनीताल में स्थित है, का जलस्तर समुद्र तल से 801 फुट है तथा उस जलाशय में 796 फिट तक पानी भर जाने के बाद खतरा होता है । परन्तु 23-9-83 को सायंकाल 3 बजे वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा 790·2 पर 24,000 क्यूसिक फुट पानी एक दम छोड़ दिये जाने के फल-स्वरूप रामपुर जनपद की तहसील स्वार, विलासपुर व जनपद बरेली के सैकड़ों ग्राम बाढ़ग्रस्त हो गए जिससे सड़कें, नहरों व नदियों के बंधे टूट कर क्षतिग्रस्त हुए और जनधन की सम्पत्ति तथा खरीफ की कृषि उपज की हानि हुई ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरन्त निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मन्त्री द्वारा बैठाये गये जांच आयोग ने आज तक कोई जांच रिपोर्ट दी ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट कब तक दे देंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

हरिपुरा जलाशय का जलस्तर समुद्र तल से 801 फिट नहीं है, बल्कि बांध का शीर्ष स्तर 801 फीट है । दिनांक 22 व 23 सितम्बर, 1983 को क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण जलाशय के पानी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई । दिनांक 23-9-1983 को अपरान्ह 3·00 बजे हरिपुरा जलाशय का जलस्तर 790·1 फीट था, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही थी । अतः बांध की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस अप्रत्याशित वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु अपरान्ह 3·00 बजे स्पिलवे फाटकों से पानी निकासी आरम्भ की गई । उस समय केवल 3,387 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जो धीरे-धीरे बढ़ा कर सायं 6.00 बजे अधिकतम 16,183 क्यूसेक किया गया । प्रश्नगत क्षेत्र में अप्रत्याशित घोर वर्षा के कारण बाढ़ आयी थी न कि हरिपुरा जलाशय से पानी छोड़े जाने का कारण । अतः हानि का कारण वर्षा थी । किसी अधिकारी या कर्मचारी को अभी तक इसके लिये दोषी नहीं पाया गया है । अतः उनके विरुद्ध किस\

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का स समाप्त हो गया ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । शासन द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, जिसके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

गोरखपुर के डी० सी० होस्टल, गोलघर के छात्रों का आन्दोलन

*16--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के डी० सी० होस्टल, गोलघर, गोरखपुर के समस्त हरिजन छात्रों को पुस्तक व सामान अभी हाल में हरिजन कल्याण अधिकारी ने मकान मालिक से मिलकर बाहर फेकवा दिया है जिससे उत्पन्न स्थिति के कारण सभी छात्र (विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज व इ० कालेज) आन्दोलन पर है और उनका पठन-पाठन ठप्प हो गया है ? इस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत अकबरपुर, फैजाबाद में की गयी कार्यवाही

*17--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 के माह नवम्बर/दिसम्बर में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को अकबरपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वह मूल पत्र क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रश्नगत पत्र की प्रति संलग्न है । इस पत्र पर जांचोपरान्त कार्यवाही हुई है, जो निम्न प्रकार है :--

1--ग्राम सभा उकसा विकास खंड अकबरपुर में गाटा संख्या 556, 4 बीघा 8 बिसवा 16 धूर मूल्य रु० 44,400·00 जमुनीपुर में गाटा सं० 363,2 बीघा 5 बिसवा मूल्य रु० 81,500·00, जमुनीपुर गाटा संख्या-- 363 ग, 1 बीघा 9 बिसवा 10 धूर गाटा संख्या 501, 1 बीघा 6 बिसवा 9 धूर मूल्य रु० 39,865·00 की जमीनें तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) श्रीमती चम्पो आर्या द्वारा क्रय की गयी । ग्राम सभा अंटगो में खतौनी संख्या 324, 19 बीघा 9 बिसवा 6 धूर मूल्य रुपया 1,06,062·50 की भूमि तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) श्री एस० पी० मिश्र द्वारा क्रय की गयी । अहेथिया किशुनीपुर में खतौनी संख्या 465, 4 बीघा 14 बिसवा मूल्य 29,937·50 रुपया की भूमि वर्तमान अपर जिला विकास अधिकारी (ह० क०) श्री आर० डी० विद्यार्थी द्वारा क्रय की गयी, जिसमें से अटंगो एवं अहेथिया किशुनीपुर की भूमि 15 व्यक्तियों को आवंटित कर दी गयी । वर्ष 1981-82 में उकरा व जमुनीपुर में क्रय की गयी भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है । जमुनीपुर में क्रय की गयी भूमि गाटा संख्या 363-घ, 5 बिसवा तथा 363-ग 14 बिसवा 9 धूर कागबात में अंकित है और इन दोनों जमीनों का नायब तहसीलदार के आदेश मुकदमा नं० 221, तारीख फैसला दिनांक 21-2-1982 के अनुसार विक्रेता श्री राम निहोर पुत्र श्री रामफेर का नाम खारिज कर रमावती, समापति व मुकुनलाल का आदेश हो गया है । इस भूमि पर विवाद है क्योंकि यह जमीन दूसरे व्यक्ति द्वारा क्रय की गयी है जिसे आवंटन करना अब नहीं है । विक्रेता के ऊपर मुकदमा दायर करने की कार्यवाही की जा रही है तथा क्रेता

श्रीमती सी० आर्या को शासन द्वारा निलम्बित किया जा चुका है । शेष अहेथिया किशुनीपुर की भूमि सर्किल रेट तहसील की मालियत से कम पर क्रय की गयी है जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है । श्रीमती सी० आर्या द्वारा क्रय की गयी भूमि के लिए खंड विकास अधिकारी, अकबरपुर से लाभार्थियों का चयन कर प्रस्ताव मांगा गया है । आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

2— दुकानों का निर्माण विकास खण्ड, अकबरपुर के अकबरपुर में 10 तथा बरियावन में 10 का निर्माण कराया गया । अकबरपुर की दुकान आवंटित हो चुकी हैं और बरियावन की दुकान का आवेदन-पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आमंत्रित किये जा रहे हैं । आवेदन-पत्र के स्थापन एवं दुकान पूर्ण होते ही आवंटन कर दी जायेगी । दुकान निर्माण संबन्धी अन्य कोई प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी, अकबरपुर से अप्राप्त है ।

3—मौजूदा अधिकारी द्वारा ग्राम अहेथिया किशुनीपुर में खण्ड विकास अकबरपुर 4 बीघा 14 बिसवा मूल्य 29,937·50 रु० में क्रय की गयी है जो जमीन किस्म उसकी कीमत तथा नियमों के अनुकूल है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं प्रतीत होती है ।

(बॉक्स नत्थी "क" आगे पृष्ठ 147 पर ।)

*18—श्री राम सागर—

[दिनांक 14-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित ।]

बाढ़ एवं ड्रेनेज विभाग में व्याप्त अनियमितता सम्बन्धी शिकायत

पत्र

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-12-83, जिसमें बाढ़ एवं ड्रेनेज विभाग में व्याप्त अनियमितता का संदर्भ किया गया है, उन्हें मिल गया है ? यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

आरोपों की जांच के लिये मुख्य अभियन्ता (पन्डक) को आदेश दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक नहर की चण्डेश्वर माइनर के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*20—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की शारदा सहायक परियोजना नहर की चण्डेश्वर माइनर, जो ग्राम राउतमऊ कस्बा की तरफ जाती है उसमें किसानों की ली गई भूमि का 10-12 वर्ष के बाद (दिनांक 31-12-83 तक) किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत माइनर का निर्माण कार्य मार्च, 1978 में प्रारम्भ हुआ था तथा 31-12-83 तक भूमि प्रतिकर भुगतान नहीं हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री हर गोविन्द वर्मा—

[दिनांक 14-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित ।]

कानपुर में गंगा नदी पर बैराज का विचाराधीन निर्माण

2--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर में गंगा नदी पर बनने वाली विचाराधीन बैराज को गंगा नदी के पूर्ववत स्थान पर बहने वाले स्थान पर बनाने विषयक प्रश्नकर्ता ने जो पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को विगत 16 अक्तूबर, 1981 को भेजा था और जि का उत्तर मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 4544/सी० एम०/81, दिनांकित 7-11-81 द्वारा प्रश्नकर्ता को दिया था, क्या इस पत्रोत्तर के अनुसार सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? बैराज बनने का कौन सा स्थान किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

श्री शौर बहादुर सिंह--

निम्नलिखित कार्यवाही अब तक की जा चुकी है :--

बैराज के निर्माण हेतु स्थल का चयन करने के लिये सिंचाई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । बैराज निर्माण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

3--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[9वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

4--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

5--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[दिनांक 14-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 109 द्वारा उत्तरित ।]

6--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

7--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

8--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

पौड़ी गढ़वाल जिले के पेयजल विहीन ग्रामों की सूची

9--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कितने गांव हैं जो वर्तमान में वास्तविक रूप से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं किन्तु 1972 के सर्वे के अनुसार अभावग्रस्त गांवों की सूची में सम्मिलित नहीं है ? इन वास्तविक रूप से पेयजल के संकट से ग्रसित गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक इन वर्तमान वास्तविक रूप से अभावग्रस्त गावों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

वर्ष 1980 में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1148 ऐसे और अभावग्रस्त ग्राम हैं जो 1972 के सर्वे के अनुसार अभाव-ग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1972 में किए गये सर्वेक्षण के अनुसार घोषित अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के अनुसार किया जाना निर्धारित है । शेष अभावग्रस्त ग्रामों को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

10--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

1[--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

12--श्री शिव मंगल सिह--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

13--श्री राम स्वरूप निम--

[दिनांक 14-3-84 को अता0 प्र0 सं0 12 द्वारा उत्तरित]

गढ़वाल मंडल के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस संचालन की मांग

14--श्री नरेन्द्र सिह भंडारी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन राष्ट्रीयकृत मोटर मार्ग हैं जिन पर मात्र उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस सेवायें चलती हैं ? क्या सरकार इन मार्गों पर अन्य परिवहन कम्पनियों की बस सेवायें भी चलाकर जनता को अधिक यातायात की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

गढ़वाल मंडल के आठ राष्ट्रीकृत (सूबो संलग्न) मार्गों पर मात्र उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन है । अन्य परिवहन कम्पनियों को बसों का राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन हेतु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 1939 के प्राविधानों के अनुसार, स्वीकृति साधारणतया नहीं दी जाती है ।

(देखिये परची 'ब' आगे पृष्ठ 149 पर)

15--श्री नरेन्द्र सिह भंडारी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

16-17--श्री सरदार सिह तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद --

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 16, 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

18--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ स्थित मेसर्स मालिकों रबर इंडस्ट्रीज, सफराज-गंज को दिये गये ऋण की वसूली

19--श्री धर्मवीर सिह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मेसर्स मालिकों रबर इंडस्ट्रीज सफराज गंज जिन्हें रबर फैक्ट्री लगाने हेतु मई, 1975 में 1,24,000 रु0 उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा यू0 पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा मार्च, 1978 में 1,83,000 रु0 की वसूली हेतु वसूली मेमो भेजा गया ? क्या इसके बाद भी सरकारी धन की वसूली हेतु रिकवरी मेमों फर्म के मालिक को भेजा गया ? शासकीय धन की वसूली न किए जाने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सम्पूर्ण स्थिति से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

20--श्रीमती गौरी देवी--

[दिनांक 14-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 136 द्वारा उत्तरित ।]

कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल के हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों के प्रान्तीयकरण की मांग

21—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 फरवरी, 1984 को शासन के विचाराधीन कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल के किन-किन निजी संचालित हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों के प्रांतीयकरण का मामला विचाराधीन था और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी नहीं ।

सीमित परिव्यय होने के कारण वर्ष 1983-84 में किसी भी अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण का लक्ष्य न था । अतः कोई भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

22—श्री बल सिंगार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेदेन्द्र प्रताप, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 28-10-82 को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मुख्य अभियंता (गन्डक) को जांच के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 14-3-84 को अता० प्र० सं० 17 द्वारा उत्तरित ।]

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारियों को दिया गया कथित आहरण एवं वितरण का अधिकार

24—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार यह बतायेंगी कि उ० प्र० हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत कितने बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अब तक आहरण वितरण अधिकार दिये गये हैं और शेष बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकार अब तक क्यों नहीं दिये गये हैं ? यदि हां तो ये, शासन द्वारा इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

25—श्री मोहन सिंह—

[7वें सोमवार के अता० प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

26—श्री रियासत हुसैन—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

उन्नाव जिले के ग्राम मिश्रापुर के श्री बैजनाथ उर्फ चतुरी को राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से कुचल कर मृत्यु एवं क्षतिपूर्ति

27—श्री भीखा लाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगा दीन पुत्र घुरू निवासी ग्राम मिश्रापुर, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव जिसका लड़का बैजनाथ उर्फ चतुरी

दिनांक 28-10-83 को परिवहन निगम की बस नं0 यू0 एच0 एफ0 9147 द्वारा कुचल कर मर गया था का क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-11-83 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-11-83 के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला चाण्डवा, कर्नाटक प्रदेश में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बस की दुर्घटना में श्री अशोक कुमार तिवारी की मृत्यु

28--श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस नं0 यू0 आर0 डी0 651 जो 1 जून, 1982 को प्रातः 5.00 बजे पयटकों को लेकर देश के दक्षिणी भाग में गई थी और जो 19 जून, 1982 की रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर कर्नाटक प्रदेश के जिला मण्डया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई तथा उसमें सवार अध्यापक श्री अशोक कुमार तिवारी की मृत्यु हो गयी उनकी विधवा को मुआवजे के भुगतान का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं । नियमानुसार प्रदेश से बाहर घटित होने वाली बस दुर्घटनाओं में प्रदेश सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता देय नहीं है ।

29--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

फैजाबाद जिले के विकास खंड जलालपुर के अन्तर्गत आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों को दिया गया ऋण

30--श्री शेर बहादुर तथा श्री विलायती राम कल्याल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के जलालपुर ब्लाक में सन् 1980 से 1 फरवरी, 1984 तक कितने हरिजनों को आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ऋण दिया गया है तथा उनमें से कितनो को छूट नहीं मिल पायी है ? जिन हरिजनों को छूट समय से नहीं मिली है उसके दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों को सरकार दण्डित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31--श्री पंचानन राय--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

दादरी, गाजियाबाद में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस की हुई दुर्घटना में मृतकों को देय मुआवजा

32--श्री विजय पाल सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 दिसम्बर, 1982 को डी0 टी0 सी0 बस नं0 डी0 एल0 पी0 3368 परिवहन निगम उ0 प्र0 डिपो अलीगढ़ बस नं0 यू0 टी0 वाई0 2746 व गाजियाबाद डिपो की बस नं0 यू0 एस0 सी0 9855 एफ0 सी0 आई0 गोदाम दादरी, गाजियाबाद के निकट आपस में टकरा गई थी ? यदि हां तो उसमें कितने लोग घायल हुए औ

कितने लोगों को मृत्यु हुई ? जनवरी, 1984 तक सरकार द्वारा मृतक एवं घायल व्यक्तियों को क्या कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेंगर--

जी हां ।

इस दुर्घटना में कुल 5 व्यक्ति घायल हुये, तथा 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । बस नं0 यू0 एस0 सी-9955 एक अनुबन्धित बस थी इस बस के 4 यात्री घायल हुये तथा 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । परिवहन निगम की बस संख्या यू0 टी0 वाई0-2746 का केवल चालक घायल हुआ । अनुबन्धित बस से दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता मुआवजा आदि के भुगतान की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होती है । यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट तथा संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् मुआवजा की धनराशि का आवंटन परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों को वितरित किया जाता है । जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त न होने के कारण प्रश्नगत दुर्घटना में आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी है ।

लखनऊ जिले के कतिपय विकास खंडों में हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा दुकानों का निर्माण एवं आवंटन

33--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खंड गोसाईंगंज एवं मोहनलाल गंज में वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83 और 83-84 में वर्षवार कहां-कहां कुल कितनी हरिजन दूकानें विकास खंडों द्वारा बनायी गयीं और उनका प्राक्कलन किस-किस तकनीकी विभाग के किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया और उन दुकानों में किस-किस स्थान को दुकानों का आवंटन हो गया है ? शेष दुकानों का आवंटन आज तक न हो पाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद, लखनऊ के विकास खंड गोसाईंगंज एवं मोहनलाल गंज में वित्तीय वर्ष 1981-82 में कोई दुकानें नहीं निर्मित की गयीं । वर्ष 82-83 में गोसाईगंज में 65 तथा मोहनलाल गंज में 60 दुकानें निर्मित की गई, वर्ष 83-84 में दिनांक 29 फरवरी, 1984 तक उक्त विकास खंडों में क्रमशः 35 तथा 31 दुकानें निर्मित की गई । उक्त दुकानें जिन स्थानों पर निर्मित की गयी हैं, उनका विवरण संलग्न है । उपरोक्त दुकानों के निर्माण कार्य का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त दुकानों में जिन-जिन स्थानों की दुकानों का आवंटन किया गया है उनका विवरण संलग्न है । शेष दुकानों के आवंटन हेतु उपयुक्त लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 150 पर) ।

विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों एवं सचिवों के सम्मेलन में लिया गया निर्णय एवं समाज कल्याण निदेशालय के स्थापना की मांग

34--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 व 8 अक्तूबर, 1983 को शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री, भारत सरकार के संयोजकत्व में आयोजित विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों एवं सचिवों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि उ0 प्र0 में भी समाज कल्याण विभाग को पृथक रूप से गठित किया जाय और उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार सचिव,

भारत सरकार, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 22 अक्तूबर, 1983 के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि संस्तुतियों के अनुसार समाज कल्याण विभाग को गठन किया जय ? यदि हां, तो भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 7 व 8 अक्तूबर, 1982 व 7 व 8 अक्तूबर, 1983 को विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों एवं सचिवों के सम्मेलन में उन राज्यों में जहां समाज कल्याण का पृथक निदेशालय नहीं है पृथक निदेशालय स्थापित करने की संस्तुति की गयी थी । समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव का पत्र दिनांक 22 अक्तूबर, 1982 न कि दिनांक 22 अक्तूबर, 1983 प्राप्त हुआ है और उसमें यह अनुरोध किया गया है कि पृथक समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना की जाय । यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभागों का विलोनीकरण एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-1-1983 को समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभागों के दिनांक 12-1-1978 को पारस्परिक विलोनीकरण की तिथि को दोनों विभागों के मुख्यालय पर कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है जिसके विरुद्ध समाज कल्याण विभाग के समस्त कर्मचारियों ने प्रत्यावेदन देकर मांग की है कि स अनियमित रूप से तैयार की गई वरिष्ठता सूची का कार्यान्वयन न किया जाय और नियमानुसार पारस्परिक वरिष्ठता सूची तैयार की जाय किन्तु कर्मचारियों के संगठन द्वारा दिनांक 22-12-1983 के पत्र पर बिना कार्यवाही किये उक्त वरिष्ठता सूची का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे समाज कल्याण के कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थायीकरण तथा-मितीकरण इत्यादि सेवा सम्बन्धी मामलों में क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो कर्मचारियों के प्रत्यावेदन पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के महिला कर्मचारियों की बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कतिपय महिला कर्मचारियों को निदेशक के आदेश संख्या सी0 190 दिनांक 19-1-1982 के द्वारा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, तदुपरान्त निदेशक के आदेश सं0 सी0 62 दिनांक 21-2-1982 द्वारा इनकी सेवायें समाप्त करके पुनः आदेश संख्या सी0 704 दिनांक 23-2-1982 के द्वारा उन्हीं महिलाओं को अधीक्षिका के पदों पर तैनात किया और पुनः अधीक्षिका के पद से भी सेवायें समाप्त करके इन्हीं महिलाओं को पुनः बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर निदेशक के आदेश संख्या स0 96 दिनांक 7-9-1983 के द्वारा नियुक्त किया गया ? इनकी बार-बार सेवायें समाप्ति और पुनर्नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आदेश संख्या सी0 190 दिनांक 19-1-1982 द्वारा नहीं बल्कि आदेश संख्या सी0 190 दिनांक 19-1-1983 द्वारा 6 महिलाओं की नियुक्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर की गयी थी।

आदेश संख्या सी--62 दिनांक 21-2-1982 द्वारा नहीं बल्कि आदेश संख्या सी-62 दिनांक 21-2-1983 से इन महिलाओं की सेवायें समाप्त की गयी तथा आदेश संख्या सी-704 दिनांक 23-2-1982 द्वारा नहीं बल्कि आदेश संख्या सी-704 दिनांक 23-2-1983 द्वारा उन्हीं महिलाओं की नियुक्ति अधीक्षिका के पद पर की गयी।

जी हां।

बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा किये गये साक्षात्कार में इन महिलाओं को प्रतीक्षा सूची में वर्णित किया गया था तथा उसी प्रतीक्षा सूच से दिनांक 19-1-1983 को बाल विकास परियोजना अधिकारी पद पर इनक नियुक्ति की गयी थी। तदोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत 5 याचिकाओं से सम्बन्धित 10 याचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के फलस्वरूप बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर किए जाने के कारण इन महिलाओं को सेवायें समाप्त करनी पड़ी।

परन्तु मानवीय दृष्टिकोण से उन्हें अधीक्षिका के समान वेतनमान के पद पर नियुक्त कर दिया गया और अधीक्षिका के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत नियुक्ति आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के अतिरिक्त पद सृजित होने पर उन्हें उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। कालान्तर में बाल विकास परियोजना अधिकारी पद सृजित होने पर उन्हें पुनः उस पर नियुक्त किया गया।

37-40--श्री ऊदल--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

41--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

बस्ती जिले के विकास खण्ड जोगिया एवं नौगढ़ के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

42--श्री नन्दराम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के वि0 खं0 जोगिया और नौगढ़ के अन्तर्गत 79-80 में ट्यूबवेल नं0 25, 26, 27 व 28 की बोरिंग हुयी थी क्या वे आज तक कार्यरत हुए और उनसे कितनी सिंचाई हुई ? यदि नहीं, तो कार्यरत न होने का क्या कारण है और कब तक कार्यरत करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 79-80 में बस्ती जिला के विकास खण्ड जोगिया के अन्तर्गत ग्राम सिरवत साहा तथा जोगीबारी में क्रमशः नलकूप संख्या 26, 27 तथा 28 एवं विकास खन्ड नौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कोल्हुआ में नलकूप संख्या--25 की बोरिंग हुई थी।

विकास खन्ड जोगिया के ग्राम साहा में निर्मित नलकूप संख्या 27 दिनांक 12-7-1983 से तथा विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम कोल्हुआ में निर्मित नलकूप संख्या- 25 माह 5 1982 से कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रहा है। इन नलकूपों से 199 एकड़ क्षेत्र सिंचित हुआ है।

विकास खन्ड जोगिया में ग्राम सिरवत तथा जोगीबारी में निर्मित नलकूप

संख्या 26 तथा 28 उर्जीकरण न होने के कारण चालू नहीं हो सके हैं। मार्च, 1984 के अन्त तक इन नलकूपों को उर्जीकृत करवा लिये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

बस्ती जिले में निर्मित नलकूप

43—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने-कितने सरकारी नलकूप लगे हैं और इस वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में कितने-कितने नलकूप लगाने की स्वीकृति सरकार द्वारा की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के उस्का लखनापार बांध के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

44—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में उस्का लखनापार बांध बनाया गया है और उस बांध बनाने में जिन किसानों की जमीन निकली है उनको अब तक उस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ? सरकार उन किसानों को उनके जमीन का मुआवजा कब तक देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[7वें बुधवार के लिये स्थगित] श्री सुशील चन्द्र गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा डिवीजन, बुलन्दशहर को घूस लेते समय गिरफ्तारी

45—श्री जंग बहादुर—

46—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा डिवीजन 4, बुलन्दशहर (श्री सुशील चन्द्र गुप्त) दिनांक 19-1-1984 में रंगे हाथों घूस लेते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी को आज तक निलम्बित नहीं किया गया है, घटना का पूर्ण विवरण क्या है और शासन ने उक्त अधिकारी के विपरीत अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

श्री सुशील चन्द्र गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को श्री मो0 यामीन से 500 रु0 घूस लेते हुए दिनांक 19 जनवरी, 1984 को सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। श्री गुप्ता के विरुद्ध धारा 161 भारतीय दण्ड संहिता एवं 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना कोतवाली, बुलन्दशहर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। श्री गुप्ता को अधिशासी अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के मूल पद पर प्रत्यावर्तन व निलंबन आदेश शासन के दिनांक 2 मार्च, 1984 को निर्गत कर दिये हैं।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मथुरा जिले में हरिजनों को दिया गया ऋण

47—श्री कन्हैया लाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन), मथुरा के माध्यम से 1 अप्रैल, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल कितने व्यक्तियों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत (बैंक ऋण पर सब्सीडी) लाभान्वित हुए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र परतावल एवं घुघली के अन्तगत पशु खरीदने हेतु हरिजनों को दिया गया ऋण

48--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द--

क्या सरकार यह बतायेगी कि वर्ष 1982 में विकास क्षेत्र परतावल एवं घुघली, गोरखपुर में हरिजनों ने जो दुधारू पशु खरीदे थे उसमें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से जो छूट मिली थी वह अभी तक नहीं मिल पायी जबकि डी0 डी0 ओ, गोरखपुर एवं अन्य अधिकारियों को कई बार इस सम्बन्ध में लोगों ने लिखा भी है ? यदि हां, तो भुगतान न होने के क्या कारण है और भुगतान कब तक हो जायेगा ;

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1982 में विकास क्षेत्र परतावल एवं घुघली, गोरखपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुधारू पशु क्रय करने हेतु प्राप्त बैंक ऋण पर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान का समायोजन किया जा चुका है ।

नलकूप निर्माण खण्ड, जौनपुर में मशीनों की मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि

49--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूल निर्माण खण्ड, जौनपुर में 1982-83 व 1983 84 में मशीनों की मरम्मत इत्यादि पर कुल कितना धन व्यय किया गया आपूर्ति व मरम्मत का कित । अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, जौनपुर व अधिशासी अभियन्ता निर्माण द्वारा किया गया ? आवण्टन के पश्चात् प्रश्नगत मशीनों में कितने नलकूपों का शिरण व निकास उपरोक्त अवधि में किया ? यदि लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गई तो अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, जौनपुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जालौन जिले के ग्राम पुरा और महटौली में नलकूप निर्माण

50--श्री धनी राम वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जनपद के रामपुरा ब्लाक के ग्राम पुरा और महटौली को सिंचाई हेतु 49 नम्बर का कोई राजकीय नलकूप लगाया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह ट्यूबवेल कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?क्या सरकार अतिशीघ्र कार्यरत करायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

वर्ष 1979-80 में ।

जी नहीं ।

विद्युतीकरण के अभाव में ।

जी हां ।

देवरिया एवं गोरखपुर में सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध नेपाल राज्य से सामान खरीदने की शिकायत

51--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर व देवरिया के अधिकांश अभियन्तागण द्वारा नेपाल देश से समान खरीद कर प्रयोग करने एवं लखनऊ में लाकर उच्चाधिकारियों को देने

के बेचने से सम्बन्धित कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता का सिंचाई मन्त्री, मुख्य मन्त्री आदि को इसी माह फरवरी, 1984 ई0 में मिला है ? यदि हां, तो इस दशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस शिकायत की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (गण्डक) को आदेश दिया गया है ।

देवरिया जिले में कागज की फैक्ट्री के निर्माण की मांग

52--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत एक कागज की फैक्ट्री लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तराई परियोजना के निरीक्षक रेशम एवं अधिदर्शक रेशम के पद-हेतु साक्षात्कार एवं सूची

53--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1983 में रेशम निरीक्षक व रेशम अनुदेशक पदों पर नियुक्त हेतु चयन समिति द्वारा 10 हजार अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करके चयनित व्यक्तियों की सूची बनाकर उक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने के लिए उद्योग निदेशक, उ0 प्रदेश को भेज दिया था ? यदि हां, तो अभी तक उक्त सूची का अनुमोदन उद्योग निदेशक द्वारा न प्रदान किए जाने का कारण क्या है और उपरोक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तराई परियोजना के अन्तर्गत फरवरी, 1983 में निरीक्षक रेशम एवं अधिदर्शक आदि पदों पर नियुक्ति हेतु कुल 770 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था ।

यह मामला हथकरघा निदेशालय के विचाराधीन है ।

फैजाबाद के टांडा में थिरुवा ड्रेन को निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

54--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टांडा जनपद फैजाबाद में थिरुवा ड्रेन निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ कोई आवेदन-पत्र श्री गया प्रसाद व श्री रामलौट वर्मा ग्राम बमावेनपुर ब्लाक टांडा फैजाबाद का दिनांक 12 जनवरी, 1984 का भेजा हुआ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त आवेदन-पत्र का पूर्ण विवरण बिन्दुवार क्या है तथा क्या जांच पश्चात् सम्बन्धित किसानों की भूमि का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है ? भुगतान धनराशि अलग-अलग क्या है तथा भुगतान तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

55--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

फैजाबाद के टांडा के मुड़ेरातालधौराहरा ड्रेन का निर्माण एवं भूमि का अधिग्रहण एवं प्रतिकर

56--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टांडा तहसील

के अन्तर्गत स्थित ग्राम मुढ़ेराताल वाया धोराहरा नौरहनी ड्रेन का सन् 1979-82 के बीच निर्माण किया गया ? यदि हां, तो क्या श्री राजाराम पुत्र श्री भुनेश्वर भूमि चक नं0 5 रकबा 5 बिस्वा तथा श्री केशव पुत्र श्री रामनाथ भूमि चक नं0 4 रकबा 3 बिस्वा तथा श्री रामजतन पुत्र भगोरथी भूमि चक नं0 3 रकबा 3 बिस्वा तथा राजाराम पुत्र टीजू भूमि चक नं0 2 रकबा 3 बिस्वा ग्राम मोमोपुर, टांडा, फैजाबाद की भूमि उक्त ड्रेन निर्माण से प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का प्रतिकर सम्बन्धित प्रभावित किसान परिवारों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो प्रतिकर भुगतान का धनराशि अलग-अलग क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गौरी कुण्ड सोन प्रयाग मार्ग पर श्री महेशानन्द, ग्राम त्रियुगी नारायण की बस से कुचल कर मृत्यु

57—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 24 जून, 1983 को गौरी-कुण्ड सोन प्रयाग मार्ग पर बस नं0 यू0 टी0 एस0 853 से, आठवीं कक्षा का विद्यार्थी, महेशानन्द पुत्र श्री सुरेशानन्द, निवासी ग्राम त्रियुगी नारायण, तहसील, ऊखीमठ, जनपद चमोली आयु 16 वर्ष कुचलकर मर गया था ? यदि हां तो क्या उसके पिता को इस सम्बन्ध में कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पौड़ी-गढ़वाल जिले के विद्युत् विहीन चिकित्सा लय

58—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से राजकीय चिकित्सालय हैं, जिन क्षेत्रों में विद्युतीकरण होने के बावजूद भी चिकित्सालय भवनों पर विद्युत् उपलब्ध नहीं कराई गई, इसके क्या कारण हैं तथा इन चिकित्सालयों में कब तक विद्युत् कनेक्शन दिये जायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जनपद पौड़ी-गढ़वाल में संलग्न सूची में उल्लिखित 14 राजकीय भवनों वाले एलोपैथिक चिकित्सालयों में सम्बन्धित क्षेत्रों में विद्युतीकरण होने के बावजूद भी विद्युत् उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है । आगणन तयार होने व जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त होने तथा उसके अनुसार आगणनों के प्राप्त होने पर शासन द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति देने के उपरान्त ही विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 154 पर)

देवरिया स्थित चीनी मिल पर किसानों का बकाया एवं भूतपूर्व विधायक श्री कृष्णा राय द्वारा हड़ताल एवं गिरफ्तारी

59—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 7 फरवरी, 1983 को देवरिया जनपद के भूतपूर्व विधायक श्री कृष्णा राय सहित 90 व्यक्तियों को देवरिया स्थित चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को

गन्ने का बकाया न भुगतान करने व पर्चियों पर कम पैसा लिखे जाने के विरोध में परगनाधिकार, देवरिया के अदालत पर आन्दोलन करते हुये हल्ला बफा 188 जा० फौ० में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया जिनमें 66 महिलायें भी थीं ? यदि हां, तो इन सभी को रिहाई के आदेश कर दिये और क्या श्री कृष्णा राय को दिनांक 19 फरवरी 1983 को शाम को ही रिहा कर दिया जबकि अन्य अभियुक्तों को दिनांक 20 फरवरी, 1983 को रिहा किया गया । यदि हां, तो 89 सम्बन्धित लोगों को 13 घंटे अवैधानिक रूप से जेल में रखे जाने के कारण क्या हैं और क्या सरकार उक्त बरती जाने वाली अनियमितता के विरुद्ध तथा महिलाओं को सर्दी के दिनों में खुले मैदान में रखे जाने की जांच कराकर दंडित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

जी हां ।

19 फरवरी, 1983 को बन्दियों के रिहाई के आदेश हुये हैं । श्री कृष्णा राय उसी दिन मुक्त होकर कारागार से बाहर चले गये परन्तु उनके 89 साथियों, जिनमें 66 महिलायें थीं उनको दिये गये 2-2 सरकारी कम्बल तथा 1-1 चादर जमा नहीं किये और जिद की कि वह बिना कम्बल तथा चादर लिये जेल से बाहर नहीं जायेंगे । इन पर सरकारी सम्पत्ति जमा कराने हेतु बल प्रयोग किया जाना उचित नहीं समझा गया । जब समझाये जाने पर वह नहीं माने तो उनको पुनः गेट बुक में इन्द्राज किया गया । वे गेट के बाहर गये ही नहीं थे । दूसरे दिन 20 फरवरी, 1983 को प्रातः काल कार्य नष्टता कराने के बाद इनको 8.25 बजे रिहा किया गया । रात इनको खुले मैदान में नहीं रखा गया था । उनके रहने के लिये टेंट लगा दिया गया था । इस प्रकार किसी अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा, जालौन के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति

60--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतलेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, कदौरा (जालौन) में 1981-82 के कितने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति रुकी है और क्यों ? यदि हां, तो दोषी प्रभारी अध्यापकों और प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत विद्यालय के किसी हरिजन छात्र की छात्रवृत्ति वर्ष 1981-82 की नहीं रुकी है । 11 नवीन छात्रों को जिनके आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, एवार्ड संख्या 2484-86, दिनांक 30-9-81, एवार्ड संख्या 1641, दिनांक 8-9-82, एवार्ड संख्या 1635, दिनांक 8-9-82 द्वारा छात्रवृत्तियां स्वीकार की गयीं । 9 छात्रों के पुनर्नव प्राप्त हुये मामलों में एवार्ड संख्या 2330-32, दनांक 7-9-81 द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं । प्रश्न नहीं होता ।

औरास-मोहान-लखनऊ मार्ग पर प्राइवेट बस के संचालन की मांग

61--श्री भोलालाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-10-83 औरास मोहान-लखनऊ मार्ग पर प्राइवेट बस चलाने के लिए परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ की बैठक दिनांक 17/18-2-84 में निर्णय लिया गया है कि मार्ग को सण्डीला तक बढ़ाकर अ श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए चार बसों की क्षमता निर्धारित की जाय। बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु अस्थायी/स्थायी परमिट के प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जायं ।

हाथी नाला, जिला मिर्जापुर में टैंकर से हुई दुर्घटना में श्री बद्रीलाल की मृत्यु एवं मुआवजे की मांग

62—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में ट्रक, बस या वाहनों में हुई दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो टैंकर नं0 यू0 आर0 जेड0 2060 को चलाते वक्त हाथी नाला के पास जिला मिर्जापुर में दुर्घटना हो जाने से उक्त टैंकर दिनांक 29-9-83 को क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक बद्रीलाल पुत्र खूही लाल, ग्राम महिमापुर, थाना जेलालपुर, जिला सोनभद्र घायल होकर 19-9-83 को श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में भर्ती किए गये और 30-9-83 को मृत्यु हो गयी ? क्या यह टैंकर पंजाब ट्रांसपोर्ट कारियर, पड़ाव, वाराणसी का था ? यदि हां, तो मृतक बद्रीलाल की विधवा को मुआवजा सरकार देगी या कम्पनी से दिलवायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मोटर गाड़ी दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को मुआवजा देने के विभिन्न प्राविधान हैं । शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित टैंकर संख्या यू0आर0जेड0 2060 के मालिक श्री निर्लेप सिंह पंजाब सर्विस स्टेशन, पड़ाव, वाराणसी हैं । इस दुर्घटना में मृत ड्राइवर श्री बद्रीलाल के वारिस मुआवजे के लिए मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा दायर कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल द्वारा उक्त टैंकर का बीमा करने वाली कम्पनी को मुआवजा देने के आदेश दिये जा सकते हैं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति का अधिकार

63—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार शासनादेश संख्या 2182-26-1-81-2-जी-3/78, दिनांक 22-4-81 के द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त शासनादेश को निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक सी0/22/7-81/38-शिक्षा, दिनांक 26-4-82 के द्वारा हरिजन छात्रावासों में नियुक्ति मुख्यालय से करने का निर्देश दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के परामर्श से मे होकर जिला प्रमुख एवं कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधायन किये गये हैं ।

जी नहीं ।

कार्यशाला, नलकूप भदोही, वाराणसी के निष्क्रिय वाहन

64—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यशाला, नलकूप भदोही, जिला वाराणसी के मैदान में गाड़ी नं0 यू0

पी0 एच0 6583 व यू0 पी0 एल0 8460, यू0 पी0 एल0 1258 एवं एक राजकीय वाहन जिसका नम्बर मिट गया है 10/15 वर्षों से खराब हालत में खड़ी है ? उसको नीलाम न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

पकड़ी खुर्द नलकूप, डाक बंगला, सिंचाई विभाग की भूमि का पर्यटन विभाग को स्थानान्तरण

65--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 83 पकड़ी खुर्द व जिलेदारी आफिस एवं सिंचाई विभाग का डाक बंगला एवं स्टोर तथा एक एकड़ से अधिक जमीन सिंचाई विभाग ने पर्यटन विभाग को बेच दिया है ? यदि हां, तो कितने रुपए में ? क्या यह सही है कि ट्यूबवेल नं0 83, पकड़ी खुर्द को भी पर्यटन विभाग ने घेर दिया है ? क्या इसकी जांच की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप संख्या 83, पकड़ी खुर्द व जिलेदारी आफिस एवं सिंचाई विभाग का डाक बंगला एवं स्टोर सहित कुल 3·65 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को दे दिया गया है । इसके मूल्य का निर्धारण अभी नहीं हो पाया है ।

नलकूप संख्या 83, पकड़ी खुर्द भी पर्यटन विभाग को दी गयी भूमि में है किन्तु इस पर स्वामित्व सिंचाई विभाग का है ।

बदायूं जिले में आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत प्रशिक्षरर्थियों का प्रशिक्षण

66--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूं में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधा दिये जाने हेतु निजी संस्थाओं को दिये गये आदेश के अन्तर्गत वर्ष 1980 से 1-12-83 तक कौन-कौन सी निजी संस्थाओं को किन-किन ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाये जाने की अनुज्ञा अतिरिक्त जिला अधिकारी (परियोजना) ने दी थी ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निजी संस्थानों में डलंक लिस्टेड मेसर्स पाल एण्ड कं0, ऊषा सिलाई कं0, बदायूं के सिलाई प्रशिक्षण चलाये जाने के आदेश किस आधार पर दिये गये और विशेष रूप से एक ही निजी संस्थान को प्रशिक्षण चलाने की अनुमति देने में कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित हैं ; क्या सरकार इस मामले की जांच हेतु किसी उच्च अधिकारी की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में संलग्न सूची "अ" के अनुसार 10 निजी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिये गये जिनकी नियुक्ति सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बदायूं द्वारा जिला स्तरीय समिति के चयन के आधार पर की गई थी । वर्ष 1982-83 तथा वित्तीय वर्ष 1983-84 (1-12-83 तक) में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य अधिकरण, बदायूं द्वारा संलग्न सूची "ब" के अनुसार 10 निजी संस्थानों को प्रशिक्षण के लिये नियुक्त किया गया था । मेसर्स पाल एण्ड कं0, ऊषा सिलाई कं0, बदायूं के डलंक लिस्टेड होने की कोई सूचना उद्योग विभाग में नहीं है ।

किसी एक संस्थान को समस्त प्रशिक्षण चलाने की अनुमति नहीं दी गयी है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 155 पर।)

गोरखपुर के ड्रेनेज और बाढ़ विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध अपहरण की शिकायत

67--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने जिला कमेटी, गोरखपुर की बैठक में चन्द माह पूर्व यह आरोप लगाया था कि ड्रेनेज और बाढ़ विभाग के अभियन्ताओं ने 25 लाख रुपये का फर्जी मस्टर रोल बनवाकर सरकारी धन का अपहरण किया है तथा इसी संदर्भ में प्रश्नकर्ता के लिखित अनुरोध पर जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अतिरिक्त जिलाधिकारी (योजना) को जांच के लिए भी लिखा है ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान

68--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैरया--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1981-82 में हरिजन छात्रों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि दी गयी और किन-किन विद्यालयों में कितनी धनराशि छात्रों में वितरित की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

देवरिया जनपद में वर्ष 1981-82 में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को निम्नवत् छात्रवृत्तियों के मद पर धनराशि व्यय की गयी :--

	संख्या	धनराशि
		रु0
हरिजन छात्र	15027	44,86,866·00
पिछड़े वर्ग	10736	16,86,600·00
योग ..		61,73,466·00

विद्यालयों को वितरित की गयी छात्रवृत्ति धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली अभिलेख स्थानीय पुलिस की कस्टडी में है अतः अपेक्षित विवरण विद्यालयवार दिया जाना सम्भव नहीं है।

आगरा-बिचपुरी मार्ग पर परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों का संचालन

69--श्री विजय सिंह राणा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-बिचपुरी मार्ग पर रोडवेज की बस चल रही है ? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो कितनी बसों के प्राइवेट परमिट दिए गए हैं तथा उनके नाम क्या हैं और परमिट दिए जाने का आधार क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सोनहरा, जिला आजमगढ़ में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति

70--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1778/26-78-7188/74, दि0 4-4-78 द्वारा ह0 प्रा0 पाठशालाओं में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो ह0 प्रा0 पाठशाला, सोनहरा (आजमगढ़) में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक के वेतन भुगतान हेतु निदेशक द्वारा हरिजन कल्याण अधिकारियों को निर्देश किस प्रकार दिए गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सोनहरा, जनपद आजमगढ़ में एक अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति स्वैच्छिक संस्था के प्रबन्धक द्वारा की गई थी जिसका अनुमोदन निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्था में छात्रों की संख्या के आधार पर औचित्य-पूर्ण होने पर किया गया है ।

फैजाबाद जिले में मड़हा नदी से फसल को क्षति

71--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित मड़हा (तमसा) नदी से तहसील बीकापुर एवं तहसील फैजाबाद सदर के कितने-कितने गांवों की आर्थिक एवं फसल की वार्षिक क्षति होती है तथा प्रति वर्ष सहायता कार्य में कुल कितना धनराशि व्यय की जाती है ? इसके निराकरण हेतु क्या सरकार कोई योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मड़हा नदी से तहसील बीकापुर एवं तहसील फैजाबाद सदर में प्रतिवर्ष क्रमशः 55 एवं 56 गांवों में 2788 एकड़ तथा 3505 एकड़ खरीफ फसल औसतन की क्षति होती है । प्रतिवर्ष सहायता कार्य में व्यय धनराशि का विवरण सिंचाई विभाग में उपलब्ध नहीं है । मड़हा नदी की ड्रेनेज क्षमता बढ़ाने की एक एक योजना विचाराधीन है ।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं का कार्यकाल एवं कथित स्थानान्तरण

72--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सिंचाई विभाग में कौन-कौन से अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो वहां 6 वर्ष से कार्यरत हैं ? इनमें कौन-कौन से ऐसे हैं जिन्हें जून, 81 में स्थानान्तरित किया गया किन्तु इन्होंने सितम्बर, 81 तक चार्ज नहीं छोड़ा और पुनः सितम्बर, 81 व अक्तूबर, 81 तक के लिए स्थानान्तरण स्थगित किया गया, किन्तु जुलाई, 82 तक उन्होंने चार्ज नहीं दिया ? इस प्रकार के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस समय आजमगढ़ जिले में 31 अवर अभियन्ता 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं जिनके नाम संलग्न सूची में हैं । इनमें से किसी भी अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण जून, 1981 में नहीं किया गया है । अतः किसी के चार्ज न छोड़ने तथा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 156 पर ।)

जालौन जिले के ग्राम गोहन के नाले की सफाई

73--श्री घनोराम वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जनपद में ग्राम गोहन से कोई नाला निकाला गया है, जो यमुना नदी में जरावन और जखा के पास गिरता है ? यदि हां तो क्या इस नाले की कभी सफाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अतिशीघ्र इस नाले की सफाई करायेगी जिससे गोहन आदि अनेक ग्रामों का बरसाती पानी निकल सके और काश्तकार अपने खेतों पर फसलें उगा सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जालौन में गोहन नाला निकला है जो गोहन तालाब से निकलकर जरवा के पास से होता हुआ यमुना नदी में गिरता है ।

इस नाले की कुल लम्बाई 13.0 मी0 है । नाले की मी0 13.0 से मि0 4.0 तक गत दो वर्षों में सफाई की जा चुकी है ।

इस वर्ष मि0 4.0 से 0 तक उक्त नाले की सफाई वर्षा काल से पूर्व किया जाना प्रस्तावित है ।

वाराणसी जिले के गांव हमीरपुर में शारदा सहायक नहर के बाबतपुर राजबाहे में ली गयी भूमि का मुआवजा एवं माल-गुजारी

74—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हमीरपुर, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में काश्तकारों को क्रमशः शिवदुलारे पुत्र भगवान दास, महेन्द्र लाल पुत्र भगौती प्रसाद, मनमोहन लाल, पुत्र सुखनन्दन लाल, तुलसी पुत्र शिवचरन, दल्लू पुत्र सोमारू, मुन्नी लाल वगैरह पुत्र मटरू, मंगल पुत्र होरी लाल, बंशनारायण पुत्र रामलखन, राजनाथ, पुत्र रामलखन, बंश नारायण पुत्र बद्री, श्याम शंकर पुत्र गोपी वगैरह के क्रमश चक नं0 313, 208, 91, 99, 218, 379, 143, 227, 151 व 309 की भूमि 38 खंड शारदा सहायक, बाबतपुर रजवाहा, जौनपुर ने नहर की खुदाई हेतु सन् 1978 में ही लेकर खोद दिया और उसकी फसल को भी उजाड़ दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त किसानों की जितनी भूमि नहर के लिए ले ली गयी उसकी आधी जमीन का ही मुआवजा दिया गया और आधी जमीन एवं फसल का मुआवजा पांच वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो जाने पर भी न देने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

यह क्षेत्र बाबतपुर राजबहे के कि0 मी0 26·5 से 27·817 के मध्य पड़ता है । नहर की खुदाई वर्ष 1980-81 में की गयी थी तथा मुआवजा वर्ष 1982-83 में बांटा गया ।

प्रश्न में जो नाम तथा चक नम्बर दर्शाये गये हैं उनमें तालमेल नहीं है । चक 313 व 99 नहर के भू-प्रस्ताव में नहीं आते हैं । इसके अतिरिक्त महेन्द्र लाल पुत्र भगवती प्रसाद, मंगल पुत्र हीरा लाल एवं बंशनारायण पुत्र बद्री के नाम प्रश्न में दर्शाये चकों के मालिकों की सूची में उपलब्ध नहीं है । मनमोहन पुत्र सुखनन्दन (चक 208), दल्लू पुत्र सोमारू (चक 1071) की जितनी भूमि अर्जित की गई है उसका पूरा प्रतिकर उन्हें दिया गया है । शेष व्यक्तियों को

भूमि के अध्याप्ति हेतु दिए गए प्रतिकर का विवरण निम्न प्रकार है :

क्रमांक	भू-स्वामी का नाम	क्षेत्रफल जिसका प्रतिकर दिया गया है एकड़ में	क्षेत्रफल जिसका प्रतिकर अभी नहीं दिया गया है एकड़ में
1	2	3	4
91	नुसी पुत्र शिवबरन	0.170	0.010
218	मुना पुत्र मटरू	0.220	0.146
379	हरीलाल पुत्र फेरन	0.080	0.052
143	वंशनारायण पुत्र राम लखन	0.170	0.040
227	राजनाथ पुत्र राम लखन	0.170	0.040
309	श्याम लाल पुत्र गोपी	0.150	0.175
151	कृष्ण प्रसाद वगैरह	0.420	..
312	शिव दुलार पुत्र भगवान दास	0.550	0.050

जिन व्यक्तियों की अध्याप्ति भूमि से कम रकबे का प्रतिकर दिया गया है उसका मुख्य कारण पुराने बन्दोबस्ती नम्बरों में रकबा कम अंकित होना है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बारा-बंकी द्वारा उतने ही रकबे का प्रतिकर दिया गया है जितना कि पुराने बन्दोबस्ती नम्बरों में अंकित था। चकबन्दी के बाद संशोधित रकबों की जमाबन्दी का समायोजन नहीं किया गया है।

गया है। तहसील व चकबन्दी के अभिलेख पूर्ण होने के उपरान्त इस क्षेत्र का पूरक भू-प्रस्ताव द्वारा मुआवजा दिया जायगा। फसल कटने के मुआवजे से सम्बन्धित प्रश्न में वर्णित व्यक्तियों का कोई प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं है।

75-श्री कंदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक नं0 313 से 93 डि0 व 208 से 48 डि0, 379 से 52 डि0 रकबा नहर में गया है और इसी तरह से उपरोक्त सभी किसानों का लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि क्रमशः 93 डि0 की जगह 55 डि0, 48 डि0 की जगह 24 डि0, 52 डि0 की जगह 26 डि0 का ही मुआवजा दिया गया है ? क्या सरकार ने जमीन की माप कराकर लिया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी पैमाइश करके मुआवजा तुरन्त देगी ? क्या यह भी सही है कि किसानों की मालगुजारी भी नहीं काटी गई है ? क्या इसको भी जांच की जाएगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चक नम्बर 313 नहर के प्रस्तावित भूमि में नहीं आ रहा है। चक नम्बर 208 से 0.24 एकड़ रकबा प्रस्तावित है और उतने का मुआवजा बांट दिया गया है। चक संख्या 379 से 0.132 एकड़ प्रस्तावित है परन्तु मुआवजा केवल 0.08 एकड़ का ही दिया गया है क्योंकि इस चक के पुराने बन्दोबस्ती नम्बरों में मूल रकबा इतना ही अंकित था। शेष रकबे का भुगतान पूरक प्रस्ताव द्वारा ही संभव होगा।

पुराने बन्दोबस्ती नम्बरों में मूल रकबे कम अंकित होने के कारण प्रस्तावित रकबा सही होने के बावजूद भी काश्तकारों को मुआवजा कम मिला है जिसके लिए नए बन्दोबस्त प्राप्त होने के उपरान्त पूरक भू प्रस्ताव बनवाकर शेष प्रतिकर दिलवाने की कार्यवाही की जाएगी।

मालगुजारी के सम्बन्ध में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रस्ताव अमल दरामद बनाकर तहसील सदर वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

गोरखपुर के इटौवा बांध के काटने से हुई फसल की क्षति

76-श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद के इटौवा बांध को विभागीय जे0 ई0 द्वारा इस साल की आई बाढ़ में कटवाने के कारण कई लाख एकड़ खड़ी फसल की क्षति हुई जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 9-10-82 को उन्हें लिखा था, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपके पत्र दि0 29-11-82 द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ किन्तु इटावा बांध को उक्त वर्ष में किसी विभागीय अवर अभियन्ता द्वारा नहीं कटवाया गया था। इसके विपरीत उक्त बांध को नदी एवं बांध के बीच स्थित ग्रामवासियों के द्वारा अपने ग्रामों में बाढ़ की विभीषिका कम करने के उद्देश्य से काटा गया जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जो शीघ्र पूरा हो जाएगा।

बांध क्षतिग्रस्त होने से लगभग 850 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई।

ग्राम कोविलबां की सिंचाई हेतु नौगढ़ पम्प नहर का निर्माण

77-श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-8-83 को नौगढ़ पम्प नहर से कविलबां ग्रामवासियों को पानी न मिलने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

संदर्भित पत्र के अनुसार निर्माण कार्य खड़ी फसल कट जाने के पश्चात किया जायगा।

मिर्जापुर जिले के ग्राम समसपुर की सिंचाई हेतु विचारा- धीन लिफ्ट कैनाल

78-श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6-8-1983 जो ग्राम समसपुर, विकास खण्ड नरायनपुर जनपद मिर्जापुर में सिंचाई हेतु गंगा नदी से लिफ्ट कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

ग्राम समसपुर विकास खण्ड नरायनपुर जिला मिर्जापुर में गंगा नदी के बायें तट पर एक लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, हमने आज के लिये प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका आ गया है। नियम समिति को आदेश कर दिये हैं। नियम समिति को भेज देंगे।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

हमारे यहां अरबों रुपये की क्षति हुई है। लाखों लोग बरबाद हो गये हैं और आज तक प्रश्नों का उत्तर सही नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

नियम 49 में चर्चा के लिये आप लिख सकते हैं।

गोपनीयता का सहारा लेकर प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में गोपनीयता को लेकर बहुत दिनों से बात हो रही है। मेरा कहना है कि गोपनीयता का गलत अर्थ लगाया जा रहा है जिसके कारण यहां मुख्य रूप से प्रतिपक्ष को जो सरकार पर अंकुश लगाने का हमारा अधिकार है उसको कटौती हो रही है। मान्यवर, आज कृषि मंत्री उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये आधारों को बताया कि गोपनीय हैं और आपने सहमति दे दी। तो मान्यवर, गोपनीयता क्या है उसके बारे में हमारी जो कार्य संचालन नियमावली है उसमें बात तय हो गयी है जिसको बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिये मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 28(15) को देखें जिसमें स्पष्ट लिखा है कि—"उसमें ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायेगी, जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्री-परिषद विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा तथा अन्य तत्समय विषय, जो ऊपर संवर्मित हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज ही श्री मोहन सिंह के प्रश्न में श्री वासुदेव सिंह ने उत्तर देते हुए कहा है जिसका मैंने नोट किया है—कि 'कैबिनेट के निर्देश हैं कि नये पद सृजित किये जायं'। तो कैबिनेट के विनिश्चय जो गोपनीय हैं नियमावली में उसको बताने में उन्होंने हिचक नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ श्री यशपाल सिंह, कृषि मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का फैसला था, शासन ने निर्णय किया और आधारों को पूछा गया था, तो शासन का निर्णय गोपनीय नहीं है, उसकी कार्यवाही तो गोपनीय हो सकती है। इसलिये शासन द्वारा जो फैसला किया गया जैसे पंत नगर विश्वविद्यालय, कानपुर और अवध विश्वविद्यालय जो कृषि के हैं, उन्होंने गेहूं का उत्पादन लागत बनाकर भेजा जिसका आधार पूछा था, तो मैं जानना चाहता हूं क्या उसका निर्णय इसमें किस कोटि में आता है? वस्तु स्थिति यह है कि बहस हो रही है। गोपनीयता और जनहित में फर्क है। जनहित दूसरी चीज है। वह जनहित का बहाना लेकर तो कोई चीज तोड़ सकते हैं। कल उसमें रामस्वरूप वर्मा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसमें आपने अपनी व्यवस्था सुरक्षित कर ली थी। मैं चाहूंगा कि उस पर कोई निर्णय लेने से पहले मुझे भी सुन लिया जाए। मैं आपको इस सन्दर्भ में हाउस आफ कामंस के बारे में बताना चाहूंगा कि जनहित में क्या बात है, उसका निर्धारण करने में आपको बहुत अधिकार है। वह आपके ऊपर छोड़ा गया है आपकी सहमति के बिना वह जनहित का बहाना भी नहीं ले सकते हैं। गोपनीयता तो बिलकुल अलग है। इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी भी चीज को गोपनीयता का बहाना लेकर इस तरह से रोका जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—

गुप्त जी, कल आपको यदि याद होगा कि वहां किरनपाल सिंह तथा रामस्वरूप

वर्मा जी का प्रश्न आया था और उसके बाद मैंने यह निर्णय किया था कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं, जो रूलिंग हैं वह अभी रिजर्व है। तो तमाम चार्जों को देखने के बाद, नियमों को देखने के बाद, कार्यवाही देखने के बाद मैं इस पर अपनी रूलिंग दूंगा और आपके मामले को भी, जो आज आप उठा रहे हैं उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा।

शारदा सहायक विकास परियोजना की भूमि संरक्षण इकाई मोहन लाल गंज में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 में मुझे 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्य श्री ओझा लाल, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री अकबर हुसैन व श्री रियासत हुसैन, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री ललई सिंह चौहान एवं श्री मित्रसेन की सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

माननीय ऊदल की सूचना दो विभागों से सम्बन्धित है श्री मोती लाल बेहलवी की जो सूचना है उसी प्रकार की अन्य सदस्यों की भी क्रम संख्या 5 व 7 पर प्राप्त हुई है, तथा साथ ही वह 200 शब्दों से अधिक की है। मोहन सिंह जी की सूचना नहीं है दोनों की सूचना नियम 51 में भी प्राप्त हुई है। मोहन सिंह जी ने मुझ से बात की है वह मेरे कक्ष में आए थे। यह बात करके तय कर लें, निर्णय ले लूंगा। श्री कुंवर सिंह नेगी एवं श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की सूचना भी क्र0 सं0 4 व 5 पर है श्री गोपीनाथ वर्मा की सूचना भी 200 शब्दों से अधिक की है।

श्री ऊदल—

सिंचाई-कर की भी वसूली राजस्व विभाग करता है, इसलिए यह एक ही विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

यह दो विभाग से सम्बन्धित है, फिर भी मैं इस मामले को पुनः देख लूंगा और निर्णय लूंगा।

श्री ओझा लाल—

शारदा सहायक विकास परियोजना में भूमि संरक्षण इकाई मोहन लाल गंज में श्री सतीश चन्द्र गुप्त, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी व फरवरी, 1983 में दैनिक वेतन पर मजदूरों से मिट्टी खुदाई आदि का कार्य कराया गया जिसका मापन भूमि संरक्षण निरीक्षक श्री राजबहादुर राय द्वारा विलम्ब से किया गया। मापन के बाद निरीक्षक श्री राय ने मस्टर रोल पर फर्जी अंगूठे बनवा कर भुगतान दिलाने की नियत से श्री सतीश चन्द्र गुप्ता से अंगूठों को प्रमाणित करने के लिए कहा जिसको उन्होंने फर्जी होने के कारण प्रमाणित करने से इनकार कर दिया। निरीक्षक श्री राय फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसे का गोलमाल करना चाहते थे जिसमें श्री गुप्ता ने सहायता नहीं की जिससे उच्च अधिकारियों से झूठी शिकायतें कराकर श्री गुप्ता का तबादला करवाया गया और तरह तरह से परेशान किया। परिणाम स्वरूप जिन मजदूरों ने कार्य किया था उनका लगभग 8500 रुपये की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया। इस प्रकार गरीब मजदूरों के प्रति घोर अन्याय किया जा रहा है और विभाग के उच्च अधिकारी भी चुप्पी साधे हैं।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर अनुरोध है कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान जल्द कराया जाय तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

देवरिया के पत्रकार श्री रमा शंकर गुप्त द्वारा आमरण अनशन किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर

आदरणीय सदन और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री वीरेन्द्र मिश्र एडवोकेट, उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति, देवरिया ने तार द्वारा यह सूचना दिया है कि जिले के पत्रकार श्री रमशंकर गुप्त, श्री बी० बी० सिंह अधिशासी अभियन्ता जल निगम देवरिया के भ्रष्टाचार एवं लाखों रुपये के फर्जी भुगतान के योजना के विरुद्ध, जिससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है आमरण अनशन पर कल से बैठे हैं । श्री गुप्त के अनशन की घोषणा से जिले के सार्वजनिक लोगों में असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः मेरी मांग है कि श्री सिंह को तत्काल हटाकर समस्त अभिलेखों को प्राप्त कर आरोपों की जांच किसी प्रशासकीय अधिकारी से कराने का आदेश दिया जाय ।

मिलोना, जिला इटावा में पड़ी डकैती एवं हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

माननीय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने का अत्यन्त दर्दनाक मामला लाना चाहता हूं । 24 फरवरी, 1984 को अर्धरात्रि इटावा जिले के थाना भरथना के गांव मिलोना में श्री सुमति नारायण के यहां भीषण डकैती पड़ी । डकैतों ने घर की 2 महिलाओं रुद्ररानी 65 वर्ष तथा शकुन्तला 35 वर्ष को जिन्दा जला कर भस्म कर दिया । सुमति नारायण को घायल कर दिया तथा 8 वर्षीय अबोध बालिका को भी मिट्टी का तेल डालकर जलाया । भारी माल लूट ले गये । सर्वाधिक आश्चर्य है कि नामजद अभियुक्तों को जनता के दबाव पर थाने की पुलिस ने पकड़ा परन्तु छोड़ दिया । तथ्यों के आधार पर सुमति नारायण की शिकायत है कि डकैती पुलिस ने ही डलाई है । इसीलिये मुल्जिम पकड़े नहीं जा रहे हैं । पुलिस के डकैतों से मिले होने के कारण क्षेत्र में भीषण असंतोष एवं आतंक व्याप्त है । सरकार से पुलिस तथा अपराधियों के खिलाफ तुरन्त कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

श्री बच्चाराम वर्मा (वकील) के साथ किये गए पुलिस दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहराइच के वकीलों द्वारा अदालतों के बहिष्कार के संबध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

माननीय, बहराइच जनपद में दिनांक 17-3-1984 को सारे वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया । ज्ञात हुआ है कि दिनांक 14-3-1984 को श्री बच्चा राम वर्मा वकील के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया । इस विषय को लेकर बहराइच बार एसोसिएशन के मेम्बर, एस० पी० और जिलाधिकारी से मिले और यह मांग की कि एस० ओ० इकौना एक एस० आई० तथा दो कान्सटेबिल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । चूंकि अधिकारीगणों ने कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया जो अभी तक जारी है । अदालतों के बहिष्कार के कारण जनपद बहराइच की जनता को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और जनता में अविश्वास और असंतोष की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे गन्ना उत्पादकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयवीर सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे गन्ना उत्पादकों के उत्पीड़न की समस्या सदन के संज्ञान में ला रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों जैसे कि विशेषतया सहारनपुर के सरसावा सोसाइटी में कृषि निवेश के नाम पर सौ रुपया प्रति बैलगाड़ी पर्ची का जमा कराके आखिरी पखवाड़ों की पर्चियां आगे के पखवाड़ में लगाई जा रही हैं। इससे छोटे किसानों का गन्ना देर से सप्लायी होगा। इसी प्रकार अतिरिक्त सट्टे के लिये जमानत के अलावा पांच रुपये प्रति क्विन्टल कृषि निवेश अथवा अल्पबचत में जमा कराया जा रहा है। इससे अतिरिक्त सट्टा मालदार किसान ही करा पायेगा और छोटा गरीब किसान अतिरिक्त सट्टा नहीं करा पायेगा।

यह सरकार की घोषित नीति, जो गन्ना आयुक्तों के आदेशों द्वारा प्रसारित है, के विरुद्ध है। छोटे किसानों का गन्ना खेतों में ही रह जायेगा। मेरा अनुरोध है कि शासन जिलों में गन्ना सप्लाई की मनमानी नीतियों को तुरन्त रद्द कर के शासकीय नीति का समान अनुपालन कराये तथा इन मनमानी नीतियों को शुरू कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे।

जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के सामूहिक धरने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के समीन जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक 20-3-1984 से विधान भवन के सामने विधायक आवास के परिसर में सामूहिक धरने पर बैठे हैं। उनका मांग-पत्र संलग्न करते हुए हम विधायकगण सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र इन आवेदकों के न्यायोचित मांगों के संबंध में सदन में एक वक्तव्य के द्वारा शासन की नीति का स्पष्टीकरण करें। जिससे प्रदेश के बेसिक शिक्षकों में व्याप्त असंतोष को समाप्त करने में तथा शिक्षा के गिरते हुये स्तर को सुधारने में सहायता मिलेगी।

कृपया माननीय शिक्षा मंत्री को निर्देश दें कि वे इस संबंध में सदन में शीघ्र वक्तव्य दें। इन शिक्षकों की मांग व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण प्राविडेंट फंड खातों में घोटाला तथा वेतन वृद्धि व चयनित वेतनमान देने में रिश्वत लेना तथा शिक्षकों के ट्रांसफर पर रुपया लेने के गम्भीर आरोपों की जांच कराना है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री देव नारायण वर्मा, फार्म अधीक्षक, उमरहर, फैजाबाद द्वारा अपने अधिकारों से पीड़ित होकर आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्र सेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री देव नरायन वर्मा, ग्राम कटेहरी, थाना गोसाईंगंज, जनपद फैजाबाद फार्म अधीक्षक उमरहर (विरोली ग्राम यूनिट नं0 3) स्थित कुमारगंज विश्वविद्यालय ने दिनांक 12-2-1984 को ट्रेन से कटकर अपनी आत्म हत्या कर ली है। मृतक के डायरी तथा प्राप्त लिखित पत्र से यह गंभीर रहस्योद्घाटन हुआ है कि उनके अधिकारी श्री एस0 पी0 सिंह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

फार्म मैनेजर ने उन्हें प्रताड़ित किया था और फर्जी आरोप लगाकर उन्हें कई तरह से गंभीर आरोप में फंसाने का प्रयास किया था जिसमे उनका जीना दूभर हो गया था। अपने अधिकारी तथा विभागीय कर्मचारी से पीड़ित होकर उन्होंने अपनी आत्म हत्या कर ली। स्थानीय पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट अंकित कर ली है किन्तु अभी तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मृतक के चार नाबालिग बच्चे तथा पत्नी बेसहारा और असहाय है। इस वर्दनाक घटना से परिसर के सम्पूर्ण वातावरण में अक्रोश एवं तनाव पैदा हो गया है जिससे अप्रिय घटना घटने की आशंका बनी हुई है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से कार्यवाही तथा आश्रितों के लिये आर्थिक सहायता की मांग करता हूं।

वाराणसी जनपद में पड़े सूखे तथा कृषकों से करों की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल—

माननीय, वाराणसी जिले के सभी तहसीलों में माल गुजारी एवं सिचाई कर की वसूली बड़े जोरों से की जा रही है। वाराणसी जिले में भयानक सूखे की वजह से खरीफ की फसल नहीं के बराबर हुई है। रबी की फसल मार्च, 1984 के बाद ही तैयार होगी। किसानों के पास इस वक्त देने के लिये पैसा नहीं है उसके बावजूद भी सख्ती की जा रही है। दिसम्बर, 1983 तक देयों की वसूली स्थगित की गयी थी। जिला-धीश वाराणसी ने मार्च, 1984 तक वसूली स्थगित करने हेतु शासन को लिखा है।

इस लिये इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सभी प्रकार की वसूली को अप्रैल, 1984 तक स्थगित करने की मांग सरकार से करता हूं।

14 मार्च, 1984 को प्रख्यापित इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 8 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न को मुझको 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक सूचना माननीय सरदार सिंह जी की है। एक माननीय किरनपाल सिंह और एक माननीय काशी नाथ मिश्र जी की है। जहां तक माननीय किरनपाल सिंह जी की सूचना का संबंध है, नियम 56 में माननीय छत्तर सिंह ने भी यह सूचना दी है। इसलिये जब मैं माननीय छत्तर सिंह को बुलाऊंगा तो उस वक्त माननीय किरनपाल सिंह को मौका दूंगा और उसके बाद निर्णय करूंगा। माननीय किरनपाल सिंह का औचित्य का प्रश्न नियम 56 के अंतर्गत उस समय ले लिया जायगा।

*श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने 14 तारीख को शिक्षा विभाग से संबंधित एक अधिसूचना जारी की है, जो कल आपके संज्ञान में आ गयी। माननीय, जो संशोधन किया गया है, इंटरमीडिएट ऐक्ट की धारा-8 को देखें, इसमें लिखा है कि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना कोई अध्यापक/कर्मचारी विभाग के किसी अधिकारी/कार्यालय से किसी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं करेगा। माननीय, इसी प्रकार 23 में लिखा है कि कोई भी अध्यापक निदेशक की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिये कोई चन्दा या दान नहीं वसूल करेगा। माननीय, अभी-अभी यह जारी

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया।

किया गया है तो चाहिये यह था कि इसका पालन किया जाता। लेकिन 16 तारीख को माननीय मंत्री जी ने शिक्षकों को बुलाया या शिक्षक स्वयं यहां आये। वह लोग बिना किसी की इजाजत के आये और न प्रबंधक से आज्ञा ली न ही प्रधानाचार्य से आज्ञा ली। काफी शिक्षक आये थे। तो जो यह नियम है यह टूट गया। प्रबंधकों में असंतोष है कि जब माननीय मंत्री जी नियम तोड़ रहे हैं, तो जब माननीय मंत्री जी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो प्रबंधकों और कर्मचारियों से किस प्रकार नियमों का पालन कर पायेंगे। यह मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इनको बरखास्त कर दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, अगर मेरे बर्खास्त किये जाने पर हुकुम सिंह जी खुश हो जायें तो आप आज कर ही दीजिये।

मान्यवर, जहां तक इसकी संवेदनशीलता के ऊपर बात है, कल काफी चर्चा हो चुकी है, मैं नहीं समझता कि उन तमाम बातों को दोहराऊं। इसमें यह कहना चाहता हूं कि जहां कहा गया है कि बिना प्रिंसिपल से या प्रधानाचार्य की इजाजत लिये बिना किसी उच्च अधिकारी से नहीं मिल सकते, यह इसलिए कहा गया, जो आपको भी यह मालूम है और सम्मानित सदन को भी मालूम है। आपने जो कहा कि अध्यापक लोग आये बात करने और माननीय वित्त मंत्री, ब्रह्म दत्त जी ने सदन में आश्वासन दिया था और मैं भी इसी सम्मानित सदन में यह कहता रहा हूं कि 12 बजे रात में भी वह आकर बात कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अगर कोई उच्च अधिकारी किसी को बुलाते हैं, तो वह जायगा, लेकिन अपने मर्जी से काम छोड़कर किसी जगह पर जाना और जिसकी वजह से जो असल काम है, उसमें बाधा पड़े, तो उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया है।

लेकिन मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें औचित्य का क्या प्रश्न बनता है? इससे सदन के कार्य के संचालन में कहां बाधा पड़ती है? यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है, वह की गई है। अगर डिप्टी डायरेक्टर, वाइस-चांसलर बुलाते हैं या मिनिस्टर बुलाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय सरदार सिंह को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। जो माननीय सरदार सिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 1984 के अनुसार कोई शिक्षक अपने प्रबन्धक तथा प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी उच्च अधिकारी से नहीं मिल सकते और इस अधिसूचना के बावजूद शिक्षकों के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री तथा उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं। इस प्रकार शिक्षा मंत्री एवं उनके उच्च अधिकारियों ने स्वयं ही उक्त नियमों का उल्लंघन किया है।

औचित्य के उपरोक्त प्रश्न को मैं 2 कारणों से अस्वीकृत करता हूं पहला यह कि उक्त अधिसूचना में उच्च अधिकारियों से मिलने पर प्रतिबंध हो सकता है किंतु शिक्षा मंत्री तथा उच्च अधिकारियों द्वारा बुलाये जाने पर मुलाकात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

दूसरा यह कि इस मामले में संविधान तथा सदन की प्रक्रिया नियमावली का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, अतः उसे औचित्य प्रश्न के रूप में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।

संविधान की शपथ लिए बिना श्री मुहम्मद आजम खां के सदन में बैठने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, मैं इस आदरणीय सदन के सभी सम्मनित सदस्यों के भारतीय संविधान की शपथ लेने के बाद ही इस आदरणीय सदस्यों के रूप में पूरी अवधि तक सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित रह सकते हैं, .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप इसका सारांश बता दें।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशी नाथ मिश्र जी, कृपया बैठिये।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मैंने स्वतः व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर कौन सी व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

जो आपने लिखकर औचित्य का प्रश्न भेजा, इसमें व्यवस्था यह है कि माननीय सदस्य जो औचित्य का प्रश्न उठाते हैं, उसको वह दोहराते नहीं हैं, उसका सारांश ही पढ़ते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसका सारांश आप बता दें।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मुहम्मद आजम खां के बारे में जो कल बात उठी थी और उन्होंने जो किया है, मेरा दावा है कि उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है, उन्होंने इस शपथ को तोड़ा है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशी नाथ मिश्र को सुन लूं, तब आपको सुनूंगा।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मैं धारा 25 पढ़ना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें, उनको सुनने के बाद आपको मौका दिया जाएगा।

श्री काशी नाथ मिश्र--

रंग डालने पर गाली देना संविधान की धारा 25-26 का उल्लंघन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मोहन सिंह से कहा, वह बोल लें तो आपको मौका दिलेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो यह बोल रहे हैं, उसी पर व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

सभी एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप नाम ले लें, जिसको बुलायेंगे, वह बोलेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था पर व्यवस्था चाहते हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इस पीठ से व्यवस्था दी जा चुकी है और यह परम्परा रही है कि इस आदरणीय सदन के किसी सम्मानित सदस्य से सम्बन्धित मामला कोई सदस्य उठाना चाहता है, तो यह व्यवस्था रही है कि उस सदस्य से बात करने के बाद वह चीज उठायी जाएगी । अगर किसी सदस्य को अपने निज के बारे में कुछ कहना है, तो उसकी सूचना अध्यक्ष को देता है । माननीय काशीनाथ मिश्र जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य आजम खां से सम्बन्धित है और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं । जब तक आजम खां का स्पष्टीकरण न आ जाय, तब तक श्री काशीनाथ मिश्र जी को बोलने का अधिकार नहीं है । मेरे ख्याल से एक बात हो सकती है कि जब हम लोग बोलते हैं, तो मन्त्रियों पर आरोप लगाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह—

उस दिन क्यों स्वीकार की गई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बोल रहे हैं । श्री सुन्दर सिंह जी आपको बाद में सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अगर मन्त्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हैं, तो नियम 289-क के अन्तर्गत लिखित तथ्य अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जब आप उसकी समीक्षा कर देते हैं । तभी सदस्य को बोलने का मौका देते हैं । मेरी प्रार्थना है कि जब तक माननीय आजम खां का स्पष्टीकरण न आ जाये, तब तक माननीय श्री काशीनाथ मिश्र को बोलने का इस पर कुछ कहने का मौका न दें, जिससे कि आजम खां पर आक्षेप हो ।

श्री सुन्दर सिंह—

7 मार्च को मेरे विरुद्ध माननीय श्री शंकर सिंह ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया था मकान आवंटन के सम्बन्ध में,

(व्यवधान)

मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन चर्चा की गई, ।

(व्यवधान)

उस दिन चर्चा की गई । श्री काशीनाथ मिश्र जी को इसको उठाने की अनुमति मिलनी चाहिये ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर औचित्य का प्रश्न उठाने का स्पष्ट प्राविधान है । नियमावली के नियम 300 को आप देखें । औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेद के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । मान्यवर, आपके संज्ञान में

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोटिस के जरिये लाकर माननीय सदस्य एक बात उठाने की अनुमति मांगते हैं। आप अपने विवेक से इस बात का निश्चय करते हैं कि जो सूचना दी गई है, संदर्भित सूचना इस नियम 300 के अन्तर्गत आती है या नहीं। इस पर सन्तुष्टि के लिए आप किसी माननीय सदस्य को अपने द्वारा रखने को कहते हैं। माननीय काशीनाथ मिश्र जी, जिस बिन्दु को उठा रहे हैं, वह कल जो बात उठी थी कार्य-स्थगन के जरिए, उसमें श्री मुहम्मद आजम खां ने जो उनके साथ रामपुर में घटना घटित हुई थी, के बारे में उठाया था। उस पर माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं। मान्यवर, जबकि कल इस घटना पर न्यायिक जांच का आश्वासन दिया गया है, इसमें घटना है या नहीं है, हो क्या है, यह मालूम हो जायगा? श्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि प्राणघातक हमला था और होली के बहाने उसे कहा जाए, तो यह गलत है। माननीय काशीनाथ मिश्र जी जो बात उठाना चाहते हैं, इस पर मैं घोर आपत्ति करता हूं और मैं चाहती हूं कि इसको उठाने की अनुमति आप न दें।

श्री अध्यक्ष—

एक आपत्ति आयी है, इस पर मैं निर्णय दूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय गुप्त जी ने आपत्ति उठाई है कि मिश्र जी आक्षेप लगा रहे हैं माननीय सदस्य के आचरण के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य काशीनाथ मिश्र जी को जब तक सुन न लें कि वह किस सम्बन्ध में है तब तक उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं इस आपत्ति को निराधार समझता हूं। माननीय मोहन सिंह जी ने आपत्ति उठायी थी, जो मिश्र जी कह रहे हैं घटना घटित हुई थी, उस सम्बन्ध में इस पर आपत्ति उठाई जा रही है, यह सत्य से सम्बन्धित है या नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रश्न सदन में माननीय सदस्य आजम खां की सदन में कार्यवाही के सम्बन्ध में है। आप सदन में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति तभी देते हैं, जब वह आपके संज्ञान में आ जाए। आपके संज्ञान में आ गई तब औचित्य का प्रश्न रखने का अवसर आपने मिश्रा जी को दिया। मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न उठाने के पहले यह आपत्ति कैसे कर सकते हैं?

श्री भीखालाल—

मान्यवर, माननीय बरार जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जब तक यह बात मालूम न हो श्री काशी नाथ जी क्या कहना चाहते हैं, उसको बगैर सुने टीका-टिप्पणी नहीं हो सकती है। आपसे निवेदन है कि सदन में व्यवस्था का प्रश्न तब उठता है, जब नियमों का उल्लंघन हुआ हो। माननीय श्री काशीनाथ मिश्रा जी ने जो इस समय उठाया है। व्यवस्था का सम्बन्ध इस सदन से नहीं है और इससे अव्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसमें माननीय काशीनाथ मिश्र जी को सुन लिया जाए। लेकिन ऐसा प्रश्न उठाने की अनुमति न दी जाए जिससे सदन के बाहर प्रदेश का वातावरण दूषित होने की सम्भावना हो।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय भीखालाल जी, माननीय जयदीप सिंह बरार माननीय मोहन सिंह, माननीय सुन्दर सिंह को सुना। यह औचित्य का प्रश्न कल जो श्री मुहम्मद आजम खां के बारे में बात हो रही थी, तब आपके सम्मुख आया था। अब मैं "प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली-1958" के अनुच्छेद-289-क को पढ़ रहा हूं :—

289-क-किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया-

किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध-रोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को पूर्व सूचना न दे दें जो जिसमें मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके ।'

जो औचित्य के प्रश्न है, इसकी प्रतिलिपि श्री काशीनाथ मिश्र ने मुझे भेजी थी, मैंने उनको आज्ञा दी, इसमें मान-हानिकारक था, इस तरह की कोई चीज नहीं है न ही इस तरह का कुछ है कि प्रदेश में दूषित वातावरण पैदा होगा जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, मैं उनको आज्ञा नहीं देता हूं । माननीय श्री काशीनाथ मिश्र जी से कहूंगा कि वह अपने प्रश्न को उठायें ।

श्री काशी नाथ मिश्र --

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल....

श्री अध्यक्ष--

आप इस तरह की कोई बात नहीं कहेंगे जो आक्षेप से सम्बन्धित हो । नियमों का पालन करते हुए ही कहें ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । श्रीमन् मुहम्मद आजम खां ने रंग डालने के लिए

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

काशी नाथ मिश्रा जी ने ऐसी जो बात कही है, मैं कार्यवाही पढ़ने के बाद उसे निकलवा दूंगा ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

श्रीमन्, अगर जांच से यह निकल आय कि जो इन्होंने संविधान की शपथ ली, वह बात उसके विरुद्ध है, और जांच से यह तथ्य सही निकल जाय कि उन्होंने गाली दी है, माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है कि जांच होगी, जांच के दौरान अगर यह सही निकल जाता है कि गाली दी, गिरफ्तार हुए और उसके बाद हंगामा पैदा हुआ कि जब तक मोहम्मद आजम खां छोड़े नहीं जायेंगे, तब तक होली नहीं जलाई जायगी और जब छोड़े गये तब होली जली । इससे टेंशन पैदा हुआ । इससे हमारे सनातन धर्म के प्रति अपमान हुआ है । मैं इसको पढ़े देता हूं । संविधान की धारा 25 जिसमें इसका उल्लेख है, इसको मैं पढ़े देता हूं :

[× × ×]

(व्यवधान)

मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं नम्रतापूर्वक जानना चाहूंगा कि क्या किसी माननीय सदस्य को गलत तथ्य प्रस्तुत करके इस आदरणीय सदन को और आपको गुमराह करने का अधिकार है ? मेरा तर्क है कि माननीय सदस्य ने सन्दर्भ दिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद-25 को पढ़ा है । यह मेरे पास भी है । इसकी हिन्दी प्रतिलिपि विधान सभा सचिवालय से मुझको मिली है । मैंने खुद इसको पढ़ा है । तो जो काशी नाथ मिश्र जी ने पढ़ा है संविधान का अनुच्छेद-25, वह इसमें क्यों नहीं है । मिश्र जी ने जिस चीज का सन्दर्भ आपको दिया है, उससे भिन्न कोई चीज माननीय सदस्य क्या यहां पढ़ सकते हैं ? माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने हवाला दिया

नोटः--[× ×] ये अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये ।

(नोटः--[× × ×] ये अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये ।

है संविधान के अनुच्छेद--25 का और पढ़ी है कमेन्टरी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरी अनुमति के बिना जो यहां पढ़ा गया, मैं कार्यवाही को देख लूंगा और उसका एक-एक शब्द निकलवा दूंगा ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय श्री काशी नाथ मिश्र जी ने औचित्य के प्रश्न पर आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहा और उसके बारे में कहा भी । उन्होंने संविधान के आर्टिकल-25 का हवाला भी दिया । आर्टिकिल में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, वह दूसरी बात है । आपकी आज्ञा लेने के बाद भी उन्होंने जिस आर्टिकिल का हवाला दिया, उसे उन्होंने नहीं पढ़ा, उसकी जगह पर वह आर्टिकिल-25 की कमेन्टरी पढ़ने लगे । संविधान की अंग्रेजी प्रति मेरे पास भी है और माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के पास भी है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मैंने आर्टिकिल-25 की कमेन्टरी के बारे में कहा ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

इस प्रकार मान्यवर, श्री मिश्र जी ने आर्टिकिल-25 को न पढ़ कर उसकी कमेन्टरी को पढ़ा और इस हाउस का अपमान किया । उन्होंने कन्टेम्प्ट आफ हाउस किया है । इसलिए मैं इसकी नोटिस देता हूं कि इस प्रकार का कृत्य जो माननीय श्री मिश्र जी ने किया है, वह सदन का अपमान है और वह इस आदरणीय सदन के अन्दर किया गया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया था कि माननीय श्री मिश्र जी आर्टिकिल 25 को नहीं पढ़ रहे हैं, अपितु, उसकी कमेन्टरी को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको निकालने के लिए कह दिया था और साथ ही साथ उनसे यह भी निवेदन कर दिया था कि यदि वह पुनः आर्टिकिल-25 को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, परन्तु कमेन्टरी को नहीं पढ़ सकते हैं । इस प्रकार माननीय श्री काशी नाथ मिश्र जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है और उस पर अन्य माननीय सदस्यों को भी ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें माननीय मुहम्मद आजम खां संविधान की शपथ को नहीं लेते तब तक उन्हें इस आदरणीय सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 191 में उन आधारों का उल्लेख किया है जिसके कारण इस सदन से किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है । अनुच्छेद 192 के अनुसार ऐसे मामलों में निर्णय देने का अधिकार श्री राज्यपाल महोदय तथा निर्वाचन आयोग को है । इसका निर्णय इस सदन में नहीं किया जा सकता है अतएव मैं औचित्य के प्रश्न को उठाने की स्वीकृति नहीं देता हूं और इसको अस्वीकार करता हूं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय श्री मिश्र जी ने आर्टिकिल को पढ़ा या उसके भाष्य को पढ़ा, इससे मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके साथियों को तो आपत्ति थी । वैसे भी मैं इसमें अपना निर्णय दे चुका हूं और पूरे प्रकरण को समाप्त कर चुका हूं तो फिर इसमें बहस क्यों की जाय ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय श्री काशी नाथ मिश्र जी ने

उसी भाषण के दौरान इस बात का आरोप लगाया है कि श्री मोहम्मद आजम खां ने होली का प्रतिरोध करके कहा होली तब तक नहीं जलाई जायेगी, जब तक उनको दंडित न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

यदि कार्यवाही में इस प्रकार का कोई पत्र लिखा गई होगा तो उस पर विचार करके, मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री किरनपाल सिंह--

औचित्य का जो प्रश्न उठाया जाता है, वह संसदीय प्रणाली के अनुरूप, संविधान की आपत्तियों के अनुरूप और विधान सभा की जो नियमावली है, इन सबको देखते हुए उसे उठाया जाता है । उसे स्वीकार किया जाय या नहीं किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर निर्णय दे दिया है । अब माननीय श्री छत्तर सिंह जी औचित्य के प्रश्न को उपस्थित करेंगे तो तब मैं नियम 56 के अन्दर आपको (श्री किरनपाल सिंह) भी बोलने के लिए मौका दूंगा । यह मैंने अपने चैम्बर में ही निर्णय ले लिया था । मैं आपको बाद में नहीं दे रहा हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

अब व्यवस्था कीजिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय, मैं काशी नाथ मिश्र जी से सम्बन्धित कोई बात नहीं कह रहा हूं । माननीय, श्री सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि होली के रंग का मसला नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप कल ही कह चुके हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय, इसमें माननीय मंत्री जी ने जांच के आश्वासन दे दिये हैं, तो इसमें बहस की क्या बात है, उसमें तथ्य सामने आ जायेंगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय, मैंने उस स्थिति को, जो वहां रामपुर में, यह लोग होली के रंग का बहाना लेकर, पैदा करना चाहते थे, उसको खत्म किया है ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें मैंने अपना निर्णय दे दिया है । अब आप लोग बैठें ।

दिनांक 9 मार्च, 1983 के

अतारांकित प्रश्न संख्या

65 के उत्तर के

सम्बन्ध में सोधन

वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

(समय 1 बजकर 5 मिनट)

दिनांक 9 मार्च, 1983 को माननीय श्री धनीराम वर्मा, सदस्य विधान सभा ने अतारांकित प्रश्न संख्या-65 के अन्तर्गत यह जानकारी प्राप्त करनी चाही थी कि जनपद इटावा की औरया और विधूना तहसील 1387 फसली एवं 1388 फसली तथा 1389 फसली में सूखा, बाढ़ एवं उपलवृष्टि से अत्यधिक प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में इन तहसीलों में कृषकों को लगान में दी गयी छूट के अनुपात में सरकारी नीति के अनुसार महरों एवं राजकीय ट्यूबवेलों को सिंचाई में भी छूट दी गयी है ? यदि हां, तो प्रत्येक तहसील की अवंवरा अगराशि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उक्त प्रश्न के उत्तरालेख में प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा शासन को यह अवगत कराया गया कि 1387 फसली एवं 1388 फसली में आंशिक रूप से प्रभावित हुई। 1389 फसली में कोई क्षति नहीं हुई है। सर्वेक्षणों-परान्त नहरों के कमान्ड क्षेत्र के कृषकों को, खरीफ 1387 फसली में औरैया तथा बिधुना तहसील में, क्रमशः रु02,03 912.84 एवं 3,01, 657.60 रु0 की सिंचाई कर में छूट दी गयी है। नलकूपों के कमाण्ड क्षेत्र बहुत कम प्रभावित होने के कारण उनको कोई छूट नहीं दी गयी है। तदनुसार सरकार द्वारा सदन में उत्तर दिया गया था।

2--माननीय सदस्य ने उक्त उत्तर पर "प्रक्रिया" सम्बन्धी करण के करण संख्या 218 के तहत यह जानकारी दी है कि 1389 फसली में कोई क्षति नहीं हुई है, बताया जाना सही नहीं है।

3—माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से पूर्व में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में निम्न शोधन वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं—

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कराने पर ज्ञात हुआ कि "1389 फसली में कोई क्षति नहीं हुई है" वाक्य का प्रयोग इसी अभिप्राय से किया गया था कि उपरोक्त वर्ष में नहरों से सिंचित क्षेत्र में जो हानि हुई वह 50 प्रतिशत से कम थी और नियमानुसार कृषकों को सिंचाई कर में छूट की सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव न था। पूर्व में दिये गये उत्तर में ही यह स्थिति स्पष्ट न करने के कारण जो भ्रम हुआ उसके लिए खेद है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, जालौन जिले के जिला परिषद् द्वारा संचालित 8 चिकित्सालयों में डाक्टरों तथा कर्मचारियों को गत 20 माह का वेतन न मिलने से जनमें तथा जनता में असंतोष से सम्बन्धित है। श्री सरदार सिंह की, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाने के फलस्वरूप छात्रों, अभिभावकों में असंतोष से सम्बन्धित है। उसके आगे श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, ड0 शिवानन्द नौटियाल की, दहेज के कारण हत्या करने तथा मृत महिला का शव सदर अस्पताल (फतेहपुर) से गायब किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह की, देवरिया में जाली नोटों के चलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री ऊदल की, गाजियाबाद में स्थित मेसर्स पोयशा कम्पनी के गत दो वर्ष से बन्द होने के फलस्वरूप श्रमिकों के समक्ष भुखमरी की समस्या से सम्बन्धित है। उसके आगे श्री छत्तर सिंह की, विद्युत् बोर्ड, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से जमानत के रूप में प्रति हार्स पावर 50 रुपए अतिरिक्त धन लिये जाने के सम्बन्ध में है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, प्रदेश में रबी की फसल को बिजली की कमी के फलस्वरूप पानी न मिलने से हुई स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की, श्री राम कृपाल, ग्राम बिलरहा, जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। श्रीमती गौरी देवी की, गोरखपुर में चेचक के प्रकोप से 14 व्यक्तियों के मरने के सम्बन्ध में है। श्री भीखा लाल की, प्रदेश में आयोजित किसान सम्मेलनों में प्रशासनिक साधनों का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री किरन पाल सिंह की, थाना अगोला, जनपद बुलन्दशहर के थानाध्यक्ष द्वारा वहां के ग्राम प्रधान तथा अन्य लोगों की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री राम स्वरूप निम की, थाना

भगवानपुर, जनपद सहारनपुर के थानाध्यक्ष द्वारा बादवाल ग्राम के हरिजनों की निर्मम पिटाई व उन्हें बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री गोपीनाथ वर्मा की, प्रदेश में शारदा कैनाल द्वारा निर्मित नहरों व माइनरों पर मिट्टी का अवरोध बनाने से आवागमन में अवरोध उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है। श्री लल्लू सिंह चौहान की, मैनपुरी जनपद के भोगांव थानान्तर्गत भोटा ग्राम की सम्पत्ति की पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा लूट के सम्बन्ध में है। श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन की, आंवला गरामन्द और घाटी वन की सड़क (हल्द्वानी) पर एक प्राइवेट ट्रक के खड्ड में गिरने से 20 आदमियों के मरने के सम्बन्ध में है तथा श्री विद्या-सागर नौटियाल की, टिहरी-गढ़वाल जनपद में विद्यार्थियों को मूल निवास प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

इसमें मैंने, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सरदार सिंह, श्री कुंवर सिंह नेगी एवं अन्य द्वारा दी गयी सूचनाओं पर, शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये, उसे शासन को भेज दिया है। जहां तक श्री किरन पाल सिंह की सूचना का सम्बन्ध है, मैंने उस पर सी० आई० डी० से जांच कराने के लिये शासन को आदेश दे दिया है। इसके अतिरिक्त इस वक्त श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह, की सूचना पर, श्री ऊदल की सूचना पर एवं श्री छत्तर सिंह की सूचना पर सम्बन्धित सदस्यों को सुनूंगा।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, देवरिया जिले में....

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय, बड़ी अहम समस्या को मैंने नियम 56 में दिया है कि चेचक के प्रकोप से लाखों लोग मर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने हरिवंश सहाय जी को बुला लिया है।

*श्री हरिवंश सहाय--

देवरिया जिले में जाली नोटों का प्रचलन काफी बढ़ा हुआ है। पिछले अक्तूबर में 100 रु० का जाली नोट लेकर एक आदमी सेन्ट्रल बैंक में जमा करने के लिये गया। सेन्ट्रल बैंक के मैनेजर ने उसे पकड़ा और मुलजिम को थाने भेजा लेकिन पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसी तरह से दो महीने पहले 50 रु० की जाली नोट और 20 रु० की जाली नोट पकड़ी गयी उसमें भी माननीय, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अभी होली के अवसर पर एक आदमी हमारे पास आया दो नोट लेकर और कहा कि दोनों नोटों का नम्बर एक सा है। इसका नम्बर है -- 95 एल० 475544 दोनों नोट एक ही नम्बर के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उस इलाके में जो लोग जाली नोट का धन्धा करते हैं उनका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन बाजार के अन्दर हर चौराहे पर कोठियां खड़ी हो गयी हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद लिया है और कोई धन्धा नहीं है। जब इसकी शिकायत करते हैं तो अधिकारी लोग सुनते नहीं हैं। जाली नोट को देखने से ऐसा ही लगता है कि जैसे यह बैंक आफ इण्डिया का नोट है इसके कारण वहां के आम लोगों में भय व्याप्त है और भय का वातावरण पैदा हो गया है। उस आदमी को दस रुपए की नोट हमने दे दी थी। मैं यह दस रुपया आपको दिये दे रहा हूं, आप इसकी जांच करवायें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नोट छपवाने का कारखाना खोल रखा है और वही ये नोट बनवा रही हैं?

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्संशोधन नहीं किया।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, यह हरिवंश सहाय जी ने र मोहन सिंह ने जो जाली नोट के धन्धे की बात कही है ये इनके जिलों में ही हो रहा है--

श्री मोहन सिंह--

यह सब सीतापुर से आया है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मुझे इस बात की काफी चिन्ता है । यह मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है लेकिन जैसा कि माननीय हरिवंश सहाय जी ने कहा है, हम इसकी जांच करायेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जो लोग इसके अन्दर हैं, कुछ पता चल सके तो हरिवंश सहाय और मोहन सिंह इस पर कुछ रोशनी डाल सकें तो आसानी हो जायेगी और इस पर कार्यवाही की जायेगी । इस मामले के सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा जायेगा ताकि जो नोट छप रहे हैं या प्रचलित हैं, उन पर रोक लगायी जा सके ।

श्री ऊदल--

माननीय, यह जो लोक महत्व का प्रश्न मैंने नियम 56 के अन्तर्गत दिया है कि गाजियाबाद में मेसर्स पोयशा फैक्ट्री का कारखाना दो वर्ष से अवैधानिक रूप से बन्द कर दिया गया है जिसके कारण आठ सौ मजदूर बेकार हो गये है । अब तक इसमें 40 लाख मजदूर घण्टे का नुकसान हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी मध्यस्थता की है और कारखाना खोलने के आदेश भी दिये हैं और श्रम मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, यह भी देख चुके हैं कि प्रोडक्शन का लास हो रहा है । अभी तक इन्होंने भी उसे नहीं खुलवाया है । गाजियाबाद के श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बड़ी विषम स्थिति हो गयी है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करावें नहीं तो जैसे मोदीनगर में हुआ है उसी तरह से गाजियाबाद की स्थिति हो जायेगी । इसलिये इस लोक-महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक करके में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

*प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, पोयशा फैक्ट्री कुछ वर्षों से बन्द थी और शासन ने विशेष रूप से श्रम विभाग ने उसको फिर से चालू करने का निर्णय लिया है और उसी के सम्बन्ध में हम लोगों के स्तर पर कुछ बैठकें की गयीं और विचार विमर्श किया गया । एक पक्ष जो श्रमिक पक्ष है, उसका कहना है कि वहां पर कन्टीन्युटी श्रमिकों को नहीं मिली है वह उनको मिल जायेगा । वह उन्हें देते हुए फिर से फैक्ट्री में रखा जाये । तो इस सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार विमर्श हुआ है और जो शेष रह गया है जिसमें हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे श्रमिक पक्ष को इस बात पर राजी कर लें और फैक्ट्री को शुरू कर दिया जाये । दो सौ ढाई सौ श्रमिक लग जाये और फैक्ट्री काम करना शुरू कर दे । यह बिलकुल सत्य है कि दो वर्ष से यह उद्योग बन्द था और इससे काफी श्रमिक प्रभावित हुए हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से श्रम विभाग प्रयत्नशील है और हम शीघ्र ही उस फैक्ट्री को चालू करने में सफल हो जायेंगे ।

श्री छतर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग ने एक आदेश निकाल दिया है कि प्रदेश के जितने विद्युत उपभोक्ता हैं उन पर 50 रु0 प्रति हार्स पावर की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। हमारे प्रदेश का किसान बहुत ही गरीब है और जो वर्तमान शुल्क था, उसी का नहीं अदा कर पाता था और अब 50 रुपया प्रति हार्स पावर की दर से और बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। मेरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक नलकूप हैं और हमारे क्षेत्र के किसान इस आदेश से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। किसान इस बढ़े हुए शुल्क को अदा नहीं कर पा रहा है और उसके कनेक्शन कट रहे हैं। अगर इस प्रकार से विद्युत के कनेक्शन कट जायेंगे तो खेती की सिंचाई किस प्रकार से होगी। सिंचाई जब नहीं की जायेगी तो खाद्यान्न की पैदावार भी कम होगी, जिससे हमारे प्रदेश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस 50 रुपये प्रति हार्स पावर की बढ़ोत्तरी को वापस ले लिया जाये।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, जब से यह सरकार चुनाव जीतने के बाद यहां पर आयी है, खाद, बिजली आदि के दाम बराबर बढ़ा रही है, इसी लिए मैंने इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में दिया है। आज कल सत्र चल रहा है और इसी दौरान बिजली के दर में 50 रु0 प्रति हार्स पावर की दर से बढ़ोत्तरी कर दी है। इस समय सदन चल रहा है और सरकार को अगर बढ़ोत्तरी करनी ही थी तो इस सदन में करनी चाहिये थी। मान्यवर, यह बढ़ोत्तरी जो की गयी है, वह रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से की गयी है। अगर किसी आदमी ने आजादी के पहले सन् 1945 में कनेक्शन लिया है तो उससे भी यह बढ़ोत्तरी की रकम वसूल की जायेगी। अगर आप बढ़ाना ही चाहते हैं तो वह पूर्वगामी प्रभाव से नहीं बढ़ाना चाहिये। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में मांग करता हूं कि इस टैक्स को समाप्त किया जाय या इसे कम किया जाय और कम से कम रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से न लगाया जाय।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है उसे आप देख लें। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें, मैंने उन्हें बुला लिया है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, बिजली के बारे में माननीय छतर सिंह जी ने और माननीय किरन पाल सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेल्स के ऊपर और उनके मेंटोनेन्स के ऊपर जो खर्चा आ रहा था उसको देखते हुए उसकी दरें बढ़ाई गई हैं। उससे यह सम्भव नहीं हो पा रहा था कि उनको सही तरीके से बिजली दी जा सके और ट्यूबवेल्स को चलाया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों को परेशान करने के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हमने ऐसा किया है। बल्कि इसलिए किया गया है कि जो ट्यूबवेल्स लगे हुये हैं, वहां पर जो इंजन्स लगे हुये हैं उनकी मेंटीनेन्स और देखभाल सही तरीके से हो सके और उन्हें बिजली मिल सके। उससे कोई अवरोध भी नहीं हो, इसलिये ऐसा किया गया है। इसलिए इस पर कार्यस्थगन का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिजल के बारे में यहां पर कई बार चर्चा हो चुकी है।

मान्यवर, नियम 56 में यह है कि जब एक विषय पर एक ही सत्र में चर्चा हो चुकी होती है तो उस पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती। जिस वक्त बिजली के ऊपर हम यहां सदन में बजट में चर्चा करेंगे, उस वक्त इसे उठा सकते हैं।

इसलिए जो भी किया गया वह किसानों की भलाई के लिए किया गया है ताकि उनका संचालन सही तरीके से हो सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। जहां तक माननीय हरिवंश सहाय और माननीय नन्द किशोर सिंह की सूचना के विषय का सवाल है, वह भारत सरकार से सम्बन्धित है। यदि माननीय सदस्य नोट की फोटो स्टेट कापी मुझे देंगे तो मैं उसे रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भेज दूंगा ताकि वहां पर उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हो सके।

जहां तक माननीय ऊदल की सूचना का सम्बन्ध है, माननीय श्रम मंत्री की जानकारी में यह बात है। फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे शीघ्रातिशीघ्र इसमें कार्यवाही करें। जहां तक माननीय छतर सिंह जी के सवाल का सम्बन्ध है, मैंने उस विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। जहां तक श्री किरन पाल सिंह की सूचना का सम्बन्ध है मैं उसे शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं। माननीय भोखा लाल जी की सूचना को मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं। जहां तक माननीय राम स्वरूप निम की सूचना का सम्बन्ध है मैं उसे शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं। माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा माननीय अग्निहोत्री जी ने जो सूचना दी है उसे मैं दिखला रहा हूं और शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज रहा हूं।

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं मैंने उन सब को अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

हमें बोलने का अवसर दिया जाय तब आप कोई निर्णय दें।

(व्यवधान)

वहां पर किसानों को सिंचाई के लिये पानी न मिलने के कारण सारी किसानों की फसलें सूख रही हैं।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने अनाज की कुछ बालियों को सदन में दिखाया।)

मैं सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा हूं..

(व्यवधान)

मुझे कहने का मौका दें।

श्री राम स्वरूप निम--

हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रम मंत्री। माननीय सदस्य कृपया बैठें। आगे कार्य चलने दें।

(श्री राम स्वरूप निम, सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री सुनील शास्त्री--

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैंने कार्यस्थगन के माध्यम से आपके पास सूचना दी है।

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, हरिजनों के खून से होली खेली जा रही है, वहां पुलिस कत्ल कर रही है और हम यहां पर कैसे चुप बैठे रहें। हमारी बात नहीं सुनेंगे तो यह अन्याय नहीं सहा जा सकेगा। यह हाऊस नहीं चलने दिया जायेगा अगर हरिजनों के साथ इस तरह से अत्याचार होते रहेंगे एस० पी० पुलिस और डी० एम० वहां कोई सुन नहीं रहा है...

(श्री राम स्वरूप निम बोलते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों को बदल दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री राम स्वरूप निम—

नियमों का पालन करते हुए अनुरोध कर रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, क्या इन लोगों की धमकियों से हाऊस चलेगा?

श्री अध्यक्ष—

नहीं धमकियों से नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

पहले आप अपने-अपने स्थानों पर जायं। माननीय निम साहब, आप पहले बैठें।

(श्री राम स्वरूप निम अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री काशी नाथ मिश्र—

इनकी क्या हैसियत है कि यह हाऊस नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियम 56 आपने बनाया है, निर्णय आपने लिया है, इस आदरणीय सदन ने लिय है कि तीन से अधिक माननीय सदस्यों को नहीं सुना जायेगा।

(व्यवधान)

आप पहले मेरी बात सुन लीजिये, कृपया बैठिये। या तो आप निर्णय बदल दीजिए। मैंने यह भ कहा था नेता विरोधीदल तथा अन्य जो नेता हैं और माननीय संसदीय कार्यमंत्री 10-30 बजे आकर मेरे कक्ष में तय कर के स्वयं निर्णय दे दें कि किस तरह से करना है और उसके अनुसार मैं कार्यवाही करूंगा तो वह भी आपने नहीं माना। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो यह धमकी देने से कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सदन नहीं चलेगा। सदन एक व्यक्ति का नहीं है। इस प्रकार की बात आपको नहीं कहनी चाहिये।

(व्यवधान)

माननीय निम क्योंकि बैठ गये लेकिन भविष्य में इस तरह का चेष्टा को दोहराया गया तो मैं चेतावनी देता हूं कि यह नियमों का उल्लंघन होगा। आप पुनः लिख कर दे दें मैं पुनः उस मामले पर विचार करूंगा।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मन्त्री हरे हो रहे हैं और खेती सूख रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

बिना अनुमति के सदन में कुछ नहीं कहूंगा। आपको मैंने कार्यस्थगन नोटिस दिया। नियमों के अन्तर्गत आपने तीन आदमियों को बुला लिया। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, बुंदेलखंड से मेरा सीधा संबंध है वहां किसानों की फसल सूख गई है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, वहां के किसानों की बुरी हालत है यह बात सदन के संज्ञान में नहीं आयेगी तो···

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा आप पुनः इसको दे दीजियेगा मैं पुनः विचार कर लूंगा। आप अपनी बात कहने का साहस रखते हैं और मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। चौहान साहब, आप मेरे कक्ष में आयें, मुझे संतुष्ट कर दीजिए।

(व्यवधान)

मैं पुनः विचार कर लूंगा।

अब मद संख्या 8 लेते हैं। आज श्रम और परिवहन मंत्रियों का विषय है इसमें आधा-आधा समय दोनों के लिए निर्धारित है। इस वक्त डेढ़ बजे हैं तो 1·30 बजे से 5 बजे तक का समय आधा-आधा बांटना है और उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन)

*प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

[समय 1 बजकर 28 मिनट

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,89,07,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,11,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सच्चिदानन्द पीठासीन हुए।)

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,23,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय, प्रदेश में गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमारी औद्योगिक शांति बनी हुई है और उससे ज्यादा बेहतर बनी हुई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां वर्ष 1981 में 23,80,000 से अधिक मानव दिवसों की हानि हुई थी हड़तालों के कारण, वहीं 1982 में घटकर 8 लाख 5 हजार रह गयी और हड़तालों में भी काफी गिरावट आयी और 1981 में 245 हड़तालें हुई थीं वहीं 1982 में 193 हुई और 1983 में घट कर 173 हुई। मानव दिवसों में भी कमी 1983 में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया।

हुई और पूरे वर्ष में 7,62,000 मानव दिवसों की हानि इन कारणो से हुई। मान्यवर, इसको सुनिश्चित करने के लिए कि पूरे प्रदेश में औद्योगिक शांति का वातावरण बने रहें जो भी श्रमिक संगठन हैं, जहां-जहां श्रमिकों ने इस बात की चेष्टा की कि वह संगठित होकर, अपने शोषण को रोकें और उससे शासन को अवगत करायें इसके लिए उन्होंने अपने संगठन बनाने की बात की वहां पर शासन ने उनकी ओर ध्यान दिया और इस बात को सुनिश्चित किया कि जो भी प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए आवें उनके संगठन को, यूनियन को रजिस्टर किया जाये और इस दिशा में मैं यह बताना चाहूंगा कि 1982 के अंत में 330 यूनियनें पंजीकृत थीं और हम लोगों ने 1983 में 164 और नई यूनियनों को पंजीकृत किया। इधर दो महीने में 29 और ऐसी यूनियनें हैं, जिनको रजिस्टर किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल 2523 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें हैं। जो इस बात का प्रतीक है कि कितना अधिक ध्यान प्रदेश शासन विशेषकर श्रम विभाग श्रमिकों के प्रति दे रहा है और इस बात का सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि श्रमिकों का शोषण किसी प्रकार न हो। इसके साथ ही इस बात को देखने के लिए कि शोषण कैसे कम हों, जो निरीक्षण होते हैं, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत, उनमें भी तेजी लायी गयी और वर्ष 1982 में जहां 10,385 निरीक्षण हुए थे वहीं 1983 में 10,884 निरीक्षण किये गये। यही नहीं जो प्रासिक्यूशन्स दायर किये गये वह वर्ष 1983 में 14,194 रहे।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो फैक्टरीज, नये-नये औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित हुए उनमें भी बढ़ोत्तरी हुई और 1983 के दौरान 649 नये उद्योग प्रतिष्ठान पंजीकृत हुये और इस समय उत्तर प्रदेश में 7204 ऐसी रजिस्टर्ड फैक्टरीज हैं। इसके अतिरिक्त इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि किसी प्रकार से जो भी मामला हड़ताल के संबंध में हो चाहे वह वेतन न देने के संबंध में हो जिसका तुरन्त निराकरण हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कराने का प्रयास किया गया है और हम लोगों को काफी सफलता प्राप्त हुई है। मान्यवर, जहां तक श्रम कल्याण का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी जो हमारा लेबर वेल्फेयर सेक्शन है, श्रम कल्याण केन्द्र हैं, उनमें भी धीरे-धीरे वृद्धि की जा रही है। जहां 82 ऐसे केन्द्र थे 6 और ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और उसको बढ़ाकर 88 इस वर्ष के अन्त तक कर दिये जायेंगे। इनके माध्यम से हर प्रकार की सुविधा अपने श्रमिक भाइयों को देने का प्रयास किया जाता है। यहां तक कि दो श्रमिक कल्याण केन्द्रों पर दूरदर्शन की भी व्यवस्था की गई है और अगले वर्ष 9 केन्द्रों में और दूरदर्शन सेट्स लगाये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त जो हमारे महिला श्रमिक और बाल-श्रमिक हैं, उनके शोषण को रोकने के लिए राज्य स्तर पर दो समितियां गठित की गई हैं। इन दोनों जो मुख्य कार्य यही है कि जो हमारे प्रदेश में 10 लाख से अधिक बाल-श्रमिक हैं जिसमें से लगभग 93 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 7 प्रतिशत शहरों में हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, उसे इस समिति के माध्यम से, समिति के सदस्यों द्वारा जगह-जगह जाकर, निरीक्षण करके, जो कठिनायां महसूस की जा रही हैं, शासन स्तर से उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

महिला स्तर पर भी एक समिति गठित की गई है वह उनको कार्यों को देखकर अपनी सिफारिशें करती हैं, और उन्हें जो जो सुविधाएं देनी हैं उनको देने का हम पूर-पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सेवायोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण

देने का कार्य है, उसने उस दिशा में भी सराहनीय कार्य किया है। मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में इस समय 69 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसमें 1 सन् 1983-84 में बादलपुर में और खोला गया है। इस तरह से अब यह 68 से 69 हो गए हैं। इस वर्ष 1984-85 में भी कुछ और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही साथ महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए इस समय 13 सेन्टर्स हैं, जहां पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और इस वर्ष जौनपुर जिले में भी यह सुविधा महिलाओं को दे दी गई है। साथ ही अगले वर्ष के लिए यह प्रस्ताव है कि सहारनपुर और अलीगढ़ जनपदों में भी महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सुविधा प्रदान कर दी जाए। यह बात बहुत ही सन्तोषजनक है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो भी हमारे नवयुवक प्रशिक्षित होते हैं, उनका भविष्य अन्य स्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवकों की अपेक्षा अधिक उज्जवल रहता है। उन्हें एक तो सचेतन रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाता है और स्वतः भी वह रोजगार करना चाहें तो उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है।

हमने कुछ औद्योगिक संस्थानों पर "सीखो और कमाओ" की योजना भी शुरू कर रखी है। हमने उनको सिखाया है कि वह यह-यह चीजें बनायें, जो बाजार में आसानी से बिक जावें, जिससे वह अपने पैरों पर आसानी से खड़े हो सकें। इसके अतिरिक्त इस बात को भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नवयुवक भाई हैं, उनको कोचिंग-कम-गाइडेंस के माध्यम से 3 व्यवसायों में ट्रेनिंग प्रदान की जाए। इस सम्बन्ध में हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष 20 कोचिंग-कम-गाइडेंस सेन्टर्स कार्यरत थे। और इस वर्ष लगभग 20 और ऐसे कोचिंग सेन्टर्स स्थापित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस तरह से इस कार्य में पूरे देश में हमारा प्रथम स्थान है। साथ ही साथ हमने यह भी निश्चय किय है कि इन सेन्टर्स में दो हम विकलांगों के लिये रखेंगे जो एक मिर्जापुर में होगा तथा दूसरा कानपुर में होगा। वहां ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन लोगों को ऋण भी प्राप्त हो सकेगा और इस तरह से इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाया जायेगा।

जहां तक हमारे यहां सेवायोजन कार्यालयों का सम्बन्ध है, उसमें हमारा अब यह भी प्रयास चल रहा है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले नवयुवकों को भी पंजीकृत किया जा सके। अभी तक केवल शहरों के नवयुवक ही आस पास के सेवायोजन कार्यालयों में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवा सकते थे। अब ग्रामीण अंचलों के वे नवयुवक जो बड़ी मेहनत और कठिनाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने को पंजीकृत ग्रामीण अंचलों में भी, जहां-जहां व्यवस्था इसकी होगी, करवा सकेंगे। उनको भी इस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

तहसील मुख्यालयों पर सेवायोजन कार्यालय के अधिकारियों को इसके लिये समय-समय पर भेजा जायेगा। इसके साथ ही साथ हम सचल सेवायोजन कार्यालयों की भी स्थापना करने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ और रायबरेली में शीघ्र ही इसकी स्थापना होगी। इनका भी मुख्य कार्य यही होगा कि यह विकास खंड और ब्लाक हेडक्वार्टर तक पहुंच सकें और ग्रामीण नवयुवकों को यह सुविधा प्राप्त हो सके। इनके द्वारा भी नाम पंजीकृत कराये जा सकेंगे।

इन सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से एक अन्य कार्य भी किया जा रहा है और वह है स्वतः रोजगार की योजना। इस सम्बन्ध में जो हम लोगों की साधारण योजना कई वर्षों से चली

आ रही थी उसके अन्तर्गत हमने 8,173 व्यक्तियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है। माननीया प्रधान मन्त्री जी की स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत इसको विशेष महत्व दिया जा रहा है। वैसे तो इस योजना का मुख्य दायित्व उद्योग विभाग का ही है, पर इसके लिये जो समिति गठित की जाती है, जो इस कार्य को देखती है, उसमें सेवा योजन कार्यालय का भी एक अधिकारी रहता है जो उसका सदस्य होता है। इस योजना में भी अब तक लगभग 3202 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।

प्राविधिक शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, उसके विषय में भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूं। इस समय हमारे यहां डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की 9 संस्थायें हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 1510 है। डिप्लोमा स्तर की 50 संस्थायें हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 8415 है। प्रमाण-पत्र स्तर की 12 संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 700 है। माननीय, हमारा प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। अधिक से अधिक छात्र टेक्नीकल एजूकेशन को ग्रहण करें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और माननीय, प्रयास किया जा रहा है कि वह जिले जहां पर पालीटेक्निक नहीं हैं, ऐसे जिले हैं, इनके लिये भी प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर प्राविधिक शिक्षा संस्थान स्थापित करें। इसमें लगभग 16 जिले हम लोगों ने चयनित कर लिये हैं। शेष 2 रह जायेंगे बाकि कानपुर देहात को मिलाकर 3 रह जायेंगे तो इन तीन जिलों के लिये भी प्रयास किया जायगा कि वहां पर आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में इनकी स्थापना कर दें।

इसके अतिरिक्त जो इंजीनियरिंग में पूरे राष्ट्र का सीटों का जो औसत है वह 4.11 है। प्रति लाख पर 4.11 सीटें राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। तो इस सम्बन्ध में जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यहां पर प्रति एक लाख व्यक्तियों के ऊपर 2.36 सीटें उपलब्ध हैं। इसको बढ़ाने के लिये हम लोगों ने प्रयास किया है। इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों में बढ़ोत्तरी की गयी है, कुछ कोर्स भी बढ़ाये गये हैं जिससे कि छात्र टेक्निकल एजूकेशन ग्रहण कर सकें। मुझे विश्वास है कि 1984-85 के अन्त तक यह जो 2.36 का औसत है यह बढ़कर 3.25 कर लेंगे तो माननीय, यह बहुत बड़ी सफलता प्राविधिक शिक्षा विभाग में होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में यह औसत और बढ़ेगा और राष्ट्रीय स्तर जो है उसको हम लोग जरूर पार कर लेंगे और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पायेगा। इसके अतिरिक्त माननीय, लखनऊ में हमारे इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एन्ड टेक्नालाजी स्थापित करने के बारे में पिछले वर्ष शासन ने कहा था, इस वर्ष में कहना चाहूंगा कि इसको भी स्थापित कर दिया गया है। इसका शिलान्यास हमारी माननीय केबिनेट शिक्षा मन्त्री श्रीमती शीला कौल ने किया है। 1984-85 में हम यहां पर कोर्स प्रारम्भ कर देंगे और शुरू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में 20 तथा कम्प्यूटर साइंस में 20, यानी कुल 60 व्यक्तियों को प्रवेश देंगे। अगले वर्ष इसमें और भी सीटें बढ़ायी जायेंगी और 300 सीटें यहां पर हो जायेंगी।

इसके अतिरिक्त सिविल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण का भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जायगा।

माननीय, इसके अतिरिक्त शेष जो जिले हैं, जिनके बारे में समय-समय पर जिक्र करके लोगों ने शासन का ध्यान आकर्षित किया है वहां पर भी कुछ व्यवसाय बढ़ाये जायेंगे, सीटें बढ़ायी जायेंगी। वहां पर पूर्ण रूप से सरकार प्रयत्नशील है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे-धीरे हम अपने इन संस्थाओं में जहां पर प्राविधिक शिक्षा दे रहे हैं

वहां पर प्रवेश क्षमता बढ़ायेंगे । जिससे कि हमारे नौजवान भाइयों, युवकों और हमारी बहनों का भविष्य उज्जवल हो सके और वह आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ें ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपने अनुभव अपने सुझाव मुझे दें जिससे मैं अपने विभाग में तेजी लाकर उसमें निरन्तर सुधार करता रहूं और हमारा विभाग निरन्तर इस प्रदेश की जनता की सेवा में कार्यरत रहे ।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर ।)

श्री धरमपाल--

मान्यवर, इनको कब से लेबर पेन होने लगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

आपका सीजेरियन करा देंगे ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) लेखा शीर्षक 287 श्रम एवं सेवायोजन तथा 288--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने श्रम विभाग के बजट, उसकी समस्याओं और जो कुछ आपने इस विभाग में किया है उसके बारे में कहा है ।

हमारे प्रदेश और हमारे देश का सबसे बड़ा वर्ग मजदूर है । मैं तो इसकी परिभाषा इस तरह करता हूं कि वह हर शख्स जो काम करता है और तनख्वाह लेता है, वह मजदूर है और वह जो पैसा देता है, वह मालिक है । हमारे देश में सिर्फ दो ही किस्म के वर्ग हैं, एक वह जो पैसा देता है और एक वह जो पैसा लेता है । यही वह पूंजीपति वर्ग है, जिससे पैसा मिलता है, वह मालिक है । लेकिन वह वर्ग जो पैसा लेता है, उस मजदूर वर्ग का हमारे समाज में बहुत बदनसीब स्थान है, मजदूर जिससे देश का काम चलता है, जो इस भवन की ईंटें बनाता है, इस भवन का गारा बनाता है, इस भवन का निर्माण करता है, लेकिन उसके हक में उसके भले के लिए इसी भवन में फैसले नहीं होते । वह मजदूर जो इमारतें बनने के ईंटें तैयार कर रहा है, वह मजदूर जो कपड़ा मिल में कपड़ा बनाता है, वह मजदूर जो शकर के कारखाने में शकर बनाता है, वह मजदूर महरूम रहता है, वे छत की दरों दीवार जिसमें वह सर छुपा सके । अपने ही हाथों से बनाये हुये सूत, का बना कपड़ा पहनने से महरूम है । शकर के एक-एक दाने को तरसता है । तरसता है जरूरियातें जिन्दगी की चीजों को ।

मजदूरों पर आये दिन फिल्में बनायी जा रही हैं, उनके दुख दर्द को फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि मजदूरों का कैसे उद्धार हो । मजदूर, पैगाम, आज का एम० एल० ए०, यह देश, इंकलाब वगैरह खूबसूरत नामों से पूंजीपति गरीब मजदूरों की जेब से रोजी और पेट से रोटी छीन रहा है । लेकिन ये सारे तरीके हैं मजदूरों और गरीबों को लूटने के । उसकी जेब से पैसा लेकर एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उस गरीब मजदूर का

पूंजीपति वर्ग जो फिल्में बना रहा है, इमारतें बनाकर, कारखानें बनाकर गरीबों का खून चूस कर प्रदेश में बड़े कारखाने लगाये जा रहे हैं। यह सही है कि जो मंत्री जी ने कहा, आप ईमानदार हैं, यह सही है। लेकिन आपकी ईमानदारी से उस गरीब मजदूरों को क्या मिला, क्या तबदीली आई ? जो मजदूरों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल सकता है।

आज भी आप पूंजीपति वर्ग पर कोई अंकुश नहीं लगा सके। पूंजीपति वही कर रहा है जो करना चाहता है। जितने गवर्नमेंट के आर्डर्स निकलते हैं, वह सिर्फ कागज पर ही रहते हैं। मिल मालिक पैसा नहीं बढ़ाता, उसका नतीजा यह होता है कि मजदूर बहुत परेशानी की हालत में आखिरी हथियार उठाता है और उसी वक्त हड़ताल का फैसला लेता है, यह सच है कि उसका फैसला बहुत मजबूरी की हालत में होता है। वह एक वक्त खाने के बाद दूसरे वक्त तभी खा पाता है, जब दूसरे वक्त के लिए वह काम करे। रोज कुंआ खोदता है, तब रोज पानी पीता है। इससे सरकार का भी नुकसान होता है और मजदूर का भी होता है। हो सकता है कि सरकार को इसमें होने वाले नुकसान का ख्याल न हो, लेकिन मान्यवर, वह मजदूर जो सिर्फ दो-ढाई सौ रुपये प्रति माह पाता है, रोज कुंआ खोद कर पानी पीता है, जो आज काम नहीं करेगा तो कल उसको खाना नहीं मिलेगा। मजदूर एहतेजाज का रास्ता उस वक्त इस्तेमाल करता है जब सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं।

सरकार पूंजीपति का साथ देती है, सुबूत यह है कि जब जयप्रकाश को मारा गया, कत्ल हुआ, बजाय इसके कि मजदूर के साथ इन्साफ होता, उसकी हिफाजत करने के लिए इक्दामात किये जाते, पुलिस लगायी जाती। पूंजीपति ने घर पर उसकी कोठी पर सबब यह कि उसने यूनियन के लीडर को कत्ल कराया है और सरकार ने मजदूर पर गोली चलवायी, लाठी चलवाई। होना तो यह चाहिए था कि पूंजीपति पर कत्ल का मुकदमा चलता, वो गिरफ्तार किया जाता, लेकिन गिरफ्तार किये गये मजदूर और पहरा बिठाया गया कातिल मोदी की कोठी पर, कातिल की हिफाजत के लिए। ऐसे कातिल को चाहिए था जनता की खुली अदालत में लाकर खड़ा कर दिया जाता और उसे सजा देती जनता। यूं तो यह सदन चलता है मजदूर की गाढ़ी कमाई से पूरी सरकार चलती है, मगर रखवाली करती है टाटा की, बिरला की, मोदी की, हर शोषक पूंजीपति की, क्योंकि अगर सरकार ऐसा न करे तो फिर उसको करोड़ों रुपये का चन्दा एक ही सूबे से एलेक्शन लड़ने और सत्ता में आने का कहां से मिलता। गोली चली मजदूर पर और पी० ए० सी० और सी० आर० पी० लगायी गयी है मिल मालिक के घर पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए था कि मिल मालिक को जनता की अदालत में पेश किया जाता और हिफाजत मजदूर की की जाती।

मान्यवर, मंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया है तालाबन्दी का। यह सही है कि 1982 में जितनी हड़तालें हुयी थीं उससे कुछ कम 1983 में हुई हैं। लेकिन जो हड़तालों की संख्या है उससे मुतमइन नहीं होना चाहिये। हड़तालों की संख्या इस साल 174 रहीं, प्रभावित होने वाले मजदूरों की संख्या थी 59 हजार 24। मान्यवर, इससे एक वक्त में कम से कम 5 लाख लोगों को खाना नहीं मिल सका। 12 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 5 लाख लोगों को खाना नहीं मिला और सरकार यह कह कर अपनी छुट्टी कर ले कि हड़तालों का रेश्यो पिछले साल से घटा है, इससे सरकार को खुश नहीं होना चाहिये। सरकार के लिये खुशी की बात में यह समझता हूं कि अगले वर्ष में, अगले बजट में सरकार कहे कि प्रदेश में कोई हड़ताल नहीं हुई।

प्रदेश में कोई खाने के लिये भूखा नहीं रहा। किसी श्रमिक को रोटी नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ। हम यह सुनना चाहते हैं। मान्यवर, आज मजदूरों के साथ फैक्ट्रियों में जिस प्रकार को ज्यादती होता है। हमारे प्रदेश में 3 बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, जिससे देश और प्रदेश का काम चलता है और टैक्स मिलता है। एक फैक्ट्री लोहे से मुतालिक है। 330-343 लोहा इस्पात मशीनरी के, विविध उद्योग 46, कपड़ा मिल 21 है, 5 मिल ऊनी और एक जूट मिल है। हमारे यहां नम्बर 2 का उद्योग कपड़ा उद्योग है और इसके बाद शक्कर का उद्योग है। मंत्री जी सुनना चाहेंगे जो मजदूर इन कारखानों में काम करता है, उसकी दो बड़ी समस्यायें हैं। एक तो जो वेतन लागू है वह वेतन नहीं मिलता है। इसको मंत्री जी और पूरा डिपार्टमेंट जानता है। गवर्नमेंट आर्डर मिल मालिक के पास आता है और मिल मालिक उसको दबा कर रख लेता है और उस वक्त कैसा खिलौना खेल करता है, इसको इसला मंत्री जी और विभाग को है।

मैं कहना चाहूंगा जब मजदूरों के वेतन में बढ़ोत्तरी होती है तो मिल मालिक अपनी जेबी यूनियन को बुलाता है, टेबुल पर बैठालता है। केक, पेस्ट्री खिलाता है और उस जेबी यूनियन से समझौता हो जाता है। उस वक्त सरकार कहती है कि यह समझौता मिल मालिक और मजदूरों के बीच हुआ है लिहाजा हमें हस्तक्षेप करने का हक नहीं नहीं है। यह कितना बड़ा जुल्म है। सरकार ममलन 10 रुपया बढ़ाती है और मिल मालिक अपनी जेबी यूनियन से 5 रुपये में समझौता कर लेती है, तो इसमें 10 रुपये की बढ़ोत्तरी के बजाये 5 रुपये का समझौता हो जाता है। मिल मालिकों को ऐसा करने का हक नहीं होना चाहिये। सरकारी आदेशों के खिलाफ इस प्रकार के समझौते नहीं होने चाहिये।

मान्यवर, एक्सीडेन्ट होता है मजदूर का तो यह कह कर कि मजदूर शराब पिये था, चरस पिये था, मेडिकल रिपोर्ट मिल मालिक के हक में आ जाती है। नशे की हालत में कम्पनसेशन नहीं दिया जाता है। मजदूर का हाथ कट जाय, सिर कट जाय उसकी जान चली जाय, उसका कोई कीमत नहीं है, मिल मालिक को परेशानी यह होती है कि इसके कारण जो ढाई घंटे काम बन्द रहा कपड़े के थान पर खून के धब्बे लगे उसका मुआवजा कौन देगा। आये दिन मजदूर को निकाला जाता है तो उसके पास हड़ताल के अलावा क्या रास्ता है? मजदूर के पास नाइंसाफी हो जाने के वक्त एक ही रास्ता बचता है कि वो इंसाफ का दरवाजा खटखटाए, वह अदालत से इंसाफ मांगे, उसके लिए आपने कन्सोलेशन आफिस बना रखा है। मजदूर का हक है कि जब किसी मजदूर को निकाल दिया जाये तो वह अपनी दरख्वास्त कन्सीलेशन आफिस में लगा दें।

मान्यवर, आपको विदित है कि रामपुर में रजा टेक्सटाइल लिमिटेड में हड़ताल हुई, दक्षिण जो मंत्री थे इसमें छः महीने तक हड़ताल चली, कई मजदूर निकाल दिए गए मान्यवर, यह एक लम्बी कहानी है यह आपसे मुतालिक नहीं है। मान्यवर, मैंने आपसे यह भी शिकायत की थी कि सैकड़ों मजदूर ऐसे हैं जिन किताब से वह फंड निकालते हैं वह किताब अदालत से वापस नहीं हुई आपके आदेश के बावजूद भी कोई अगला कदम न उठा। मैंने आपसे कहा था कि जो मुकदमें मजदूरों पर लगाये गये हैं उनको जल्द से जल्द तय कराया जाये, नीतिगत रूप से मुकदमों के तय होने की मुद्दत क्या होगी, जो मुकदमें रामपुर की अदालत में हैं उनकी मुद्दत क्या होगी, जो कानपुर की अदालत में हैं उनकी मुद्दत क्या होगी। जो रामपुर की अदालत में हैं, आपने यह तो बता दिया कि कितने मुकदमें हैं लेकिन यह जानकारी नहीं दी कि जो मुकदमे पिछले 20-30 साल से चले आ रहे हैं, उनकी क्या तादाद है, उनकी क्या लिस्ट है। यह तय नहीं किया गया है। इसके

अलावा जब मिल मालिक मजदूरों को सजा देते हैं उनको निकाल देते हैं तो कोई रास्ता उनके पास जिन्दगी गुजारने का नहीं रह जाता, उनको सस्पेन्शन एलाउन्स भी नहीं दिया जाता है। तो क्या कन्सलेशन आफिसर्ज के पास कोई ऐसा अधिकार होगा कि सस्पेन्शन एलाउन्स दिला सके ? इस सिलसिले में अभी कोई प्राविधान नहीं है।

मान्यवर, मेरा इस सिलसिले में एक सुझाव यह भी है कि इस किस्म के जो मजदूर होते हैं उनको सस्पेन्ड होते ही आधी और बाद में तीन चौथाई तनख्वाह मिलनी चाहिये। एक जुल्म और होता है कि वेलफेयर आफीसर, हर कारखाने में आपने रख रखा है लेकिन यह वेलफेयर आफीसर जिसको तनख्वाह सरकार देती है, मगर रहने को मकान कोठा मिल मालिक देता है। मुर्ग मुसल्लम और रिश्वत मालिक देता है यही मजदूरों के भले के नाम पर उनके हुकूक का गला घोटने वाला जालिम पूंजीपति को कोठियों में बैठकर दावतें खाता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पोस्ट को अब और न रखा जाए इसको खत्म कर दिया जाए और मैं सुझाव देता हूं कि इसके अलावा लेबर वेलफेयर सुपरिन्टेन्डेन्ट की पोस्ट कायम करें। यह पोस्ट रिकोगनाइजड यूनियन के जरिए वोट के जरिए चुनी जाए। मान्यवर, ऐसा व्यक्ति जो सरकार का हो, ऐसा व्यक्ति जो सरकार से तनख्वाह पाता हो पर मिल मालिकों के कहने पर चलता हो ऐसी पोस्ट को समाप्त कर देना चाहिए।

यह मेरे जाती तजुर्बे में है कि जहां-जहां हड़ताल हुई हैं वहां-वहां आफीसर ने मजदूर का साथ छोड़कर मालिक का साथ दिया है। जहां चाहा लाठीचार्ज हो गोली चले मजदूर निकाला जाये वेलफेयर आफीसर मजदूरों के खिलाफ जो चाहता है मजदूर के खिलाफ थाने में बैठने से लेकर सरकार को दलाली तक उसका काम है। लिहाजा ऐसी पोस्ट को एबालिश किया जाए। हमारे यहां सेवा नाम जैसे खत्म ही होता जा रहा है। जो कल क्लर्क था वह आज अफसर हो गया है। अब तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कर्मचारी या सेवा कर्मी रह ही नहीं जायेगा। सब के सब अफसर बनते चले जा रहे हैं। तो मान्यवर, ऐसी पोस्ट जिससे अफसरशाही की बू आती हो तानाशाही और जब्र की बू आती हो की खत्म हो जाना चाहिये। जब मजदूर अफसर का नाम सुनता है तो वह कमजोर दिल दफ्तर में घुसने से भी डरता है। ऐसे नाम को हटाया जाए जिसके मजदूर खाइफ हो जाये, बल्कि ऐसा नाम रखा जाए कि मजदूर प्रभावित हो, ऐसा नाम न रखा जाए जिसको सुनकर मजदूर डर के बजाए अपनाइयत का एहसास करे और भमाइज के हल के लिए खिंचता चला जाये। ऐसा नाम न रखें जिससे मजदूर डर कर हट जाय।

मान्यवर, शिशु कल्याण के सिलसिले में मंत्री जी ने कहा। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा। जो कल्याण हो रहा है, वह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है। मनोरंजन के नाम पर क्या हो रहा है, मंत्री जी को मालूम है, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, सत्ता पक्ष को मालूम है। कितना इलाज मजदूरों का होता है आपने ई० एस० आई० डिस्पेंसरीज खोल रखी हैं, उनमें कितनी दवाएं मजदूरों को मिलती हैं, इसका अंदाजा आपको हो सकता है। क्या होता है, मजदूर को ई० एस० आई० से अगर 5 रोज की छुट्टी चाहिए हो तो उसमें पांच रुपया डाक्टर साहब का होगा। पांच रुपया रोज के हिसाब से नहीं दिया तो छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर दवाइयों का पैसा कम्पाउन्डर साहब को नहीं दिया तो मजदूर के इंजेक्शन नहीं लगेगा।

मेरा सुझाव है कि आप पांच-पांच जिलों का टारगेट बना लें और उसमें पांच-पांच सदस्यों की एक कमेटी बना दें। उन पांच सदस्यों में तीन एम० एल० ए० हों और दो सरकारी लोग, जिन्हें आप चाहें। ये पांच लोग 3 माह के अन्दर सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दें कि क्या शिशु कल्याण का जो लक्ष्य रखा गया है, वह पूरा हुआ या नहीं। उसकी जो सिफारिश हो उस पर आप काम करें। आपने टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की रिकमण्डेशन की हैं। उनमें रामपुर भी है, लेकिन वहां पर इन्स्टीट्यूट नहीं खुल पा रहा है, उसकी वजह यह है कि जमीन नहीं खरीदी गयी है। आप जो जमीन का रेट देते हैं, उसे बेचने के लिये कोई तैयार नहीं है। आप अच्छी जमीन चाहते हैं, अच्छी जगह चाहते हैं, बड़ी चाहते हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। आप चाहते हैं कि रुपये का माल डके में मिल जाय, तो यह मुमकिन नहीं है। चुनांचे यह पाबंदी हटाकर, जो भी कीमत में मिले, आप जिस कीमत में जमीन लेना चाहते हैं और रामपुर में इन्स्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, लेकिन पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, आप जो भी कीमत में मिले ले लीजिये नहीं तो इन्स्टीट्यूट खुल नहीं पाएगा और स्कीम खत्म हो जायगी। मेरा निवेदन है कि जिस भी कीमत पर जमीन मिल रही है उसे खरीद कर इन्स्टीट्यूट कायम करावें।

मान्यवर, बीड़ी, सिगार ऐक्ट के मुताल्लिक कुछ कहना चाहूंगा। मैंने बार बार इस सदन में यह बात कही है और आज फिर इस पर बल दे रहा हूं। बीड़ी में लाखों मजदूर हमारे प्रदेश के काम करते हैं। पूरब और पश्चिम का मजदूर एक दूसरे से कटा हुआ है। पश्चिम के मजदूर को साढ़े सात रुपये प्रति हजार बीड़ी बनाने की उजरत मिलता है और मान्यवर, पूरब में साढ़े तीन रुपये से लेकर 5 रूपये तक प्रति हजार बीड़ी बनाने की उजरत मिलती है। मान्यवर, एक हजार बीड़ी एक मजदूर एक दिन में नहीं बना पाता। वह पहले पत्ता लाता है, भिगोता है साफ करता है, पोछता है। गीले कपड़े में बन्द करता है, सुखाता है, तम्बाकू भर कर बनाता है और धागे से बांधता है। इन तमाम कामों में वह एक दिन में एक हजार से कम ही बीड़ी बना पाता है। पश्चिम के मजदूर को साढ़े सात-आठ रुपया प्रति हजार मिलता है। इसी दर से पूरब के मजदूर को भी मिलना चाहिये, लेकिन सरकारी आंकड़ों के खिलाफ से वही उजरत मिलना चाहिये।

पश्चिम की बीड़ी पूरब में बनती है क्योंकि पश्चिम के बजाय पूरब में बीड़ी बनवाने से मालिकान मजदूर से मय उजरत के बदले ज्यादा काम लेता है। पैसा बच जाता है। बिहार से तम्बाकू आती है, पत्ता आता है और यहां से बीड़ी बनकर पश्चिम में चली जाती है। इस प्रकार मजदूर का दोहरा इस्तेमाल होता है। एक तरफ काम ज्यादा मजदूरी कम और दूसरी तरफ मजदूरी ज्यादा मगर काम कम।

मान्यवर, मेरा इसमें सुझाव है कि, पूरब में जो मजदूर बीड़ी बनाते हैं, आपके आर्डर्स का आज इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो पा रहा है। यह सही है कि सरकार पूरब और पश्चिम में बराबर रेट दे रही है, किन्तु इसके बावजूद भी पूरब का मालिक बीड़ी बनाने वालों को उतनी उजरत नहीं देता है, जितना उसे देना चाहिये। इस लिए आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए, जिससे आप इसे रोक सकें। ताकि पूरब के बीड़ी बनाने वाले मजदूर जो आज पश्चिम की ओर खिंच कर जा रहे हैं, वह न जायं। आज पश्चिम का काम पूरब में आ रहा है। पश्चिम का मजदूर बेकार हो रहा है, उसे काम नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहां एक मजदूर को एक हफ्ते में सिर्फ दो दिन का काम मिलता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह मजदूर जिसे केवल 10 रुपये उजरत मिलती है और हफ्ते में केवल दो दिन काम मिलता है, वह किस प्रकार अपनी

और अपने बाल बच्चों की गुजर-बसर करता होगा ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह मजदूर कालोनियों के बारे में है । माननीय श्री दीक्षित जी ने सन् 1982 में मेरे ही कटौती के प्रस्ताव पर यह आश्वासन दिया था कि काउन्सिल के मेम्बरों की एक कमेटी बना दी गयी है । आज जितनी भी लेबर कालोनीज हैं, वह गरीबों के पास नहीं हैं, बल्कि यह दौलतमंद लोगों के पास में हैं आज किसी मजदूर के पास कालोनी में मकान नहीं है । उन कलोनीज में वे लोग रहते हैं जो मजदूर नहीं हैं, एक एक घर पर दो-दो टी० वी० एनटिना लगे हैं । मैंने उस समय भी यह प्रश्न इस लिए उठाया था कि जो कालोनीज मजदूरों के लिए बनी हुई हैं, परन्तु वहां मजदूर न रह कर उच्च वर्ग के आदमी रहते हैं, तो उन्हें तुरन्त खाली करवाया जाय । मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को कालोनी से तुरन्त हटाया जाय और मजदूरों को कालोनी दी जाय ।

अन्त में मैं मान्यवर, मोदी नगर के मजदूरों की बात कहता हूं । माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था । 4 फरवरी, 1984 को कि तमाम निकाले गये मजदूरों को रख दिया जायेगा, परन्तु आज माननीय मंत्री जी के आश्वासन का उल्लंघन हुआ है । माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि मोदी नगर में ताकत के बल पर मजदूरों को किस प्रकार कुचल गया, किस प्रकार उनके ऊपर लाठी-चार्ज करवाया गया और किस प्रकार कितने लोग गोली से मारे गए और कितने तादाद में मजदूर बेकार पड़े हुए हैं ।

माननीय मंत्री जी के आश्वासन का उल्लंघन हो रहा है । आज मजदूरों से वायदे-पत्र भरवाकर उन्हें नपुन्सक बनाया जा रहा है । वायदे-पत्र में लिखा जा रहा है कि आज से हम भविष्य में कभी हड़ताल नहीं करेंगे और जो हड़ताल हमने की थी, वह गैर-कानूनी थी और गलत थी । इस प्रकार के वायदे-पत्रों को भरने के बाद उन्हें वापस लेने की बात हो रही है । माननीय मंत्री जी यह एक इन्तहाई अहम मामला है । इस प्रकार के वायदे-पत्रों को उनसे भरवा कर आपके आश्वासनों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो इस सदन में आपके द्वारा दिया गया था । माननीय मंत्री जी आपके वायदे के अनुसार मजदूरों को फौरी काम पर वापस लिया जाना चाहिये । मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में जो मेरे अन्य साथी बोलेंगे, वे अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे और मैं उन लोगों का मशकूर हूं ।

*श्री सुन्दर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्राविधिक शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारे विद्वान प्रतिभाशाली श्रम मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, सराहनीय है । इसमें नयी-नयी योजनाओं की भी उन्होंने घोषणा की है । मान्यवर, जहां तक श्रमिकों के वेतन और उनकी दैनिक मजदूरी का प्रश्न है, देखने में आया है कि सरकार द्वारा जो मजदूरी मजदूरों के लिए तय की जाती है वह बाजार रेट से कम होती है । आज बाजार में कोई भी मजदूर 10 रुपये से कम पर नहीं मिलता है, जबकि सरकारी रेट 6 रुपये और 7 रुपये है ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने गरीबों और श्रमिकों के लिए सबसे पहले, उनका जो सूत्र है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए सारे कार्य सुनिश्चित किए हैं।

मान्यवर, श्रम मंत्री जी ने, जब भी कोई ऐसा मौका आया है, जब भी कोई पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में विवाद उठा है, तो इन्होंने सदैव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शोषितों का साथ दिया है, गरीबों का साथ दिया है और श्रमिकों का साथ दिया है, पूंजीपतियों के पक्ष में कोई कभी निर्णय नहीं दिया है ।

माननीय, हमारे माननीय आजम साहब ने बहुत बड़े मनमोहक उपन्यास की तरह मजदूरों की कहानी सुनायी, एक अरण्य रोदन किया और घड़ियाली आंसू श्रमिकों के लिये, मजदूरों के लिये बहाये । लेकिन, माननीय, मैं कहना चाहूंगा कि लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, यह बड़े-बड़े साहूकारों और बड़े-बड़े किसानों का संगठन है, यह उन्हीं का हितैषी हो सकता है, कभी मजदूरों और श्रमिकों का हितैषी नहीं हो सकता है । केवल माननीय प्रधान मंत्री के बोस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कांग्रेस आई० दल और यह सरकार ही गरीबों की, शोषितों की, मजदूरों की, श्रमिकों की भलाई की बात सोच सकती है, इसके अलावा और कोई अन्य दल इनका हितैषी नहीं है । तो माननीय मैं इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही साथ माननीय, अपने जनपद के लिये दो शब्द कहना चाहता हूं ।

माननीय, जनपद बहराइच कई सदियों से उपेक्षित रहा और यह बराबर होता रहता है । माननीय, हमारे पड़ोसी जनपद गोंडा के लिये यह सौभाग्य की बात है कि वहां के कर्मठ सांसद श्री आनन्द सिंह के अथक प्रयास से और वहां के विधायकों के सहयोग से, वहां एक टेलीफोन इंडस्ट्री, लगभग 165 करोड़ रु० की लागत से लग रही है । लेकिन, माननीय, उसी के पड़ोसी जनपद बहराइच के अन्तर्गत आज तक एक पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट भी नहीं खोला गया है । धन सम्पदा में, दलहन में, तिलहन के उत्पादन में हमारा जनपद आगे है । वहां की 25 लाख की करीब आबादी है लेकिन, वह और मामलों में पिछड़ा हुआ है और सदैव उपेक्षित होता रहता है ।

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि शासन जनपद बहराइच में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने की घोषणा करें और मेरे विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में एक पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा करें । इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय आज प्राविधिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है देश को और प्रदेश को । माननीय, 12 करोड़ की आबादी वाले हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां कि लगभग 10 लाख पढ़े लिखे नौजवान हर वर्ष नौकरी की तलाश में मारे-मारे घूमते हैं, अगर प्राविधिक शिक्षा का प्राविधान हर जनपद में, हर तहसील में कर दिया जाय, तो जो बेकारी की समस्या है, वह कुछ हद तक समाप्त हो सकेगी । माननीय, यह सराहनीय बात है कि माननीय मंत्री जी ने इसकी बाबत घोषणा भी की है ।

मैं, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहराइच जनपद में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना एवं विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में एक पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की स्थापना की मांग पर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

समय बहुत कम है । इसलिए माननीय सदस्य 5-5 मिनट में अपनी बात कहेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, मैं प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये और इस सरकार की श्रम विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिये आपकी अनुज्ञा से बोलना चाहता हूं ।

माननीय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जिस मनहूसियत में यह बजट पेश किया है, वह उनके दिल की कैफियत को उजागर करता है। माननीय श्रम मंत्री सुनील शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र हैं। माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री होते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जब उनकी अंतरात्मा के विरुद्ध एक मामला पेश हुआ था। रेल दुर्घटना का। लेकिन, मैं माननीय आज इनको इनकी नैतिकता पर चुनौती देता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके नीति निर्देशों की अवहेलना हुई है मोदीनगर में की नहीं ? आज मोदीनगर एक ऐसी नजीर बना हुआ है, जिसमें शासन की नीति और निर्देशों की अवहेलना हुई है। आज कब्रिस्तान बना हुआ है मजदूरों के हितों का वह मोदीनगर। माननीय, माननीय मंत्री जी को अपनी नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वह अपनी नीतियों और निर्देशों का वहां पालन नहीं करा सकते और जो परिस्थिति वहां विद्यमान है, उसका निराकरण नहीं करा सकते।

माननीय अधिष्ठाता जी, इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए समर्पित नेता श्री सुरेन्द्र मोहन ने अनशन किया तो श्रम मंत्री जी ने मध्यस्थता करके सब मामलों को तय कराया। विडम्बना यह है कि मजदूर के प्रतिनिधि को उप-श्रमायुक्त अंग्रेजी में पत्र लिख रहे हैं कि जो मजदूर काम पर जायेंगे तो उनसे ये शपथ ले रहे हैं कि वह काम पर सब्स्टीट्यूट मजदूर के रूप में जायेंगे। यानी जो उनकी पुरानी सेवायें हैं उनको वे समाप्त करके नये रूप से उनको काम पर ले रहे हैं साथ ही जो न्यायालय में उनके विवाद हैं उन पर वे अमल नहीं देंगे।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वि० बीसों सालों से काम करने वाला मजदूर जो मोदीनगर का है। वह सब्स्टीट्यूट फार्म पर दस्तखत करके काम पर जायेगा ? और क्या वह यह सब मामले विवाद के और मुकदमे वापस ले लेगा ? माननीय मंत्री जी ने खुद उनके मुकदमों को न्यायालय में भेजा है। आपने मजदूरों को नपुंसक बना दिया है। आपने आश्वासन दिया था कि जितना भी मजदूरों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वे पेरोल फार्म भर देंगे तो उनको छोड़ दिया जायेगा। क्या उनको छोड़ा गया ? मैं माननीय श्रम मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज जो स्थिति मोदीनगर की है, वह स्थिति आज सारे प्रदेश की है परन्तु पता नहीं क्यों मजदूर आपका मीठा भाषण सुन कर और आपकी मधुर मुस्कान को देख कर मजदूर नेता कुण्ठित हो गये हैं। परन्तु अब वे स्ट्राइक करने जा रहे हैं परन्तु आप बीच में पड़ जाते हैं और समझौता करते हैं मगर आपके एक भी आदेश का पालन श्रम विभाग ने नहीं कराया है, यदि कराया हो तो आप मुझे बतला दें।

घुघली चीनी मिल के मजदूरों के विषय में गत वर्ष आपने कहा कि 24 मजदूरों को रखा जायेगा, जबकि पहले भी तीन मजदूरों को ही रखे जाने की समस्या थी। दो समझौतों का पालन नहीं हुआ और आप 100 मजदूरों को भर दिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहीं पर खड़े होकर कहा था कि शासकीय मन्त्रणादाता बी० बी० चतुर्वेदी से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस बी० बी० चतुर्वेदी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ? जब कि सैकड़ों भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप उनके विरुद्ध गत वर्ष ही लगाये गए थे।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो श्रम न्यायालय की स्थिति है, उसे आप जानते हैं। हमारी यूनियन के महामंत्री एवं संयुक्त मंत्री को डिसमिस कर दिया गया। हम बहाली का मुकदमा लड़ रहे हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश के सभी आदमी को संवैधानिक अधिकार है कि अगर उसे अपने काम से हटा दिया जाता है या कोई अन्याय किया जाता है तो उसके लिये वह कानून की शरण ले सकता है। इसी प्रकार से जब मजदूर को डिसमिस कर दिया जाता है तो वह अपने स्टे के लिये अदालत में क्यों नहीं जा सकता। बीसों साल से काम करने वाले मजदूरों के मुकदमें लम्बित पड़े हुए हैं। पैरवी के बिना पर। अगर पैरवी हो जाती है और फैसला पक्ष में नहीं होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ता है। इसलिये श्रम कानून में आप परिवर्तन कीजिये। आपके आदेशों का पालन विभाग नहीं कर रहा है या तो आप अपने आदेशों का कड़ाई से पालन कराइये नहीं तो ऐसे अकर्मण्य लोगों को आप अपने विभाग से हटाइये अगर उन्हें आप दण्डित नहीं कर सकते हैं, तो स्वयं त्याग-पत्र देकर हट जायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं हास्टल फार वर्किंग वूमेन, गोरखपुर के लिये जो प्रस्ताव है उस पर बल देते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसे आप क्रियान्वित कराने का कष्ट करें। इसी प्रकार घुघली में श्रम कल्याण केन्द्र का भी प्रस्ताव पुराना है, उसे भी खोलवा दें।

मान्यवर, कानपुर में जो श्रम न्यायालयों का केन्द्र है उनको डिसेन्ट्रलाइज आप करें और गोरखपुर में भी उनकी स्थापना करें, जिससे मजदूरों को सस्ता न्याय मिल सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि मजदूरों के जो मामले हैं वह श्रम न्यायालय में कितने दिनों में निर्णित कर दिये जायेंगे। मोदीनगर का मामला माननीय मंत्री जी के सामने चुनौती है। इस प्रदेश के श्रम संगठनों पर माननीय मंत्री जी का निर्देशन चलेगा या उनके मालिकों का। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर विकास हो और इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिले। साथ ही साथ श्रमिकों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था जिससे वह मेहनत और मजदूरी करके प्रदेश के आर्थिक विकास में अपना योगदान सही तरीके से दे सके। श्रीमती इंदिरा गांधी का यह शासन इस बात के लिए कटिबद्ध है और उसी दिशा में हमारे श्रम मंत्री श्री सुशील शास्त्री जी ने जब से श्रम विभाग को सम्भाला और आज जो बजट प्रस्तुत किया है उससे एक नयी दिशा प्रदेश को मिली है। निश्चित रूप से यह बजट मील का पहला पत्थर है। मान्यवर, मैं अभी अपने विरोधी पक्ष से सम्मानित विधायकों के कटौती के प्रस्तावों को सुन रहा था इससे ऐसा जाहिर हो रहा था कि सचमुच उनके हृदय में श्रमिकों के प्रति पीड़ा उभर रही है और यह वे उनकी दयनीय स्थिति को महसूस कर रहे हैं। निश्चय ही वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्यवर, मैं उनके शासन की तरफ उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जब मजदूरों पर गोलियां चलीं, मजदूर घायल हुए और जब इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने अकबरपुर कताई मिल

में गोली काण्ड के सम्बन्ध में विरोध पक्ष की ओर से एक काम रोको प्रस्ताव रखा था उस समय माननीय बनारसी दास जी का वक्तव्य और माननीय राम नरेश यादव ने जो हाई पावर कमेटी में आदेश दिये हैं यदि उनको देखा जाय तो वह इस बात का प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोक दल जो मुंह विवाह कर बैठी है। वह श्रमिक विरोधी दल है और यहां आंसू बहा रहे हैं। मान्यवर, अब मैं 2-3 बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पहला वह कि प्राइवेट सेक्टर तक में तो श्रमिकों का शोषण हो रहा है और सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। पब्लिक सेक्टर में भी श्रमिकों का शोषण हो रहा है उनको भी हम रोक नहीं पा रहे हैं तब किस प्रकार हम प्राइवेट सेक्टर में श्रमिकों के शोषण को यह सरकार कैसे रोक पावेगी। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में 16 फरवरी, को एक बैठक भरती का मानक तथा अनियमित कार्यों को तय करने को हुई और उसके बाद 5 मार्च को माननीय श्रम मन्त्री जी की अध्यक्षता में मीराबाई गेस्ट हाउस में बैठक हुई। और जिस समय यह तय किया जा रहा था कि कताई मिलों में भर्ती का मानक क्या होगा तो उसी समय अकबरपुर की कताई मिल के प्रबन्धक भर्ती कर रहे थे और इस प्रकार वे शासन को चुनौती दे रहे थे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के श्रम सचिव के दस्तखत से 21 जुलाई, 1983 को कताई मिलों के बारे में एक आदेश निकाला है जिसमें उन श्रमिकों को जो दो वर्षों से अधिक कार्य करते हो गये हैं उनको मिल के एक्सपेंशन के समय पहले रेगुलर कर दिया जायेगा। लेकिन आज भी उन कताई मिलों में वह व्यवस्था लागू नहीं हुई है। उन लोगों के साथ शासन के आदेशों का उल्लंघन करके नई भरती की गई है। अकबरपुर की कताई मिल के मजदूर शासन की तरफ से दिये गये आदेशों के अनुपालन की प्रतीक्षा में ही बैठे रहे, उनको रेगुलर नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ही जो कैजुअल लेबर हैं उनकी मजदूरी सत्यनरायत शुक्ल एवार्ड ने 10 रुपये निर्धारित की थी। लेकिन आज भी राय बरेली, मऊ में, बाराबंकी में संडीला में, प्रतापपुर में, झांसी में जो चीनी मिल के मजदूर हैं उनको मजदूरी आज भी साढ़े छ रुपये से ज्यादा नहीं मिल रही है इसके सम्बन्ध में इस सदन के मेरे द्वारा एक संकल्प भी लाया गया था जिसका समर्थन सभी विधायकों ने इस सदन में किया था किन्तु उनका भी अमल दरामद नहीं करा सके।

मान्यवर, तीसरी बात मैं जो सेवायोजन कार्यालय हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। श्रीमन्, वहां पर मेरी समझ में दो प्रकार के शिक्षित बेरोजगार अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। एक तो वे हैं जो ऐसे परिवारों से सम्बन्धित जिनके पास साधन हैं। खेती भी है, और धन्धे भी हैं, मगर उनके लड़के आगे नहीं पढ़ सके हैं जबकि उनके मां-बाप उन्हें पढ़ाना चाहते थे ताकि वे पढ़-लिखकर किसी अच्छी सर्विस में आ सकें। दूसरी प्रकार के वे शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं है, जिनके माता-पिता किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कराया है। उन्हें भी उसी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सेवायोजन दफ्तरों में दो किस्म के रजिस्टर बनाये जायें। एक रजिस्टर उनका अलग हो जो भूमिहीन हों, ऐसे परिवार से आते हों जिनके पास खाने-पीने का कोई सहारा न हो ऐसे लोगों को ऐसे नवयुवकों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाय जिनका समाज में कोई राजनैतिक सहयोग न हो अर्थात् जिनकी कोई राजनैतिक ऐप्रोच न हो और जिनके पास कोई साधन रोटी कमाने का न हो। दूसरा रजिस्टर उनका हो, जो इस श्रेणी में न आते

हों। यह मेरा सुझाव है। आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे।

अब मैं प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपने यहां के स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, जिला फैजाबाद में डिस्ट्रिक्ट प्लान की बैठक के समय एक प्रस्ताव पास हुआ था कि अकबरपुर में एक प्राविधिक शिक्षा संस्थान (महिला) को कायम किया जाय। यह प्रस्ताव शासन के पास आ चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुपूरक बजट में माननीय मन्त्री जी अकबरपुर में इसकी स्थापना के लिए प्राविधान करने की कृपा करेंगे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं महिला प्राविधान शिक्षा, लखनऊ के अन्तर्गत निरंतर यह बात आ रही है कि वहां पर किस तरह से अनियमिततायें हो रही हैं, पक्षपात हो रहा है। लखनऊ प्राविधिक एक प्राविधिक शिक्षण संस्था है जिसमें एक महिला को जो कि बिलकुल अयोग्य हैं, प्रिंसिपल के पद पर बैठाया गया है। उनके लिये नियमों का उल्लंघन किया गया है जिसकी वजह से योग्य पात्रों को हाई-कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। इसी सम्मानित सदन के 50 विधायकों ने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्य मन्त्री को लिखकर भी दिया है और इस बात की रिपोर्ट भी आ गई है जो वहां पर इस तरह से नियुक्ति की गई है वह पक्ष-पातपूर्ण हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसे देखें। शिक्षा जगत में अगर अयोग्य व्यक्तियों को बिठाया जायेगा तो शिक्षा से जो उम्मीद की जाती है, उससे जो समाज उम्मीद करता है, वह पूरा नहीं हो पायेगा। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आज श्रम विभाग के बजट पेश हुआ है। श्रम का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि जो लोग श्रम करेंगे, अपना हाथ पैर चलाकर मेहनत करेंगे, पैसा कमायेंगे जिससे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। इसका मतलब यह है कि जो श्रमिक हैं उनकी पूंजीपतियों के शोषण से, पूंजीपतियों के दमन से श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाय। इसीलिये हर लोकतान्त्रिक और कल्याणकारी राज्य में श्रम विभाग होता है। यहां तक कि अमेरिका तक के जैसे देश में जो कि एक पूंजीपति देश है वहां पर भी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये श्रम विभाग है। लेकिन यहां के श्रम विभाग दलाली विभाग है जो पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने में लगा है और पूंजीपतियों से पैसा खाने लगा है आपका श्रमायुक्त और डी0 एल0 सी0 पैसा खाने में लगे हैं उनकी लड़की की शादी में मोदी ने 3 लाख रुपया दिया है। माननीय मन्त्री जी आप को इस विभाग का मन्त्री इसलिये बनाया गया है कि आप उनका कल्याण करेंगे। आप देखने में अच्छे लगते हैं और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं और यह बात भी आपके साथ जुड़ी हुई थी कि आप ईमानदार भी हैं आप ऐसा करें जिससे जनता को लगे कि आप इमानदार हैं।

लेकिन आपने जो मोदीनगर के मामले में कमजोरी दिखाई है उससे आप की इमानदारी पर आंच आती है। सारे मजदूर कहते हैं कि यह विभाग पूंजीपतियों से मिला हुआ है। आप के और प्रेममोहन जी के बीच समझौता हुआ उसमें हम लोग भी मौजूद थ और आप ने कहा था कि 350 मजदूरों को काम पर लिया जायेगा लेकिन आज तक एक भी मजदूर काम पर नहीं लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनरवलोकन नहीं किया।

गया है। मजदूर वहां जाता है उन्हें अन्दर घुसने नहीं दिया जाता है, वहां पर गुण्डई होती है। उनसे कहा जाता है कि बदली में लिया जायेगा। तो बदली का मतलब क्या होता है कि आप सबसीटयूट बन जाओ। इसका मतलब हुआ कि सारे मजदूर बेकार हो जायेंगे। उनको बदली कर्मचारी बनाने की बात की जा रही है। मोदी ने एक शपथ-पत्र छापा है जिसको मजदूर को भरकर देना होता है, उसमें लिखा है कि "मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करूंगा जिससे कम्पनी के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।" तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई आन्दोलन नहीं करूंगा, कोई संघर्ष नहीं करूंगा और तुम्हारे दमन और शोषण के आगे झुका रहूंगा। जब मामला न्यायाधिकरण के हाथ में है तो यह शपथ-पत्र भराने का क्या मतलब है, उनको इसका क्या अधिकार है। आपको इन सारी बातों पर सोचना चाहिये। आपके डी0 एल0 सी0 और दूसरे लोग मिले हुए हैं।

मैं अभी गाजियाबाद गया था वहां कलेक्टर के घर में मीटिंग हुई थी जिसमें कलेक्टर मौजूद थे। मोदी नगर के मजदूर 19 तारीख को नाम पर जाना चाहते थे तीन किश्तों में जाना चाहते थे जो कि शर्त थी

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे अभी 3 मिनट नहीं हुये। लेकिन उसका पालन नहीं होने दिया गया। मजदूर नेताओं को भीसा में बन्द कर रखा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वायदा किया था कि उनको छोड़ दिया जायेगा लेकिन वह नहीं किया गया।

मान्यवर, यह सारा विभाग भ्रष्टाचार में आज डूबा हुआ है। मोदी जैसे भ्रष्ट पूंजीपति से मिल गया है। मैं बताना चाहता हूं कि आपके श्रमायुक्त का सगाभाई मोदी के यहां नौकर है उसके टुकड़ों पर पल रहा है। डी0 एल0 सी0 की लड़की की शादी में उसने 3 लाख रुपये दिये हैं। तो इन सब को लात मार कर हटाइये नहीं तो मोदी नगर की जनता अपने आप फैसला करेगी और वहां आन्दोलन होगा, घेराव होगा, सड़कों पर लोग आयेंगे जिससे वहां की शान्ति व्यवस्था भंग होगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी माननीय मन्त्री जी यह आप समझ लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत श्रम-कल्याण, श्रम सेवायोजन एवं प्राविधिक शिक्षा के अनुदानों के समर्थन में बोलने का समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

मान्यवर, यह एक "पैम्फलेट प्राविधिक शिक्षा अब और आगे" हमें मिला है उसको देखने के बाद माननीय सदस्यगण स्वयं ही माननीय मन्त्री जी की प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने प्रथम पैरा में प्रस्तावना में ही कहा है "प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि में विज्ञान एवं टेक्नालोजी के प्रमुख महत्व के कारण रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गयी है। इसे दृष्टिगत रखते हुये विगत वर्षों में प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के विकास, सुदृढ़ीकरण तथा एकीकरण का प्रयास किया गया है।"
और आगे अन्त में लिखा है—"अतएव अब यह आवश्यक हो गया है कि प्राविधिक शिक्षा को तथा उसके लाभों को भी सभी क्षत्रों तक प्रसारित किया जाये, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सके तथा प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित हो जो रोजगार प्राप्त करें

स्वरोजगार स्थापित करें तथा राष्ट्रीय समृद्धि में सम्पर्क सहयोग दें ।

मान्यवर, इस पैरे को पढ़ने के बाद आशा लगी थी कि मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जिसमें असंतुलन रहे तो जब आप ने प्राविधिक शिक्षा, डिग्री स्तरीय प्राविधि शिक्षा के बारे में चर्चा की पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों की बढ़ोत्तरी की चर्चा की, नये पालीटेक्निकों की स्थापना की चर्चा की और जौनपुर, बाराबंकी, देवरिया, एटा, खीरी, बदायूं, जालौन, बहराइच, प्रतापगढ़, फतेहपुर, उन्नाव और बांदा आदि जगहों पर जो व्यवस्था की है उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं । लेकिन जहां आप कृपालु रहे, जहां आप का व्यक्तित्व ऐसा है जिससे कि माननीय सदस्यों की समस्याओं का आप निराकरण करते हैं वहीं मैंने पूरी पत्रिका को देखा तो मुझे अपने इटावा जनपद के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिला । क्या मैं आशा करूं कि 13 जिलों के अतिरिक्त जो जिले रह जाते हैं चूंकि असंतुलन दूर करना है इस दृष्टि से आप आगे बढ़ेंगे तो अजीतमल क्षेत्र जो शिक्षा के लिये प्रसिद्ध है वहां एक पालीटेक्नीक संस्था की स्थापना की घोषणा आज सदन में करेंगे और औरैया में आई0 टी0 आई0 की जो घोषणा की गयी थी इस संस्था को खोलने की, तो उसकी भी आप यहां घोषणा करेंगे ।

मान्यवर, अब मैं सदन का ध्यान विशेष बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि चयन समिति जो 1975 में बनी थी और जिसको 1979 में भंग कर दिया गया । तो जब चयन समिति नहीं है तो चयन की प्रक्रिया कैसे सम्भव होगी फिर वह चाहे रोजगार के सम्बन्ध में हो या आरक्षण नीति के सम्बन्ध में हो । इसलिये सुझाव और मांग है कि चयन समितियों को पुनर्जीवित करने की घोषणा तुरन्त आज करें ।

मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि एक घूर्मा योजना थी जिसमें 400 मजदूर कार्यरत थे जिसको तोड़ दिया गया । इसमें पूर्वांचल के 400 मजदूर काम करते थे । इसलिये मांग है कि इस घूर्मा योजना को लागू करने की आज घोषणा करें तो बड़ी कृपा होगी ।

मान्यवर, समय थोड़ा है उसको देखते हुए मैं कम शब्दों में ही कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो ब्लाक स्तर तक पहुंची है और एक मोबाइल यूनिट कायम हो चुकी है जिसके लिये आप बधाई के पात्र हैं लेकिन निवेदन है कि रुपये लेकर किसी के नाम न भेजे जायं, इस पर आप रोक लगायें तो अच्छा होगा ।

अब मान्यवर, मैं बन्धुआ मजदूरों की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी दुर्दशा हो रही है, इसलिये मांग है कि बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये । 20 सूत्री कार्यक्रम में जिसका संदर्भ दिया गया है । मेरा निवेदन है कि उसको विशेष रूप से आप देखें और इन सभी चीजों को देखकर आज का जो क्रान्तिकारी बजट रखा गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और श्री मुख्तार अनीस जी जैसे लोगों से कहना चाहता हूं--कि,

हम सफाये हस्ती से मिटाए न गये,
मानिंद चरागों के बुझाए न गए,
दुनियां ने तो चाहा था मिटाना
हमको,
लोहे के चने थे जो चबाए गये ।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत अफसोस के साथ श्रम विभाग की इन अनुदानों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसका विरोध करना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित श्रम मंत्री थे, उनके प्रति मेरी कोई अच्छी राय नहीं थी, उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ, तमाम अवरोधों के होते हुए भी मोदनगर के मजदूरों का मामला बहुत शीघ्रता से तय कर लिया था, लेकिन आज हमारे जो श्रम मंत्री हैं, जो बहुत विनम्र समझे जाते हैं और अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी विनम्रता इस हद तक जाती है यह हर मजदूर के सवाल पर मालिकों के सामने विनम्रता पूर्वक झुक जाते हैं। इसी आदरणीय सदन में एक बार नहीं अनेक बार सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि रासुका के अन्दर मोदीनगर के जो मजदूर नेता बन्द हैं, यदि वे आवेदन पत्र दें तो उनके ऊपर विचार किया जा सकता है, उनकी रिहाई की जा सकती है। परन्तु इस स्पष्ट आश्वासन के बावजूद, इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने जब उनको उनके पैरोल का आवेदन-पत्र दिया, तो आज तक उनकी रिहाई के बारे में प्रदेश सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी है।

सदन में जब इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने की बात होती है तो कह देते हैं कि सुरेन्द्र मोहन से हमारी बात हो गई है और आज जब उठाना चाहा तो उन्होंने कहा हमारी उनसे बात हो गई है। तो यह अनवरत टालमटोल का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आज इनको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि मोदीनगर के 7 हजार मजदूर जो पिछले 4 महीने से बेकार पड़े हुए सड़कों पर घूम रहे हैं उनके बारे में वह क्या करने जा रहे हैं, उनकी समस्या को कैसे सुलझाने जा रहे हैं, जिससे मजदूर काम पर आ सकें और वहां पर पूर्ण औद्योगिक शान्ति स्थापित हो सके। मोदी किसी की सुनता ही नहीं है, उसकी मनमानी और निरंकुशता इतनी बढ़ गई है कि लगता है उसने अपने यहां हर मंत्री को परोल की हस्ती से उन मजदूरों को बेरोजगार करने के लिए भर्ती कर लिया है। इसलिए मंत्री जी साफ तौर पर इस वक्त उसके बारे में बतायें

कानपुर अपने प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है एक जमाने में हिन्दुस्तान के चार बड़े औद्योगिक नगरों में से एक वह था। लेकिन आज वह औद्योगिक दृष्टि से किस स्थान पर पहुंच गया है और अधिक वह पिछड़ता जा रहा है। आज वहां जे0 के0 की तीन-तीन इकाइयां पिछले-तीन-तीन वर्ष से बन्द पड़ी हैं। सरकार से उनके चलाने की बात हो गई है और सरकार कहती है कि उनको चलाया जाएगा, लेकिन उसकी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। इसी तरह बिड़ला साहब की एक इकाई "भारत लीडर प्रेस" दो वर्षों से बन्द पड़ा है। मैंने उसके बारे में भी प्रश्न यहां उठाया था। उस पर इसी सदन में कहा गया कि शास्त्री जी का एक कमीशन नियुक्त हो गया है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार इसको चला दिया जाएगा और मजदूरों की भी उसमें, प्रबन्ध में साझेदारी होगी। सरकार ने उस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाये हैं और इसके फलस्वरूप उसके 600 मजदूर बेकारी और भुखमरी का शिकार होकर आज दूसरी रोजी तलाशने के लिए विवश हैं।

इस सरकार की कोई भी नीति मजदूरों के बारे में नहीं है। आप बार-बार कहते हैं कि जितने आन्दोलन पिछले बार हुए हैं, उसके मुकाबले इस वर्ष आन्दोलन कम हुए हैं। यह इसलिए कम हुए कि सरकार का रवैया मजदूरों और मिल मालिकों के बीच समझौता कराने वाला रहा ही नहीं है। आपके कारनामों से मजदूरों को आज यह विश्वास हो गया है कि यदि वह अपनी उचित मांगों के लिए आज आन्दोलन करेंगे तो उन्हें अपने काम से ही हाथ धोना पड़ेगा और उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा।

त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री, नैनी के मजदूरों की हालत भी आज वैसी हो गई है। वहां के मजदूरों को दो-दो सौ रुपया माहवार वेतन मिलता था। इस पर जब वहां के मजदूरों ने आंदोलन किया, तो एक समझौता हुआ। किन्तु जब बाद में वह समझौता लागू नहीं किया गया और आप उसे लागू नहीं करा सके तो मजदूर वहां के फिर आन्दोलित हुए। इस पर सरकार ने मजदूरों की सहायता करने के स्थान पर उनके आन्दोलन को कुचलने के लिए एक अध्यादेश के जरिये उनके आन्दोलन करने पर रोक लगा दी। एक वर्ष में सरकार का रवैया घोर मजदूर विरोधी रहा है। इसलिए सरकार इस बात की सफाई दे कि प्रदेश में मोदीनगर के जो 7 हजार मजदूर महीनों से बेकार घूम रहे हैं, उनकी समस्या को हल करने के लिए वह मोदीनगर में क्या करने जा रहे हैं।

श्री रामयश सिंह—

माननीय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे माननीय श्रम मंत्री जी के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आप के माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आशा है माननीय श्रम मंत्री जी उन पर अवश्य ध्यान देंगे और मजदूरों के साथ न्याय करेंगे।

माननीय, पिछले 4 सालों में मोदी टैक्सटायल मिल के 24 मजदूर मौत के घाट उतार दिये गये और सैकड़ों मजदूर डंडे और सरिये से मार कर असहाय कर दिए गए। 600 मजदूरों को अराजक तत्वों ने 2 साल तक काम पर जाने से रोका और वे मजदूर बेकार रहे। मजदूरों में इसके खिलाफ जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने इसका विरोध किया। तत्पश्चात् इंटक के मजदूर काम पर आए। सरकार ने अमन चैन के लिए कार्यवाही की और उनको जेल में भेजा जिससे शांति कायम हुई।....

(शोर व्यवधान)

लेकिन आज अगर उन अराजकतत्वों को काम पर ले लिया गया और जेल से छोड़ा गया तो मोदीनगर में मजदूरों और जनता का अमन चैन खत्म हो जायेगा। जो अराजक तत्व जेल में हैं, अगर उनको छोड़ दिया गया तो अमन चैन खत्म हो जायेगा।

(व्यवधान)

इन्हीं के कारण प्रोडक्शन सैबोटाज हो गया है। आज उनको फिर से काम पर लेने की बात की जा रही है....

(शोर)

यह नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

माननीय, मैंने सरकार को कई बार पत्र लिखा कि मोदीनगर में काफी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा है और उसकी सर्च होनी चाहिये। मोदीनगर की जनता के अमन चैन, मजदूरों की सुरक्षा, और प्रोडक्शन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इसका पता लगाकर ऐसे हथियारों को जब्त किया जाये। इसके लिए आप पी० ए० सी० की बटालियन भेज कर सर्च करायें और उचित कार्यवाही करें।

माननीय, मई दिवस के अवसर पर, 2 तारीख को हाइड्रो इलैक्ट्रिक इम्पलायज यूनियन के 14 पदाधिकारियों को सेवा से निकाल दिया गया। इनको बिना शो काज नोटिस दिए निकाला गया जो नैचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। सैकड़ों मजदूरों को दूरदराज स्थानों पर ट्रान्सफर करके भेज दिया गया। 50 पदाधिकारियों को बिना शो काज नोटिस दिये सस्पेंड कर दिया गया। उनको कोई नोटिस तक नहीं दी गई। यह सब नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बिना नोटिस के ही उनकी मान्यता भी समाप्त कर दी गई। मैंने नियम 51 के अन्तर्गत भी इस प्रश्न को उठाया

और माननीय श्रम मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि वे इस सम्बन्ध में न्याय करेंगे। परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरी मांग है कि इनके साथ न्याय किया जाय।

शुगर एक्वीजीशन ऐक्ट, 1971 के अन्तर्गत जिन 12 शुगर मिलों का सरकार ने अधिग्रहण किया था, 3-7-71 को अधिग्रहण किया, उसके पहले का तथा रिसीवरशिप के समय का भी, मजदूरों के प्राविडेंट फंड का, ग्रेचुइटी का बकाया, बोनस का पैसा आज तक नहीं मिला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों के उक्त पैसे को तुरन्त बिलवाने की व्यवस्था की जाये।

बाराबंकी कताई मिल के 6 मजदूरों को बिना कोई जांच किए निकाल दिया गया। इसी प्रकार सिंचाई विभाग, बरेली, के 4 मजदूरों को टरपेनटाइन में इन्टक यूनियन के अध्यक्ष को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया। यह सब नचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देकर न्याय दिलाना चाहिये।

माननीय श्रम मंत्री जी ने मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में 13 फरवरी को एक आश्वासन दिया था कि एक माह के अन्दर-अन्दर निर्णय कर देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन मंत्रियों की कमेटी बना दी है जो एक महीने के अन्दर निर्णय लेगी और मजदूरों के साथ इन्साफ करेगी। मान्यवर, जहां तक मुझ जानकारी है आज तक इस कमेटी की बैठक नहीं हुई है। मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आश्वासन के मुताबिक उसकी मीटिंग करके उसका फैसला मजदूरों को सुना दें। इसके अलावा मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज रजिस्ट्रार का दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैंने मौखिक रूप से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया है। रजिस्ट्रार के दफ्तर में कुछ लेन-देन बिना यूनियनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है। मेरी मांग है कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में सुधार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री राम यश सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुगर वाई पारटाइट कमेटी का गठन किया। उसके सर्व सम्मत निर्णय को सरकार ने गजट नोटीफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर्मचारी जो रिटायर होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिसों को नौकरी में रखा जायगा। यह 1982-83 में इम्पलीमेंट भी हो गया। लेकिन शुगर कारपोरेशन के एम0 डी0 ने इस नोटीफिकेशन के अगेंस्ट एक पत्र शुगर इंडस्ट्रीज को इसको रोकने के लिए लिखा है। अभी 3 मार्च को शुगर वाई पारटाइट कमेटी ने एम0 डी0 के इस ऐक्शन को कंडम किया है। तो यह जो एम0 डी0 ने आदेश निकाला है इसको तुरंत रुकवाया जाय। अंत में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं विनम्रता पूर्वक आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दें। समय की कमी का आप को ध्यान रखना चाहिये।

*श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, यहां पर जो बजट उपस्थित किया गया और उस पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय शास्त्री जी एक नेक इंसान हैं लेकिन चूंकि यह बड़े पूंजीपतियों की सरकार है इसलिए यहां पर कोई बजट मजदूरों के हित में पेश किया ही नहीं जा सकता है । इस धारणा को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मजदूरों को यूनियनों पर प्रतिबंध लगाने और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया गया है और मालिकों को पूरी छूट दे रखी गई है ।

मान्यवर, 300 से अधिक मजदूर जिस कारखाने में काम करते हों उसको बंद करने के लिए सरकार से परमीशन लेनी चाहिये । मान्यवर, जे0 के0 रेयन, कानपुर 16 मई, 1983 से बंद है । बगैर परमीशन के बंद है और बार-बार आश्वासनों के बावजूद भी अभी तक बंद है । अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है । मान्यवर, जो आंकड़े दिये गए हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि यह आकड़े असत्य हैं, या जानकारी का अभाव है या गलत रिपोर्टिंग के आधार पर यह आंकड़े दिये गये हैं । इसमें कहा गया है कि 94 इंडस्ट्रीज बंद की गई और 89 दूसरी संस्थायें बंद की गई हैं । इसमें जो मजदूरों की तादाद दिखायी गई है वह बहुत घटाकर दिखायी गई है । मान्यवर, जे0 के0 रेयन में 22 सौ मजदूर हैं, जे0 के0 साटो0 में 400 मजदूर केवल कानपुर में ही हैं । तो यह आंकड़े सही नहीं हैं । एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिये गए हैं तालाबंदी के और हड़ताल के उन दोनों को मिलाकर दिखाया गया है । तालाबंदी ज्यादा है अगर अलग-अलग आंकड़े दिये गये होते तो सही तस्वीर दिखाई देती ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यहां पर जो अदालतें और न्याय अधिकरण कायम किए गए हैं उनके आंकड़े दिये गये हैं । 3400 पहले के मुकदमे थे और 2400 और बढ़ गए हैं इस प्रकार से कुल 5,800 मुकदमें होते हैं । इसमें से केवल 2 हजार मुकदमों का फैसला हुआ है । तो मेरा कहना है कि यह तादाद बहुत कम है इसलिए अदालतें बढ़ायी जायें । मैं अपने नगर की ओर आपको ले जाना चाहता हूं । मऊ में सिनेमा कर्मचारियों को, 13 सिनेमा कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए अवैधानिक ढंग से निकाल दिया गया है । मैंने इसके बारे में सदन में उठाया, मांग किया, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार से मान्यवर, मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इस सरकार की तरफ से, संडीला में मजदूरों ने प्रदर्शन किया, उस पर गुन्डों ने हमला किया और पुलिस ने मजदूरों को गिरफ्तार किया । इसी तरह मेरठ में दीवान रबर फैक्ट्री के मजदूरों पर हमला किया गया, पुलिस ने फायरिंग की और मजदूरों को ही गिरफ्तार किया गया । मान्यवर, यह 3 मार्च, 1984 की बात है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, माननीय श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस प्राविधिक शिक्षा और श्रम पर जो बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, एक शेर के साथ मैं अपना भाषण प्रारम्भ करता हूं "गैरते इश्क को ये गंवारा नहीं, किस जुबां से कहूं, तू हमारा नहीं । अल्ला-अल्ला मुहब्बत की खुद्दारियां, ये वो दरिया है, जिसका कनारा नहीं ।" मान्यवर, अभी हमारे माननीय मुख्तार अनीस साहब बोल रहे थे तथा कटौती का प्रस्ताव माननीय आजम खां साहब ने रखा है । मैं यह निश्चित रूप से देख रहा था कि ये कुछ ऐसी वैसी बात कहेंगे या ठोस सुझाव देंगे, जिससे माननीय मंत्री जी को कुछ कार्य करने में सुविधा मिलेगी और कुछ नये विचार सामने आयेंगे, किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने बीड़ी मजदूरों

एवं मोदीनगर के मजदूरों को मांग को लेकर सारा समय समाप्त कर दिया। मान्यवर, यह गांधी की छत्रछाया में बैठकर जो भी हम काम करते हैं, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों महात्मा गांधी का नाम लेकर करते हैं, किन्तु उनकी कही हुई बातों का अनुसरण नहीं करते। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मीटिंग करते हुए कहा था कि शरीर के लिए जितना आवश्यक पैर है, उससे कम महत्व सिर का नहीं है। तात्पर्य यह है कि श्रमिकों के साथ-साथ पूंजीपतियों की भी आवश्यकता है। जब तक पूंजीपति नहीं होंगे, उद्योग नहीं लगेगा, फिर श्रमिक कहां से रखे जायेंगे? श्रमिक नहीं होंगे तो उद्योग नहीं चलेगा।

श्री बेरुल बशर--

ऐसे ही हिटलर भी बोलता था

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, इसलिए जरूरी है कि दोनों का तालमेल रहे। यह लोकतंत्र है। इसमें हर प्रकार के लोगों को निवास करने का का हक है। मजदूर का काम है प्रोडक्शन करना। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, फैक्ट्री मजदूरों की मां होती है और उनकी रक्षा करना मजदूरों का कर्तव्य होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी नगर में जितना भी हुआ है, उसके रचयिता ये ही हैं। सारे विध्वंश की जिम्मेदारी इन विरोध पक्ष के लोगों की है। इन लोगों ने ऐसी यूनियन का जन्म दिया है जो काम करने के बजाय इन्कलाब का नारा ही देना अपना कर्तव्य समझते हैं। ये मजदूर लीडर का नारा है--उठो, चलो और फैक्ट्री तोड़ दो। यह दुर्भाग्य की बात है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मान्यवर, ये ऐसे महान पुरुष के पुत्र हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के, जिनका हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में भी नाम है। माननीय मंत्री जी ने तमाम आई० टी० आई० कालेज खोले, तमाम पोलिटेक्निक खोले, लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश आई० टी० आई० का पैटर्न हूं? इसके नाते मुझे तमाम निरीक्षण करने का भी मौका मिला। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को पदोन्नति, उनकी वरिष्ठता के मामले तथा वेतन वृद्धि के मामले अभी रुके पड़े हैं। चतुर्थ वर्ग और लिपिक वर्ग के लिए नियमावली बनी हुई है, लेकिन उसका पालन नहीं कराया जा रहा है और अनुदेशक के पद तथा प्रधानाचार्य के पद तमाम रिक्त पड़े हैं किन्तु उस पर भर्ती नहीं की जाती। यह दुःख की बात है। इससे तमाम अच्छे कैंडर निकलते। सेवा योजन में तमाम कटिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिससे निश्चित ही बैकवर्ड क्लास और अनुसूचित जाति के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें पठन-पाठन का काम करने वालों की नियुक्ति अब भी नहीं हुई। इसलिए इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति स्थानीय आधार पर की जाती है, किन्तु यह भी नहीं हो रहा है। बाहर के लोग रख लिए जाते हैं। इसका उदाहरण बरेली में तमाम बाहर के लोग रख लिए गये हैं। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

सवा तीन तक का समय था।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

यह सम्भव नहीं है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

दूसरा बजट पेश होना है।

श्री अधिष्ठाता—

समय बढ़ा नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

एक स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के लड़के हैं और पंडित कमलापति त्रिपाठी के इतना उत्तर काफी है, बाकी कहने की क्या जरूरत है ।

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट का समय बढ़ाया जाता है ।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

प्राविधिक शिक्षा के बारे में मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं । 10 हजार व्यक्ति हर वर्ष प्रशिक्षित होंगे । इस तरह से हमारे प्रदेश के 10 प्रतिशत व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए 120 वर्ष लगेगा । इतना लम्बा समय लगेगा । मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से जो उनकी यह योजना है उसको संशोधित करें और ऐसी योजना बनायें कि आने वाले वर्ष में प्रदेश के 10 प्रतिशत लोग प्राविधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें । आज मजदूरों का शोषण हो रहा है । यह मानता हूं कि श्रम, पूंजी और रिस्क तीन चीजें मिलकर उद्योग चलाती हैं ।

श्री धरम पाल—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई है ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री धरम पाल—

यह सटीक जानकारी मुझे मिली है कि माननीय सदस्य एक मिल के मालिक हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

व्यक्तिगत आरोप न करें ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

आज प्रदेश की दुर्दशा श्रम विभाग में क्या है ? किसी भी उद्योग में मजदूरों के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, जो मजदूर निकाला जाता है उसको सरकार कोई भत्ता नहीं देती है । मान्यवर, श्रम विभाग की नियुक्तियां जिला रोजगार कार्यालय से नहीं होती हैं बल्कि लखनऊ से की जाती हैं । श्रम आयुक्त, लखनऊ से इटावा जिले के लोगों को पोस्टिंग करते हैं । बरेली में कास्ट उद्योग है । 8 स्थान खाली हैं लेकिन वह लखनऊ से भरे जायेंगे । बरेली से नहीं भरे जायेंगे । जो भरती या नियुक्ति की जाती है वह रोजगार दफ्तर जिले से होनी चाहिये । सभी उद्योगों में कैन्टीन की व्यवस्था होनी चाहिये, कपड़ा और रोटी की व्यवस्था होनी चाहिये । आज मान्यवर, कृषि मजदूरों की तरफ आप देखें । पूरब में दिहाड़ी 7 रुपया और पश्चिम में दिहाड़ी साढ़े आठ रुपये । पूरब में क्या इंसान नहीं है । उनकी दिहाड़ी साढ़े आठ रुपया होनी चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि हर जिले में हर औद्योगिक इकाइयों का स्वयं दौरा करें उनकी उपलब्धियों को पूरा करें माननीय मंत्री जी हमारे बहुत हंसमुख हैं । मान्यवर, रामपुर जनपद में एक फैक्ट्री में छः महीने तक हड़ताल रही वहां इन्होंने जाकर उद्योगपतियों के यहां इन्होंने खाना खाया और नोट से जेब भरी गई यह हाल हुआ लानत है इस सरकार पर ऐसे मंत्रि-मंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए । समाजवाद का दावा करते हैं और हैं साम्यवादी महात्मा गांधी की आत्मा धिक्कार रही है वह कह रहे हैं लानत है इन पर । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्रीमती सुमनलता--

माननीय, आपने श्रम विभाग पर प्रस्तुत अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको आभारी हूं और माननीय सदस्य आजम खां द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। माननीय, जैसा कि अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने सत्ता पक्ष के और विरोध पक्ष के सदस्यों ने कहा कि हमारे मजदूर जो वस्तव में मजे से दूर हैं बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे हैं उनके हित की बात करनी है हमारे माननीय मंत्री जी ने इस ओर पूरा प्रयास किया है और उन्होंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिससे निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि उनका विकास होगा। मैं कानपुर महानगर से चुनकर आती हूं हमारे जनपद में जहां एक ओर उद्योग के क्षेत्र में आगे है, वहीं वह मजदूरों के क्षेत्र में भी उतना ही आगे है। हमारे कानपुर शहर जहां पर नारे लगते हैं श्रमेव जयते के ऐसा हमारा महानगर है। माननीय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा जयकेरियोल मिल है, वह काफी दिनों से बन्द पड़ी है। वैसे हमने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए थे, तो उनसे बात की थी, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की थी, लेकिन आज तक उसका हल नहीं हो पाया मैं कहती हूं माननीय मंत्री जी उसको टेकओवर करने का प्रयास करें।

दूसरी बात माननीय, यह कहनी है कि जहां महिलाओं के विकास की बात होती है वहां निश्चित रूप से महिला मजदूर और शिक्षित महिलाओं की बात होनी चाहिए। शिक्षित महिलाओं में हमारे यहां की लड़कियां बालिकायें पौलिटेक्निक शिक्षा प्राप्त करती हैं। मैं मांग करूंगी कि वहां एक पौलिटेक्निक कालेज की स्थापना की जाए। जिससे वहां की बालिकाओं को ज्यादा दूर न जाना पड़े। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि स्वदेशी काटन मिल के जो मजदूर थ, उनके मुकदमों को वह उठा लें क्योंकि वह काफी परेशानी से गुजर रहे हैं, वहां के लोग परेशान कर रहे हैं। माननीय, समय बहुत कम है इसके साथ ही मैं माननीय आजम खां द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर-घोर विरोध करती हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय, कुछ जहर बड़े मीठे होते हैं। उन्हे पी लेने को जी चाहता है। माननीय, हमारे कुछ साथियों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में जिन सदस्यों ने बोला है और जिन्होंने विरोध में बोला है खासतौर से जो कटौती के प्रस्ताव के बारे में कहा गया...

श्री ऊदल--

माननीय, श्रम विभाग के अनुदान पर कम्युनिस्ट पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया। मैं बार-बार खड़ा होता रहा। इस चेयर के प्रति अविश्वास न करते हुए मैं वाकआउट कर रहा हूं। आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ मैं व्यक्तिगत तौर से वाक आउट करता हूं।

(श्री ऊदल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय, यहां तो सत्ता पक्ष के साथी पहला जुमला यही कहते हैं कि कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, लेकिन जो बन्डल था, उसका लेबिल यह है कि विरोध कर रहा हूं लेकिन सारी बात उन्होंने वही कहीं जो मैंने कही थीं। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इसे चैलेंज के तौर पर कबूल किया कि अकबरपुर में साढ़े दस रुपये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, लेकिन रायबरेली में सवा छः रुपय मिलता है। जो सरकार दो जिलों में मिलने वाली मजदूरी को बराबर न कर सकी, जो सरकार प्रधान मंत्री के क्षेत्र में पूरी मजदूरी भी नहीं दिला सकी, क्योंकि पूरे प्रदेश की नजर वहां पर है, वह सरकार और उसके मंत्री पूरे प्रदेश के मजदूरों के साथ क्या इंसाफ कर सकते हैं।

माननीय, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से मजदूर ऐसे हैं, इस सम्बन्ध में मैंने दो साल पहले भी कहा था कि कपड़ा मजदूरों, लोहे के मजदूर, झल्ली ढोने वाले मजदूर, आदि अनेक ऐसे मजदूर हैं जिनके लिये आपने कोई रास्ता नहीं निकाला है। अपने ईंट, भट्ठे के मजदूरों के लिये एक रास्ता निकाला था और उसी रास्ते से इन सब मजदूरों को भट्ठे में झोंक दिया। ईंट, भट्ठा मजदूरों ने डेढ़ साल काम नहीं किय। उनको कोई पैसा आप नहीं दिला सके, कोई इन्साफ नहीं दिला सके। उनके मालिकान ने उन्हें भट्ठे से निकाल दिया और कर्ज के नाम पर बर्तन तक छीन लिये उनके मालिकान ने उन्हें भट्ठे में झोंक दिय और आप कहते हैं इन्साफ दिलवाया है।

मैंने दो साल पहले कहा था कि हजारों लाखों मजदूर हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनका कहीं कोई इन्रोलमेंट नहीं है। होटल में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, झल्ली ढोने वाले मजदूर आदि अनेक करोड़ों मजदूर हैं जिनका कहीं इन्रोलमेंट नहीं है। सरकार को इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये बूढ़े हो जाते हैं तो कहां जाते हैं, किस तरह से रोज खाते हैं, माननीय, इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वृद्धावस्था पेंशन का जो सुझाव रखा गया है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। पेंशन का कोड़ा कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। मंहगाई को देखते हुए 60 रुपये की जगह 100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की जरूरत है।

माननीय, यूनिसेफ का एक सर्वे हुआ है उसके तहत हमारे देश में 10 करोड़ बच्चे बन्धुवा मजदूर हैं, उनमें से 50 प्रतिशत बच्चे हमारे प्रदेश के हैं। उसके बिलकुल विपरीत हमारी कांग्रेस सरकार का दावा है कि बन्धुवा मजदूरी समाप्त कर दी गयी है। माननीय मंत्री जी हो सकता है कि अपनी मोटर से न उतरते हों या नहीं होटल में बैठकर चाय पीने का मौका न मिलता हों, लेकिन माननीय मंत्री जी लखनऊ की सड़कों पर देखें तो 25 प्रतिशत ऐसे लोग मिलेंगे, जो बच्चे हैं और रिक्शा चलाते हैं जो नाबालिग हैं, जो नाबालिग होटलों में काम कर रहे हैं, जो नाबालिग अपने सिरों पर ईंटों का बोझ ढोते हैं, उनमें 25 प्रतिशत इसी प्रदेश के हैं यह तमाम तमाशा इसी शहर में देख सकते हैं। इसके बावजूद भी आप दावा करते हैं कि हमने बंधुवा मजदूर खत्म कर दिया है। ये जो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये बंधुवा मजदूर नहीं बल्कि बंधुवा नाबालिग मजदूर हैं। आज इनकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, परन्तु इन नाबालिग मजदूरों से काम लिया जा रहा है।

श्रीमन्, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत नौजवानों को, जो 10 वीं कक्षा तक पढ़े हैं या इसके ऊपर, उन्हें लोन देने का काम हो रहा है। मसलन किसी को 10 हजार रुपए मिल रहा है, आपका जो इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट है और आपका जो इम्पलायमेंट एक्सचेन्ज है जब तक उन नौजवानों से अपना प्रतिशत तय नहीं कर लेता है, उन्हें लोन की सुविधा प्राप्त नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री आजम खां जी अभी माननीय मंत्री जी को भी कुछ कहना है, इसलिए आप वक्त का ध्यान रख

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज हमारे प्रदेश में और देश में मजदूरों की जो हालत है, उस पर इस पक्ष के और सत्ता पक्ष के--दोनों तरफ के लोगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, वह कांग्रेस के नाम से यहां पर आये हों, जनता पार्टी के नाम पर यहां पर आये हों, लोकदल के नाम पर यहां पर आये हों और या फिर बी० जे० पी० के नाम पर यहां पर आये हों, बुनियादी तौर पर हमारी सरकार की इमारत का ढांचा इन्हीं मजदूरों के कंधों पर है, जो इस प्रदेश की असल ताकत है। जिस दिन हमने मजदूरों से अपनी निगाहें फेर ली, जिस दिन मजदूरों की तकलीफों से निगाहें फेर ली, इसका मतलब यह हुआ कि हमने इन्सानी बुनियादी हकूक से अपनी निगाहें फेर ली हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है, जिनके नाम पर आज हम यहां एअर-कंडीशन हाउस में बैठे हुए हैं, जो मजदूर मेहनत-कश हैं, यदि उनके साथ हमने ऐसा सलूक किया तो हमने सबके साथ विश्वासघात किया। हमें इस प्रदेश का सही रहनुमा बनना है। यदि मोदी नगर के मजदूरों के साथ इन्साफ नहीं हुआ, तो हो सकता है कि मंत्री जी आप मोदी नगर के मजदूरों के साथ इन्साफ करने में दिलचस्पी न रखें, यह सही है कि, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, यदि उसे इन्साफ नहीं मिल पाया तो जनता उसका स्वयं इन्साफ करेगी। सच्चाई यह है कि जब इन्सान को इन्साफ नहीं मिल पाता तो वह खुद अपने हाथों के आगे बढ़ा देता है तारीख खुद इन्साफ करती है। तब उस समय आप कहेंगे कि हम आपको इन्साफ देते। आज 9 हजार मजदूरों के पास रोजी नहीं है, रोटी नहीं है और कपड़ा नहीं है, उन्हें उनके हक दिलाये जायं। मैं इस उम्मीद के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। सत्ता पक्ष के लोग और माननीय मंत्री जी मेरे इस कट-मोशन को मान लेंगे और अपने बजट को वापस ले लेंगे।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं अत्यन्त आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने श्रम, नियोजन और प्राविधिक शिक्षा के बजट पर अपने विचार प्रकट किए। मान्यवर, जहां तक एक प्रतिष्ठान मोदी नगर का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर हमारे बहुत काबिल माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी और माननीय श्री मुख्तार अनीस जी ने अपने विचार प्रकट किए। लेकिन खेद की बात यह है कि दोनों ही भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, दोनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने मजदूर वहां पर अभी बेकार पड़े हुए हैं, अभी यहां पर बताया गया कि 9 हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं यह बिल्कुल ही गलत है। मैं समझता हूं कि इस सदन का एक बहुत ही अमूल्य समय की बरबादी हुई।

जहां तक मोदी नगर के मजदूरों का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि शोर मचाकर या चिल्ला-चिल्ला कर कठोरता का परिचय नहीं दिया जा सकता है। विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि "मजदूरों के प्रति श्रममंत्री जी पेश आ रहे हैं। यह उनका एक व्यक्तिगत आक्षेप था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो भी विचार-विमर्श समय-समय पर उनके (मजदूर) नेताओं से हुआ, स्वयं उन्हीं लोगों ने उसका पालन नहीं किया। मैं इस बारे में

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

कहना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि हमारे इन दोनों माननीय सदस्यों ने, जिनका मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तब मैंने सोचा था कि माननीय सदस्यों और माननीय सदन को मैं जरूर इस बारे में अवगत कराऊंगा।

मान्यवर, जहां एक बार, जब हमारे माननीय संसद सदस्य, श्री सुरेन्द्र मोहन जी ने यहां पर भूख हड़ताल की थी, तो जब उनकी भूख हड़ताल तुड़वायी गयी थी, तो उस समय भी इस बात का साफ-साफ जिक्र किया गया था, साफ-साफ तरीके से उनको यह बताया गया था कि हम लोग दो सप्ताह के अन्दर सभी श्रमिकों को मिल के अन्दर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन, मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रमिक, 4-4, 5-5, नोटिस लगने के बाद, अखबारों में नोटिसें प्रकाशित होने के बाद भी, वहां नहीं पहुंचा।

मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि जो यह 9 हजार और 3 हजार लोगों की बात की जा रही है, इनके पीछे एक भी श्रमिक नहीं है और यह उसको नहीं रखवाना चाहते हैं। अगर यह रखवाने का प्रयास इनमें है, तो यह श्रमिकों को लाते मोदीनगर मिल गेट पर और हमारा श्रम विभाग पूर्ण रूप से उनको अन्दर करवाने का प्रयास करता। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि हम उनको मिल के अन्दर करवा लेते। लेकिन, मान्यवर कह देने से तो समस्या का हल नहीं हो जाता। यह एक गम्भीर समस्या है, इसमें हजारे 17 सौ, 18 सौ श्रमिकों की बात है, 9 हजार या 3 हजार की नहीं है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां की "बी" मिल के विरुद्ध उनके मालिकान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही चल रही है, उसकी बाबत स्टे ले लिया गया है, लेकिन वह भी स्टे वेकेट कराने के लिये शासन पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। मान्यवर, यह मामला न्यायालय में है, और आप सभी जानते हैं कि जब कोई मामला न्यायालय में होता है और जब तक पूर्ण रूप से वह कोई निर्णय न ले ले, तब तक शासन कुछ नहीं कर सकता है।

दूसरी बात, जहां तक शेष उसके बाद की बात हुई, माननीय अध्यक्ष विधान सभा के कक्ष में भी बात हुई, मैं यह बताना चाहूंगा कि उनमें जो भी निर्णय लिये गये हैं, उन सभी मामलों से वहां के श्रम विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। लेकिन मैं पुनः फिर भी बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आ रहा है और जैसे-जैसे लोग गेट पर पहुंचे, उनको अन्दर करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक रासुका की बात है, जो उसमें श्रमिक बन्दी हैं रासुका के अन्तर्गत, उनके बारे में भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बात का विश्वास दिलाया था कि जैसे ही आवेदन-पत्र दिये जायेंगे उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य रियासत हुसेन और मुख्तार अनीस साहब को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अवगत करा दिया था कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद को उस सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं।

मान्यवर, रासुका के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसमें एक समिति होती है और वह उसकी बाबत पूर्ण रूप से अध्ययन करती है, उसमें कुछ समय लगता है। तो, इस तरह से जो यह बात यहां पर कही गयी कि इसकी बाबत जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था, उसका पालन नहीं किया गया, यह बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जायज नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जितनी अन्य समस्याएं हैं मोदीनगर के श्रमिकों की, उसको दूर करने के लिये पूर्ण रूप से सरकार का श्रम विभाग प्रयत्नशील है।

मैं फिर से विनम्र निवेदन करूंगा, विनम्र शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उधर से माननीय सदस्य ने कुछ मेरे लिये कहा था। मैं फिर से विनम्र निवेदन करूंगा, फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आप मुझे आदमी दें, श्रमिक दें, जैसे-जैसे लोग गेट के पास आयेंगे, उनको अन्दर करने की बात श्रम विभाग पूरी तरह से करेगा। यह केवल कह देने से उसके लिये, जैसा कि मैंने

शुरू में कहा, समस्या का हल नहीं हो सकता है ।

श्री मुख्तार अनी :—

माननीय, मैं एक बात माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा ।

श्रीमती कमला साहनी—

आप तो पहले ही बहुत बोल चुके । अब मन्त्री जी को धैर्यपूर्वक सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनी :—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि मोदी साहब शपथ-पत्र भरवा रहे हैं ? मान्यवर, शपथ-पत्र की बाबत कोई समझौता नहीं हुआ था । मान्यवर, अगर यह शपथ-पत्र उन श्रमिकों से भरा लेंगे तो वे एक प्रकार से हो जायेंगे सबस्टीट्यूट और दूसरी बात जब न्यायाधिकरण में मामला चला गया है, तो शपथ-पत्र क्यों भराये जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री —

मान्यवर, इस सम्बन्ध में भी मैं माननीय सदस्य को बतला दूंगा । उन्होंने बीच में बोलने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की थी इसलिये मैं बैठ गया । मान्यवर, दो-तीन दिन पूर्व, होली से पूर्व इस सम्बन्ध में बात हुई थी । इस सम्बन्ध में गाजियाबाद के श्रमायुक्त को आदेश भेज दिये गये हैं, पूरी तरह से श्रमिकों के पक्ष में बात हो रही है, श्रम विभाग पूरी तरह से जागरुक है । मोदीनगर के मजदूरों को पूरी तरह से सुनिश्चित कराया जा रहा है कि वे काम पर रखे जायं । जहां तक उनकी सेवाओं की कंटीन्यूटी का सवाल है और वे इसके लिये मांग कर रहे हैं और सेवा-योजन कार्यालय नहीं मान रहा है, इसलिये श्रमिकों का मामला हमने न्यायालय में भेजा है । जब बात हमारे सामने आयी, हमने तुरन्त आदेश दिये हैं कि शपथ-पत्र पर उनसे दस्तखत न कराये जायं । मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जहां तक प्रदेशीय सरकार की बात है, शासन की बात है, हम लोगों का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है कि श्रमिकों के शोषण को रोकें और उनके हित में कार्यवाही करें और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा हम दिला सकें और जितनी सुविधा उनको हम पहुंचा सकते हैं, पहुंचायें ।

हमारे संगठनों पर जो श्रमिक कार्यरत हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमने बीड़ी उद्योग, चीनी उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में वेतन की वृद्धि की है और काफी अच्छा मात्रा में की है और जो इन उद्योगों में श्रमिक लगे हुए हैं वे इससे काफी सन्तुष्ट हैं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में 16 अतिरिक्त नियोजन जोड़े गये हैं और इनमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है । प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट क्लीनिक्स में श्रमिकों का जो शोषण हो रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया है । इसमें 16 नियोजन जोड़े गये हैं । इस समय 65 नियोजन ऐसे हैं जहां न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि 12 हजार 514 केसेज डील किये गये हैं जिसमें तीन लाख से अधिक श्रमिकों को हमने धनराशि दिलवाई है । संगठित श्रमिकों का शोषण रोकने के लिये इस वर्ष के दौरान 120 संगठन लगाये गये हैं इसमें संगठनकर्त्ता की नियुक्ति की जायेगी ताकि वे मजदूरों की कठिनाई को समझें और शासन के समक्ष उसे प्रस्तुत करें ताकि शासन उनको हल करने के लिये उस पर तुरन्त ध्यान दे सके ।

संराधन संयन्त्र के अन्तर्गत समझौते में प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और अब तक जो उन्हें 15 प्रतिशत मिलता था अब उसकी जगह उन्हें 17 प्रतिशत दिया जाता है । बन्धुआ मजदूरों के सम्बन्ध में जो अभी बात कही गयी इसमें पर्वतों पर बन्धुआ मजदूरों को 8

हजार 55 मजदूरों को पुनर्जीवित कर दिया गया है, बद में 8 का और पता चला तो उन्हें भी पुनर्जीवित कर दिया गया है। इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्र के 349 बन्धुआ मजदूरों को पुनर्जीवित किया गया है। इसके अतिरिक्त 262 व्यक्तियों को भी पुनर्जीवित किया गया है।

इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में भी मैं आपके सामने बतला देना चाहता हूं कि यह एक ऐसी योजना है कि इसके अन्दर बुजुर्ग लोगों को पेन्शन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह वर्ष जो बीत रहा है इसमें गत वर्ष की तुलना में पेन्शनरियों की संख्या में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहां 48 हजार पेंशनर थे और अब उनकी संख्या बढ़कर 60,554 हो गयी है और उनके लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपया आवंटित किया गया है।

माननीय, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्या सुमन लता जी ने महिलाओं के लिए पालीटेकनिक के बारे में कहा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1982-83 में कानपुर मे महिलाओं के लिए एक पालीटेकनिक की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसमें जुलाई 1984 से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। उन्होंने जे0 के0 रेगन के बारे में कहा, तो मैं बतना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित कर रहा है और केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री से भी सम्पर्क बना रहा है और हमें आशा है कि शीघ्र ही इसका कोई हल निकल आयेगा।

माननीय, चयन समितियों के बारे में जिक्र किया गया, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जनता शासन काल में उन चयन समितियों को भंग कर दिया गया था और उनको पुनः चालू करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है और चयन समितियों के बारे में हमारी सरकार शीघ्र ही निर्णय ले लेगी। जहां तक पालीटेक्निक का सवाल है, वह 16 जगहों पर हैं और कानपुर देहात, पीलीभीत और हरदोई में खोलने का प्रस्ताव है। माननीय, 1985-86 में देवरिया में पालीटेकनिक खोला जायेगा जो पडरौना में होगा। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जो पालीटेकनिक में मशीनरी लगी हुई है, वह अच्छी लगायी जाये। इसके लिए 1 करोड़ 47 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। माननीय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्राविधिक शिक्षा पर उसके विकास के लिए वर्ष 1984-85 के बजट में विशेष बल दिया प्रदान की गयी है। वर्ष 1984-85 में आयोजनागत परिव्यय जो प्रस्तावित है वह 13.65 करोड़ रुपया है। माननीय, यह इस बात का प्रतीक है कि प्राविधिक शिक्षा के स्तर को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए यह शासन प्रयास कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...

(व्यवधान)

श्री सुनील शास्त्री--

इसके अतिरिक्त माननीय, पोलीटेकनिक जो हमारी नई संस्थायें हैं उनके भवनों, संयंत्र एवं साज-सज्जा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1984-85 में 146.79 लाख रुपये का आवर्तक व्ययक प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही साथ श्रमिकों की जो कठिनाइयां हैं, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा, उनको ओर हमारी सरकार ध्यान ध्यान दे रही है और उनको साल्व करने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश में हमारा श्रम विभाग बहुत ही जागरूक है कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विलम्ब होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विलम्ब जान बूझकर नहीं किया जाता है, सदस्याओं के समाधान के लिये प्रयास

किया जाता है। जैसा अभी मैंने मोदीनगर और पोशा के बारे में कहा वहां के श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। जो विवाद हैं जिसके कारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं वह आगे न हों, इन चीजों को रोकने के लिए कुछ समय अवश्य लग जाता है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर श्रम विभाग अमल करेगा और उनको अपने सामने रखते हुये इस बात की संस्तुति करेगा कि किसी प्रकार से भी उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का शोषण न हो और उनके हित में लोग कार्य करें और तेजी से औद्योगिक विकास हो जिससे श्रमिकों का हित सही माने में सुनिश्चित किया जा सके।

श्री अधिष्ठाता--

आजम खां साहब, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं?

(व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मुझे एक मिनट का अवसर दे दें।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

स्पष्टीकरण का समय नहीं है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

एक स्पष्टीकरण दिलवाइये।

श्री अधिष्ठाता--

अब स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रिय दर्शी जेतली--

एक जानकारी चाहता हूं।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर कटौती का प्रस्ताव जिन्होंने रखा है, क्या इसके बाद भी वे बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

पहले इसको चुप तो कराइयें।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

जानकारी का समय नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरे कटौती के प्रस्ताव को वापस लिये बगैर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया अपने सदस्यों को संयत करें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

सिर्फ एक जानकारी मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अब समय नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

यह तो अनर्थ हो गया।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,79,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,11,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,23,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग

*परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,33,34,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांत रहें ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह परिवहन विभाग का बजट है। इसमें लगभग 25 करोड़ रुपया विशेष रूप से सड़क के लिए पी० डब्लू० डी० को दिया गया है बाकी परिवहन विभाग से संबंधित है। परिवहन विभाग को दो भागों में बांट गया है। पहला भाग हमारे परिवहन आयुक्त का है और दूसरा हमारे परिवहन निगम का है। श्रीमन्, इसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ काम किये गये हैं। पहले तो जो कामर्शियल आफिस है उसके बारे में घोषणा हमने की है कि विशेषरूप से जनता के सुझाव आयें और उसकी भागेदारी रहे इसके लिए घोषणा की जा रही है कि ट्रैफिक एडवइजरी कमेटी प्रत्येक जिले में बनाई जाय इसमें गैर सरकारी सदस्य ट्रैफिक के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकेंगे। विशेष रूप से जो लोकल समस्यायें हैं उनका पूरा दिग्दर्शन होगा।

दूसरा परिवहन आयुक्त के जहां पर संभागीय कार्यालय नहीं है उन स्थानों पर कार्यालय स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है, इसका सर्वे किया जा रहा है जहां पर टैक्स जमा करने की असुविधा है वहां पर संभागीय कार्यालय खोले जायें ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधा हो। दूसरा श्रीमन्, विशेष रूप के मार्च अप्रैल के महीने में छोटे वाहनों का रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा करने के लिए लम्बी लाइन लगानी पड़ती है तो उसमें हमने नयी व्यवस्था की है कि हम बैंकों और पोस्ट आफिस के द्वारा भी रुपया कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो आर० टी० ओ० आफिस में परेशानी होती है जहां संभागीय कार्यालय नहीं है वहां पर आम जनता को इससे सुविधा मिलेगी तो इससे एक विशेष फर्क पड़ेगा। दूसरी विशेष रूप से एक बात आती है कि कुछ जिलों में जहां सरकारी वाहनों के मरम्मत की सुविधा नहीं है वहां प्रत्येक जिले में जो प्राइवेट अच्छे स्टैन्डर्ड के गैराज, वर्कशाप हैं उनको मान्यता दे दें, जिससे सरकारी वाहनों की मरम्मत जिलों में हो सके और पेट्रोल का अपव्यय न हो, ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अपीलें सुनने का अधिकार, उप परिवहन आयुक्त जो रीजन में रहते हैं, उनको दे रहे हैं जिससे अपीलें लखनऊ न आवें और लोगों को परेशानी न हो।

तीसरी विशेष बात की गयी है कि ट्रकों की नेशनल परमिट और जोन्स के परमिट में पहली बार अनुसूचित और जनजाति को आरक्षण कोटा 18 प्रतिशत रखा गया जिससे उनका आर्थिक उत्थान हो सके और परमिट को लेकर बैंकों से और अनुसूचित वित्त निगम से सहायता प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा जो अनाधिकृत रूप से वाहनों का संचालन हो रहा है उसको रोकने के लिये जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, उनको प्रभावी तरीके से रोकने के लिये मोटर विहिकल ऐक्ट में संशोधन करने का शासन विचार कर रहा है और इस तरह का प्राविधान करने की कोशिश की जा रही है चूंकि यह ऐक्ट वास्तव में गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट है उसमें संशोधन इस तरह का करना चाहते हैं जिससे अवैध वाहन राष्ट्रीयकृत मार्ग पर रुक सकें और 2-3 बार चलने वाले वाहन को जप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। यह आयुक्त कार्यालय प्रभावी हो सके और जनता को सुविधा मिल सके, इसके लिये यह महत्वपूर्ण निर्णय रीजनों में लागू करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त हमारा जो परिवहन निगम है उसमें हम यह भी देख रहे हैं कि वह घाटे में चल रहा है। लेकिन इधर वर्ष में कुछ प्रगति किया है जिससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं और कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय, इस समय इस निगम की जो बसें हैं उनमें 1200 बसें पर्वतीय क्षेत्र में और 1100 बसें इधर जो कुल मिला कर लगभग 2300 हैं वह विशेषरूप से साढ़े चार लाख किलोमीटर के ऊपर चल चुकी हैं और उनका निर्धारित जीवनकाल पूरा हो चुका है, इसलिए 2341 नई बसों की व्यवस्था किया है और प्रदेश में प्रथम बार इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक से 25 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। माननीय, इधर दो महीनों में 451 चेसिस खरीदी गयीं हैं और 210 नई चेसिस को खरीदने के आर्डर दे दिये गये हैं और बाडी बनने के बाद 325 बसें रोड पर आ गयी हैं तथा बाकी में शीघ्रता की जा रही है। इस साल के अन्त में 1300-1400 बसें हम नई डाल देंगे चूंकि विशेष रूप से 28 प्रतिशत अफ रोड बसें हैं इसलिए बसों की जरूरत है जिसके लिए व्यवस्था की गयी है। इससे परिवहन निगम में कुछ न कुछ प्रगति अवश्य होगी।

माननीय, इसके साथ ही अनुबन्धित बसें भी, जनता को असुविधा न हो, 1206 ले लिया है। इसके अतिरिक्त बसों के जो आंकड़े आये हैं वह पिछले साल के मुकाबले 1.99 करोड़ कि0मी0 अधिक चल सकीं हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आय में वृद्धि हुई है और पिछले साल के मुकाबले घाटा कम हुआ है। विशेष रूप से मितव्ययिता का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें लोग कम खर्च करें, क्योंकि परिवहन सेवा गरीब से जुड़ी हुई सेवा है। गरीब के पास सिवाय बस के अन्य कोई आवागमन का साधन नहीं है। इसलिए हमें आम जनता के हित में बस सेवा में सुधार लाना और उसे अधिक प्रभावी बनाना बहुत आवश्यक है। मितव्ययिता के लिए नई भर्ती पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इसमें 5 हजार से अधिक कर्मचारी पहले ही एक्सेस हैं। इसलिए इसमें कुछ कड़ाई भी की गई है। इसी दृष्टि से और निगम में अनुशासनहीनता दूर करने के लिए 6 अधिकारियों को निलम्बित और 2 को प्रत्यावर्तित किया गया है तथा 13 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गई हैं, 62 को कठोर चेतावनी दी गई है। इसी प्रकार 449 कर्मचारियों को सेवा से पृथक्, 25 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति एवं 1328 को निलम्बित किया गया है, ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके।

श्रीमन्, कुछ नई चीजें भी हमने करने की कोशिश की है और इसमें हमने एक अभियान भी चलाया है- हमारा प्रोग्राम है कि जो वर्तमान समय में बसें चल रही हैं, उन समस्त का 31 मार्च, 1984 तक रंग-रोगन हो जाए, शीशे और खिड़कियां यदि टूटी हैं तो वह ठीक कर दी जाएं, गद्दियां अगर फटी हैं या टूटी हैं तो वह भी ठीक कर दी जाएं या बदल दी जाएं। उसमें यह भी स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि अगर 31 मार्च तक ऐसी गाड़ियां सड़क पर पायी गई, जिनमें इस किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, तो उसके लिए दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। सबसे बढ़कर बात यह की गई है कि रीजनल मैनेजर्स से यह कहा गया है कि यदि आपके यहां सर्विस में इफिशियंसी नहीं बढ़ी और आय नहीं बढ़ी तो पहले हम आपको चेतावनी देंगे, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो प्रतिकूल प्रविष्टि गेंदे चरित्र पंजिका में और फिर भी यदि आय और कार्यक्षमता में सुधार न पाया गया तो आपको सस्पेन्ड कर देंगे। यह हमने तीन माह का एक प्रोग्राम रखा है और इसमें जितने भी रीजनल मैनेजर और ए0 आर एम0 हैं उनकी किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाइत नहीं की जायेगी। इसके अलावा विशेष रूप से हमने यह व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया है कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ नम्र व्यवहार करें और और नम्रता के साथ अपनी ड्यूटी का पालन करें और उन्हें अपने कर्त्तव्यों का पूरा ज्ञान हो। इन सब के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है। उसमें हम उनको सिखायेंगे कि हमारा व्यापारिक संस्थान है हमारा उद्देश्य जनता के साथ नम्रता का व्यवहार करना

है और उसे अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना है ।

रीजनों में आय बढ़े, इसलिए हमने ठीक से काम करने और आय में वृद्धि करने वाले कर्मचारियों को शील्ड आदि प्रदान करने का भी प्रबन्ध किया है, जिस रीजन की आय और सुविधा सबसे अधिक होगी, उसको यह शील्ड दी जाएगी। सबसे पहले हमने प्रदेश में बसों को ठीक समय पर चलाने का पूरा प्रयास किया है और इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश का एक टाइम टेबुल आगामी 15 अप्रैल तक निकल जायेगा, जिससे आम जनता बसों के टाइम को देख ले। साथ ही प्रत्येक स्टेशन पर एक कम्पलेन्ट बाक्स रखा गया है, उसमें जनता अपनी शिकायतें दे। उसको रीजनल मैनेजर एक माह में निस्तारित करेगा और यदि उसने निस्तारित नहीं किया तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। पहले रीजनल आफिस में कम्पलेंट होती थी, अब हर बस स्टेशन पर ही इसे कर दिया गया है। उस बाक्स पर सीलबन्द ताला लगा रहेगा। इसके अलावा लम्बे मार्गों पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए 600 बसें खरीदी गई हैं, इसमें से 40 बसें स्लीपर कोच की तरह चलायेंगे। इसके द्वारा हम मुख्य-मुख्य नगरों की राजधानी से सीधी बस सेवा के साथ जोड़ देंगे। गोरखपुर से लखनऊ, बनारस से लखनऊ, देहरादून से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ आदि उन्हें चलायेंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

यह स्लीपर कोच होंगे और इनमें आदमी सोता हुआ जा सकेगा।

श्री मोहन सिंह—

सवा के लिए तो नहीं सो जायेगा ?

(हंसी)

श्री बिहारी लाल—

नैनीताल और अल्मोड़ा जाने के लिए भी क्या ऐसी बसें चलेंगी ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जब आपको अवसर मिले कृपया तब बोलें।

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने कहा कि 40 जगह ऐसी बसें चलेंगी, मैंने नाम तो केवल 4–5 ही जगह का लिया है, नैनीताल भी छूटेगा नहीं। तो इस तरह से प्रभावशाली काम हुए हैं।

मान्यवर, यह भी आदेश दिए गए हैं कि दैनिक रूप से हर दूसरे दिन गाड़ी की धुलाई व सफाई हुआ करे और जब गाड़ी डिपो से निकले तो एक अधिकारी उसको चेक भी करे। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये इस तरह के कई निर्णय लिए गये हैं और जनता की सुविधाओं को अधिक से अधिक उपलब्ध कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। जितनी अच्छी से अच्छी सुविधायें हम बसों के माध्यम से प्रदेश की जनता को दे सकते हैं उसके लिए यह शासन कृत संकल्प है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह आदरणीय सदन इस परिवहन विभाग के अनुदान को स्वीकार करे।

[समय 4 बजकर 2 मिनट]

श्री गौरी शंकर भंडारी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आज एक ऐसे विभाग पर दुःख के साथ चर्चा आरम्भ करने जा रहा हूं जिसका इतिहास गन्दा रहा है। अच्छे-अच्छे लोगों के मंत्रिमंडल में

रहने के बावजूद इसका इतिहास गन्दा रहा है और भविष्य में भी इसके इतिहास गन्दा होने की सम्भावना बनी हुई है क्योंकि जिस आदमी के हाथ में यह विभाग दिया गया है उनके कार्य-कलाप बहुत अच्छे नहीं समझे जाते रहे हैं।

माननीय, उत्तर प्रदेश का यह परिवहन विभाग है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। उस समय लगभग 2 करोड़ की पूंजी से इसका कार्य शुरू हुआ। सन् 1972 आते-आते यह जरूरी समझा गया कि परिवहन निगम और परिवहन विभाग को अलग-अलग कर दिया जाये। अब यह दोनों विभाग अलग-अलग कर दिये गये हैं। परिवहन विभाग में परिवहन आयक्त से लेकर अन्य क्षेत्रीय अधिकारी आते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं, गाड़ियों का परमिट व लाइसेन्स आदि देने का काम करते हैं, गाड़ियों का रजिट्रेशन आदि करते हैं, कोई गाड़ी ठीक नहीं चल रही है सड़क पर तो उसका चालान करते हैं आदि आदि।

आज प्रदेश में कहीं भी किसी भी रोड पर चले जाइये आपको लम्बी-लम्बी कतार लगी हुई दिखायी देगी और वहीं पर खुले आम रिश्वत का बोलबाला दिखलाई देगा। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि विधायकों तक के सामने वे लोग पैसा लेने में नहीं हिचकिचाते। श्रीमन्, यही हालत ड्राइवरों के लाइसेन्स बनाने के सम्बन्ध में है। न कहीं पर कोई चेकिंग होती है न कोई चीज होती है फोटो लगाकर दे दीजिये और पैसा जमा कर दीजिये और 10 दिन बाद दलाल लाइसेन्स बनवा कर दे देते हैं। माननीय, इसी तरह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में किया जाता है। अगर पता लगाया जाय तो ऐसी बहुत सी गाड़ियां मिलेंगी जिनका फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर चलाने का काम किया जाता है। इस तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिये।

माननीय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 1972 में परिवहन निगम को अलग किया गया था और इसके जिम्मे प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को सुख सुविधा देने तथा उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गयी थी। इस समय इनके पास लगभग 5850 गाड़ियां हैं जिसमें से 1 हजार गाड़ियां बेकार हो गयी हैं। 800 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको जल्दी ही निकालने की जरूरत महसूस की जा रही है। लगभग 1800 बसें ऐसी हैं जो कार्यशालाओं में किसी न किसी खराबी के कारण रोज बनने के लिये आती हैं और कुछ देर चलती हैं। माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि इनकी बहुत सी गाड़ियां 5 लाख कि0 मी0 की दूरी तय कर चुकी हैं। जबकि नियम यह है कि 1 लाख कि0 मी0 दूरी चलने के बाद इनको ओवरहालिंग को कराने का काम करना चाहिए। लेकिन इसकी अवहेलना करके लाखों किलोमीटर गाड़ियां चलायी जाती हैं केवल रोडवेज का फायदा बढ़ाने के लिये। इससे यात्रियों को असुविधा होती है और दुर्घटनायें होती हैं। 1 लाख कि0 मी0 चलने के बाद गाड़ियों की मरम्मत न कराने के कारण ऐसा हो रहा है।

श्रीमन्, पूरे उत्तर प्रदेश में जो इनकी कार्यशालायें हैं, उनमें औसतन 350 बसें खराब होकर हर साल खड़ी हो जाती हैं उनका कोई पुरसाहाल नहीं है उनको नीलाम किया जाता है। उनकी एवज में बसें पहुंचाने का विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। परिवहन निगम को अपने जीवन काल के 10 वर्ष के अन्दर ही इस विभाग को करीब 30 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। आज हालत यह है कि सरकारी अनुदान, जीवन बीमा का अंशदान तथा अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋण जो लगभग एक अरब रुपये के बराबर हैं, लेकिन आज तक परिवहन

विभाग न तो अपने यात्रियों को सुविधा दे पाया है न बसें बढ़ा पाया है और न फैले हुये भ्रष्टाचार को ठीक कर पाया है और न इस घाटे को पूरा ही किया जा सका है। हालत यह है कि परिवहन निगम को 5 करोड़ रुपया डीजल के बकाये का देना है। तकादे पर तकादे इनके ऊपर बराबर बने रहते हैं।

पूरे प्रदेश के लोगों को परिवहन की सुविधा देने के लिये कम से कम 12 हजार बसों की आवश्यकता होगी। अगर इनको इन बसों को खरीदने की इजाजत दे दी जाय तो इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमायी का कम से कम 4 अरब रुपये इनको तत्काल मुहैय्या किया जाना चाहिये तब कहीं जाकर आम जनता को सुलभ, सस्ता और टिकाऊ यात्रा का साधन दिया जा सकता है। अगर यह रुपया इनको दे भी दिया जाय तो कोई गारंटी नहीं है कि कितना इनका विभाग खा जायगा और कितना रुपया यात्रियों को सुविधा देने के लिये बसे खरीदने पर खर्च किया जायगा। परिवहन निगम की हालत बहुत ही खराब है। अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की हालत बहुत खराब है। इसकी अचल पूंजी 2 अरब रुपये की है तथा 1 अरब रुपये का कर्ज है। करोड़ों रुपया इनको भुगतान का हर वर्ष देना पड़ता है। सारा रुपया कर्ज देने और अधिकारियों को तन्ख्वाह देने में चला जाता है। इस प्रकार से निगम को निरंतर घाटा होता जा रहा है।

दूसरी बात की तरफ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितनी खराब हालत उ0 प्र0 परिवहन निगम की है, भ्रष्टाचार के मामले में, प्रशासन के मामले में, सुविधा देने के मामले में उतनी देश के किसी और परिवहन निगम की नहीं है। अतः मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें सुधार लाने के लिये आप एक विधायकों की कमेटी बनायें ताकि हम समय-समय पर आपको सुझाव दे सकें।

श्रीमन्, परिवहन निगम के घाटे की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं और पिछले समय से यह घाटा अब कम हुआ है। माननीय रेवतीरमण सिंह जी ने इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था और उसका जवाब आया था, इसका हवाला मैं बाद में दूंगा। मान्यवर, मंत्रिमंडल के मंत्री जनता राज्य का हवाला देते हैं। 1977-78 में परिवहन निगम का घाटा केवल 36 लाख था, 1978-79 में यह 2 करोड़ 5 लाख हुआ और इसके बाद 1980-81 में जब आपकी सरकार आई, तो यह घाटा 10 करोड़ हुआ और 1981-82 में यह घट कर 4 करोड़, 83 लाख हुआ, किन्तु पुनः 1982-83 में यह 11 करोड़ 61 लाख पर पहुंच गया। इसकी पूर्ति करने के लिए विभाग को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा रख-रखाव की व्यवस्था ठीक करके आमदनी को बढ़ाना चाहिए था, किन्तु इस सरकार ने इस कष्टकर रास्ते को न अख्तियार कर किराया बढ़ाने की बात किया।

मान्यवर, सन् 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तो 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने का काम किया गया। इमरजेंसी के बाद जनता सरकार आई, तो उसके जमाने में कोई किराया नहीं बढ़ा। सन् 1981 के प्रारम्भ में इन्होंने पुनः 25 प्रतिशत किराया बढ़ाया, और 20 सितम्बर, 1983 में मंत्री जी के आने से पहले 25 प्रतिशत किराया और बढ़ाया गया तथा विभाग ने यह कहा कि इससे 27 करोड़ की अधिक आय होगी और इस प्रकार 11 करोड़ रुपये का घाटा पूरा करके निगम को 5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा परन्तु किराया वृद्धि के पश्चात् सितम्बर, 1983 से जनवरी, 1984 तक 5 माह में रेवती रमणसिंह जी ने जो प्रश्न घाटे के बारे में

दिया था और पूछा था कि पांच महीने में कितना घाटा हुआ है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने बड़ी ही बेशर्मी से दिया था और कहा था कि 5 करोड़, 5 लाख का घाटा हो चुका है और अब यह घाटा साढ़े पांच करोड़ पहुंच चुका है। मंत्री जी बड़े नाजुक स्तर से कह देते हैं कि घाटे की दर में कमी करने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता –

समय कम है, आपको पुनः बोलने का अवसर मिलेगा। संक्षेप में कह दें, तो अच्छा होगा।

श्री गौरी शंकर भैटया––

घाटे के प्रमुख कारणों में से विभाग द्वारा किया गया अपव्यय प्रमुख स्थान रखता है। सन् 1972 में जो सड़क परिवहन था, उसके वेतन और भत्ते पर 35 लाख 30 हजार 616 रुपया खर्च होता था। सन् 1980 में यह बढ़कर 4 करोड़ 71 लाख 15 हजार 962 रुपये हो गया। इस प्रकार 1972 से 1980 के बीच में 13 गुनी वृद्धि हुई। इस प्रकार स्पेयर पार्ट्स और टायर–ट्यूब आदि पर सन् 1972 में 78 लाख 37 हजार 566 रुपया व्यय होता था और सन् 1980 में 10 करोड़ 96 हजार, 431 रुपया खर्च किया गया है। इस मद में भी 13 गुनी वृद्धि हुई है इसके साथ परिचालन व्यय में अनावश्यक बढ़ोत्तरी के कारण भी निगम को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1978–79 में प्रति किलो मीटर परिचालन व्यय 219 पैसे था, जो 1982–83 में 326 पैसे हो गया। अनुमान है कि 1983–84 में परिचालन व्यय 337 पैसे प्रति किलो मीटर हो जायगा, जिसको कुशल नियंत्रण और ठीक व्यवस्था के जरिये कम किया जा सकता है। मान्यवर, इस निगम के घाटे का एक कारण यह है कि निगम के पास चार हजार बसों पर 46 हजार कर्मचारी हैं। यह अनुमान है कि लगभग पांच हजार अधिकारी और कर्मचारी इस विभाग में फालतू हैं। जोकि अनावश्यक रूप से निगम को घाटे में रखे हुये हैं। मन्त्री जी इनको हटाने का काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपके विभाग में सरप्लस कर्मचारी और अधिकारी हैं तो क्या जरूरत है ओवरटाइम देने की और जिलों में स्टाफ की कमी के कारण 5–6 बसें रोज कैंसे कैंसिल की जाती हैं।

मान्यवर, केन्द्रीय योजना आयोग ने परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर गम्भीर प्रतिकूल प्रविष्टियां कीं, कारण विभाग की सुविधायें घटी और घाटा बढ़ा है। उनके अनुसार धन के भारी रिसाव कुप्रबन्ध कर्मचारियों की बेकार फौज एवं भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है। अगर ऐसे निगम अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं करते हैं और घाटा कम नहीं करते हैं तो प्रदेश सरकार को उन्हें बन्द कर देना चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री ने गवर्नर अभिभाषण पर भाषण करते हुये कहा था कि जो निगम अपनी कार्य–प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे, उन्हें बन्द कर दिया जायेगा। लेकिन यह विद्युत निगम को बन्द करने वाले नहीं हैं। इसमें मुख्य मन्त्री और मन्त्रियों की साजिश है। इसको घाटे में चला रहे हैं ताकि इस निगम को बन्द कर दें और जो मुख्य मन्त्री के रिश्तेदार सुलतानपुर में अवैध रूप से मुख्य मन्त्री का फोटो लगाकर गाड़ियां चला रहे हैं, वे सुल्तानपुर से जौनपुर तक चल लें, मन्त्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों की गाड़ियां अवैध रूप से चलें। इसलिए यह सोची समझी साजिश है। जो इस प्रदेश के अन्दर की जा रही है।

मान्यवर, सार्वजनिक उद्योग व्यौरों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1982–83 में अप्रैल, 1982 को तुलना में 11 करोड़ के घाटे में से 9 करोड़ 2 लाख रुपये का सीमान्त व्यय ऐसा था

जो प्रभावशाली नियन्त्रण एवं कुशल व्यवस्था से बचाया जा सकता था। जो निगम की लापरवाही के कारण नहीं किया गया। अब मैं आपका ध्यान अनुबन्धित बसों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जिसकी संख्या लगभग 1200 होने वाली है। इन बस मालिकों में अधिकतर शिक्षित बेरोजगार योजना से बैंक से आसान शर्तों पर ऋण लेकर गाड़ी खरीद लिए हैं, निगम द्वारा उनका भारी शोषण किया जा रहा है। इन अनुबन्धित बसों को हमारे निगम की अक्षमता, चोरी और लापरवाही के कारण चलाना पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य 20 मिनट हो चुका है, जल्दी समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर भैंट्या--

इसके साथ किया गया एकतरफा एग्रीमेन्ट बंधुवा मजदूरी के समान है। कम से कम प्रत्येक अनुबन्धित गाड़ी को 500 किलोमीटर प्रति दिन चलने दिया जाना चाहिए, तभी इनको कुछ लाभ हो सकता है।

निगम के अधिकारी जिन बसों से पैसा प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिक किलोमीटर और अच्छी सड़कें देते हैं, जो बस मालिक ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें खराब सड़क और कम किलोमीटर एलाट किया जाता है, अच्छे कन्डेक्टर नहीं दिए जाते हैं। इस प्रकार अगर बस को आमदनी 2 रु0 प्रति किलोमीटर से कम आती है तो 20 पैसा अनुबन्धित बसों के खाते से काट लेते हैं। इसी प्रकार अगर किसी बस को 400 किलोमीटर चलना है और वह 200 किलोमीटर से एक किलोमीटर भी कम चली तो उसका भुगतान नहीं करते हैं।

अगर कन्डक्टर के पेट में दर्द है या और किसी कारण वह नहीं आ सका तो कन्डक्टर उस को नहीं चलाएगा। आपकी अनुबन्धित गाड़ियां अगर उनका चालान हो जाता है तो आपका विभाग उनको पूछने नहीं जाता अगर थाने में इस तरह की गाड़ियां बन्द हो जाती हैं तो उनको छुड़ाने का कार्य करना चाहिए। माननीय, निगम प्रमुख रूप से लम्बी दूरी तय करने वाली....

श्री अधिष्ठाता--

अपनी बात समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर भैंट्या--

बसों को संचालित करता है। कई वर्षों से माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि श्रीनगर में डिपो बनाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं हुआ है। इसी तरह से कानपुर की स्थिति है कानपुर में रोडवेज की बसों को खड़ा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो रोड कही जाती है कि वहां स्टैन्ड बनायेंगे, कोई कार्य नहीं होता है। माननीय, लम्बी दूरी की बात है...

श्री अधिष्ठाता--

25 मिनट हो चुके हैं। आपको दोबारा समय दिया जाएगा।

श्री गौरी शंकर भैंट्या--

तो जो इनकी सेवा है, वह दो हैं दिन की सेवा, रात्रि की सेवा, रात्रि की सेवा के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अगर अनुबन्धित बसों को हटा दिया जाए तो रात्रि सेवा में इनकी कोई बस नहीं है लम्बी दूरी तक चलने वाली इनकी कोई बस नहीं है। कोई ऐसी बस नहीं है जो बीच में खराब न हो जाए? कुछ न कुछ उसमें खराबी है तो जो इनकी नई बसें हैं, इनको जल्दी लाया जाए। जो एयरकन्डीशन बस के लिए पैसा लेते हैं और खराब बस चलाते हैं। चलती हैं, उनसे चार्ज लिया जाता और बहुत घटिया काम करते हैं। एयरकन्डीशन का पैसा लेते हैं और सड़ी-गली बसें चला देते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री निर्भय नारायण सिंह--

माननीय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं साथ ही परिवहन मन्त्री के बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय, परिवहन विभाग में एस० आर० टी० सी० निगम इस समय बहुत चर्चा का विषय है। कटौती का प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है, वह केवल निगम पर है। परिवहन का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा। निगम के कार्यकलापों के प्रति सदन के प्रत्येक सदस्य को सचेत रहना बहुत आवश्यक है। यह जन-जीवन से सम्बन्धित है। माननीय, पिछले सालों में कई वर्षों से इसकी हालत बदतर हो रही है, इसमें दो राय नहीं है मगर इधर कुछ महीनों से प्रगति के लक्षण हैं वर्तमान समय में निगम के पास 6 हजार बसे हैं, जिनमें दो हजार बसें आफ द रोड हैं एक हजार ऐसी हैं जो तकनीकी जीवन समाप्त कर चुकी हैं।

[समय 4 बजकर 25 मिनट]

जितनी बसें हैं, वे जनता की सेवा के लिए पर्याप्त नहीं हैं और ऐसी खराब स्थिति में आवश्यक है कि ध्यान देकर क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जय। वर्तमान सरकार सराहना की पात्र है। मजबूरी है कि कुछ अच्छा काम करेंगे, तो विपक्ष को अच्छा नहीं लगेगा। हम अच्छा काम कर रहे हैं धीरज के साथ सुनने का कष्ट करें। माननीय, खुशी की बात है कि सरकार इस समय 3 हजार बसों का इन्तजाम कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को इण्डस्ट्रियल बैंक से 25-25 लाख रुपये के दो लोन स्वीकृत हुए हैं। उसमें से 210 चेसिस के आर्डर हो चुके हैं और 451 चेसिस बन चुकी हैं और जो बसें आफ रोड हैं या खराब हैं, उनको हम रिप्लेस करने की स्थिति में हैं।

परिवहन विभाग के लिए यह गौरव की बात है कि इस साल पिछले दस साल के अन्दर पहली बार वह घाटा कम

(इस समय 4 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

करने की स्थिति में आया है। माननीय, गौरव की बात है कि इस साल फरवरी तक 2 करोड़ कम का घाटा हुआ है। मन्त्री जी ने जो कदम उठाया है, उसके लिए वे सराहना के पात्र हैं। माननीय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण और माननीय मन्त्री जी उनको गौर से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश का दूसरे राज्यों से जो करार है, उसमें दूसरे स्टेट्स की बसें यहां चलती हैं, लेकिन यहां की बसों की आपूर्ति न होने से वे नहीं चल सकतीं। यह स्थिति खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बक्सर बिहार स्टेट का एक स्टेशन है, जहां तीन हजार व्यक्ति हर रोज बिहार और बंगाल से आते-जाते रहते हैं। बक्सर स्टेशन के लिए बस का इन्तजाम होना चाहिए, वहां के लोगों को बहुत परेशानी है।

माननीय, जहां परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामला है। वहां माननीय, किसी का कन्ट्रोल नहीं है और इसीलिए खराब बसों पर नियन्त्रण नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कड़ाई के साथ उन्हें भी प्राइवेट बसों के समान कन्ट्रोल किया जाय, ताकि क्षमता में वृद्धि हो सके। तीसरी बात जो आर० टी० ओ० हैं वे पश्चिमी जिलों में हैं। पूर्वी जिलों में भी जैसे बलिया में भी आर० टी० ओ० नियुक्त करें। मैं अनुरोध करूंगा कि पूर्वी, जिलों में तत्परता से आर० टी० ओ० को नियुक्त की जाय। चौथी चीज माननीय, यह बहुत आवश्यक है कि स्टेट में भी, जिस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर परमिट इशू किए जाते हैं, उनका जो कोटा उत्तर प्रदेश के लिये अनुबन्धित किया जाता है, अखिल भारतीय स्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर बसें चलती हैं। लेकिन स्टेट की गाड़ियां नहीं चलतीं। दिल्ली आगरा के बीच में तमाम दिल्ली की गाड़ियां चलती हैं और हमारे टूरिस्ट सेन्टर्स क लाभ उठा रही हैं लेकिन हमारे कोटे की गाड़ियां वहां नहीं चल सकतीं। मेरा निवेदन है कि यह सुविधा इस स्टेट में भी देनी चाहिये। इस प्रकार मैं परिवहन विभाग की सराहना करते हुए आशा करता हूं कि घाटा और कम होगा। साथ ही माननीय सदस्य मोहन सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना।

* श्री खैरुल बशर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे परिवहन के बारे में कुछ बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, इसके पहले दो मंत्री बदले गये। दो मैदान छोड़कर भाग गये। अब ये तीसरे आदमी लाये गये हैं, मैं समझता हूं कि ये रोडवेज का कल्याण कर देंगे। बड़े शर्म की बात है, हम लोगों को बड़ी शर्म आती है कि हम लोग विधान सभा के सदस्य हैं और रोडवेज की कोई गाड़ी समय से नहीं पहुंचती, दूर तक चलने वाली बसें मंजिल पर नहीं पहुंचतीं। माननीय मंत्री जी, मैं मऊनाथ भंजन से चलता हूं तो 4-5 घंटे लेट आ पाता हूं और सदन में भाग नहीं ले सकता। बढ़िया गाड़ियां होनी चाहिए। मान्यवर, गाड़ियों की हालत इस विभाग में ऐसी है कि इस विभाग में इतने अधिकारी ठूंस दिये गये हैं, यदि एक गाड़ी खराब होती है, तो ड्राइवर अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ता है। एक बार मैं आ रहा था, गाड़ी खराब हो गई, मैंने कहा कि दूसरी गाड़ी ले आओ, तो इस पर उस ड्राइवर ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों। इस पर उसने कहा कि साहब यदि मैं अपनी गाड़ी छोड़ देता हूं, तो कल जब मैं आऊंगा तो इस गाड़ी के सारे सामान गायब हो जायेंगे और यह गाड़ी रद्दी हो जायेगी। यह मैं एक उदाहरण दे रहा था कि गाड़ियां किस प्रकार रद्द होती हैं, इस विभाग में।

मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह सरकार रोडवेज को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। यह आज अपनी व्यवस्था खुद खराब किए हुए है। उन्हीं रोडों पर प्राइवेट बसें चलती हैं, और गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, जब प्राइवेट बसें मिलजा रही हैं तो आपकी रद्दी गाड़ियों में कौन जायेगा। आज यह सरकार जनता की सेवा करना नहीं चाहती है और यह सरकार जनता की दुश्मन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने बजट को वापस लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट को वापस लेने के लिए कहता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने अपने बजट के द्वारा बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, उनको मैं सराहना करता हूं। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि अक्सर जब गबन के मामले पकड़े जाते हैं तो छोटे कर्मचारी ही ससपेन्ड जैसे क्लर्क आदि किए जाते हैं। जो ए0 आर0 एम0 और आर0 एम0 होते हैं, उनके प्रति कोई लाइबेलिटी फिक्स नहीं की जाती है। अभी अलीगढ़ डिपो में 1 लाख 50 हजार रुपए का गबन हुआ। उसकी एफ0 आई0 आर0 लाज हुई। छोटे कर्मचारी ससपेंड कर दिये गये। एफ0 आई0 आर0 लाज होने के बावजूद भी कोई भी कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं की गई। मेरा अनुरोध है कि जो 1 लाख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

50 हजार रुपए का अलीगढ़ डिपो में गबन हुआ उसमें लाइबेलिटी फिक्स की जाय और इस बात की जानकारी की जाय कि इसमें दोष किसका है ।

इसके अलावा जो डिपो में स्टाक है, उसका चेकिंग होना चाहिए। वे-बिल और टिकट्स में बहुत गड़बड़ी होती है । अक्सर यह देखा जाता है कि टिकट फर्जी बांटे जाते हैं । वे किसी प्रमाणिक संस्था से छापे जाने चाहिए ताकि सही टिकट कन्डक्टर के पास रहें । इसके अतिरिक्त जिलों में जो ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, यह एक अच्छी बात है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं । जिस तरह से आपने स्टेट लेविल पर एस0 टी0 ए0 के आपने नान-आफिसियल मेम्बरान की एक कमेटी बना रखी है उसी प्रकार मेरा सुझाव है कि रीजनल लेविल पर भी आर0 टी0 ए0 में नान-आफिसियल मेम्बर होने चाहिए ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक अनुरोध माननीय मंत्री जी से और करना चाहता हूं कि अलीगढ़ में जो बस चलती है । अनूपशहर रोड पर अलीगढ़ और काशीमपुर के लिए इन बसों का परमिट साधु आश्रम तक है । परन्तु साधु आश्रम तक न जाकर कासिमपुर तक ही जाती है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, जीजा जी (श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण पान्डेय) परिवहन की बसों में सफर कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा था कि माननीय परिवहन मंत्री जो अदेश जारी कर दें वे बसे साधु आश्रम तक चलें कासिमपुर पर ही न रुक जांय हरदुवागंज से पावर हाऊस तक 4-5 फैक्टरियां पड़ती हैं, इसके बीच में कुछ सिटी बसें चालू कर दें ताकि जो गरीब मजदूर इन मिलों में काम करता है, वह आ-जा सके । यदि आप ऐसा कर देंगे तो बधाई के पात्र होंगे । इस वर्ष करीब 2 करोड़ 72 लाख रुपए का परिवहन के घाटे में कमी आई है । परिवहन विभाग को इस वर्ष 12 करोड़ रुपए की आय बढ़ी है । मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन न लिय जाय गबन आदि के मामले में, बल्कि आपके जो आर0 एम0 और ए0 आर0 एम0 हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के इस बजट पर बोलने का मौका दिया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बहुत संक्षेप में बोलेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता का यह सबूत है कि आज प्रदेश की जनता के ऊपर, बिना किन्हीं कारणों से, बिना किसी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों की मांगों पर, 25 प्रतिशत किराया बढ़ाया, इस सरकार ने, एक अधिभार दिया है । मान्यवर, आज इनकी गाड़ियों की हालत देखें, तो शर्म आती है इनकी गाड़ियों में ट्रेवल करने के लिये और जब बाहर दूसरे प्रदेशों में इनकी गाड़ियां भेजी जाती हैं, तो मान्यवर एक लज्जा सी हम लोगों को महसूस होती है । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की बात मैं करूंगा । पर्वतीय क्षेत्र के बाबत हम लोग बार-बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनसे वहां गाड़ियां नहीं चलाई जाती हैं, तो राष्ट्रीयकृत मार्ग जो इन्होंने बनाये, उनसे आप अपनी गाड़ियों को हटा दें और उस पर लोकल कम्पनियों को उनकी अपनी गाड़ियां चलाने दें ।

मान्यवर, जहां पर राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिये गये हैं मेरी निश्चित जानकारी है, वहां आज कोट द्वार या देहरादून से एक भी सर्विस नियमित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में नहीं जा रही है, जिसके कारण रास्ते में परेशान होकर, बसों के लिये घंटों इंतजार करने के बाद भी, बस न मिलने पर, लोग मायूस होकर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इनका एक कायदा यह भी है कि जब कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, तो उसके खराब होने के बाद, पसजर को किराया वापस नहीं करते हैं, जिसके कारण पैसंजर को दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है, और किराया खुद अपनी जेब से दुबारा देना पड़ता है। अगर मान्यवर यह गम्भीरता से सोचें तो यह जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मान्यवर, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जितनी भी सर्विस इनको पर्वतीय क्षेत्र में जा रही हैं, वह नियमित रूप से नहीं जा रही हैं, वहां पर यू० पी० आर० टी० सी० की बसों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है जिसके कारण आज वहां पर बड़ा भारी असंतोष जनता में है और वहां की कम्पनियों की गाड़ियां भी घाटे में चल रही हैं। मान्यवर, यह तो साफ बात है कि यह घाटा पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर यह सहयोग लें, तो मैं सोचता हूं कि घाटा कुछ हद तक पूरा हो सकता है और यह गाड़ियां हमारी चल सकती हैं। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे एक डिपो की गाड़ी है, उस गाड़ी का चार्ज आप एक ही ड्राइवर को दे दें और ड्राइवरों के लिये आप कुछ इन्सेन्टिव रख दें कि जिस गाड़ी का मेंटिनेंस ठीक होगा, उसका संचालन ठीक प्रकार से रहेगा, तो उसको आप इनाम देंगे। इनाम के रूप में कोई शील्ड नहीं, बल्कि उसे नकद धनराशि के रूप में इनाम देंगे।

मान्यवर, इसी तरह से आप कन्डेक्टर की व्यवस्था कर दीजिए कि डिपो में जिस कन्डेक्टर की सबसे ज्यादा बुकिंग होगी उसके लिये आप एक इंसेंटिव कर दें, और इसी तरह से आप हर डिपोज की वर्गीकरण कर दें और उसके लिये इंसेन्टिव रख दें कि जो डिपो सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करेगा, उस डिपो के लोगों को आप बोनस के रूप में कुछ देंगे। इसी तरह से मान्यवर, आज हम देखते हैं कि गाड़ियों की सफाई ठीक तरह से नहीं होती है और लोगों को परेशानी होती है। इसके लिये सुझाव यह है कि एक क्लीनर की व्यवस्था आप कर दें। जैसे आप कहते हैं कि एक गाड़ी पर 10-12 आदमी का एक्सरेज आता है तो उनमें आप एक क्लीनर की व्यवस्था कर दें, वह यात्रियों के सामान गत रने चढ़ाने में यात्रियों की मदद करेगा और दूसरी तरफ वह गाड़ी की सफाई रखें और गाड़ी में कुछ खराबी आती है, तो वह शाम को आकर उसकी रिपोर्ट कार्यशाला को देगा। मान्यवर, मैं इसके बाद माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कोटद्वार में रोजनल वर्कशाप खोलने की घोषणा की गयी थी और उसके बाद यह भी कहा गया था कि इसके, लिये भूमि अध्याप्त की जा रही है, लेकिन उसमें आज तक कुछ नहीं हो सका जिसके कारण आज वहां पर गाड़ियां सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं।

मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि कोटद्वार और बद्रीनाथ के बीच में एक भी डिपो नहीं है श्रीनगर में एक डिपो खोलने की बात थी घोषणा है लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मान्यवर, इसके बाद में यह कहना चाहूंगा कि..।

श्री अध्यक्ष —

आपका समय समाप्त।

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

आर० टी० ओ० ने एक कायदा बना दिया है कि जिन गाड़ियों को 5 साल से ऊपर का समय हो गया है

उन पुरानी गाड़ियों को वह परमिट नहीं देंगे। मान्यवर, जिनकी 5-6 साल पुरानी गाड़ियां हो गई हैं वह उसे कहां डाल दें ? मान्यवर, होना यह चाहिए कि गाड़ी की हालत देखी जानी चाहिए कि वह गाड़ी फिट है या नहीं, उसका परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। उसकी फिटनेस देख लेनी चाहिए, यदि वह उपयुक्त है, तो उसे चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि पुरानी गाड़ियों से एक्सीडेंट कम होते हैं, नई गाड़ियों से ही ज्यादा होते हैं। क्योंकि पुरानी गाड़ियां मेन्टेन्ड रहती हैं।

श्री अध्यक्ष --

आपका समय समाप्त।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम कुंवर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे जनता की सेवा करने से सम्बन्धित जो परिवहन का बजट है, इस पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया है। मान्यवर, यह बजट जो मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि उसमें जो सुझाव दिए गए हैं वे तथ्यहीन हैं। जनता की सेवा से सम्बन्धित जो यह बजट है, मैं कहता हूं कि इसको इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए था परन्तु वे कहते हैं कि इसको कम करके एक रुपया कर दिया जाय, तो एक रुपया से जनता की सेवा कैसे होगी ? यह बात उनकी बुद्धिहीनता की ही परिचायक है।

मान्यवर, यह विभाग सरकार के द्वारा चलाया गया और इसके द्वारा जनता की सेवा करने का बड़ा सुन्दर अवसर था कि गांव-गांव में जहां आदमी दो-तीन दिन में पहुंचता था, वहां इसके जरिये से सुबह घर से चल कर कचेहरी में आया और अपना काम किया और फिर शाम को अपने घर वापस चला गया। आमदनी का भी इससे उत्तम श्रोत कोई नहीं हो सकता है। यह विभाग जिससे कि सरकार को ठोस आमदनी प्राप्त होती है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। लेकिन मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी मेरी बातों को बुरा न मानें, इसको ठीक करने की दृष्टि से ही मैं ऐसा कह रहा हूं। इसमें पहली बात तो यह है कि गाड़ियां समय से नहीं चलती हैं। हर गाड़ी दो-दो, तीन-तीन घन्टा लेट यहां तक कि पांच घन्टा लेट भी चलती है जिससे कि मुसाफिरों को बहुत परेशानी होती है। इसको ठीक करने के लिए मंत्री जी आपको बड़ी मुस्तैदी से कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

प्राईवेट बसों का जो उचित रख-रखाव है, सफाई की व्यवस्था है, उसका जो मेनटेनेन्स है, वैसा आपकी रोडवेज की बसों में नहीं पाया जाता है, वह ठीक नहीं है। इनमें बड़ी लापरवाही है। नीचे बसों में जो तीन-चार पटिट्यां लगी होती हैं, मालूम होता है कि उनको गंडासे से या मुंगरी से पीट दिया गया है जिससे वे टूट गई हैं और खराब हो गई हैं, इनमें सफाई का तो नाम नहीं है और न आने पर और न जाने पर कोई नियन्त्रण है, कोई समय की पाबन्दी नहीं है। दूसरे बस कौन कहां जाएगी इसके लिए पहले आपकी बसों पर एक पट्टी लिखी हुई लगी रहती थी कि अमुक बस आजमगढ़ से अतरौला और अमुक बस अतरौला से फूलपुर जाएगी तो इससे यात्रियों को सुविधा होती थी परन्तु अब परिवहन विभाग की बसों में नाम पटिट्काओं की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से रोडवेज बस स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होने की जगह निश्चित होनी चाहिए कि कहां जाने वाली बस कहां पर खड़ी होगी। आजकल होता यह है कि कोई बस कहीं खड़ी हो गई और कोई कहीं। कोई कोने में खड़ी कर दी तो कोई सड़क पर इससे मुसाफिरों को बस ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। परिवहन विभाग की बसों को ले जाने और ले आने में समय का कोई महत्व नहीं रखा जाता है। आपके जो अन्डरटेकिंग की बसें हैं उनको आप जनता की सुविधा के लिए कि वह यात्रियों को समय से पहुंचायें और सरकार की आमदनी को ठोस रखें, मैं चाहता हूं कि आप इसकी व्यवस्था करें।

मेरे आजमगढ़ में 38 लाख की आबादी है और वहां पर अधिक से अधिक 100 बसें चलती हैं। 38 लाख लोगों को ढोने के लिए आपने जिम्मेदारी सरकार से ली है तो उनको सुविधा देने के लिए 38 लाख लोगों को ढोने के लिए आपने केवल 100 बसें वहां पर दी हुई हैं तो क्या इससे आप समझते हैं कि वहां की जनता को सुख और सुविधा मिलेगी ? आप वहां पर बसों की व्यवस्था अधिक से अधिक करें और जनसंख्या के अनुपात से वहां पर परिवहन विभाग की बसों को चलायें। इसके साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह—

माननीय, रोडवेज की आमदनी को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के सुझाव यहां प्रस्तुत किए गए हैं, मैं अपने यहां गोरखपुर रोडवेज बस स्टेशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज 2 महीने पहले गोरखपुर में रोडवेज के पास टैक्सी स्टैन्ड था, उसको एस0 एस0 पी0 और जिलाधिकारी ने दूसरे स्थान पर कर दिया। तो सुनने में आया है कि रोडवेज की आय 40 हजार रुपए बढ़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बस स्टेशनों के पास टैक्सी स्टैन्ड बना दिए गए हैं जिससे उनमें कम्पटीशन है यात्रियों को पकड़-पकड़ कर बैठ लेते जिससे रोडवेज को राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। मेरे कहने का आशय यह है कि रोडवेज के निकट कोई भी टैक्सी स्टैन्ड नहीं कायम किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि रोडवेज से एक किलोमीटर की दूरी पर टैक्सी स्टैन्ड बनाया जाना चाहिए या जो भी दूरी उचित समझी जावे उसका एक दायरा बना दिया जाए। अगर यह व्यवस्था कर दी जाए तो मेरा विश्वास है कि रोडवेज की आमदनी ड्योढ़ी हो जाएगी और जो रोडवेज घाटे में चल रही है, उसका घाटा समाप्त हो जाएगा।

माननीय, अब मैं वर्क शाप के बारे में कहना चाहता हूं, आप देखें वहां के कर्मचारी बाजार में घूमा करते हैं। जब जिसका मन आया वर्कशाप छोड़कर निकल जाता है और इस प्रकार से वह लोग वर्कशाप से सामग्री चुरा ले जाते हैं और उसको सस्ते दर पर बेच देते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें और आकस्मिक रूप से छापा डालें और यह देखें कि कौन से कर्मचारी अपने काम पर उपस्थित हैं और कौन से लोग अपने काम पर नहीं हैं, जो कर्मचारी अपने काम पर न मिलें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार से आप के रोडवेज की आमदनी बढ़ जाएगी और बसों की हालत में सुधार होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जब से परिवहन निगम में अनुबन्धित बसें लगाई गई हैं, तब से यात्रियों को काफी सुविधा हुई है।

श्री अध्यक्ष --

माननीय सरदार सिंह ने यह लिखित प्रस्ताव किय है कि जो हमारी यह मद संख्या चल रही है, उसका आधे घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाये। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से पूछा है, उनका कहना है कि आधे घन्टे नहीं 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को विरोध नहीं है। अतः 15 मिनट का समय बढ़ाने की बात स्वीकार हुई।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि परिवहन निगम में जो प्राइवेट बसें अनुबन्धित की गई हैं उससे यात्रियों को सुविधा मिली है। लेकिन परिवहन निगम में जो खास बाधा उत्पन्न हो गई है वह यह है उनका पेमेन्ट पैसा लेकर किया जाता है। जो पैसा दे देता है उसको पैसा जल्दी मिल जाता है और जो नहीं देता है उसको पैसा देर से मिलता है और उसका किलोमीटर भी कम कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसको देखें।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में बरेली और मुरादाबाद डिपो की मेरी जानकारी है। वहां पर कई बार यहां से लिखकर भी गया है, लेकिन वहां का आर0 एम0 प्राइवेट बस ओनर्स से 20-20 हजार रुपया लेकर बसों को सम्बन्धित कर रहा है जबकि यह मांग है कि वहां पर न लड़ाई? जाय। वे यह भी कहते हैं कि हम चाहें तो ऊपर से मंत्री जी के आर्डर को खत्म कर सकते हैं। मेरे इस आरोप पर मंत्री जी जरूर जांच करें। इसके अतिरिक्त मैंने पिछले वर्ष भी एक सुझाव दिया था कि जो कम रास्ते के मार्ग हैं, जो छोटे-छोटे रास्ते के मार्ग हैं उन पर टैक्सी या टैम्पो और छोटी-छोटी गाड़ियां यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के अधीन लेकर उनको 40/50 किलोमीटर के हिसाब से चलायें तो उससे परिवहन निगम में बसों की कमी है वह पूरी हो जायेगी और उनसे टैक्स भी वसूल किया जा सकता है और सुविधा भी हो जायेगी।

इसके साथ ही साथ यह भी मेरा प्रस्ताव है कि जो नई सड़कें हैं उन्हें परिवहन निगम न लें। वह अपनी ही सड़कों की पूर्ति करे और पुराने मार्गों पर ही चलाने की उनको व्यवस्था की जाय। जो आर0 टी0 ओ0 के आफिसेज हैं, जो उनसे टैक्स लेते हैं मैं चाहूंगा कि जो प्राइवेट बसों के मालिकान हैं वे जब वहां जाते हैं, उनके लिए वहां पर उठने-बैठने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। बल्कि वहां पर कुछ दलाल लोग रहते हैं जो कि उनसे पैसा लेते हैं और दस्तखत कराते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको हटाकर कोई ऐसी सुविधा कर दी जाय जिससे ऐसे लोगों को कोई असुविधा न हो। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन के बजट पर बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, हम सुनते थे कि कोई आदमी ऐसा था कि जिस थाली में वह खाता था उसी में वह छेद करता था। यही हाल परिवहन निगम का है और वही हाल परिवहन विभाग का है जिसके जरिये से इनके बाल-बच्चे पलते थे उनको ही खा रहे हैं। मान्यवर, मैंने देखा कि मुरादाबाद में, हल्द्वानी में, काठगोदाम में, रानीखेत में और देहरादून में कुछ गाड़ियां छोटे-छोटे पुर्जों के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खड़ी हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि छोटे-छोटे पुर्जों के न मिलने के कारण वे खराब हैं। एक बार हमें यह बताया गया था कि वहां पर 2,800 परिचालक ज्यादा हैं। माननीय, अभी होली के त्योहार में घर जा रहा था तो मुझे बताया गया कि वहां पर परिचालकों की संख्या बहुत कम है। वहां आपको परिचालक भेजने चाहिये। पूर्वी जिलों के लोगों को वहां पर भेजने की व्यवस्था करते हैं तो वे वहां नहीं रहना चाहते, वे अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। मेरा सुझाव है कि वहीं के लोगों को वहां पर परिचालक रखा जाय। मुद्दतों से जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, फोरमैन हैं, बाबू हैं, वहां पर वे एक धन्धा बनाये हुए हैं जो कि पुर्जों को बेचकर गाड़ियों को खराब कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय।

एक बात और कहना चाहूंगा। पर्वतीय क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं उन सब में गाड़ियां नहीं चलती हैं। बहुत सी सड़कों पर ट्रक चलते हैं जिनमें कि सवारियां भी जाती हैं। जैसा कि माननीय बिहारी लाल जी ने यहां पर एक प्रश्न उठाया था कि हल्द्वानी के निकटतम ट्रक दुर्घटना में 13 आदमियों की मृत्यु हो गई। वह ट्रक वहां खाद्यान्न ले जा रहा था और होली के त्योहार के लिए लोग उसमें सवार थे। 30 आदमी उसमें बैठे थे। उसी को देखने के लिए जब दूसरा ट्रक भी जा रहा था तो वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार व्यक्तियों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह से दो सौ से अधिक लोगों की मृत्यु पर्वतीय अंचल में इस तरह से हुई। एक दुर्घटना तो ऐसी हुई कि एक मां अपने बच्चे को पकड़े हुए थी। वे दोनों मर गये। उसमें घायल जब एक औरत से मैंने पूछा तो उसने बताया कि मेरा बच्चा गुजर गया है। मैंने कहा कि बच्चा तो फिर हो जायेगा तो मालूम हुआ कि उसका पति भी गुजर गया है।

पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र में सिवाय बसों से आने-जाने का कोई और साधन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि यहां पर नयी गाड़ियां लगायें। मुझे बताया गया कि जब बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे उस समय वहां नयी गाड़ियां भेजी गयी थी तब से कोई नयी गाड़ी वहां नहीं गयी है इसलिए अनुरोध है कि वहां नयी गाड़ियां भेजी जायं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जगवन्त सिंह बिष्ट—

मैं एक बात कह कर माननीय, खतम करता हूं। 1972 से कुमायूं मंडल के कर्मचारियों का प्राविडेंट फण्ड का पैसा जमा नहीं हुआ है उनकी तनख्वाह से काट लिया गया है लेकिन वह जमा नहीं हुआ इसलिए उसे तुरन्त जमा कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का विरोध करता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में भाड़े की दर यहां की अपेक्षा डेढ़ गुना ज्यादा होती है जिसका परिणाम यह होता है कि वहां पर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं इसलिए इस किराये को कम किया जाय।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

(श्री बिहारी लाल का नाम पुकारे जाने पर)

पहले नियम 51 की सूचनायें ले लेते हैं उसके बाद अनुदान पर बहस फिर चलेगी। नियम 51 के अन्तर्गत मुझे आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें श्री काशीनाथ मिश्र की, बलिया-बिहार राज्य की सीमा पर गंगा नदी के उस पार बलिया के हसनगर की आरा क्षेत्र की फसल को बिहार के अराजकतत्वों द्वारा नष्ट करने के सम्बन्ध में है को

स्वीकार किया है शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस पर कब बयान होगा तारीख बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

बयान की तारीख पूछ कर बताऊंगा।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा पांच अन्य निकायों के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूचना।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को एक सूचना भी देना चाहता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी के लिए नियत दिनांक 20 मार्च, 1984 के अपराह्न 4 बजे तक ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में जो एक-एक अतिरिक्त नाम थे वे वापस ले लिए गये हैं । अतः अब उपर्युक्त निकायों में नियमित रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या उनमें पूरणीय रिक्तियों की संख्या के बराबर हो गयी है ।

इस प्रकार गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों में उनके नीचे उल्लिखित सदस्य विधिवत् निर्वाचित हुए--

(क) गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा--1--श्री विद्यासागर नौटियाल (टिहरी गढ़वाल), 2--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी (पौड़ी गढ़वाल), 3--श्री खुशहाल सिंह रागड़ (गढ़वाल), 4--श्री द्वारिका नाथ पवन (देहरादून), 5--डा० विनोद कुमार तिवारी (नैनीताल) ।

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा--1--श्री विश्राम दास (इलाहाबाद), 2--श्री अशोक कुमार वाजपेयी (इलाहाबाद), 3--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद), 4--श्री विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद), 5--श्री मोहन सिंह (देवरिया) ।

(ग) अवध विश्वविद्यालय की सभा--1--श्री धरमपाल (बहराइच), 2--श्री शेर बहादुर (फैजाबाद), 3--श्री रिजवानुर्रहमान किदवई (बाराबंकी), 4--श्री देवेन्द्र पाण्डेय (सुल्तानपुर), 5--श्री विश्वनाथ (देवरिया) ।

(घ) उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था का प्रशासकीय बोर्ड--1--श्री हेम चन्द्र निमेष (मेरठ), 2--श्रीमती कमला बरिया-बादी (कानपुर), 3--श्रीमती पार्वती देवी (बाराबंकी)

(ङ) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड--1--श्री अजीत कुमार सिंह (कानपुर), 2--श्री विलायती राम कपाल (कानपुर) ।

(च) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान--1--डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा), 2--श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी (लखनऊ) ।

1984-58 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--म

अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग (क्रमागत)

श्री बिहारी लाल--

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । लेकिन समय कम है इसलिए मैं थोड़ी सी बातें अपने क्षेत्र की माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और सारे सुझाव नहीं दे पाऊंगा । मैं कहना चाहता हूं कि आज से दो महीने पहले चूड़ीगढ़ की मेरा क्षेत्र है वहां

पर एक ट्रक गिरा उसमें 7 व्यक्ति मर गये लेकिन परिवहन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं गया और न ही कोई राहत उनको दी गयी जो इससे प्रभावित हुए। श्रीमन्, अभी होली के त्यौहार पर, मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री जी ध्यान दें कि हल्द्वानी से 45 कि0 मी0 दूर नन्दौर खड्ड के पास एक ट्रक गिर गया जो कि वन विभाग की रोड है वहां पर अवैध रूप से जो ट्रक चलते हैं उनको परिवहन विभाग के अधिकारी आर0 टी0 ओ0 देखने नहीं जाता है और न कोई चेकिंग की जाती है जिससे वहां पर ट्रक गिरने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 9 आदमी घायल हुये।

माननीय, 16 तारीख को उस क्षेत्र की जनता और ग्राम प्रधान जो व्यक्ति मरे थे उनके संस्कार करने गये थे और अस्पताल देखने भी गये थे जब वह लोग 17 तारीख को घर लौट रहे थे तो उसी स्थान पर फिर एक ट्रक गिर गया जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 19 घायल हो गये। इसलिये जो मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि परिवहन विभाग के जो चालक, परिचालक अच्छा काम करेंगे उनको शील्ड दी जायेगी तो यह ठीक है। इसमें मुझे एतराज नहीं है वह दें। मन्त्री जी एक उदार मन्त्री हैं और आपका भाषण 1977 में पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने सुना तो वह आपसे बड़ी प्रभावित है, इसलिये निवेदन है कि ग्राम ओखल कांडा, पतलोट, सांस्यू, पहाड़ा पानी, पदमपुरी से धारी मानाघेर बोलीगांव, जोसूणा, मुक्तेश्वर में बसें जो महीने में एक या दो दिन चल पाती हैं तो इसमें मेरा निवेदन है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो भी वहां बसें चलाई जाय वह प्रतिदिन चलें, यदि नहीं है तो प्राइवेट बसें चलाई जायं, ताकि जनता को बसों में चढ़ने का मौका मिल सके।

माननीय, आज बड़ी-बड़ी जगहों पर मिलें लगायी जा रही हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने सड़कें बनवाई, भूत-पूर्व मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और वर्तमान मुख्य मन्त्री श्री श्रीपति मिश्र ने सड़कें बनवाई लेकिन उन पर परिवहन विभाग की बसें नहीं चल रही हैं जिसकी तरफ मन्त्री जी ध्यान दें और वहां बसें चलवायें जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके।

माननीय, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ओले पड़ने से हाहाकार मचा है चूंकि ओले से गेहूं और धान की फसल तथा इधर आलू क फसल को नुकसान हो गया है इसलिये वहां के किसानों को राहत देने का काम करें। इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि मन्त्री जी ने भाषण में कहा है कि 600 बसें आ गई हैं तो उसमें से कुमायूं के तीन जिलों में 200 बसें चलवाये। इन्हीं शब्दों के साथ में परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम स्वरूप जिम—

माननीय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया। माननीय, परिवहन विभाग की जो स्थिति है और जो बसों की स्थिति है उससे सारा प्रदेश त्रस्त है। इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाये इसका हल समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी परिवहन आयुक्त से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट बस के पीछे ढाई आदमी कम कर रहा है और गवर्नमेंट की एक बस के पीछे 14 आदमी कर रहे हैं। तो जो घाटा हो रहा है वह कभी सुधरने वाला नहीं है और बढ़ता जायेगा, इसी कारण घोषणा मन्त्री जी ने किया था कि हम बसों का किराया 25 प्रतिशत कम कर रहे हैं लेकिन वह अभी तक केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

घोषणा ही है और उसका कार्यान्वयन कब होगा इसको वह जाने लेकिन जो घोषणा करके कारगर नहीं होती है तो पब्लिक उसके बारे में चिन्तित होती है ।

मान्यवर, इनकी बसों को क्यों घाटा हो रहा है उसका एक मुख्य कारण है कि मेरे जनपद सहारनपुर की स्थिति यह है कि वहां पर एक टाइम पर प्राइवेट बस चलती है सुबह को रोडवेज की बस सहारनपुर से चलती है और 12 बजे के बाद दिल्ली से सहारनपुर बस चलती है । लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि उस समय के मन्वर भी प्राइवेट बस के मालिकान और ड्राइवर लोग रोडवेज बसों के ड्राइवर और कन्डक्टर को 10/10, 20/20 रुपया देकर यह कह देते हैं कि आप खाली चले जाओ और सवारी हमें ढोने के लिए दे जाओ । तो भ्रष्ट ड्राईवर और कन्डक्टर उनसे रुपया लेकर अपने समय में भी खाली चले जाते हैं और इस तरह से प्राइवेट वालों को सवारियां मिल जाती हैं । जब यह प्राविधान है कि एक टाईम रोडवेज को बस चलेगी और दूसरे टाईम पर प्राइवेट बस चलेगी तो रोडवेज के टाईम पर भी प्राइवेट बस क्यों चलाई जाती है । इस तरह की स्थिति हमारे सहारनपुर में है । हमारे सहारनपुर में 10 एम0 एल0 ए ज0, दो एम0 पी0 और 3 एम0 एल0 सी0 कुल 15 जनप्रतिनिधि हैं, उनको लखनऊ के लिए कोई सीधी गाड़ी, जिसे रेलगाड़ी कहते हैं सुबह और शाम के टाईम पर नहीं मिलती है । इसलिए वहां से लखनऊ के लिए सीधी व्यवस्था सुबह शाम के लिए की जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपसभापति—

अब आपका समय समाप्त हो गया है, बैठें ।

श्री राम स्वरूप निम—

लखनऊ से सहारनपुर के लिए एक अच्छी गाड़ी आ ज.ए, जो सवारी चलती हैं उनको ले जाये, तो अच्छा अच्छा हो धन्यवाद ।

*श्री अनवर खां—

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग की बजट अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका मशकूर हूं और जो मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । लेकिन उसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी अवश्य देना चाहता हूं—

यह कैसा बन्द है और कैसा उसका साकी है,
शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते,

जो हमारी बसें हैं, उनके बारे में तमाम लोग यहां एक ही प्रकार की अपनी राय जाहिर कर चुके हैं । उनकी व्यवस्था इतनी खराब है कि उनमें कोई भी आदमी सफर करना पसन्द नहीं करता है । उनमें सफाई नहीं होती है, बस में इतना धुंआ होता है कि लोग बैठ नहीं सकते हैं, उनमें चोरियां इतनी हो रही हैं कि लोग आपकी बसों में सफर करने से डरते हैं । निगम ही चोरी और भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया है, उसमें घाटे ही घाटे का सारा मामला है । इसलिये मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इसके लिये यहां एक बिल ले आयें और इस यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 निगम को तोड़ दें । जबतक निगम नहीं खत्म होगा, घाटा पूरा नहीं हो सकता है, न रोडवेज की हालत सुधार सकती है और न जनता को किसी प्रकार की सुविधा ही मिल सकती है ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि रोडवेज में दो हजार नई बसें खरीदी जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है, उनको खरीदने में सरकारी वर्किंग केपिटल को बर्बादी न की जाये, बल्कि वह पैसा देकर अन्डरटेकिंग से बसें चलवाई जायें। क्योंकि उनमें भारी गड़बड़ी होने के कारण यह दो हजार बसें भी चन्द सालों में कबाड़ा होकर कबाड़ी के यहां बिकने के काबिल ही रह जायेगी। इसलिये अब कोई भी नई बस इसके लिये न खरीदी जाये। एक पहले आर० टी० ए० कमेटी थी और जनप्रतिनिधि उसमें बैठते थे। आज वैसी कोई भी कमेटी नहीं है। आर० टी० ए० कमेटी में अधिकारी लोग बैठकर मनमाना अपना निर्णय लेते हैं। इसलिए आर० टी० ए० कमेटी पुनः गठित की जाये और जन प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाये, ताकि सरकारी अधिकारियों पर समुचित अंकुश रहे। यह जब से 25 प्रतिशत किराया बढ़ा है, तब से रोडवेज की हालत और खस्ता हो गई है। इसलिये मैं मन्त्री जी से जनहित में दरख्वास्त करूंगा कि वह 25 प्रतिशत बढ़ा किराया शीघ्र वापस लें। अलीगढ़ में अतरौली जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, उसके बारे में एक बात कहूंगा कि वहां पर जो बसें चलती हैं, उसमें आदमी बैठ नहीं सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त। कृपया बैठें।

(श्री गौरीशंकर भैय्या का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था इन हैं। इसके पहले श्रम विभाग के बजट पर भी कम्युनिस्ट पार्टी को समय नहीं दिया गया जिसके कारण माननीय उदल जी को सदन त्याग करना पड़ा। इस परिवहन के बजट पर भी कम्युनिस्ट पार्टी को अवसर नहीं मिला। यह हमारे साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(श्री विद्यासागर नौटियाल सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और व्यवधान करने लगे।)

आप कृपया पहले अपने स्थान पर जायें।

(श्री भीखा लाल के प्रयास से श्री विद्या सागर नौटियाल अपने स्थान पर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

क्या सदन की यह राय है कि इस परिवहन विभाग के अनुदान पर चर्चा का समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

श्री नौटियाल जी, आप कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

(श्री कुबेर भण्डारी सदन त्याग कर चले गये)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैदानी क्षेत्र में तो बसों के अलावा रेल गाड़ियां भी चलती हैं। पर पहाड़ों पर केवल बसों के द्वारा ही यात्रा की जा सकती है। इसलिये पहाड़ी मार्गों पर, जहां बसें नहीं चलायी गयी हैं, बसें चलाई जायें। अगर आप के पास रोडवेज की बसें नहीं हैं तो प्राइवेट बसें चलाने की इजाजत दीजिये। इसके अलावा प्राइवेट बसों में और रोडवेज की बसों में जहां होड़ लगी हुई है उसको बन्द कीजिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय सारिणी की व्यवस्था हर बस स्टेशन पर कीजिए और बसों को समय से चलवाइए। शिमला से टेहरी तक बस चलवाइए। इसी प्रकार दिल्ली से ऋषिकेश तक बस चलवाइए। यह बहुत आवश्यक है। जो घाटा हो रहा है उसको रोडवेज की व्यवस्था को सुधार कर कम किया जा सकता है। आप क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्रीय विधायकों को बुलाइए और उनसे परामर्श करके इसके लिए कोई उचित व्यवस्था कीजिए। पहाड़ों पर जो गाड़ियां 3 वर्ष से अधिक समय से चल रही हैं उनकी चेकिंग कराइए और उनको बदलिए।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें, समय समाप्त।

श्री गौरी शंकर भैंय्या--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों..

श्री हरदेव--

मान्यवर, मुझको बोलने का मौका दे दीजिए।

(सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत करने पर।)

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मन्त्री जी, क्या आप लोगों की पार्टी मीटिंग नहीं होती है जो इतने माननीय सदस्य रह जाते हैं।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं रोज खड़ा होता हूं। आपसे बराबर निवेदन करता हूं कि आप मौका दे दें लेकिन आप मौका नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। मुझको कहां मौका मिलता है बोलने का।

श्री हरदेव--

मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। एक बहुत बड़े समुदाय का मैं जन प्रतिनिधि हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री गौरी शंकर भैंय्या--

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और अन्य माननीय सदस्यों ने हमारे कटौती के प्रस्ताव पर जो सुझाव दिये हैं वह बड़े व्यावहारिक हैं। हमारी बातों को माननीय मन्त्री जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे मुझे उम्मीद है कि वह इसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी लोकल बसें चलती हैं उनकी हालत बड़ी खराब है। अभी पिछले साल एक मित्र ने कहा था कि जो लोकल बसें चलती हैं उनकी हालत है कि हार्न के सिवा सब कुछ बजता है और ब्रेक के सिवा सब कुछ लगता है। इन बसों से यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। यह बसें अधिक दूरी तक जाने का काम नहीं करती हैं और एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। मान्यवर, अभी बलिया में एक रोडवेज की दुर्घटना हुई थी। माननीय मुख्य मन्त्री उसको देखने के लिए गए थे। वहां रोडवेज की वर्कशाप से एक बस निकली और 25 कि0 मी0 चलने के बाद उसका चक्का निकल गया और बाहर चला गया। शाम को वह बस ठीक की गई। उसके बाद वह एक प्राइमरी स्कूल के सामने खड़ी था। ड्राइवर ने बच्चों से कहा कि तुम इसको धक्का देकर स्टार्ट करा दो तो मैं तुम सबको घुमाऊंगा। बच्चों ने धक्का दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ड्राइवर ने 25-30 बच्चों को उसमें बैठा लिया। करीब तीन किलोमीटर की दूरी तक वह बस चली। श्रीमन्, ड्राइवर की बदमाशी के कारण गाड़ी तालाब में डूब गई और 8 बच्चे डूब कर मर गए। मान्यवर, एक-एक हजार रुपये उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया है जो बहुत कम है। इसको और बढ़ाना चाहिए। अब श्रीमन्, मैं

अष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। आजमगढ़ डिपो में जो घटना हुई उसके बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर कह दिया जाता है कि बस खराब है और वही बस बुक खड़ी कर दी जाती है। उसके बाद फर्जी टिकटों पर उस गाड़ी को बुक कर दिया जाता था और चलाने का काम किया जाता था। जो आमदनी होती थी उसको विभाग के लोग बांट कर खा जाते थे। जब कमल टावरी आजमगढ़ गए तो उन्होंने गाड़ी पकड़ी तब विभाग के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी बेइज्जती की। उसके बाद किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह जाकर फर्जी गाड़ियों को चेक करें।

तो मान्यवर, इस तरह से जो गाड़ियां चलाई जाती हैं उनको रोकने का काम करें। जब से माननीय मन्त्री जी ने चार्ज लिया है तब से दो बार आर० टी० ओज० की बैठक बुलाई है। एक दफे जब राजीव गांधी की सभा हो रही थी उस समय मीटिंग बुलाई गई ताकि बसों और ट्रकों को रोक कर उनमें आदमी लादने का काम किया जा सके। जब एक कानपुर के बस वाले ने यह काम नहीं किया तो उसके अनुबंध को समाप्त कर दिया गया। दूसरी बार आर० टी० ओज० की बैठक इसलिए बुलाई गई ताकि आमदनी के क्षेत्रों का अन्दाजा लगाया जा सके कि वह कहां से कितना रुपया ला सकते हैं ताकि उनपर ट्रांसफर का दबाव डालकर कांग्रेस पार्टी के लिए करोड़ों रुपयों का चंदा इकठ्ठा किया जा सके।

श्रीमन्, नई गाड़ी बनाने के लिए जो चेसिस खरीद की गई है उनमें से अधिकांश को दिल्ली के एक बाडी बिल्डर्स जो अरुण नेहरू के दोस्त हैं 85 हजार रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से देने के लिए तय करने हेतु मंत्री महोदय को एक बड़ी रकम कमीशन के रूप में प्राप्त हो चुकी है।

[समय 5 बज कर 25 मिनट]

श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ जो अपने को मुख्य मन्त्री का रिश्तेदार कहते हैं, उन्होंने एक बस बेच दिया और करीब 200 फर्जी नियुक्तियां की। विभाग द्वारा जांच करने पर तथ्य प्रमाणित हुए तथा इन्हें निलम्बित कर दिया गया। मुख्य मन्त्री ने इस फाइल को मंगा कर अपने पास रख लिया और आदेश लागू नहीं हुआ।

मन्त्री जी ने जोश से बयान दिया था कि बढ़े हुए किराये में कमी की जायेगी पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। दो अरब की पूंजी से संचालित होने वाली निगम के पास डीजल का 6 करोड़ रुपया बकाया है। अगर कानपुर कार्यशाला की क्षमता बढ़ा दी जाय, तो हजारों बसें उसमें बनाई जा सकती हैं। ऐसा न करके मन्त्री महोदय कमीशन पर निजी बाडी बिल्डरों से आधे से अधिक बसों को बनाने का काम लेना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सुझाव श्रीमन्, यह है कि जिले की परामर्शदात्री समिति एवं मंत्रिमंडल स्तर की उप समिति की बैठक बुलाई जाय। लम्बी दूरी चलने वाली बसों के ड्राइवरों को आठ घंटे के बाद रेस्ट दिया जाय। शराब पीने वाले ड्राइवरों को रात्रि सेवा और लम्बी दूरी तय करने वाली गड़ियों को न दिया जाय। आर्या जी के टाइम में ड्राइवरों की जांच हुई थी। इसके लिए जांच मान्यवर, होनी चाहिए। आर० टी० ओ० और अन्य जांच अधिकारियों को रोडवेज की ओवरलोडिंग जांच करने का अधिकार मिलना चाहिए। गाड़ियों में जो मामूली खराबी हो जाया करती है, जिससे गाड़ी वहीं पर खड़ी कर देना पड़ता है, उसके लिए गाड़ियों में टूल बाक्स मान्यवर, रखे जायें, जिससे मामूली खराबियां तुरन्त दूर हो सकें। मान्यवर, हमारे प्रदेश में भाड़े की दर अन्य प्रदेशों से अधिक है, उसे कम किया जाय। मान्यवर, रोडवेज की गाड़ियों को बीच में रोक कर उनकी यांत्रिक

खराबी को चेक किया जाय ताकि वर्कशाप से निकलने वाली खराब गाड़ियों पर नियंत्रण किया जा सके।

माननीय, केन्द्रीय सरकार पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये निगम का बकाया है, उसे वसूल किया जाय जहां पर खिड़की पर टिकट काटने की व्यवस्था हो, वहां कन्डक्टर को टिकट बनाने की आज्ञा न हो। माननीय, सीटों का आरक्षण किया जाय तथा किसी भी कीमत पर गाड़ियों को ओवर लोड न किया जाय। माननीय, निगम का पुनर्गठन किया जाय तथा उन्हें 6 स्वतंत्र निगमों में विभाजित कर दिया जाय। माननीय, अनुबंधित बसों का किलो मीटर 500 तक करने की छूट दी जाय। रोडवेज के विश्राम स्थलों पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था एवं कैन्टीन की व्यवस्था की जाय। माननीय, 350 कि0 मीटर की अनुबन्धित बसों की चलने की सीमा लागू हो गयी है। बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर का दूरी अधिक है। यहां के लिये बसों को चलने की छूट विशेषतौर पर दें। अन्त में माननीय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के यात्रियों को सुलभ, सस्ता एवं आरामदेह यात्रा के लिये निगम को सारे प्रयास और सुधार करने चाहिए जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अन्तर्गत आते हैं। इन शब्दों के साथ माननीय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

*परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, मैं उस पक्ष के माननीय सदस्यों और इस पक्ष के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि बहुत उत्तम सुझाव उन्होंने दिये हैं। मैं एक ही बात माननीय गौरी भैय्या से कहूंगा कि वे नई बस भी मांग रहे हैं और कटौती का प्रस्ताव भी ला रहे हैं। श्रीमन्, एस0 आर0 टी0 सी0 घाटे पर है और इसकी बसें आफ दि रोड भी हैं। श्रीमन्, यह चैलेंज है, जिस चैलेंज को स्वीकार करने में हमें इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है।

मैं मानता हूं कि उसमें जो खराबी है, उसको दूर करने का प्रयास किया जायेगा लेकिन इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रीय सम्पत्ति है और प्रदेश की जनता को खून पसीने की कमाई का पैसा बसों में लग रहा है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठाने हैं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। विशेष रूप से कुछ मुद्दों को हमारे माननीय सदस्यों ने उठाये। मैं एक एक लाइन में इसका उत्तर दूंगा। हमारे माननीय सदस्य भंडारी जी ने कहा कि ड्राइवर और कन्डेक्टर को इन्सेन्टिव नहीं मिलता है। हमारे यहां कायदा है, नो एक्सीडेन्ट बोनस दिया जाता है, गाड़ी की मेन्टीनेन्स अच्छी हो, तो उसके लिये इन्सेन्टिव दिया जाता है, लोड फैक्टर अच्छा हो तो कन्डेक्टर को 10 रुपय से 30 रुपये तक माहवारी बोनस देते हैं। हमारे यहां व्यवस्था पहले से है, शायद माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है। इसको प्रभावी करने के लिये हमारे जो 18 रीजन हैं उसमें डी0 जी0 एम0 लगाये गये हैं और उनके ऊपर जिलक अफसर लगाये हैं, जो इसकी मानीटरिंग करते हैं कि कहां लास हो रहा है, कहां सुविधा में कमी हो रही है। जहां तक टूट फूट की बात है।

गाड़ियों को 31 मार्च का निश्चित समय दे दिया गया है कि रंग रोगन, खिड़की गद्दी और छोटी मरम्मत 31 मार्च तक हो जानी चाहिये। इसके बाद अगर कोई गाड़ी खड़ी पायेंगे तो उसमें हम अफसर को ज्यादा दोषी मानेंगे और छोटे कर्मचारी को कम तथा उनको भरपूर दन्ड दिया जायेगा। माननीय, कुछ माननीय सदस्यों ने स्टोर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

और रिपेयर में कुछ कमियों की तरफ ध्यान दिलाया । इसके लिये एक प्लान्ट पूर्वांचल में और उत्तरी साइड में टायर रेडीडिंग का लगा रहे हैं । स्टोर की चेकिंग के लिये हमने विजीलेंस सेल बनाया है जो जगह-जगह पर जा चेकिंग करेगा कि जो पार्ट्स हैं, वह सही हैं, या नहीं, यह काम तेजी से शुरू हो गया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं स्वयं कहीं किसी स्टोर को चेक करता हूं और कोई कमी पाता हूं तो उस अधिकारी को नहीं बल्कि सेल के अधिकारी को निलम्बित करूंगा कि क्यों नहीं इसको देखा । विशेष रूप से अनुबन्धित बसों की बात कही गई । इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है । बहुत से प्रभावशाली लोग चाहे राजनीति में हों, चाहे कहीं हों, राष्ट्रीय मार्गों पर बसें चला रहे हैं । अगर वह राष्ट्रीय क्षति समझते हैं अपने मन और विवेक से मानते हैं कि यह खून-पसीने की कमाई लगी है तो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस न चलायें । अगर अपने स्वेच्छा से यह कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा । ताकि मुझे कड़े ऐक्शन न लेने पड़े । राष्ट्रीयकृत मार्गों से अपनी बसें हटाकर लिंक रोड पर चलायें । इसके लिये केन्द्र सरकार को हमने मोटर वेहिकल ऐक्ट में संशोधन करने की परमीशन के लिये लिखा है । जो गाड़ियां तीन बार अवैध रूप से पकड़ी जायं उन्हें जब्त कर लिया जाय, हमने संशोधन की परमीशन मांगी है । माननीय सदस्य विद्यासागर नौटियाल जी ने जो कहा मैं उनको सूचित करना चाहता हूं टेहरी से देहली तक 1-2-1984 से सीधी सेवा चालू कर दी गई है, नरेन्द्र नगर से देहली तक सीधी सेवा चालू की गई है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

सीधी सेवा नहीं है । ऋषिकेश तक लाते हैं और उसके बाद दूसरी गाड़ी लेते हैं । यहां [illegible] रखते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं इसको दिखवा लूंगा । एक बात जाली टिकटों के बारे में कही गयी । मैं इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं और हम अपना प्रिन्टिंग प्रेस लगाना चाहते हैं जिससे वह गुप्त तरीके से टिकटों को छापे और अपनी डिजाइन बनाये । पूरे उत्तर प्रदेश का टिकट उसमें छपे ।

श्री अध्यक्ष--

6 महीने बाद बदल दिया करे ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, यह बेनामी परमिट जो लेते हैं एकाधिकार भी इस बस सर्विसेज में हो गया है कई-कई बेनामी परमिट हैं तो इन बेनामी परमिट में पूरी तहबीली आए गरीब लोगों को भी मिले इसमें 18 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति का किया गया है । बेनामी का परीक्षण किया जा रहा है । जो एकाध आ गया है उस पर शासन विचार कर रहा है जिस क्षेत्र में सरप्लस हैं उनको दूसरे क्षेत्र में भेजा गया है अगर गोरखपुर का व्यक्ति है तो उसे मेरठ इस आधार पर भेजा कि वह मेरठ ज्वाइन करें अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी सर्विस खत्म हो जायेगी एक बात माननीय सदस्यों ने उठाई एस0 टी0 ए0 कमेटी के बारे में कहा यह केवल आफिसेज मात्र नहीं है शासन इस पर विचार कर रहा है ।

श्री किरनपाल सिंह--

सब पर विचार कर रहा है काई फैसला भी लिया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

जल्दी हो जाएगा । एक बात विशेष रूप से उठाई गयी । कुछ बात किराये की उठायी गई । हमने पहले ही कहा कि पिछले वर्षों के और अबके आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और इस पर शासन गम्भीरता से विचार कर रहा है क्योंकि

हमारा संस्थान व्यापारिक संस्थान है, इसमें हम जनता को कितनी सुविधायें दे सकते हैं और पैसे की जनता को कितनी राहत दे सकते हैं, यह हमारा उत्तरदायित्व है। तो मैं कह रहा था कि शासन इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, निगम का किराया, कम करना न करना निगम का काम है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने कोई निगम को सुझाव दिया है या सुझाव देने पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो प्रक्रिया है शासन की वह उसको पूरा कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि कोई चीज प्रक्रिया के अन्तर्गत ही होती है गुप्ता जी बहुत विद्वान आदमी हैं और मेरे मित्र भी हैं वह अच्छी तरह समझते हैं कि प्रक्रिया क्या है और मैं उसी प्रक्रिया को लागू करने की बात कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, प्रतिपक्ष की ओर उधर के माननीय सदस्यों की एक इच्छा है, मैं आपके माध्यम से जनता के हित में साफ जानना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने सदन के बाहर घोषणा की है और सदन के अन्दर भी कहा है क्या आप जो किराए बढ़े थे उसको निगम को निर्देश देने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जब हमने किराये की कमी की बात की है तो हमारी नीयत में फर्क कहां है जब हम कमी की बात कह रहे हैं तो इस पर विचार कर रहे हैं नहीं तो यह बात कहते ही क्यों ?

श्री कुबेर मंडारी—

सदन में घोषणा करिए।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय, दुर्घटनायें जो होती हैं उसके लिये क्या तरीका निकाला जा रहा है। भारी वाहन चलाने के लिए कम से कम एक माह तक हल्के वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी आई० टी० आई० के जरिए। उसके बाद हैवी वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। माननीय, हमारा परिवहन निगम जिसका 28 लाख आफ द रोड है 4 करोड़ 43 लाख का घाटा है। चार लाख के करीब कर्मचारी एक्सेज हैं तो इसमें जनता की सुविधा के लिए इस परिपेक्ष्य में दो हजार बसें खरीदने का एलान किया है, छः सौ बसें खरीदी जा चुकी हैं, छः करोड़ रुपया आने वाला है जिसमें दो सौ बस खरीद रहे हैं। इन बसों को हम आनुपातिक ढंग से पहाड़ पर भी और मैदान में भी सब जगह भेजेंगे। श्रीमन्, इसमें मुझे माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहिए, अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाने वाली बसों को रोकने के लिये, इसके लिये शासन की ओर से भी प्रयास होगा और माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप उनको रोकने की चेष्टा की जायगी। मैं माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि एम० आर० टी० सी० के कर्मचारी या अधिकारी के बारे में कोई सूचना मिले तो शासन को और व्यक्तिगत रूप से मुझको अवगत करायें, हम उनको कड़ा से कड़ा दन्ड देंगे। मैं यह चैलेंज स्वीकार करता हूं और यू० पी० एस० आर० टी० सी० में सुधार आयेगा। यह निगम गरीब की सेवा के लिये है। हम किसी के दबाव में न आकर परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये कटिबद्ध हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, हम लोगों की मांग बढ़े किरायों को वापस लेने की है। माननीय मंत्री जी इसकी साफ घोषणा करने के लिये तैयार नहीं हैं, अतः जनता के हित में और उसको यह बताने के लिये कि सरकार बढ़े हुए किराये को घटाने

के लिये तैयार नहीं है, सदन में इसकी घोषणा करने के लिये तैयार नहीं है, अतः मैं अपने दल के सदस्यों के साथ दो मिनट के लिये सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त लोकतान्त्रिक समाजवादी मोर्चा के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आपको मालूम है कि इन्होंने किराये बढ़ाए जिसकी वजह से यह विषय यहां उठाया गया। आज जब बजट अनुदानों पर बहस हो रही है और उस बिन इस विभाग से सम्बन्धित पालिसी रीति नीति और निर्णय सदन में आने चाहिये। माननीय मंत्री जी यहां इस बात को स्पष्ट कर दें कि क्या वे अपने कार्पोरेशन से सलाह करके और अधिकारियों से सलाह करके अंतिम किसी राय पर पहुंचे है कि वे 50 प्रतिशत बढ़े हुए किराए को खत्म करेंगे, या नहीं कर सकेंगे ?

श्री गौरी शंकर मैत्र।—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जल परिवहन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, क्या वे जल परिवहन के बारे में कोई कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि शीर्षक दिया है सड़क एवं जल परिवहन तो जल परिवहन के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री रियासत हुसैन—

हम मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं, यह उन्हें बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,33,34,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर महानगर कांग्रेस (ज) के अध्यक्ष श्री आर० एस० राजौरिया तथा बार्ड अध्यक्ष श्री जलालुद्दीन अन्सारी के ऊपर प्राणघातक हमला किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 4-1-1984 को पार्टी बन्दी तथा पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्त मो० शमीम, मो० हामिद, मदन लाल, उमा शंकर, मुश्ताक तथा मु० शमी, निवासीगण सुजातगंज, कानपुर नगर द्वारा सर्वश्री आर० एस० राजौरिया, जलालुद्दीन अन्सारी तथा अयूब के ऊपर बम से प्राणघातक हमला किया गया जिससे वे लोग घायल हुए। उन्हें उपचार हेतु थानाध्यक्ष, रेल बाजार द्वारा तुरन्त अस्पताल भेजा गया। इस सम्बन्ध में श्री अयूब की सूचना पर थाना रेल बाजार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 307 भा० दं० वि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। मुख्य अभियुक्त मोहम्मद शमीम जो घायल था, दिनांक 4-1-1984 को ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा शेष अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। इस अभियोग में दिनांक 17-1-1984 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

दिनांक 14-1-1984 को श्री अब्दुल कादिर, निवासी सुजातगंज (पिता अभियक्त शमीम) के प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रतिवाद अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/307 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध राजोरिया, जलालुद्दीन आदि 8 व्यक्तियों के पंजीकृत किया गया। विवेचना से अपराध का होना सही नहीं पाया गया। अतः इस अभियोग को खारिज कराया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले में नियमानुसार तत्परतापूर्वक कार्यवाही की गयी। अतः यह कथन कि श्री सतीश चन्द्र मेहता, थानाध्यक्ष, रेल बाजार एवं चौकी इन्चार्ज श्री राम प्रकाश सक्सेना के भ्रष्ट आचरण के कारण दिनांक 28-10-1983 को उनके विरुद्ध जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को प्रार्थना-पत्र देने के कारण क्षुब्ध होकर स्थानीय पुलिस कांग्रेस (ज) के नेताओं को कुचल देना चाहती है, सही प्रतीत नहीं होता है।

श्री राजोरिया को दिनांक 27-2-84 को भेजे गए गुमनाम धमकी भरे पत्र के सम्बन्ध में गहराई से छानबीन करायी जा रही है।

श्री राजोरिया उर्सला अस्पताल में भर्ती हैं। सम्बन्धित थाना क्षेत्र की पुलिस को उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।]

*श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री आर0 एस0 राजोरिया, कानपुर महानगर कांग्रेस (ज) के अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्ष श्री जलालुद्दीन अन्सारी की सुरक्षा के आदेश कब किये गये और किसने किये ?

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, प्रश्न सुनाई नहीं दिया।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि कानपुर महानगर कांग्रेस (ज) के अध्यक्ष श्री आर0 एस0 राजोरिया तथा वार्ड अध्यक्ष श्री जलालुद्दीन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आदेश किसके द्वारा दिये गये और कब दिये गये ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, इसमें आदेश हो चुके हैं। वहां स्वयं एस0 एस0 पी0, कानपुर उनकी सुरक्षा व्यवस्था व देख-भाल कर रहे हैं।

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, उत्तर तो आया नहीं। मैंने तो जानना चाहा कि आदेश किसके द्वारा दिये गये और कब दिये गये ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जैसे ही यह घटना हुई। जैसे ही उन पर प्राण-घातक हमला किया गया, उनकी सुरक्षा हेतु आदेश दे दिये गये।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मेरी सूचना है कि दिनांक 11-1-1984 को और दिनांक 25-1-1984 को श्री आर0 एस0 राजोरिया ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की मांग के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति उन पर नजर रखे हुए हैं, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे जरूर मेरे ऊपर प्राण घातक हमला करेंगे। परन्तु माननीय मन्त्री जो कहते हैं कि घटना के तुरन्त बाद सुरक्षा--व्यवस्था कर दी गई थी। अगर वहां सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई होती तो आर0 एस0 राजोरिया सुरक्षा--व्यवस्था करने हेतु क्यों कहते। क्या माननीय मन्त्री को इस बात की निश्चित जानकारी है कि हमले के

तुरन्त बाद ही एस० एस० पी० महोदय द्वारा सुरक्षा-व्यवस्था कर दी गई थी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इसके बाद उनके पास एक गुमनाम-पत्र भी आया उस पत्र की एस० पी० महोदय जांच कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा-व्यवस्था हो रही है।

श्री रियासत हुसैन--

दिनांक 22-2-1984 को श्री राजौरिया को जो गुमनाम पत्र मिला, जिसमें उनको धमकी दी गई थी, जिसके बारे में अभी कहा भी गया कि इन्क्वायरी चल रही है। इनक्वायरी में क्या-क्या चीजें सामने आयीं, उसे भले ही आप इस समय सदन में नहीं बतायेंगे, सिर्फ आप इतना बता दें कि इस केस में कुछ कामयाबी आपको मिली की नहीं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, जहां तक पत्र का प्रश्न है, उन लोगों से बात-चीत हो रही है, जिनसे उनकी पार्टीबाजी चलती थी और जिनसे उनके मुकदमे चल रहे थे। जिन लोगों ने उनके ऊपर बम फेंका, उन लोगों को पकड़कर जेल में डाला गया। उनके घर वालों से पूछ-ताछ चल रही है। चूंकि पत्र-गुमनाम था इसलिए इस पर अभी तक कोई ज्यादा कार्यवाही नहीं हो सकी है।

डा० बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि श्री आर० एस० राजौरिया इससे पूर्व कितने मुकदमों में इन्वाल्व हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, इसके पहले सन् 1982 में जी० आर० पी० एफ० का मुकदमा 420/177/161 चला था।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, आदेश करना दूसरी बात है और सुरक्षा व्यवस्था करना दूसरी बात है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि नहीं ? चूंकि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि घटना होने के तुरन्त बाद उनकी सुरक्षा-व्यवस्था कर दी गई थी। यदि ऐसा ही था तो श्री आर० एस० राजौरिया ने फिर सुरक्षा-व्यवस्था हेतु मांग क्यों की, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, माननीय सदस्य ही बता दें कि वह कैसी और क्या व्यवस्था चाहते हैं। जैसी व्यवस्था वह चाहते हैं, वैसी कर दी जायेगी।

थाना बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) की पुलिस द्वारा सीराज नामक हरिजन को जिन्दा जला दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर एक घंटे की चर्चा लगी हुई है आप लोग बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

[समय 5 बजकर 45 मिनट]

*श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, इस गम्भीर घटना के बारे में कल प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है, उनकी पुनरावृत्ति में नहीं करना चाहता हूं। लेकिन घटना

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

को सही रूप से पेश करने के लिए कुछ पृष्ठभूमि मुझको रखनी होगी ।

मान्यवर, पुलिस में किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं । लेकिन, गत दो वर्षों से मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस एक विशेष रोल अदा कर रही है । वहां पर चार बजे जिस समय वहां की गश्ती पुलिस ग्रामीण अंचलों के लिए चलती है, तो भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो जाता है, यह सुनने को मिलता है कि न जाने किस गांव में, किस घर में कहर नाजिर होगा न जाने किस को पकड़ कर पुलिस में पेश कर दिया जायेगा । मान्यवर, इतिहास में, पिंडारियों का इतिहास पढ़ा है कि वे कभी-कभी जाकर किसी भी बेगुनाह को लूट लेते थे, ठीक वही स्थिति दो साल से मुजफ्फरनगर में हमारी पुलिस की है ।

मान्यवर, इस घटना में जो यह सौराज नामक हरिजन नवयुवक की हत्या की गयी है, वह जहां का रहने वाला है, उसके बगल में ज्वाला नामक एक सम्पन्न गांव है, जहां हर रविवार को कुश्ती होती है । मान्यवर, सौराज पहलवान था और कुश्ती करता था । मान्यवर, 14 तारीख से पहले पड़ने वाले रविवार को उसने वहां कुश्ती की थी और उसको 600 रु0 कुश्ती का इनाम मिला था । 14 तारीख में जब पुलिस जाती है, तो उसके मुखबिरों ने उनको बताया कि फलां युवक को कुश्ती में 600 रु0 मिले हैं, जाओ और वहां वसूली कर लो । पुलिस वाले घर पर जाते हैं, उससे पैसा मांगते हैं, जब वह पैसा देने से इंकार करता है, तो इंकार करने पर वह उसे पकड़ लेते हैं । वहां पर टारचर किया जाता है । सुबह होने पर जबरदस्ती पकड़कर, उसे वह लोग गिरफ्तार करके, थाने के लिए लेकर चले गये ।

मान्यवर, वहां से एक कि0 मी0 के रास्ते पर बेवाना नामक गांव में पुलिस के एक दलाल का केशर लगा हुआ था । पुलिस वालों ने उसके हाथ पैर बांध दिये और उसे वहां उस जलते हुए रस के कड़ाहे पर डाल दिया और उसमें दो-तीन बार उसे डुबोया । मान्यवर, मैंने जैसे कि कहा था, मेरे कथन की पुष्टि केवल इसी बात से है कि सौराज का जब पोस्ट मार्टम कराया गया तो न तो उसमें उसके हाथों के जलने की बात थी, और न पैरों के जलने की बात थी, उसमें केवल कमर और छाती और उसमें उसका जितना अंग आता है, उसके जलने की बात थी । मान्यवर, उसको उसमें पूरी तरह से 2-3 बार डूबो देने के बाद भी उन निर्मम हत्यारों को शर्म नहीं आयी और वह उसको पकड़कर, साइकिल पर बांधकर थाने पर ले गये । वहां के इंचार्ज द्वारा बजाय उन हत्यारों से सवाल करने के उनके द्वारा उसके खिलाफ 309 धारा के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम कर दिया गया । जब उसकी हालत बिगड़ती गयी, तब उसका जिला सदर अस्पताल मुजफ्फरनगर में डाईंग डिक्लेरेशन लिया गया, उसके मरने के पूर्व उसका बयान लिया गया ।

मान्यवर, जब वहां उसकी हालत अत्यन्त गंभीर देखी गयी तब उसको मेरठ के मेडिकल कालेज में उसको ले जाया गया । अब सवाल इस बात का आता है कि मेरे साथी लोग कहेंगे कि जिन लोगों ने उसको पकड़ा था, उनको जेल भेज दिया गया है । लेकिन, वहां के पुलिस इंचार्ज, जिसके सामने फर्जी मुकदमे की कहानी बनी, सौराज के विरुद्ध 309 के अन्तर्गत, उसका क्या कम दोष बनता है ? मान्यवर, उसके बाद सौराज की इस घटना की चर्चा जब क्षेत्र में आती है, ग्रामीण अंचलों की जनता प्रदर्शन करने के लिए आती है और पुलिस के खिलाफ नारे लगाये जाते हैं, तो इतना मदमस्त हत्यारा वह दरोगा उन नारों को न बरदास्त कर सका और लाठी चार्ज के आदेश दे दिए उसमें सैकड़ों आदमी घायल हुए ।

मान्यवर, सौराज के पिता श्री गरीब दास हरिजन जिनकी आयु 70–75 वर्ष के लगभग होगी, अपनी जान बचाने के लिए घनश्याम नामक एक व्यक्ति की दुकान में घुस गये, संयोग से उस वक्त घनश्याम दुकान में नहीं था, और वह घनश्याम नामक व्यक्ति नगर कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, मान्यवर उस गरीब दास हरिजन को दुकान से बाहर लाया गया, उसकी जूतों से पिटाई की गयी, उसकी पब्लिक में बेइज्जती की गयी। यही नहीं मान्यवर, सरिया नामक एक हरिजन जिसकी आयु लगभग 80 साल की होगी, और जो उस प्रदर्शन में शामिल था, उसकी उस दरोगा ने जबरदस्त पिटाई की और उसकी गुदा में डंडा डाल दिया। इससे बड़ी निर्मम बात कुछ और हो सकती है। और आज हम अपने कुछ साथियों से सुन रहे हैं कि दरोगा की कोई खता नहीं है। मैं वहां के पुलिस अधीक्षक के रोल पर थोड़ा प्रकाश और डालना चाहता हूं। मैं अपेक्षा करता था कि यदि पुलिस ने कोई ज्यादती की है, उसकी हत्या की है या कोई गलती की थी तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होती या सजा दी जाती परन्तु हम आश्चर्य करते हैं उस आई० पी० एस० कैडर के व्यक्ति पर कि उससे अपेक्षा थी कि हत्यारों के खिलाफ वह कोई कार्यवाही करेगा और यदि वह कोई कार्यवाही नहीं की तो कम से कम जिसका नौजवान बेटा मरा है उसके परिवार को कुछ सांत्वना ही देते। परन्तु यह तो नहीं बल्कि हुआ यह कि यह घटना 14 तारीख को घटी और 17 तारीख को जब उसका शव मेडिकल कालेज से वापस ले जाया जा रहा था तो वह मुजफ्फरनगर के बार्डर पर पहुंच गया और उसके शव को मुजफ्फरनगर ले जाने से रोकने लगा। दोनों पक्षों में काफी देर मुकाबिला हुआ। फिर एक सामाजिक कार्यकर्त्ता वहां पहुंचा और उसने दोनों के बीच हस्तक्षेप करके उसके परिवार वालों को उसका शव दिलवाया लेकिन फिर भी उसका शव मुजफ्फरनगर नहीं ले जाने दिया गया और वहीं पर उसकी दाह संस्कार किया गया।

कल सत्ता पक्ष की ओर से राजनीतिक दबाव की बात आयी थी कि वहां के दरोगा के खिलाफ कार्यवाही इसलिये नहीं की गयी कि उस पर राजनीतिक दबाव है। माननीय मंत्री जी, श्री विद्याभूषण जी, मुझे खुशी है कि हमारे यहां का वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कल यहां पर कहा कि मैंने हस्तक्षेप नहीं किया है और मैंने निर्देश दिये हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह 14 तारीख की घटना है आप वहां पर 15, 16 और 17 तारीख में मौजूद थे मुजफ्फरनगर में 18 तारीख को आप आये। तो क्या आपने कोई निर्देश दिया था कि किसी हत्यारे को गिरफ्तार किया जाय या किसी के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाय? या हम यह अनुमान लगाये कि आपके निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, या फिर दरोगा को बचाने का आप प्रयास कर रहे थे, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मुझे याद आती है उस गर्जना की जो आपने कल यहां सदन में कहा था कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंत्री जी, जब यहां पर जन आन्दोलन हुआ और एस० ओ० को वहां से हटाने की बात सामने आयी तो आपने किस कारण से उस पुलिस के दरोगा को 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया क्या आपने वह हस्तक्षेप नहीं किया? क्या आपने निर्देश दिया कि उसको वहां से हटाया जाय, निलम्बन तो दूर की बात है। हमारे जिले का मंत्री वहां मौजूद हो और उस पुलिस दरोगा के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाय क्या आप इस बात की अपेक्षा करते हैं? क्या हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी सरकार हरिजनों के प्रति न्याय करेगी?

मैं दलगत भावना से ऊपर उठ कर ये बातें कह रहा हूं और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी दलगत भावना से ऊपर उठ कर इन बातों पर गौर करें। आप मुझसे सुझाव चाहेंगे, मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा, सुझाव तो आप देंगे। मैंने आरोप इस कारण नहीं लगाये हैं कि इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत भावना निहित है। मैं भावना से ऊपर उठ कर, राजनीति से ऊपर उठ कर कुछ विचार करना चाहता हूं। हम निष्पक्षता से सोचें कि जो इस बात फैसला करने वाले अधिकारी वहां बैठे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए।

कल सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की थी कि उस दरोगा को निलम्बित कर दिया गया। लेकिन मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि आज की तारीख तक उसको निलम्बित नहीं किया गया और अभी भी प्रयास किया गया और अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि उसको निलम्बित न किया जाय, कोई न कोई तर्क पेश करके उस पर पर्दा डाल दिया जाय। जब इस प्रकार की कार्यवाही आप करेंगे तो केवल 20 सूत्रीय कार्यक्रम का नाम ले लेने से आप क्या इन्कलाब लायेंगे। जब अपने कर्त्तव्यों पर आपका विवेक नहीं रहेगा तो आप सरकार में रह कर क्या करेंगे? इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बाद में मुझे उत्तर देने का मौका मिलेगा, तब कुछ और कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

क्या मंत्री जी आप स्पष्टीकरण देंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि....

श्री अध्यक्ष—

आप दो बातें बतायें कि क्या इस में जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि कोई इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल आदेश दिया था कि दरोगा को निलम्बित कर दिया जायेगा, तो निलम्बित किया गया है या नहीं। इस के बारे में बतलायेंगे। दूसरी बात एस० पी० को छोड़कर कोई उच्च अधिकारी जैसे डी० आई० जी० इस घटना के मौके पर गया है या नहीं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, यह बड़ी शर्मनाक घटना है और उसके सामने सिर शर्म से झुक जाता है। जहां तक सरकार का प्रश्न है और सरकार के प्रतिनिधियों का प्रश्न है, मैं विश्वास दिलाता कि इस में कभी प्रयास नहीं किया गया और न किसी विधायक ने या मंत्री ने कहा कि किसी दोषी व्यक्ति को सस्पेंड होने से रोका जाये। जो व्यक्ति दोषी पाया गया उसको सस्पेंड किया गया। वहां के दरोगा को, इंचार्ज को सस्पेंशन के अंडर वायरलेस से भेज दिए गए हैं। सस्पेंशन के आदेश हो चुके हैं और यह भी आदेश दिए गए हैं कि उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया जाये और उस पर मुकदमा भी कायम होगा। अभी तक उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, इसको निश्चित किया गया है कि 5 हजार रुपया उसके परिवार वालों को दिया जायेगा। सभी विधायकों की भावनाओं की कद्र करते हुए इस की जांच सी० आई० डी० द्वारा करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अगर माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि सी० आई० डी० से जांच न होकर मैजिस्टीरियल जांच की जाये तो वह हो जायेगी। जो दोषी व्यक्ति हैं उनको छोड़ा नहीं जायेगा, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी और दण्ड दिया जायेगा। हमारी कांग्रेस की नीति रही है कि सबसे पिछड़े और हरिजन लोगों की रक्षा की जाये उनकी सुरक्षा की जाये। मेरा निवेदन है कि इसको राजनीतिक मामला न बनाया जाये जो

दोषी हैं उसको दन्ड दिया जायेगा। 2 सिपाही निलम्बित हो चुके हैं और थानाध्यक्ष के निलम्बन के आदेश जारी हो गए हैं और उसको वहां ट्रान्सफर के भी आदेश हो गए हैं, उसको जिले में न रखा जाये। अगर कोई और सुझाव माननीय सदस्यों के होंगे तो उन पर विचार किया जायेगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह ने जो तथ्य पेश किए हैं, यह बिल्कुल सही है कि मेरे जनपद में पुलिस ने हरिजन नवयुवक को मार दिया, यह बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही अफसोस की बात है। मेरा निवेदन है कि इसको पोलिटिकल न बनाया जाये, यह दर्द सभी का है, एक का नहीं है। मैं 15 तारीख को मुजफ्फरनगर पहुंचा और मुझे इस घटना से अवगत कराया गया, तो मैंने एस0 पी0 को आदेश दिया कि उन सिपाहियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये और वहां के थानाध्यक्ष को वहां पर न रहने दिया जाये। पुलिस अधीक्षक ने पहले ही उसको 10 दिन की छुट्टी दे दिया था। मेरे संज्ञान में यह बात नहीं थी। मेरा प्रेस स्टेटमेंट भी है इस सम्बन्ध में। मैं मुजफ्फरनगर गया। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी मैजिस्टीरियल जांच करायी जाये। मैंने कहा ठीक है, कीजिये। मान्यवर, इस कांड में, इस कुकृत्य में कोई भी अधिकारी हो चाहे एस0 पी0 हो, सी0 ओ0 हो, एस0 ओ0 हो, डी0 एम0 हो और यहां तक कि चाहे डी0आई0जी0 हो किसी को बख्शा नहीं जायेगा। मैंने कभी भी ऐसे मामलों में किसी को बकसने का प्रयास नहीं किया। हमेशा यह प्रयास किया है कि इस तरह के कुकृत्य करने वालों को कभी माफ न किया जाय।

कोई ऐसा मामला नगर का या जिले का माननीय हुकुम सिंह जी बता दें। एक कांधला कांड हुआ था, हुकुम सिंह जी के सामने हुआ था। मैंने उसमें एस0 ओ0 को सस्पेंड करवाया था, उसको वहां से हटवाया था। इस मामले में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि स0 आई0 डी0 की जांच के आदेश हो गये हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे मामलों में उच्च से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है और रहेगा और मैं अपने सामने बैठे हुए साथियों से भी यही निवेदन करूंगा कि वे ऐसे केसेज में कभी भी कोई लिपट न दें और हम सब लोग एक साथ मिलकर ऐसे अत्याचार और अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास एक जुट होकर करें।

[समय 6 बजकर 2 मिनट]

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि आज ऐसे विषय के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है जिस कांड से इस माननीय सदन के सारे लोगों का सिर शर्म से झुकना ही चाहिए मगर मुझे कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि प्रशासन की मिसाल अभी भी मनोबल की ही है। उसके लिए यह मिसल चाहे कितनी ही गम्भीर क्यों न हो, यहां पर फिर यह खतरा सामने आयेगा कि अगर कोई सख्त कार्यवाही की जाती है तो फोर्स का मनोबल गिर जायेगा। अगर यह हिम्मत है कि मनोबल नहीं गिरेगा तो है आप में हिम्मत कि उस एस0 पी0 को 120 (बी) के तहत दंडित कर दें जिसने कि अपने थानेदार को 10 दिन की छुट्टी दे दी और उसे घर भेज दिया। सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया, थानेदार की इन्क्वायरी होगी। वहां पर माननीय मंत्री जी के बयान के बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि एस0 पी0 को सारी चीजों की जानकारी होने के बावजूद भी उसने अपने थानेदार को 10 दिन की छुट्टी भेज दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

एक तरफ तो शासन वहां पर मौजूद, मंत्री मौजूद और जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जायेगा, दूसरी तरफ एस० पी० की यह हिम्मत कि वहां पर शासन के मंत्री होने के बाद भी उसने अपने अखितयार का इस्तेमाल किया और उस थानेदार को बचा लिया । वह आपसे ज्यादा होशियार था । वह जानता था कि मंत्री जी का दबाव पड़ेगा तो मैं अपने थानेदार को कैसे बचा लूंगा और उसने उस अधिकार का इस्तेमाल कर लिया । अगर आप में हिम्मत है, जैसा हुकुम सिंह जी ने कहा कि इसमें साजिश है, सिपाही से लेकर एस० पी० तक, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए । यह कोई नई बात नहीं है, रोज ऐसे मामले सामने आते हैं । रात दिन न मालूम कितने ऐसे मामले आते हैं कि आज गरीबों के साथ चाहे वह हरिजन हो, चाहे पंडित हो या किसी भी जाति से तल्लुक रखता हो थानों के अन्दर ऐसे कार्य हो रहे हैं । ऐसी मिसालें मौजूद हैं ।

श्रीमन्, एक महीना हुआ मेरे अपने एरिये में बिजली का तार कट रहा था । मैं मिसाल बता रहा हूं । एफ० आई० आर० हो गई लेकिन दरोगा जी से कोई मतलब नहीं क्योंकि तार काटने वालों से उनके हिस्से का पैसा थाने पहुंच जाता है । मैंने अपने भाई से कहा कि पुलिस के भरोसे में रहोगे तो तार काटने वाले नहीं पकड़े जायेंगे । तीसरे दिन जब तार कटा और चौथे दिन जब तार काटने आये तो गांव वालों ने और हमारे आदमियों ने उनको घेर लिया तो उनके साथ थाने का एक सिपाही दीनानाथ वहां पर मौजूद था । तो अब जैसा इस मामले में एस० पी० साहब ने कार्यवाही कर दी कि उस थानेदार को दस दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया उसी तरह वहां पर भी सारे पुलिस वाले उस कानिस्टेबिल को बचा रहे हैं । खम्भे टूट गए, तार कट गए गवर्नमेंट का लाखों का नुकसान हो गया, ट्यूबवेल बन्द हो गए लेकिन यह सोचा जा रहा है कि पुलिस वालों को कैसे बचाया जाय ।

इसी प्रकार मेरे यहां एक हनीफ नाम का बदमाश था उसे पकड़ कर दूसरी जगह पर इनकाऊन्टर कर दिया गया जब उसका पोस्टमोर्टम हो गया तो उसके वारिसों ने उसकी लाश मांगी लेकिन उसको लाश नहीं दी । तो पुलिसवालों का रोजमर्रा का यह काम हो गया है । अगर हिम्मत हो तो यहां पर सरकार घोषणा करे उन सिपाहियों के खिलाफ जैसे मुकदमा कायम किया है और थानेदार के खिलाफ जांच के बाद मुकदमा कायम किया जायेगा उसी तरह यहां पर कहें कि उस एस० पी० के खिलाफ भी जिसने थानेदार को बचाने के लिए 10 दिन की छुट्टी दे दी मुकदमा कायम किया जाएगा । वर्ना रात दिन ऐसे कांड होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे ।

*श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय, अपने जनपद के घिनौने कांड पर जो यहां पर चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 14 तारीख को जब यह वाकया हुआ और 15 तारीख को जब मैं मुजफ्फर-नगर पहुंचा तो हमारे जिले के कांग्रेसी महामंत्री ने सूचना दी थी और 16 तारीख को मैं स्वयं अपने साथियों के साथ माननीय नकली सिंह भी उसमें थे इस बात का प्रदर्शन किया और हमने कहा कि जो ज्यादती हुई है इसको हम किसी तरह बरदास्त नहीं करेंगे । इसके साथ ही हमारे जिला प्रशासन ने इसमें कोई शक नहीं सही तरीके से कार्य किया, दोनों सिपाहियों को जेल भेजा और थानेदार को निलम्बित किया । कल ही यहां प्रशासन ने सूचना भेज कर दरोगा को निलम्बित कर दिया है । तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हुआ । लेकिन यह जो कुछ हुआ है यह एक घिनौना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कांड हुआ है । जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाय इसको हमारी तरफ से मांग बराबर रही है और हम शासन को बधाई देना चाहते हैं कि इस विषय में तुरन्त कार्यवाही की जा रही है ।

(व्यवधान)

तुरन्त कार्यवाही की जा रही है यहां से दरोगा को निलम्बित करने के आदेश हो चुके हैं ।

(व्यवधान)

मैं बता रहा हूं शासन ने क्या किया । हमने लड़ाई लड़ी है ।

श्रीमती महारानी दोहरे--

हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और आप बधाई दे रहे हैं । हरिजनों पर अत्याचार हम बरदाश्त नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मेरा कहना केवल इतना है कि शासन ने कार्यवाही की है मैं उसके लिए बधाई देने की बात कर रहा हूं । मेरा एक निवेदन है कि वह गरीब व्यक्ति है उसके परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिलाया जाय । इसमें जो दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा देने की कार्यवाही की जाय । इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात खतम करता हूं ।

*श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, कल जब यह मामला श्री हुकुम सिंह ने सदन में उठाया था तो आपने भी अनुभव किया होगा कि माननीय गृह मंत्री जी के पास तब तक जिले से कोई सूचना नहीं आयी थी और इस पर विपक्ष के सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि मंत्री के पास जिले से कोई जानकारी नहीं आयी है । मान्यवर, दरोगा जी के निलम्बित करने के आदेश आज किये गये । क्या वहां के एस० पी० का यह कर्तव्य और फर्ज नहीं था कि वह अपने कर्तव्य का पालन करता । देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, हरिजनों के साथ हमदर्दी की बात करती हैं, तो जिले में इतनी बड़ी घटना एक हरिजन के साथ हो जाये कि उसको तड़पा-तड़पा कर मारा जाये और एस० पी० अपने कर्तव्य का पालन न करे, उसका फर्ज था कि वह दरोगा को तुरन्त निलम्बित करता लेकिन उसने यह काम नहीं किया। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वहां का एस० पी० ने थानेदार को संरक्षण दिया है । कल जब यह मामला उठा तो मंत्री जी आदेश देते हैं उसको निलम्बित करने का । इसलिये यदि मंत्री जी मुजफ्फरनगर के बारे में कोई दर्द है, जैसा उन्होंने आंसू बहाकर बताया, तो एस० पी० को भी सस्पेंड करें और वहां एस० पी० को न रहने दें, वरना जांच निष्पक्ष नहीं हो पायेगी और जांच का फिर कोई औचित्य नहीं रह जायेगा ।

मान्यवर, जैसा श्री हुकुम सिंह ने बताया कि इस मामले को राजनैतिक रूप में न लेकर मानवीय शक्ल में लें, चूंकि यह एक हरिजन का मामला है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि यह मामला हरिजन का न होता तो यहां कुहराम मच गया होता । मान्य व सत्ता पक्ष की सदस्या महारानी दोहरे जी को इसीलिये अपने दल के सदस्यों से संघर्ष करना पड़ रहा है । मान्यवर, माननीय सोमांश प्रकाश की आंखों में आंसू और जबान में मुस्कराहट देखने को मिल रही है । माननीय हुकुम सिंह ने यहां अवगत कराया था कि जब सोमांश प्रकाश मौके पर गये थे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वेला था कि हरिजन के साथ ज्यादती हुई है और वहां भीड़ इकट्ठी थी तो उन्होंने वहां घोषणा किया था कि यदि इस मामले में न्याय नहीं होगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे लेकिन कल आते ही वह घोषणा बदल गयी ।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री सोमांश प्रकाश--

मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा । कभी नहीं कहा ···

(व्यवधान)

मैंने यही कहा कि नौकरी से हटा दें, इसके अलावा क्या कहा ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

यह इस बात का प्रमाण है कि आपके दांत खाने के और दिखाने के और हैं हरिजनों के साथ में आपको कोई हमदर्दी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं देना चाहती हूं, क्योंकि जो उस नौजवान के साथ घटना हुई है वह उसके साथ ही दुर्घटना नहीं बल्कि उसके साथ पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसके लिए मैं अपना दुर्भाग्य समझती हूं कि ऐसी दुर्घटना के लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया है । मैं कुछ बुनियादी बातें कहना चाहती हूं क्योंकि मैं उस समाज से सम्बन्धित हूं और उस समाज के साथ इतनी उम्र तक और इतनी गहराई के साथ जुड़ी रही हूं कि मैं उनकी वेदना और मुसीबतों को पूरी तरह समझती हूं । मैं उन्हीं के बल पर यहां खड़ी हूं, मुझे निजी अनुभव है और उसी के आधार पर मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं, यह कहते हुए कि जो मेरे सुझाव हैं, यदि प्रदेश सरकार तक सीमित है तो वह उन पर विचार करें और अगर वह प्रदेश की सरकार तक सीमित नहीं है तो प्रदेश सरकार उनको केन्द्र सरकार को लिखकर भेज दे, जिन पर विचार करके केन्द्र सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही करे । जिस तरह से आये दिन कोई न कोई इस प्रकार की घटना होती है--जिनमें कहीं बालक पर, कहीं महिला पर, कहीं युवक पर और कहीं अधिकारी और कर्मचारी पर शर्मनाक अत्याचार किये जाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन पर एक तरह का प्रकोप आ चुका है, जिसमें हरिजनों पर किसी न किसी रूप में अत्याचार किये जा रहे हैं और करवाये जा रहे हैं ।

कल भी मैंने सुना है और आज भी मैंने सुना है, दोनों पक्षों के लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि इतने अहम सवाल जब यहां पर उठते हैं तो इधर के लोग उधर के लोगों पर आरोप और जिम्मेदारी थोपने की कोशिश करते हैं और उधर के लोग इधर के लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुनियादी स्थिति और असलियत को इस सदन में दबाने की साफ कोशिश की जाती है और जिनको न्याय मिलना चाहिए, उन्हें हर तरह से न्याय पाने से रोका जाता है । इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि बराबर इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं वह इस बात से सम्बन्धित है कि जितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति पुलिस में कर्मचारी हैं क्या आप उनकी लिस्ट बतायेंगे कि उनमें से कितने व्यक्ति डिप्टी एस० पी०, एस० पी० और एस० आई० के रूप में होमगार्ड और पी० ए० सी० में तैनात हैं । आपने इस वर्ग के अधिकांश लोगों को पी० ए० सी० और होमगार्ड में तैनात कर रखा है ताकि उनको कोई अधिकार न मिले और वह ऊपर न उठ सकें, अपने ऊपर हुए जुल्मों और अत्याचारों के विरुद्ध कोई आवाज न उठा सके ।

यदि आप चाहते हैं कि हरिजनों को सही संरक्षण पुलिस की तरफ से मिले तो डिप्टी एस० पी० और एस० पी० में से कोई न कोई हरिजन वर्ग का हर जिले में अवश्य तैनात किया जाए । हर

थाने में 8–10 एस० आई० होते हैं, उनमें से भी हर थाने पर एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ एस० आई० हरिजनों में से तैनात करने की आप कोशिश करें। इस बड़े दबे और पीड़ित हरिजन वर्ग के सहारे से और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के आशीर्वाद से जो मैं इस सदन में समाज के लिए बात कह रही हूं और कहना चाहती हूं उसके लिए मुझे बोलने से रोका जाता है, यह चीज मुझे बड़े शर्म के साथ कहनी पड़ रही है। बराबर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, क्या प्रदेश सरकार इस बात पर विचार करेगी और केन्द्र सरकार को लिखेगी कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए अलग से एक परिषद बनाई जाए, जो कुछ सालों तक इसमें काम करे, ताकि इस तरह के मामलों के फैसले उसके माध्यम से कराए जा सकें। जिससे हरिजनों को सही न्याय मिल सके। यह 14 तारीख का कान्ड है और 19 तारीख को इसमें कार्यवाही की गई। निश्चित रूप से इसमें साजिश है।

जब दो सिपाहियों को जेल भेज दिया गया, तो थाने का सर्वेसर्वा जो एस० ओ० इंचार्ज होता है, उसको 10 दिन की छुट्टी किस आधार पर दी गई ?

यह मैं शासन से जानना चाहती हूं कि उसको 10 दिन की छुट्टी देने में किन लोगों का हाथ था ? साथ ही इस बात की भी पूरी जांच होना चाहिए कि इस केस को दबाने के लिए ही क्या उसको छुट्टी दिलाई गई ? अगर यह सही है तो एस० पी० के खिलाफ भी कार्यवाही होना चाहिए। जिस प्रकार की यह दुखद घटना घटी उसमें 302 का मुकदमा बनता है, फिर छुट्टी कैसे दिला दी गई। इस धारा में तो पहले उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए थी, उसके बाद निलम्बन होना चाहिए था। मैं यह कहना चाहती हूं कि हरिजनों के साथ बराबर अन्याय हो रहा है और इस केस को दबाया जा रहा है। मैं मांग करती हूं कि हरिजनों के साथ न्याय किया जाये और इस केस को दबाया न जाये, बल्कि पूरे मामले की सुचारु रूप से जांच हो और सारी चीज सदन के सामने आये।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती महारानी दोहरे जी ने जिस तरीके से अपने विचार इस घटना के सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह एक अकेली घटना नहीं है, आये दिन इस किस्म की घटनाएं हरिजनों और निर्बल वर्ग के साथ होती रहती हैं। हमारी पुलिस बिलकुल निरंकुश हो गई है और इस सरकार तथा इस मंत्रि मंडल का पुलिस पर अंकुश नहीं रह गया है, अगर अंकुश होता तो ऐसी बात न होती कि माननीय विद्या भूषण जी मंत्री दरोगा को सस्पेन्ड करने के आदेश देते हैं लेकिन एस० पी० उसको छुट्टी पर भेज देता है। उस वक्त वह निलम्बित नहीं किया गया, उसको अब निलम्बित किया गया।

मान्यवर, कहा जाता है कि शासन ने बहुत तत्परता से काम किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सत्ता पक्ष के दो माननीय विधायक श्री नकली सिंह और श्री सोमांश प्रकाश ने थाने में जाकर चुनौती न दी होती तो कान्स टेबिल्स को जेल भी न भेजा जाता। और यदि यह मामला यहां सदन में भी न उठता तो उस थानेदार को मुअत्तल भी न किया जाता। तो इसको क्या तत्परता कही जाएगी ? यह तत्परता नहीं है। इस तरह की जो घटनायें हो रही हैं उसमें शासन को कड़ाई से काम लेना चाहिए ताकि जनता में विश्वास पैदा हो। आज जरूरत इस बात की है कि मंत्री लोग और शासक दल के लोग अराजक तत्वों के सामने कुछ घुटने टेकने की नीति को बन्द करें।

(इस समय 6 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

एक बात और कहना चाहता हूं। एस0 पी0 के खिलाफ जरूर कार्यवाही होना चाहिए। उसने तत्परता से क्यों काम नहीं किया और एक मंत्री के आदेश की उपेक्षा की जब यहां से माननीय मंत्री जी ने आदेश भेजा तब दरोगा निलम्बित किया गया, उसने पहले क्यों नहीं निलम्बित किया ? प्रश्न यह है कि अब इसकी जांच कैसे हो, और कैसे न हो। इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराना ठीक नहीं होगी, इसकी युडिशियल जांच होना चाहिए ताकि एस0 पी0, थानेदार और सिपाहियों का व्यवहार कैसा रहा, इसका पता चल सके और इसकी जांच के लिए समय भी निश्चित किया जाना चाहिए।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, अभी जिस विषय पर बहस चल रही है उसको सुनने से ऐसा आभास लग रहा है कि जैसे कांग्रेस के ही शासन काल में हरिजनों पर अन्याय बढ़ रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था...

(व्यवधान)

स्वर्गीय गांधी जी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व सम्भाला तो कांग्रेस और हरिजन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन गए। हरिजनों पर सबसे ज्यादा अत्याचार जनता पार्टी के शासन में हुए थे..

(शोर-व्यवधान)

[समय 6 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं...।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय काशीनाथ जी, आप बैठिए।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कुबेर भन्डारी—

माननीय काशीनाथ मिश्र जो विषय चल रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आज जिस गम्भीर विषय पर यह चर्चा हो रही है मैं चाहूंगा कि आप वहीं तक सीमित रहें।

श्री कुबेर भन्डारी—

मान्यवर, यह पागल हो गए हैं मंत्री न होने के कारण इनको आगरा भिजवा दीजिए ताकि यह ठीक हो जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र —

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में यह जो घटना घटी है . . .

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

काशीनाथ जी आप बैठिये।

(इस समय 6 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक निश्चित मुद्दे के ऊपर सदन में बहस हो रही है और काफी गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय काशीनाथ जी ने जो जनता पार्टी के शासन में हरिजनों पर अत्याचार हुए उससे इसको लिंक कर

दिया तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या काशीनाथ मिश्र जी को पिछले समय में जो हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं इससे इनको जोड़कर इस घटना को समाप्त करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष --

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबको बहुत संजीदगी के साथ, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे जो सम्बन्धित मामला है उसी पर बात होनी चाहिए । दूसरे मामले नहीं उठाने चाहिए जो तमाम प्रदेश से सम्बन्धित हो ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट को पुकारे जाने पर ।)

श्री काशीनाथ मिश्र --

मान्यवर, मैं तो अभी खड़ा हुआ हूं, अभी बोला ही नहीं हूं ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

काशीनाथ मिश्र के बाद इधर का नम्बर आना चाहिए ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग बैठिए ।

श्री कुबेर भन्डारी--

मान्यवर, काशीनाथ जी को बोलने का मौका न दीजिए ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग बैठिये । मुझे अभी मालूम हुआ, मेरे आने के पहले काशीनाथ मिश्र जी बोल रहे थे । मिश्र जी ने अपना भाषण आरम्भ किया था । बाद में यहां पर ऐसा वातावरण हो गया । मेरी जानकारी में नहीं था लिहाजा मैंने गौरी शंकर का नाम ले लिया । अब मुझे जानकारी हो गई है । मैं आपको बोलने के लिए इजाजत देता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह एक गम्भीर घटना है लेकिन मान्यवर,...

श्री हुकुम सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष --

काशीनाथ जी आप बैठिए, हुकुम सिंह जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय रियासत साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उनका प्रश्न यह था कि काशीनाथ मिश्र जी ने अपने भाषण में विषय से हटकर आरोप लगाए ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसके बारे में निर्णय दे दिया है ।

श्री हुकुम सिंह--

आपने व्यवस्था कहां दी । क्या वह विषय से हटकर बोलेंगे और पुरानी बातों को दोहरायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसका निर्णय पहले दे दिया है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । जो माननीय रियासत साहब ने प्रश्न उठाया था उस पर मैंने निर्णय दे दिया है । आपने उसको सुना नहीं है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर की घटना घटी है और हरिजन युवक के साथ, जो उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी सभी माननीय सदस्यों ने भर्त्सना की है और हमा

ही पक्ष के माननीय सदस्य नकली सिंह और सोमांश प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर जाकर रपट दर्ज कराई । इस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने स्वर्गीय गांधी जी और श्रीमती गांधी जी के नेतृत्व म शोषित, पीड़ित, गरीब, हरिजन, आदिवासी और महिलाओं के साथ रागात्मक और संवेदनशीलता का सम्बन्ध स्थापित करना अच्छी तरह से सीखा है और कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जनता पार्टी के शासन काल की अपेक्षा हरिजन अत्याचार की घटनाएं कम हुई हैं ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग संयम से काम लें और सुनें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

सबसे विचारणीय प्रश्न यह है कि घटना घटने के बाद शासन की तरफ से कौन सा कदम उठाया गया । आपके शासन काल में कौन सा कदम उठाया गया और हमारे शासन काल में कौन सा कदम उठाया गया ? इसी पर दोनों सरकारों की तुलना की जा सकती है । जनता पार्टी के शासन काल में बेलछी की जब घटना घटी, हरिजन अत्याचार से सम्बन्धित बेलछी काण्ड हुआ, तो वहां पर जनता पार्टी के शासक नहीं पहुंचे, जिनके पास शासन की सारी सुविधायें थीं । वहां पर श्रीमती गांधी सर्वप्रथम पहुंचीं, जो सत्ता में नहीं थीं, जो शासन की सुविधाओं से वंचित थीं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो कि सुनाई नहीं पड़ा तथा श्री कुबेर भंडारी अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो कि व्यवधान के मध्य सुनाई नहीं पड़ा ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन है, यह कोई तरीका नहीं है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, यह देखने की मेरी जिम्मेदारी है । आपको बेंच पर खड़े होने का अधिकार नहीं है, यह इस सदन की अवमानना है । आप 12 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं । जब मैंने यह प्रार्थना कर दी है कि संयम से काम लें, तो आप मेज पर क्यों खड़े हो गये ?

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, मुझको मजबूर किया गया है । ये हरिजनों और सवर्णों की लड़ाई कराना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कोई लड़ाई नहीं करायेगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं अपने भाषण के साथ किसी के जजबात को नहीं उभाड़ना चाहता हूं । मान्यवर, अभी आप जब यहां नहीं थे, तो माननीय काशी नाथ मिश्र का भाषण हुआ, उनके भाषण में जरूर ऐसी बातें थी जिससे आदरणीय सदन में उत्तेजना होना स्वाभाविक था । लेकिन पूरे भाषण से असहमति रखते हुए, एक बात से, जो उन्होंने आखिर में कहा है कि जब तक यह संसार रहेगा, तब तक सही और गलत दोनों तरह के काम होते रहेंगे । लेकिन हमको यह देखना होगा कि सही और गलत में शासन का क्या दृष्टिकोण है । मैं इस उत्तर प्रदेश के राजनैतिक नेतृत्व और इस सरकार का सबसे बड़ा दोष मानता हूं और इसके लिए मैं तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं । पुलिस कर्मियों न निंदनीय काम किया । लेकिन देखना यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ह कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को जो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, निरपराध व्यक्ति की हत्या के बाद क्या वह दृष्टिकोण सरकार ने अपनाया ? माननीय हुकुम सिंह और अन्य माननीय सदस्यों की तरफ से यह बात साफ हो गयी कि जहां वह दो सिपाही दोषी हैं, उससे कहीं अधिक वहां का एस० पी० दोषी है ।

यह तथ्य सामने आ गया । माननीय सोमांश प्रकाश जी ने सरकार के दृष्टि-कोण को उजागर करके उसकी निर्लज्जता का परिचय दिया । एस० पी० पर आरोप आया कि सीमा पर शव को रोकने की चेष्टा की, छुट्टी पर जाने दिया । क्या इस साजिश में एस० पी० दोषी नहीं है । सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? दूसरी बात में यह जानना चाहूंगा कि इस घटना के बाद इतनी गम्भीर घटना के बाद एस० पी० के ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी आज तक मौके पर गया ? वहां पर आई० जी०, डी० आई० जी० गये ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अधिकारी एम० एल० ए० से बड़ा नहीं होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं गया । 14 तारीख की घटना है 17 तारीख को मृत्यु होती है । इससे आश्चर्यजनक बात क्या होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर हमारे पत्रकार भाई और हम लोगों ने जानकारी करनी चाही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर इसकी जानकारी नहीं थी । मैं जानना चाहूंगा जब यह घटना शासन की जान-कारी में आयी तो सरकार ने तत्काल होमसेक्रेटरी और आई० जी०, डी० आई० जी० के द्वारा क्या कार्यवाही करने की कोशिश की । अगर इस घटना के बाद सत्तारूढ़ दल का ऐसा चरित्र प्रकाश में आया होता और तत्परता के साथ कार्यवाही की गई होती तो मैं यह कहने को तैयार हो जाता कि सरकार का दृष्टिकोण खराब नहीं है ।

माननीय, यह परम्परा और नियमों की प्रक्रिया है कि जिस आदमी की पुलिस कस्टेडी में मृत्यु होगी उसकी जांच मैजिस्ट्रेट करेगा । यह सत्य होने के बाद, नियमों में व्यवस्था होने के बाद मन्त्री जी के कहने के बाद जिलाधिकारी ने मैजिस्ट्रेट की जांच शुरू नहीं की । शासन तन्त्र इस मंत्रिमण्डल के हाथ से निकल गया है और इसके बाद भी सरकार मुस्करा रही है महाराजा दोहरे ने जिस साहस और निर्भीकता से सत्य को उजागर किया, सोमांश प्रकाश जी पर रौद्र रूप दिखाया उससे यह प्रतीत होता है कि शासन पक्ष में भी ऐसे लोग हैं, जो सरकार के गन्दे इरादे को बरदाश्त नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका नाम बार-बार लिया जा रहा है । आप कुछ कहेंगे ?

श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय, मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं । मैंने शासन को बधाई देने की बात जो कही, मैं सबसे पहले मुख्यालय पर गया, मौके पर गया, हमारे साथी नकली सिंह गये । आज बधाई की बात इस-लिये कही कि जो हमारी मांग थी शासन ने उसको माना, सिपाहियों को जेल भेज दिया, दरोगा को निलम्बित कर दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं सोमांश प्रकाश जी को बहुत ही चरित्रवान, नेक और हिम्मती सदस्य समझता था, वह मौके पर गये और साहसिक घोषणा की थी जिसके लिये मैंने हृदय से बधाई दी थी, घोषणा की थी कि अन्तर्दाह कर लेंगे । लेकिन आज जो बदला हुआ चेहरा उनका मैंने देखा उससे जो प्रतिमा उनकी बनी हुई थी

वह धूमिल हो गई । इसकी जांच सी० आई० डी० से करायेंगे । जब बात साफ हो गई कि कड़ाहे में डाला गया, एस० पी० ने रोका, इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराये । मैं अखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि संसदीय पद्धति में परम्परा है, लोक सभा में ऐसा हुआ है, राज्य सभा में हुआ है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के तो पूर्व दृष्टान्त अभी नहीं है । लेकिन विगत दिवस आपने अपने श्रीमुख से व्यवस्था दी है ।

मान्यवर, जब गूजरों के सेटिलमेन्ट के पुर्नवास की बात चल रही थी तो आपने कहा था कि दो सदस्यों की समिति जाएगी और वह वहां देखेंगे मैं पहले कह चुका हूं कि जज्बात उभारना नहीं चाहता हूं क्योंकि आजादी के 37 वर्ष के बाद भी हमारे देश में हरिजनों पर अत्याचार होता रहेगा, मासूम मरते रहेंगे, निर्बल की आवाज को रौंदा जाता रहेगा, इससे दुख की बात नहीं हो सकती है । चाहे इधर के माननीय सदस्य हों चाहे उधर के माननीय सदस्य हों आप कोई व्यवस्था कर सकें आदरणीय सदन इस पर विचार कर सके इसलिए मैं चाहूंगा कि एक संसदीय समिति को मौके पर भेजें, जिससे पूरी जानकारी आपको हो जाएगी और हम चर्चा कर लेंगे फिर यह सोचा जाएगा कि कौन सा तरीका निकाला जाए । हमारी अनुसूचित जाति की समिति भी है चाहें तो उसको निर्दिष्ट कर दें ।

मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि अपने भाषण में प्रस्ताव स्वीकार कर दें और समिति जाकर स्थिति का अध्ययन करे यह दो कांस्टेबिल का मामला नहीं है डिप्टी एस० पी०, एस० पी० सभी दोषी पाए गये है । इसमें सबके खिलाफ कार्यवाही की जाए जिससे आने वाले समय में निर्बल मासूम लोगों की आवाज न दब पाए उनकी आवाज दबाने का साहस न हो इन शब्दों के साथ संसदीय समिति बनाने पर बल देता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

जो समय निर्धारित है इसके लिए, उसमें चार मिनट शेष रह गये हैं इसमें समय बढ़ायें मुझे कोई एतराज नहीं है पहले आप चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव ले आवें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

आपने मेरा नाम पुकारा...

श्री अध्यक्ष--

कोई प्रस्ताव तो लाए प्रस्ताव तो कोई लाता नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर चर्चा के लिये आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि.....इस पर चर्चा के लिए आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट)—

मान्यवर, कल जब इस दर्दनाक घटना का जिक्र माननीय सदन में आया था तो आपको स्मरण होगा कि संसदीय कार्य मन्त्री डा० अम्मार रिजवी साहब यहां पर उपस्थित थे और उस समय प्रकाश डाला गया पूरी घटना पर, और वह कदाचित घोषणा करना चाहते थे इसकी जांच को सी० आई० डी० से कराने के लिए तो मैंने इस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा कि सी० आई० डी० की जांच कराने का मतलब है कि किसी केस को दफना देना और मैं पुनः इस पर जोर देता हूं क्योंकि अम्मार साहब ने पुनः घोषणा की थी और आश्वासन दिया था कि पुलिस को किसी एजेन्सी से जांच नहीं

करवायेंगे। और पुलिस की किसी एजेन्सी में सी० आई० डी० निश्चित रूप से आती है क्योंकि पुलिस एजेन्सी में वही कर्मचारी जाते हैं जिनका रिकार्ड खराब होता है जिन पर तरह-तरह के आरोप होते हैं उनको भेजा जाता है। तो इस तरह के लोगों की सी० आई० डी० को जांच के आदेश दिए जायेंगे तो एक तो उनके कार्य करने की नियति क्या होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है दूसरे मान्यवर, जिनको दंडित करना होता है उनको सी० आई० डी० और विजीलेन्स में भेजा जाता है और उनकी प्रवृति के कारण सी० आई० डी० का मामला बहुत दिनों के बाद प्रकाश में आता है और केस दफन हो जाता है, इसलिए इस पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं। अम्मार रिजवी साहब ने घोषणा की थी कि पुलिस विभाग की किसी एजेन्सी द्वारा जांच नहीं की जायेगी।

श्रीमन्, सी० आई० डी० उन्हीं पुलिस वालों की एजेन्सी है। एवीडेंस ऐक्ट सेक्सन 25 में पुलिस के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को चाहे वह डी० जी० ही क्यों न हो, उसके कोर्ट में दिये गये स्टेटमेंट की एडमिसिबिलिटी नहीं है। कानून बनाने वालों को शायद पहले ही पुलिस के चरित्र पर आशंका रही होगी और यही आज माननीय सदस्यगण के सम्मुख आ रहा है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इसकी जो जांच हो, उसमें पुलिस को किसी एजेंसी का इन्वालमेंट न हो। और चाहे कोई भी व्यवस्था जो आप मुनासिब समझें, कर दें। यह प्रकरण बहुत ही संवेदनशील है और माननीय सदस्यगण बहुत ही दुःख के साथ इसमें चर्चा में भाग ले रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। यह किसी एक पार्टी का विषय नहीं है। एक हरिजन कब उत्पीड़न हुआ है।

मैं श्रीमन्, यही कहना चाहता हूं कि आये दिन जो ये घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को यदि कम करना है तो जो आपने 10 प्रतिशत की व्यवस्था की है कि हर जिले में 10 प्रतिशत हरिजन अधिकारी एस० ओ० बनाए जांय, हर थाने पर एक हरिजन एस० आई० की नियुक्ति सुनिश्चित की जाय और जो जिले खास तौर पर अधिक सेंसेटिव हैं और जिनमें किसी जाति विशेष का बाहुल्य है, और उनकी प्रवृत्ति हरिजन विरोधी है तो वहां उस जाति के किसी एस० पी० या एस० ओ० को न भेजा जाय। कान्स्टेबिल को सस्पेंड किया लेकिन एस० ओ० को एस० पी० ने छुट्टी पर भेज दिया, अतः उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। अम्मार रिजवी साहब ने कहा कि चाहे जितने बड़े से बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हो, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। तो जो 302 का मुजरिम है, क्रिमिनल है, तो उसके विरुद्ध 302 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिये। उसके लिये पहले उनको सस्पेंड करना आवश्यक होता है। आपने कानस्टेबिलों को सस्पेंड कर दिया, अब एस० ओ० और एस० पी० को हटाकर जेल भेज कर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाय। यह बहुत संवेदनशील विषय है। इस पर सत्ता पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं है। इस विषय पर दोनों पक्ष के लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। किसी की सदाशयता पर आशंका नहीं करनी चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दुःखी मन से और संवेदनशीलता से इसको माननीय सदन ने लिया है, कृपा करके उसकी जांच किसी प्रकार करा करके दोषी अधिकारियों को जल्द से जल्द दण्डित कर दिया जाय। इससे सदन की छवि अच्छी बनेगी। आप इस सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं, आपकी भी छवि बनेगी। सरकार की छवि तो बनेगी ही। मैं चाहता हूं कि हरिजन उत्पीड़न पर जल्द से

जल्द कार्यवाही हो । आपने 5 हजार रुपया देने की घोषणा कर दी । क्या हम यह समझें कि किसी हरिजन की जान की कीमत पांच हजार रुपया आंकी जा सकती है । आप यह घोषणा कर दें कि जितने लोग इस घटना में शामिल हों, उनको फांसी के तख्ते पर लटकाना सुनिश्चित किया जायगा तो वह पांच हजार रुपये से कहीं अधिक होगा । वह दोषी लोगों के लिये एक सटीक स्वरूप होगा । जान लेने वालों के लिये एक सबक होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि यदि हरिजन उत्पीड़न पर प्रभावी कार्यवाही न हुई तो····

गरेये कयामत का सामान लिये बैठे हैं,

तो हम भी मर-मिटने के अरमान लिये बैठे हैं ।

दर्दे दिल शोजे जिगर चाके गरीबां की कसम,

अपनी हर आह में तूफान लिये बैठे हैं ।

गर तड़प उठें तो बदल जाय जमाने का निजाम,

गो लाख हाल हम परेशान हुए बैठे हैं ।

काफिले वालों सम्भल कर न भटक जाना कहीं,

फितने हर गाम पर शैतान लिये बैठे हैं ।

माननीय, आप इस पर निर्देशित कर दें ताकि इस मामले पर अधिक से अधिक विलम्ब न हो सके और इस आदरणीय सदन तथा माननीय सदस्यों की गरिमा भी बढ़ सके ।

श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय, मैं अभी सभी माननीय सदस्यों के भाषण को सुन रहा था । सभी लोगों की यह मांग है, बहुमत की यह मांग है कि डी० आई० जी० और एस० एस० पी० को निलम्बित किया जाय ।

(शोर)

माननीय, मैं कह रहा था कि जो बहुमत है डी० आई० जी० और एस० एस० पी० को ससपेंड करने की उसके बारे में माननीय मंत्री जी इस सदन में घोषणा कर दें । यदि वह घोषणा कर देंगे तो इस आदरणीय सदन का बहुत समय बच जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

जब माननीय मंत्री जी अपना भाषण देंगे, तब उसके अन्त में वह अपनी बात कहेंगे जो कुछ उनको कहना होगा ।

*श्री नकुल सिंह--

माननीय, यह काण्ड माननीय श्री हुकम सिंह जी ने इस आदरणीय सदन में उठाया और माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने भी इसमें बहुत कुछ कहा । जो बात सत्य थी वह कही गई । हमने ऐसा नहीं सोचा कि यह मामला विपक्ष ने उठाया है, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए । हमने यह धारणा बनायी कि जो बात सत्य है, उसे सदन में रखा जाना चाहिए, जिसे हमने रखा भी सदन की गरिमा बनाने के लिए, और एक परिपाटी कायम करने के लिए । उस हरिजन युवक को जलाकर मारा गया और एक अन्याय किया गया, जिसकी कोई सानी नहीं है । लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आता है और मैं जानना चाहता हूं कि उस हरिजन के मरने का दर्द वहां के किसी लोकदल और जनता पार्टी के प्रतिनिधि को हुआ । क्या लोकदल और जनता पार्टी ने वहां क्या प्रदर्शन किया ? जो काम अपोजिशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का था, उसे अपोजिशन नहीं कर सकी, वे लोग चुप-चाप बैठे रहे । उस कार्य को हमारी सरकार ने किया और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस के सिपाहियों ने किया ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

सही बात को सुनने की हिम्मत रखिये ।

श्री नकली सिंह--

लोकदल का एक भी कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्य कर्ता ने उसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन नहीं किया हम लोगों को ही इतना दम है और हम लोगों ने ही वहां प्रदर्शन किया जो काम हम लोगों को पुलिस के विरुद्ध इसकी बाबत शुरू करना था, वह काम हम लोगों ने किया । हम इंदिरा गांधी के सिपाहियों में ही इतना दम है कि गलत काम के लिये अपनी ही सरकार से लड़ें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाये । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सोमांश प्रकाश जी पर कटाक्ष किया, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस अन्याय के विरुद्ध पहले हम और सोमांश प्रकाश ही प्रदर्शन करने गये थे और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठायी थी ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ ही, ज्यादा न कहकर, अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि जुल्मी सिपाहियों और अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाय जिससे कि आने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा रहे और किसी पुलिस कर्मी को अन्याय करने की हिम्मत न हो ।

(श्री मंजूर अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे और संयमित रूप से अपनी बात कहेंगे ।

*श्री मंजूर अहमद--

मान्यवर, आज इस सदन में एक बहुत ही गम्भीर विषय लिया गया है, जिस पर यह चर्चा हो रही है । मान्यवर, मैं आपके द्वारा दरख्वास्त करूंगा, इस सदन के मुखिया, इस सरकार के मुखिया यहां नहीं हैं, माननीय नेता सदन यहां नहीं हैं, मान्यवर, 14 तारीख को एक हरिजन नवयुवक पर एक घटना घटी, उसको जला दिया गया, लेकिन आज तक उनसे संबंधित लोगों के विरुद्ध 302 का मुकदमा नहीं चला । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि सारे प्रदेश के हरिजन, निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों पर जो आज जुल्म और अन्याय हो रहा है, उसको सुनने के लिये माननीय नेता सदन में क्षमता नहीं है, इसलिए वे यहां आज मौजूद नहीं है और जैसा कि इस घटना की बाबत कल यहां आश्वासन दिया गया था और तमाम बातों का जिक्र किया गया था, मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस डेली वेजेज पर चल रहे डायरेक्टर जनरल के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, श्रीपति मिश्र को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता है । मान्यवर, इनके रहते हुए, इस प्रदेश के कमजोर, हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वह ऐसे कभी नहीं हुए । मान्यवर, मैं यह भी कहूंगा कि एक तो किसी प्रदेश में इस तरह से डेली वेजेज पर डाईरेक्टर जनरल पुलिस नहीं चलता, लेकिन यहां यह स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष--

आप विषय पर बोलें, एक भी शब्द आपने अभी तक मुजफ्फरनगर की घटना के बाबत नहीं कहा है ।

श्री मंजूर अहमद--

मैं दरख्वास्त करूंगा कि 302 के जो मुल्जिमान हैं, वह क्यों नहीं

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

गिरफ्तार हुए और जो भी थानेदार हैं, डी० वाई० एस० पी० या पुलिस के सिपाही हैं, जिन पर आरोप है, उनको 302 धारा में जेल में डाल देना चाहिए उसके बाद जांच होती रहे। 302 में मुकदमा थाने पर दर्ज होकर उनके खिलाफ कार्यवाही हो, उनको जेल में भेजा जाय। माननीय सदस्य जो यह मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच किसी और से न कराकर इसकी न्यायिक जांच, निश्चित समय पर कराई जाय और यह समस्त प्रदेश के निर्बल वर्ग के लोगों की हिफाजत के लिये जरूरी है कि सेवा कराया जाय। माननीय मुख्य मंत्री में जरा सी भी नैतिकता है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और इस डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, तब ही इस प्रदेश के निर्बल वर्ग के लोगों की जान की सुरक्षा हो सकती है, इससे पहले नहीं।

श्री दीपक कुमार—

माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर इस दुखद घटना पर अपना दुख प्रकट किया। यह मुजफ्फर नगर की हिस्ट्री में पहली घटना है इतना शर्मनाक कान्ड मुजफ्फरनगर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सौराज हरिजन की ओर से पुलिस के खिलाफ जो रिपोर्ट पहले दर्ज की गयी वह 308 में क्यों दर्ज की गयी और 307 में क्यों नहीं दर्ज की गयी ? जबकि एफ० आई० आर 307 में दर्ज होनी चाहिए थी। मान्यवर, जबकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सौराज की बेरहमी से हत्या की गयी फिर भी पुलिस कर्मियों ने उस हरिजन की एफ० आई० आर० पहले ही 309 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जो कि बिल्कुल फर्जी है, उस रिपोर्ट का क्या होगा ? बाद में उसके मरने के बाद 304 में जो रिपोर्ट दर्ज हो गयी वह 302 में क्यों नहीं लिखाई गयी ? इस तरह सेतो न्यायालय जाकर केस बहुत कमजोर हो जायेगा। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि पुलिस कर्मियों द्वारा सौराज हरिजन के विरुद्ध लिखाई मान्यवर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हरिजन युवक सौराज को बेरहमी से मारा गया फिर भी यह 309 की रिपोर्ट रद्द होनी चाहिये।

श्री राम सागर—

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में एक हरिजन को जलते हुए कड़ाह में उसके हाथ, पैर बांध करके डुबो-डुबो करके कच्ची मौत से मारा गया, यह इस सदन के लिये और खास तौर से कांग्रेस सरकार के लिये इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है।

मान्यवर, जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो अपने कहा था कि वह यह भी बतायेंगे कि इस घटना के संबध में कोई बड़ा अधिकारी वहां मौके पर गया या नहीं ? उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया इससे साफ जाहिर है कि इस घटना के संबंध में जो शुबह माननीय सदन को हुआ है कि उनके दरोगा को बचाने के लिये एस० पी० ने जो काम किया है और माननीय हुकुम सिंह जी ने जो यह मामला यहां उठाया है और उसके ऊपर जो सोमांश प्रकाश ने और नकली सिंह ने दो के सस्पेन्शन पर अपना सन्तोष प्रकट कर लिया कि उनके विरुद्ध कार्यवाही हो गयी थी, तो मान्यवर, वह सब बात घटना को छिपाने के लिये थी।

मैं हुकुम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकदल की ओर से यह मामला यहां उठाय और इस बात को जोर दिया कि जो थोक-थोक के भाव हरिजन मारे गये, साढ़पुर में मारे गये और मौके पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं गया। एस० पी० द्वारा दरोगा को बचाने के लिये उसे छुट्टी दे दी गयी। यह घटना बहुत गम्भीर है। लोक दल की तरफ से जो गुप्ता जी ने प्रस्ताव किया है कि एक संसदीय समिति बनाकर इसकी जांच करायी जाय तो चाहे इसमें संबंधित सदस्य रहे हों या अधिकारी

रहे हों, जो भी दोषी होंगे, वह साफ जाहिर हो सकेंगे तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी। मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, 14 तारीख को मैं काला दिन कहूंगा। अभी कुछ सदस्यों ने जो बात यहां कही, वह मेरी समझ में नहीं आयी। हमारे साथी सदस्य, सोमांश प्रकाश ने कहा और एस० पी० के बारे में बहुत तारीफ की मैं यह कहता हूं कि बिना बात के सदस्य यहां जो बैठे हैं, हमारे मंत्री जो बैठे हैं, तो एस० पी० की तारीफ करने की उनकी मंशा क्या है. एस० पी० ने उसकी लाश को उसके परिवार वालों को क्यों नहीं दिया और जा कर खुद ही उसका वाह संस्कार किया। हमारे भूतपूर्व मंत्री, काशी नाथ मिश्र ने कहा कि ऐसी घटनायें तो होती ही रहती हैं। ठीक है, ऐसी घटना कफल्टा कान्ड में घटित हुई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी सच्चाई को न छिपाये। जो लोग पुलिस के दलाल बन कर एस० पी० और थानेदार को बचा रहे हैं, वह चीज हरगिज नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच जज द्वारा की जाय, इसकी मजिस्टीरियल जांच होनी चाहिए अगर मजिस्टीरियल जांच नहीं होगी तो कफल्टा कांड की तरह यह भी छूट जायेगा। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की घटनायें भविष्य में न हों। मैं पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हरिजन हूं। वे आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एस० पी० के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिय और इसकी मजिस्टोरियल जांच कराई जानी चाहिए।

*श्री राम प्रसाद (मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, आपने मुझे इस घटना पर बोलने का मौका दिया, आपका आभारी हूं। मान्यवर, श्री सोराज सिंह एक हरिजन का लड़का पहलवान था। माननीय हुकम सिंह जी ने जिक्र किया कि ग्राम जाले में दंगल पड़ता है वहां पर यह सोराज पहलवान ने एक पहलवान से कुश्ती मांगी वह पहलवान थाने का एक सिपाही जिसका नाम रामफल था वह जाति से जाट था। तब राम फल को यह पता चला कि सोराज पहलवान हरिजन है तो वह उस गांव में जाकर सोराज को कहा कि तुम्हें यह कुश्ती हारनी होगी। सोराज ने कहा कि कुश्ती मैदान में होगी में ऐसा नहीं कर सकता इसी में दो सिपाही एक कोल्हू में पीटते हुए ले गये जहां सोराज को कढ़ाव में डाल दिया था वह कैसे गिरा। इसको मैंने नहीं देखा। वहां पर जट व हरिजन रंजिशियां चलती हैं। उन सिपाहियों के विरुद्ध मुकदमा कायम हो गया और उनको जेल भेज दिया गया। मंत्री जी के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, मैं जब 16 तारीख को गया तो मंत्री जी से बात की तो कहा कि कार्यवाही के लिये आदेश कर दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, किसी को बख्शा नहीं जायेगा। मेरा कहना है कि जो आरोप मंत्री जी पर लगाये गये हैं वह निराधार हैं और गलत हैं। वहां पर हरिजन और जाट का सवाल था। इस केस को इन लोगों ने तोड़-मरोड़ कर रखा है।

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरदेव—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं कि जब यह बात साबित हो गई कि दो पुलिस के सिपाहियों ने ऐसा जघन्य अपराध किया तो उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाय, उन दोनों को बरखास्त किया जाय, दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की जाय और उसे निलम्बित भी किया जाय। एस० पी० ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

किया है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय और हटाया जाय इसके अलावा उस मृतक हरिजन परिवार वालों को 10 हजार रुपये की सहायता दी जाय क्योंकि हरिजन उत्पीड़न हुआ है और कड़ाई से कार्यवाही की जाय तथा न्यायिक जांच की जाय ।

श्री हुकुम सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल और आज बराबर यह प्रयास किया कि इस गम्भीर मसले को, इस वर्बनाक घटना को राजनीति से ऊपर रखा जाय । मैंने कभी भी इस बात के लिये श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया कि यह मामला किसने उठाया है और न लोकदल ने ही इस बात का प्रयास किया है । मानवता के नाते हमारा यह दायित्व था कि उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये हम खड़े हुये हैं । इस शालीनता की अपेक्षा उस पक्ष के लोगों ने की जिन्होंने यह कहा कि वहां पर फलां-फलां गये और फलां नहीं गये । यह कहना जरूरी नहीं है, अखबारों में मैंने ही नहीं पढ़ा बल्कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय वीरेन्द्र वर्मा वहां गये और उनको जाना भी चाहिये था । इसका श्रेय लेने के लिये बात नहीं होनी चाहिए ।

एक सदस्य—

कोई नहीं गया ....

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

श्रीमन्, इनकी औकात का पता कल और आज चल गया । इसमें मान्यवर, दो मुद्दे हैं । एक सवाल वह है जिसमें अपराधिक धारा के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया । उसके अन्तर्गत जांच करने का प्रश्न केवल उन्हीं एजेन्सियों के माध्यम से सम्भव हो सकता है जो कि फौजदारी या अन्य इस तरह से सम्बन्धित हों उनकी सी० आई० डी० या मैजिस्टीरियल जांच करवा सकते है । तीन सवाल इसके पीछे जुड़े हुये हैं । एक तो यह है कि उस अपराध की पृष्ठभमि क्या है ? दूसरा लाठी चार्ज हुआ । एस० ओ० द्वारा अपने दायित्व को न निभाने के लिये 309 का मुकदमा कायम करना, सही मुकदमा न कायम करना और तीसरा एस० पी० द्वारा अपने दायित्व को न निभाने के लिये एस० ओ० को छुट्टी दे देना और जबरदस्ती लाश को छीनकर अपनी जिम्मेवारी न निभाना । मान्यवर, इन तीनों प्रकरणों की जांच इन एजेन्सियों से न हो और जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा था, मैं भी मांग करता हूं कि सदन की एक समिति से इसकी जांच करवा लें । इस प्रश्न का सम्बन्ध एक ऐसे वर्ग से जुड़ा हुआ है जिसका शोषण सदियों से हो रहा है । खासतौर से उस पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है जिसने अपने सबोर्डिनेट सिपाही और दरोगा को बचाया है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई । हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कि इसकी जांच यदि सदन के माध्यम से नहीं करायी जाती है तो पुलिस का कोई अधिकारी और उसकी कार्यवाही उपयुक्त और न्यायिक हो सकेगी और समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाया जा सकेगा । यदि आप एक समिति का गठन नहीं करेंगे और उस एस० पी० के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो यह जांच सही नहीं हो पायेगी । जैसा कि कहा गया कि इस मामले में राजनीतिक दबाव नहीं हुआ, इस पृष्ठभूमि में जांच होना आवश्यक है । यह केवल सदन की समिति ही कर सकती है । इस बात के ऊपर बल देते हुये मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो इस बात का अवश्य जवाब देंगे ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं कि यह एक दर्दनाक घटना हुई इससे हमारा सिर शर्म से झुका है । लेकिन मुझे दुख यह है कि इसको राजनीतिक चर्चा का विषय बनाने की कोशिश

विपक्ष की तरफ से की गई खासतौर से गुप्ता जी ने जो बात कही सोमांश प्रकाश जी के बारे में, तो उन्होंने एक बात कही आत्मदाह की। अगर दोषी लोगों को दंडित नहीं किया गया तो इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है जो कांग्रेस विधायक ने दी। माननीय नकली सिंह जी ने भी जोरदार शब्दों में कहा। आज सुबह से बल्कि कल से जब से यह चर्चा चल रही थी। माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र के जो हैं चिंतित थे कि क्या दंड दें। जहां तक मैंने बताया दोनों कानिस्टेबल जेल भेज दिये गये हैं थानाध्यक्ष सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियम यह है कि इनके भाषण के बाद ही चर्चा समाप्त हो जायेगी इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनके भाषण के पूर्व हमें एक मिनट टिप्पणी करने का मौका दें।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल--

एस0 पी0 के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जहां तक प्रश्न यह है कि इसकी जांच करायी जाय। तो जो दोषी लोग सामने आये हैं उनको दंडित किया गया है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा और माननीय संसदीय कार्यमंत्री आश्वासन दे चुके हैं कल ही कि सी0 आई0 डी0 से जांच नहीं करायेंगे वैसे म तो सी0 आई0 डी0 को उपयुक्त समझता था लेकिन जैसी इच्छा है सी0 आई0 डी0 से न हो तो मैं जुडिशियल जांच के आदेश देता हूं।

श्री रियासत हुसैन -

एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बज कर 15 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
21 मार्च, 1984

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

प्रियवर्शी जेतली दिनांक 11-12-1983 ई0

अकबरपुर,

फैजाबाद ।

मोहर

सदस्य विधान सभा

उत्तर प्रदेश ।

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (हरिजन कल्याण) प्रोग्राम के अन्तर्गत अकबरपुर विकास खंड में भी कुछ योजनायें शुरू की गयी थीं, जैसे कि हरिजन बेरोजगारों के लिए दूकानों का निर्माण कराकर उनका आवंटन करना, जमीन क्रयकर भूमिहीनों को काश्त के लिए वितरित करना इत्यादि ।

अकबरपुर विकास खंड में कुछ दूकानें जो उपरोक्त प्रकार की हैं, का निर्माण हो चुका है जिनका आवंटन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अब तक नहीं किया गया है । इसी प्रकार ग्राम सभा जमुनीपुर तथा उसके पास भूमि आवंटन की नीयत से विभाग द्वारा भूमि क्रय की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में शासन से शिकायत हुई थी कि भूमि क्रय की प्रक्रिया में सभी आवश्यक नियमों का उल्लंघन कर जमीन क्रय तो की ही गयी थी लेकिन उसके साथ-साथ जमीन न तो सर्किल रेट के आधार पर क्रय की गयी थी और न ही मालियत के आधार पर और न ही किसी ताजे बैनामें के आधार पर । जमीन अधिकारियों द्वारा आपसी लेन-देन के आधार पर क्रय की गयी थी । फलतः दौरान जांच पूर्व सम्बन्धित अधिकारी शासन द्वारा निलम्बित कर दी गयी थी और बाद को स्थानान्तरित भी कर दी गई ।

इसी योजना के क्रम में ग्राम अंटगी में करीब उन्नीस बीघा जमीन एक मान्यता प्राप्त इंटर कालेज की आराजी में से खरीदी गयी । चूंकि उक्त जमीन के क्रय करने में विभागीय सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा था इसलिए काफी अड़चने विभागीय अधिकारियों द्वारा डाली गयी थीं । उक्त भूमि के क्रय की प्रक्रिया में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा सर्किल रेट का प्रमाण पत्र जो कि आपके पूर्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया था उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल के आदेश पर विद्यालय ने बैनामा सम्बन्धित विभाग को लिखा था ।

उक्त विद्यालय की भूमि जिस गांव में स्थित है वहां पर 300 घर हरिजनों के आबाद हैं जो योजना की सार्थकता को भी ग्राह्य बनाते हैं ।

ग्राम जमुनीपुर, परगना व तहसील अकबरपुर में उक्त योजना के अन्तर्गत क्रय की गयी भूमि कहां है ? आज तक विभाग जान नहीं सका, आवंटन की बात तो दर गुजर है । ग्राम अंटगी में क्रय की गयी भूमि मौजूद है । पात्रों की चयन सूची भी विभाग को प्राप्त हो चुकी है, मगर अब तक आवंटन नहीं किया गया ।

इस बीच में इसी विकास खंड में योजना के जिला अधिकारी द्वारा एक जमीन ग्राम हुसेनपुर सकरवारी में क्रय की गयी और इस कार्य को करने में विभाग द्वारा अत्यन्त गोपनीयता बरती गई और जहां तक मेरी जानकारी में बात आयी है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए जमीन की किस्म, उसकी कीमत, नियमों का अनुपालन ताक पर रख कर किया है ।

महोदय में 15 दिन के अन्दर आपके माध्यम से परगनाधिकारी, अकबरपुर के जरिये बाद जांच निम्नलिखित जानकारी जनहित में चाहता हूं :

(i) पूर्व स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (हरिजन कल्याण) की जिला अधिकारी श्रीमती चम्पी आर्या द्वारा क्रय की गयी भूमि क्या वास्तविक रूप में मौके पर है ? उसकी निशान देही कब और किस अधिकारी द्वारा की गयी जिस कीमत पर जमीन क्रय की गयी है, वह क्या है ? क्या सर्किल रेट अथवा (Latest Sale deed) पर आधारित है ? यदि नहीं, तो कितना फर्क है ? अब तक आवंटन क्यों नहीं हुआ ?

(ii) दूकानों के लिए कहां और कब-कब उक्त विकास खंड में निर्माण हुआ ? कितनी दूकानों का हुआ ? कितनी दूकानें निर्माणाधीन हैं तथा कितनों के निर्माण का प्रस्ताव है और कहां कहां है ? निर्मित दूकानों का आवंटन अब तक क्यों नहीं हुआ ? होगा तो कब होगा ?

(iii) भूमिहीनों को क्रय कर वितरित करने के लिए मौजूदा अधिकारी द्वारा माह अगस्त 1983 में अब तक किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी जमीन क्रय की गई ? उक्त जमीनों के क्रय की प्रक्रिया में अथवा क्रय की गयी भूमियों का सर्किल रेट, किस्म जमीन तथा उसके दर में यदि कोई फर्क है तो कितना फर्क है ? क्या बैनामा सर्किल रेट पर राजस्व अधिकारी के प्रमाण पत्र के बाद क्रय किया गया है अथवा नहीं ?

महोदय में आशा करता हूं कि उपरोक्त सभी जानकारियां आपके माध्यम से मुझे निश्चित रूप से 15 दिन के अन्दर उपलब्ध हो जायेंगी जिसके लिए मैं आपका अनुग्रहीत रहूंगा ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

ह० प्रियदर्शी जैतली

सेवा में,

श्री हरिमोहन सिंह,
जिलाधिकारी,
फैजाबाद ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर।)

क्रम संख्या	राष्ट्रीयकृत मार्ग का नाम
1	2
1	दुगड्डा–कनालीखाल–लक्ष्मणझूला
2	देहरादून–मंसूरी
3	नजीबाबाद–हरिद्वार
4	दुगड्डा–डाडामन्डा
5	हरिद्वार–नजीबाबाद–कोटद्वार
6	कोटद्वार–लेन्सडाऊन–गुमखाल
7	कोटद्वार–काण्डी–बडेथ
8	कोटद्वार–रिखनीखाल

नत्थी 'ग'

(देखिये अतरांकित प्रश्न सं0 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

स्थलवार आवंटित दुकानों का विवरण --

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	आवंटित दुकानों की संख्या
1	2	3
1	माढ रमऊ	10
2	नेहरूनगर बहरोली	10
3	रहमतनगर	5
4	घमरतलिया	5
5	मोहराखुर्द	5
6	सुरियामऊ	5
7	योगानपुर मोहम्मदाबाद	5
8	चुरहिया	4
9	अनइया हरदोइया	5
10	मोहारी कला	10
11	सिदौली कलां	4
12	रसूलपुर ढिकनियां	3
13	कोड़रा शेखनापुर	5
14	सरईगुदौली	5
	योग ..	81

इस प्रकार 19 दुकानों का आवंटन शेष रह गया है । इन 19 दुकानों के आवंटन हेतु उपयुक्त लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही चल रही है ।

विकास खण्ड मोहनलालगंज--

वर्ष 1981-82 में कोई निर्माण नहीं हुआ ।

वर्ष 1982–83 में 10 दुकानों का निर्माण निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा कराया गया तथा 50 दुकानों का निर्माण खंड विकास अधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा अमानी तौर पर पूर्ण कराया गया जो निम्न प्रकार हैं —

वर्ष 1982–83 में स्थलवार निर्मित दुकानों का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या
1	2	3
1	मोहनलालगंज	10
2	करोरा	10
3	निमोहा	5
4	अंवरीली	10
5	सलिमपुर	10
6	उतरावां	5
7	सिसेंडा (निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा)	10
योग ..		60

विकास खण्ड गोसाईगंज —

वर्ष 1981–82 में कोई निर्माण नहीं हुआ ।

वर्ष 1982–83 में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 65 दुकानों का निर्माण अमानी तौर पर पूर्ण कराया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं —

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या
1	2	3
1	माडरमऊ	10
2	नेहरूनगर अहरौली	10
3	रहमतनगर	5

1	2	3
4	चमरतलिया	5
5	शिवतर	10
6	कोड़राशेखनापुर	5
7	महुराखुर्द	5
8	रसूलपुर टिकनियामऊ	5
9	सुरियामऊ	5
10	चौगानपुर मोहम्मदाबाद	5
	योग ..	65

वर्ष 1983-84 में दिनांक 29-2-1984 तक 35 दुकानों का निर्माण कार्य निम्न स्थलवार पूर्ण कराया गया।

निर्मित दुकानों का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या
1	2	3
1	मोहराकला	10
2	तिठोलीकला	5
3	चुरहिया	5
4	सरईगुदौली	5
5	हरदोइया	10
	योग ..	35

उपरोक्त 100 निर्मित दुकानों के विपरीत 29-2-1984 तक 81 दुकानों का आवंटन स्थलवार निम्नलिखित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1983-84 में दिनांक 29-2-1984 तक 31 दुकानों का निर्माण कार्य निम्नलिखित स्थलवार पूर्ण कराया गया ।

वर्ष 1983-84 में स्थलवार निर्मित दुकानों का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या
1	2	3
1	उतरावां	5
2	बयालपुर	5
3	मऊ	11
4	भावाखेड़ा	10
	योग ..	31

उपरोक्त 91 निर्मित दुकानों के विपरीत 29-2-1984 तक 50 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है जो स्थलवार निम्नलिखित है ।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	आवंटित दुकानों की संख्या
1	2	3
1	मोहनलालगंज	10
2	करोरा	10
3	क्यालपुर	5
4	जबरोली	10
5	मऊ (मोहनलालगंज)	10
6	उतरावां	5
	योग ..	50

इस प्रकार शेष 41 दुकान आवंटन हेतु अवशेष रह गयी है । उपयुक्त आभार्थियों केचन की कार्यवाही चल रही है ।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के उन राजकीय भवनों वाले चिकित्सालयों की सूची जिनमें क्षेत्र के विद्युतीकरण होने के बावजूद भवन में विद्युत् उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौकीसैंण ।

2—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बहेड़ाखाल ।

3—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, अदवानी ।

4—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, नौगांवखाल ।

5—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, भृगुखाल ।

6—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, कांडी ।

7—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बंधाट ।

8—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, चाकीसैंण ।

9—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, सतपुली ।

10—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बदियारगांव ।

11—राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, थापला ।

12—राजकीय महिला चिकित्सालय, नौगांवखाल ।

13—राजकीय महिला चिकित्सालय, बीरोखाल ।

14—राजकीय महिला चिकित्सालय, बांधाट ।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

सूची 'अ'

संस्थानों का नाम	ट्रेड	संचालित केन्द्रों की संख्या
1—मेसर्स पाल एण्ड कम्पनी ऊषा सिलाई केन्द्र, बदायूं	सिलाई उद्योग	11
2—मेसर्स जन कल्याण सेवा मण्डल, बदायूं	सिलाई उद्योग	4
3—मेसर्स जन कल्याण सेवा मण्डल, बदायूं	स्वेटर बुनाई	9
4—मेसर्स सीमा ग्राम विकास संस्थान, कुबर गांव, बदायूं	सिलाई उद्योग	1
5—मेसर्स सराय नाहर खां औ0 समिति, बदायूं	रेशा उद्योग	5
6—मेसर्स सहसवान ग्राम विकास समिति सहसवान, बदायूं	,, ,,	3
7—मेसर्स रेशा औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, रिवाड़ा	,, ,,	6
8—मेसर्स आदर्श भारतीय ग्रामीण, विकास समिति जरीफ नगर, बदायूं।	,, ,,	3
9—मेसर्स श्री राम ग्राम उद्योग सेवा समिति, शेखपुर, बदायूं	,, ,,	3
10—मेसर्स कमानश्रान आदर्श औ0 समिति, बदायूं	,, ,,	1

सूची 'ब'

1—मेसर्स महेन्द्र रामी ऊषा सिलाई केन्द्र, बदायूं।

2—मेसर्स सीमा ग्राम विकास संस्थान कुबरगांव बदायूं। (समिति द्वारा संचालित)

3—मेसर्स अखिलेश कुमारी पुत्री श्री बासितब स्वरूप, नि0 ग्राम बीरपुर, बदायूं।

4—मेसर्स कुमारी मीना पाठक पुत्री श्री महेन्द्र कुमार पाठक, गांसडपुर, बदायूं।

5—मेसर्स श्रीमती ज्ञानवती पत्नी श्री बांके लाल, बदायूं।

6—मेसर्स कमर उद्दीन, नि0 गुढनी, बदायूं।

7—मेसर्स मजाहिर अली, नि0 गुन्नौर, बदायूं।

8—बगदम्बा बुनाई केन्द्र, बातागंज, बदायूं।

9—शरफत अली, नि0 म्याऊ, बदायूं।

10—राम सहाय पुत्र श्री ठकुरी लाल, नि0 उसावां, बदायूं।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर।)

आजमगढ़ जिले में 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत
अवर अभियन्ताओं की सूची

1—श्री राम बली वर्मा
2—श्री अनिरुद्ध लाल
3—सं0 असफाक अहमद
4—श्री जयनाथ सिंह
5—श्री राम बाबू गुप्ता
6—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
7—श्री नवल किशोर सिंह
8—श्री गंगा सागर वर्मा
9—श्री शिव मूरत साहू
10—श्री शिवतुल अजीज
11—श्री उग्रसेन सिंह
12—श्री राज किशोर चौधरी
13—श्री फतेह बहादुर सिंह
14—श्री जगदीश यादव
15—श्री नारायण पान्डेय
16—श्री राम जी सिंह
17—श्री काली शंकर शुक्ला
18—श्री मुशफिक आलम
19—श्री बंश नारायण पान्डेय
20—श्री राम जनम सिंह
21—श्री जनार्दन मिश्रा
22—श्री अशोक कुमार वर्मा
23—श्री रमेश राम
24—श्री गुलाब शंकर मिश्र
25—श्री महेन्द्र कुमार सिंह
26—श्री राम लाल चौहान
27—श्री सर्वजीत सिंह
28—श्री विजय कुमार चटर्जी
29—श्री सुरेन्द्र नाथ गुप्ता
30—श्री पारस नाथ सिंह
31—श्री दिनेश्वर सिंह

पी0 एस0 यू0 पी0—12 वि0 सभा—14-6-84-813 (पी0 डी0)